समाज कल्याण विभाग
बिहार सरकार

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय

वार्षिक प्रतिवेदन

ANNUAL REPORT 2019-20

माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हौसला बढ़ाते हुये स्पेशल ओलंपिक बिहार के दिव्यांग अंतर्राष्ट्रीय के खिलाड़ी के साथ ।

राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ शिवाजी कुमार डिप्टी चीफ द मिशन एशियन पैरागेम्स की बैठक में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के साथ।

राज्य आयुक्त निःशकतता (दिव्यांगजन) को सम्मानित करते हुये डॉ मौसमी भौमिक (आरसीआई, नई दिल्ली) एक्सपर्ट मेंबर।

मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, भारत सरकार द्वारा ओयोजित वार्षिक बैठक नई दिल्ली को संबोधित करते हुये राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) डॉ शिवाजी कुमार।

वार्षिक प्रतिवेदन

ANNUAL REPORT 2019-20

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय

रामसेवक सिंह

मंत्री

समाज कल्याण विभाग
बिहार सरकार

बिहार सरकार

मुख्य सचिवालय

पटना : 800015
दूरभाष : 0612-2215045
फैक्स : 0612-2215045

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, अधिकार संरक्षण एवं कल्याण के लिए कार्यरत राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय अपना वार्षिक प्रतिवेदन -2019-20 प्रकाशित कर रहा है. दिव्यांगजनों के लिए अति उपयोगी एवं महत्वपूर्ण यह कार्यालय दिव्यांगजनों के लिए प्रदत्त अधिकारों के संरक्षण एवं अनुपालन कराने का दायित्व का लगातार निर्वहन कर रहा है. साथ ही दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी समाज में सुनिस्थित कर सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर उपलब्ध कराता आ रहा है. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय दिव्यांगजनों से संबंधित परिवादों का निष्पादन कर उन्हें लगातार लाभ पहुंचाया जा रहा है.

मुझे आशा एवं विश्वास है कि यह वार्षिक प्रतिवेदन-2019-20 विभिन्न विभागों के लिए और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयोगी साबित होगा.

मैं इस वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन के अवसर पर राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं.

-रामसेवक सिंह

अतुल प्रसाद

भा0प्र0से0, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

Atul Prasad, IAS
Social Welfare
Department, Bihar,
Patna

संदेश

दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ कार्यरत राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय, बिहार द्वारा वार्षक प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जा रहा हे जो एक सराहनीय है। दिव्यांगजनों के लिए कार्यरत यह कार्यालय जहां एक ओर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति लगातार जागरुक करता रहा है और लगातार संबंधित परिवादों का निष्पादन करता रहा है, वहीं दूसरी ओर समस्त समाज को भी इस ओर अपनी जिम्मेवारियों का अहसास करा कर उस दिशा में सार्थक प्रयास करने के लिए उन्मुख भी करता रहा है।

मैं इस वार्षिक प्रतिवेदन- 2019-20 के प्रकाशन के अवसर पर राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

-अतुल प्रसाद

शुभकामना संदेश

बिहार सरकार

सत्यमेव जयते

मुख्य सचिवालय

डॉ. शिवाजी कुमार

State Commissioner
Disabilities
राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार, पटना

0612-2215041

94310-15499

scdisability2008@gmail.com
web: www.scdisabilites.org

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन के संस्करण 2019-20 को प्रकाशित करने में कार्यालय प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। पिछले वर्ष कार्यालय ने सफलता का नया आयाम स्थापित किया है और विकास के नए क्षितिज की ओर अग्रसर है। बिहार के दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम संचालन में मदद करने, कानून प्रदत अधिकारों का संरक्षण एवं अनुपालन करवाने, क्षमता का विकास करने में, समाज में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने सहित उन्हें सम्मान जनक स्वतंत्र एवं निर्भीक जीवनयापन के लिए अवसर उपलब्ध कराने की हर संभव कोशिश राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय कर रहा है। इसका मकसद है बिहार के हर दिव्यांगों को एक प्रोडक्टिव नागरिक बनाना। ... और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। समीक्षात्मक बैठक, औचक निरीक्षण, एडवोकेसी बैठक एवं विभिन्न जिलों के भ्रमण सह चलंत न्यायालयों का आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। इससे दिव्यांग लाभुकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है।

गत वर्ष 2019-20 में 20 जिलों में चलंत न्यायलय, 243 प्रखंडों में वादों की सुनवाई कर 72064 परिवादों का निपटारा किया गया, 18 से अधिक कार्यशाला, सेमिनार एवं संबंधित दिवसों का आयोजन में सहभागिता रहा, 89 ऑन द स्पॉट (ग्राउंड जीरो) पर निरीक्षण आदि माध्यमों से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के विभिन्न धाराओं के अनुपालन हेतू सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

-डॉ. शिवाजी कुमार

विषय सूची

विषय सूची 2019

क्र0सं0	विषय	
1.	न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्य	13
2.	परिचय : राज्य आयुक्त नि:शक्तता का कार्यालय का विवरण	15-22
3.	वार्षिक प्रतिवेदन-2019-20 की समीक्षा	23
4.	नवादा जिला: समीक्षात्मक बैठक/जागरूकता कार्यक्रम	27
5.	कटिहार जिला: लोकसभा चुनाव जागरूकता कार्यक्रम	29
6.	राज्यस्तरिय कार्यशाला (एंटी ट्रैरिज्म डे एवं हिंदी साहित्य)	34
7.	अनुसंधान एवं विकास विषय पर कार्यशाला का आयोजन	35
8.	रक्सौल अनुमंडल : औचक निरीक्षण (ग्राउंड जीरो भ्रमण)	39
9.	नवादा जिला: प्रखंडों में समीक्षात्मक बैठक	40
10.	नवादा जिला: दिव्यांगों को घर पर न्याय (चलंत न्यायालय)	44
11.	दिव्यांगजनों की हितायत बैठक	47
12.	सुपौल : प्रखडों में औचक निरीक्षण/एडवोकेसी बैठक	50
13.	पंचायत स्तरीय पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक	52
14.	शिवहर जिला : अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक	57
15.	चलंत न्यायालय (शिवहर जिला)	59
16.	खगड़िया जिला में प्रखंडों का भ्रमण एवं परिवादों की सुनवाई	60
17.	खगड़िया जिला: समीक्षा बैठक एवं चलंत लोक अदालत (PwD)	62
18.	तृतीय राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशीप (पटना)	64
19.	बक्सर जिला : समीक्षात्मक बैठक एवं चलंत न्यायालय	65-68
20.	वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप 2019 (उपलब्धि)	72
21.	बिहार में दिव्यांगजन के लिये सरकारी कार्य (अव्वल देश में)	74
22.	कैमूर जिला : प्रखंडों में बैठक एवं चलंत न्यायालय (PwD)	76-80
23.	चीफ द मिशन बन टोक्यो गये राज्य आयुक्त	87
24.	पूर्वी चंपारण : समीक्षा बैठक एवं लोक अदालत (PwD)	88-91

विषय सूची

विषय सूची 2019-20

क्र0सं0	विषय	
25.	गोपालगंज जिला : प्रखंडों का दौरा एवं चलंत न्यायालय	92-94
26.	24 घंटे दर्ज होगी शिकायतें (हेल्पलाइन नंबर)	98
27.	मानसिक स्वास्थ्य विषय पर राज्यस्तरीय कार्यशाला	99
28.	मधुबनी जिला : प्रखंडों का निरीक्षण एवं परिवादों की सुनवाई	104-07
29.	बीएन मंडल विवि में समीक्षात्मक बैठक	101
29.	जिला अरवल : प्रखंडों का दौरा एवं चलंत न्यायालय	116-19
30.	अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर कई कार्यक्रम	121
31.	अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस का पाक्षिक कार्यक्रमों- समापन	127
32.	कटिहार जिला : समीक्षात्मक बैठकें एवं चलंत न्यायालय	128-31
33.	किशनगंज जिला: प्रखंडों का दौरा एवं चलंत न्यायालय	133-38
34.	लुई ब्रेल की जयंती : कार्यशाला एवं समारोह आयोजित	142-43
35.	मकर संक्रांति के अवसर पर दिव्यांगजनों का कार्यक्रम	144
36.	न्यूरो दिव्यांगजनों की चिकित्सिय उपचार (राज्यस्तरीय कार्यशाला)	146
37.	समस्तीपुर: प्रखंडों का निरीक्षण एवं चलंत न्यायालय	148-51
38.	लखीसराय : अधिकारियों के साथ बैठक एवं लोक अदालत	152-54
39.	शिविर आयोजित : थैलेसीमिया से पीड़ित दिव्यांगजन के लिये	155
40.	अररिया : पांच दिवसीय दौरा (समीक्षात्मक एवं चलंत न्यायालय)	158-62
41.	दिव्यांग व सामान्य खिलाड़ियों की की सहभागिता (बैठक)	164
42.	कोरोना महामारी में दिव्यांगजनों की सेवा	165
43.	सक्सेस स्टोरी: दिव्यांगजनों की सफलता की कहानियां	166-78
44.	एक्सेस ऑडिट (सुलभ एवं सुगम वातावरण) PwD	179-82
45.	समाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट	183-86
46.	स्वयंसेवी संस्थानों की सूची (कार्यालय द्वारा निबंधित)	187-196
47.	आंकड़ों/ग्राफ में कुछ उपलब्धियां	197-199
48.	तुलनात्मक प्रगति प्रतिवेदन (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016)	201

बिहार सरकार

न्यायालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन)

COURT OF STATE COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

समाज कल्याण विभाग/ Social Welfare Department

बिहार सरकार/ Government of Bihar

सत्यमेव जयते

दिव्यांगजनों के परिवादों का सुनवाई

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त नि:शक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। उसी कार्य दायित्व के तहत कार्यालय में डाक के माध्यम से प्राप्त, व्यक्तिगत रूप से समर्पित अथवा ई-मेल माध्यम से प्राप्त समस्त परिवादों के निष्पादन हेतु संबंधित सक्षम कार्यकारी पदाधिकारियों से पत्राचार कर मामले के निष्पादन हेतु त्वरित कारवाई की गई। गंभीर दीर्घकालिक लंबित मामलों में न्यायालीय कार्रवाई द्वारा मामलों का निष्पादन किया गया। इस वर्ष वित्तिय 2019-20 कुल 108 (एक सौ आठ) मामलों में न्यायालीय कार्रवाई के तहत निष्पादन की प्रक्रिया अपनायी गई है। एक ही विभाग आयोग से जुड़े मामलों को समेकित करते हुए परिवादों के त्वरित निष्पादन के लिए तीन विभागों आयोगों के मामलों में न्यायालीय कार्रवाई/वाद के अन्तर्गत कार्रवाई की गई। कार्यालय में अपनी शिकायत लेकर आने वाले दिव्यांगजनों के मामले में त्वरित निष्पादन प्रक्रिया के तहत कुल 108 (एक सौ आठ)मामलों में कार्रवाई करते हुए तत्समय ही मामलों का निष्पादन किया गया। इसके साथ विविध मामलों में सलाह प्राप्त करने एवं विविध योजनाओं का लाभ उठाने हेतु प्रक्रियागत जानकारी प्राप्त करने हेतु आगन्तुक दिव्यांगजनों को त्वरित अपेक्षित जानकारी प्रदान कर लाभान्वित किया गया। साथ ही अखबार एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं समस्याओं के विषय में प्राप्त समाचारों/ सूचनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित मामले का निष्पादन किया गया। वाद / परिवादों के अतिरिक्त राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय ने दिव्यांगजनों की सुविधाओं के लिए वितीय वर्ष 2019-20 में तीन और माध्यम उपलब्ध कराये हैं। इन माध्यमों से भी दिव्यांगजन अपने घर बैठे –बैठे अपनी शिकायत या परेशानियां राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय को भेज सकते हैं जहां से त्वरित कार्रवाई होती है और उनका समाधान तुरंत करने का प्रयास किया जाता हैं।

20 जिलों, विभिन्न अनुमण्डलों एवं 243 से अधिक प्रखण्डों में हुई चलंत लोक अदालत/ ऑन द स्पॉट सुनवाई के माध्यमों से 72064 परिवाद

1. ई-मेल द्वारा समस्या की गई सुनवाई

आज के युग में ई-मेल का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। यह वह माध्यम हैं जिसके द्वारा कोई भी संवाद पल भर में एक जगह से दूसरी जगह पहंच जाता है। इसकी इसी उपयोगिता को देखते हुए राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय ने अपना ई-मेल आईडी scdisability2008@gmail.com जारी किया है । साथ ही प्रदेश भर के दिव्यांगजनों के बीच इस मेल आईडी को प्रसारित करने की कोशिश की है। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया है कि जो दिव्यांगजन किसी कारणवश राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय पटना पहंचने । में अपने को असमर्थ पाते है वो अपनी शिकायत या समस्याओं को इस मेल आईडी के माध्यम से राज्य आयक्त नि:शक्तता कार्यालय को भेज सकता है। राज्य आयुक्त निशक्तता उनकी शिकायत और समस्याओं । को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करने की कोशिश करता है। वर्ष 2019-20 में ईमेल के माध्यम से निपटारा किये गये मामलों की कुल संख्या 1209 है।

2. ध्वनि (voice) रिकॉर्डिंग द्वारा समस्या की सुनवाई

ई-मेल माध्यम के अतिरिक्त राज्य आयुक्त नि:शक्तता ने वैसे दिव्यांगजनों के लिए पहली बार फोन पर ध्वनि (voice) रिकार्डिंग कम्पलेन की सुविधा भी उपलब्ध कराई है जो ई-मेल पर उपल्ब्ध नहीं है या जो ई-मेल सुविधा से दूर हैं। ऐसे दिव्यांगजन कार्यालय द्वारा प्रसारित ध्वनि (voice) रिकार्डिंग फोन नम्बर 8448385590 पर। अपनी समस्या या शिकायत को किसी भी दिन किसी भी समय रिकार्ड करा सकते है। इस ध्वनि (voice) रिकार्ड। को प्राथमिकता के आधार सुनकर राज्य आयुक्त निशक्तता आवश्यक और उचित कारवाई त्वरित रूप से करते हैं। वर्ष 2019-20 में ध्वनि (voice) रिकार्डिंग के माध्यम से आई कुल संख्या1532 शिकायतों के निपटारे किए गए।

3.वेबसाइट द्वारा ऑनलाईन कम्पलेन समस्या की सुनवाई

राज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) कार्यालय ने दिव्यांगजनों, उनके परिवारों, सरकारी-गैरसरकारी संगठनों, सरकार के विभिन्न विभागों की सुविधा के लिए एक वेबसाइट scdisabilities.org बना रखा है। यह वेबसाइट नियमित रूप से कार्यालय द्वारा अपडेट किया जाता है। इस वेबसाइट में दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाएं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं, राज्य आयुक्त नि:शक्तता कार्यालय की गतिविधियां और उपलब्धियां और दिव्यांगजनों से संबंधित आवश्यक प्रपत्र सभी उपलब्ध होते हैं। यह वेबसाइट आज प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए एक मार्ग दर्शिका की तरह काम करता है। इसपर भी ऑनलाइन शिकायते आती हैं जिसका निपटारा किया जाता है। वर्ष 2019-20 कुल संख्या 534 में ऑनलाइन शिकायत की सुनवाई की गई।

4. त्वरित सुनवाई

बिहार राज्य के किसी भी कोने से आये हुए दिव्यांगजनों की विभिन्न तरह की समस्याओं का निष्पादनराज्य आयुक्त नि:शक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय में त्वरित कार्रवाई (ऑन द स्पॉट) निष्पादित राज्य आयुक्त नि:शक्तता महदोय द्वारा की जाती है जिसकी कुल आवदेनों की संख्या वित्तिय वर्ष 2019-2020 में कुल संख्या 487 है।

5. हेल्पलाईन द्वारा समस्या की सनुववाई

राज्य आयुक्त नि:शक्तता महोदय द्वार हेल्पलाईन नबंर (8448385590) 24X7 जारी किए। दिव्यांगजनों के लिए विशेष समस्या का समाधान के लिए यह हेल्पलाईन नबंर जारी किया है इसके माध्यम से वित्तिय वर्ष 2019-2020 कुल संख्या 23,107 दिव्यांगजनों को लाभ मिला।

अगला पेज : 24

परिचय

राज्य आयुक्त निःशक्तता दिव्यांगजन का कार्यालय

राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय

नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-60 (वर्तमान में नि-शक्त व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2016 की धारा-79) के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, बिहार के अंग के रूप में इस कार्यालय का गठन किया गया है। इस कार्यालय के मुख्य कृत्य निम्न है :-

- दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा एवं उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए उनसे प्राप्त आवेदनों/परिवादों पर निर्णय कर उन्हें न्याय उपलब्ध कराना।
- गैरसरकारी स्वंयसेवी संस्थानों का दिव्यांग के क्षेत्र में कार्य करने हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 51 अन्तर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गत करना।
- हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में विभिन्न विभागों/जिला पदाधिकारियों इत्यादि द्वारा किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण करना एवं तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर वार्षिक/अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन केन्द्र सरकार/राज्य सरकार को समर्पित करना।

संगठनात्मक संरचना

इसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार है:-

- राज्य नि:शक्तता आयुक्त
- अपर राजय नि:शक्तता आयुक्त
- विधि सलाहकार
- प्रशाखा पदाधिकारी
- सहायक

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के कार्यालय की स्थापना का उद्देश्य

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-79 के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को एक पूर्णकालिक राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की नियुक्ति करने का प्रावधान है, जो राज्य सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे। उक्त अधिनियम की धारा 80-82 के अधीन राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को राज्य के दिव्यांगजनों के कल्याण से संबंधित सभी प्रकार के कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु व्यापक कर्तव्य एवं अधिकार सौंपे गए हैं। इनमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए स्वीकृत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कराने हेतु राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करना, योजनाओं के लिए स्वीकृत राशि का सदुपयोग का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना तथा दिव्यांगजनों को प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं का संरक्षण सुनिश्चत करना आदि शामिल है। उक्त अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को अपने कर्तव्य के दौरान किसी वाद के विचारण हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदत्त है। इस योजना से दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने में मदद मिलेगी। तत्आलोक में बिहार सरकार द्वारा एक राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की नियुक्ति करते हुए राज्य योजना अन्तर्गत एक स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना की गई है।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदत्त है।

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की 17वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में प्रतिभागिता

17वें राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में डॉ0 शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा प्रतिभागिता की गई।

राज्य आयुक्तों (दिव्यांगजन) की 23-24 जनवरी' 2020 को नई दिल्ली में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में डॉ0 शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा प्रतिभागिता की गई।

- उक्त बैठक में राज्य आयुक्त निःशक्तता द्वारा दिव्यांगजनों से संबंधित अधिनियमों के बिहार राज्य में अनुपालन की स्थिति से संबन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
- दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ राज्य में चालित सामान्य एवं विशिष्ट कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया गया।
- बिहार राज्य द्वारा दिव्यांगजन अधिकार नियम 2016 के अंतर्गत किए जा रहे विभिन्न अयामी कार्यों को सभी के द्वारा सराहा गया।

दिव्यांगजनों के परिवादों से संबंधित कार्रवाई

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्तों को दिव्यांगजनों द्वारा समर्पित परिवादों के संबंध में कार्रवाई करने एवं इस संबंध में सक्षम प्राधिकारियों को अपनी अनुशंसा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उक्त अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को अपने कर्तव्य के दौरान किसी वाद के विचारण हेतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदत्त है। कार्यालय में डाक के माध्यम से प्राप्त, व्यक्तिगत रूप से समर्पित अथवा ई-मेल माध्यम से प्राप्त समस्त परिवादों के निष्पादन हेतु संबंधित सक्षम कार्यकारी पदाधिकारियों से पत्राचार कर मामले के निष्पादन हेतु त्वरित कारवाई की गई। साथ ही अखबार एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं समस्याओं के विषय में प्राप्त समाचारों/सूचनाओं पर स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित मामले का निष्पादन किया गया। इस संबंध में निम्न आयोजन भी किए गए।

चलंत न्यायालय का आयोजन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (ख) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वप्रेरणा से या अन्यथा निःशक्त व्यक्तियों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के संबंध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षापायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य समुचित सरकार है और सुधारकारी कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठाएगा। इससे जुड़े प्रावधान धारा-80 (ग) से 80(च) में भी वर्णित है।

उक्त कार्यदायित्व के निर्वहन हेतु दिव्यांगजनों के अधिकारों के सरंक्षण एवं उनसे जुड़े परिवादों के निष्पादन हेतु राज्यन्तर्गत विविध जिलों में चलंत न्यायालय का आयोजन

चलंत न्यायालयों के कार्यक्रम की योजना के परिदृश्य काफी विस्तारित किया है। दिव्यांगों के अधिकारों एवं समस्याओं से जुड़े विषयों पर जिला प्रशासन के विविध विभागों के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य को जागरूक एवं संवेदित करने का कार्य भी इन कार्यक्रमों में प्रमुखता से शामिल किया गया है। इनका तात्कालिक एवं दूरगामी घनात्मक प्रभाव भी दृष्टिगोचर हो रहा है।

वित्तिय वर्ष 2019-20 में अब तक निम्न जिलों में चलंत न्यायालय का आयोजन किया जा चुका है

वित्तिय वर्ष 2019-20 में अब तक निम्न जिलों में चलंत न्यायालय का आयोजन किया जा चुका है

क्र.सं.	जिला का नाम	आयोजन की तिथि
1.	सीतामढ़ी	27.01.2019 -30.01.2019
2.	सिवान	10.02.2019 -13.02.2019
3.	सुपौल	16.03.2019 -19.03.2019
4.	नवादा	07.06.2019 -11.06.2019
5.	बेगूसराय	19.06.2019 -22.06.2019
6.	शिवहर	02.07.2019 -05.07.2019
7.	खगड़िया	09.07.2019 -12.07.2019
8.	बक्सर	23.07.2019 -26.07.2019
9.	कैमूर (भभुआ)	19.08.2019 -22.08.2019
10.	गोपालगंज	24.09.2019 -27.09.2019
11.	मधेपुरा	09.10.2019 -12.10.2019
12.	पूर्वी चंपारण	15.10.2019 -18.10.2019
13.	मधुबनी	12.11.2019 -15.11.2019
14.	अरवल	19.11.2019 -22.11.2019
15.	कटिहार	17.12.2019 -20.12.2019
16.	किशनगंज	26.12.2019 -30.12.2019
17.	बांका	07.01.2020 -10.01.2020
18.	समस्तीपुर	11.02.2020 -14.02.2020
19.	लखीसराय	18.02.2020 -20.02.2020
20.	अररिया	05.03.2020 -09.03.2020

20 जिलों, विभिन्न अनुमण्डलों एवं 243 से अधिक प्रखण्डों में हुई चलंत लोक अदालत/ ऑन द स्पॉट सुनवाई के माध्यमों से 72064 परिवाद

समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन एवं परिवादों का निष्पादन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के राज्य अन्तर्गत अनुपालन के संबंध में राज्य के सभी जिलों में जिलावार एवं सभी जिलों में प्रखण्डवार विविध क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन किया गया। इस क्रम में राज्य के 38 जिलों, 454 प्रखण्डों एवं 7081 पंचायतों मे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अनुपालन स्थिति की समीक्षा की गई एवं इसके संबंध में आने वाली कठिनाईयों, सुधार इत्यादि के संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये।

लाख दिव्यांगजनों की शिकायतों अथवा आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष रूप से निष्पादन किया गया।

3.2

इन समीक्षात्मक बैठकों के साथ ही कुल-1122 एडभोकेसी बैठके भी आयोजित की गई एवं दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के विविध पहलुओं के संबंध में जागरूकता प्रसार एवं अन्य अनुसंगी कार्य सम्पादित किये गये।

चलंत न्यायालयों के दौरान काफी बड़ी संख्या में न्यायालय के समक्ष उपस्थित दिव्यांगों की समस्याओं का चलंत न्यायालय स्थलपर ही निष्पादन किया गया। इन चलंत न्यायालयों के दौरान लगभग 3.2 लाख दिव्यांगजनों की शिकायतों अथवा आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष रूप से निष्पादन किया गया। साथ ही लगभग 72 लाख दिव्यांगजनों/आमजनों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 एवं राज्य द्वारा दिव्यांगों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं के संबंध में जागरूक किया गया।

दिव्यांगजन समूहों का गठन

दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम की धारा-72 अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति से संबंधित बैठक एवं त्रिस्तरीय (पंचायत स्तर, प्रखण्ड स्तर व जिला स्तर) दिव्यांगजन समूह का गठन राज्य आयुक्त निःशक्तता के निदेशानुसार किया गया। दिव्यांगजन समूह विविध स्तर पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 के अनुपालन हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। इसके माध्यम से करीब 1 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को पंचायत लेवल , प्रखंड लेवल, अनुमंडली लेवल एवं जिला स्तर के दिव्यांगजन समूहों से जुड़ा जा चुका है

सरकार के सभी विभागों के नोडल पदाधिकारी एवं अतिमहत्वपूर्ण विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव के साथ समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-80 के अन्तर्गत राज्य आयुक्त निःशक्तता को दिव्यांगजनों के अधिकारों से जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का कार्य दायित्व सौंपा गया है। (राज्य आयुक्त के कृत्य) की उप धारा 80 (छ) व 80 (ज) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त दिव्यांगजनों के लिए आशायित इस अधिनियम के उपबंधों और स्कीमों, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग करेंगा तथा दिव्यांगजनों के फायदे के लिए राज्य सरकार द्वारा वितरित निधियों के उपयोजन की मॉनिटरिंग करेगा। इसके अन्तर्गत संबंधित सभी विभागों के नोडल पदाधिकारियों के साथ निम्न समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन किया जा चुका है।

विभिन्न जिलों/अनुमंडलों/प्रखंडों/संस्थानों के नोडल पदाधिकारियों के साथ एडवोकेसी/समीक्षात्मक बैठकें।

राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, बिहार, पटना के कार्यालय से संबंधित वित्तिय वर्ष 2019-20 का वार्षिक प्रतिवेदन

इसके साथ हीं दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण एवं परिवादों के निष्पादन की दृष्टि से निम्न विभागों के सचिव के साथ समीक्षात्मक बैठकों का आयोजन किया गया।

क्र.सं.	विभाग	बैठक तिथि
1.	विधि विभाग	11.03.2019
2.	बिहार कौशल विकास मिशन	7.06.2019
3.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	05.12.2019
4.	उद्योग विभाग	06.12.2019
5.	आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार	12.12.2019
6.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम	21.12.2019
7.	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	24.12.2019

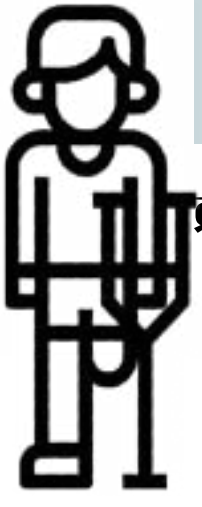

दिव्यांगता प्रक्षेत्र से जुड़े/ कार्यरत स्थानीय संस्थानों/ संस्थाओं व जन सुविधा स्थलों का निरीक्षण

क्र.सं.	संस्थान	जिलों में आयोजित समीक्षात्मक बैठक सह चलंत न्यायालय की तिथियों को
1.	STET मामले से जुड़े न्यायलीय सुनवाई के तहत सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठक	21.12.2019
2.	सरकारी सेवा प्रदाता संस्थानों/दिव्यांगता प्रक्षेत्र से जुड़े संस्थानों का निरीक्षण जिला में स्थित यथा बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों, विश्व विद्यालय, कॉलेजों, सदर अस्पतालों का निरीक्षण	जिलों में आयोजित समीक्षात्मक बैठक सह चलंत न्यायालय की तिथियों को
3.	जिला के सभी प्रखण्डों का निरीक्षण	जिलों में आयोजित समीक्षात्मक बैठक सह चलंत न्यायालय की तिथियों को

अंकेक्षकों के पैनल निर्माण हेतु विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

सुगम्य भारत अभियान (Accessible India Campaign) के सफल कार्यान्वयन हेतु अंकेक्षकों के पैनल निर्माण हेतु विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक-09.06.2019 को किया गया।

प्रशिक्षण/कार्यशाला

क्र.सं.	कार्यशाला का विषय	कार्यशाला की तिथि
1.	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिव्यांग महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला	08.03.2019
2.	विश्व ऑटिज्म दिवस जागरूकता कार्यशाला	02.04.2019
3.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 में विधिक सामर्थ्य (Legal Capacity), संरक्षकता के लिए उपबंध (Provision for Guardianship & Limited Guardianship) तथा समर्थन के लिए प्राधिकारियों के पदाभिधान (Designation of authorities to support) के संबंध में प्रावधानित धाराओं के विषय में कार्यशाला	13.04.2019
4.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के राज्य अन्तर्गत अनुपालन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों से संबंधित कार्यशाला	15.04.2019
5.	विश्व मानसिक स्वास्थय दिवस के अवसर कार्यशाला	12.10.2019
6.	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम,2016 की धारा-72 तथा बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली,2017 के अध्याय-VIII कंडिका-22 के राज्य अन्तर्गत सम्यक अनुपालन एवं दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवृत्त कल्याणकारी उपायों पर जागरूकता का संवर्धन हेतु राज्य स्तरीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला (Workshop for Capacity Building) प्रतिभागी राज्य के सभी जिलों में गठित त्रिस्तरीय दिव्यांगजनों समूहों के सदस्य।	29.11.2019 एवं 30.11.2019
7.	अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यालय राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), बिहार, पटना द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन	03.12.2019
8.	सहायक तकनीकी (Assistive Technology) तथा सहायक उपकरण (ASSistive Devices) विषय पर कार्यशाला व उच्च स्तरीय बैठक	29.01.2020 (पूर्वा0 व अप0 के सत्र में)

दिव्यांगता से जुड़े महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन

दिव्यांगजनों को दिए गए अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियानों और सुग्रह्यता का संचालन, प्रोत्साहनसहारा या संवर्धन के कार्यदायित्व का निष्पादन के लिए दिव्यांगता से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यदिवसों का आयोजन किया गया है। इस कड़ी में निम्न दिवसों का आयोजन किया जा चुका है।

क्र.सं.	दिव्यांगजन दिव्यांगता से संबंधित दिवसों का नाम	तिथि
1.	विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस (World Autism Awareness Day-WAAD)-ऑटिज्म पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार, उनके अधिकारों और स्वतंत्रा का उपयोग करने में सक्षमता हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में वर्णित प्रावधानों एवं उसके अनुप्रयोग हेतु जागरूकता प्रसार से संबंधित कार्यशाला	02.04.2019
2.	हेलेन केलर डे का आयोजन	27.06.2019
3.	विश्व मानसिक स्वास्थय दिवस के अवसर कार्यशाला	12.10.2019
4.	अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह	26.09.2019
5.	अंतराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के परिप्रेक्ष्य में दिनांक-02 दिसंबर से 08 दिसंबर तक अंतराष्ट्रीय दिव्यांग सप्ताह मनाने एवं इससे जुड़े आयोजन	03.12.2019
6.	लूई ब्रेल दिवस समारोह	04.01.2020

दिव्यांगता प्रक्षेत्र में गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थानों का निबंधन/पुनर्निबंधन

दिव्यांगजन प्रक्षेत्र में कार्यरत संस्थानों का निबंधन/पुनर्निबंधन के संबंध में यथानिर्धारित सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर समाज कल्याण विभाग के अधीन सरकारी/ गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं का माह अप्रैल से कुल 120 का निबंधन/पुनर्निबंधन किया गया है। राज्य निःशक्तता कार्यालय के लिए वित्तिय वर्ष 2019-20 भावी कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यालय हेतु निर्धारित उत्तरदायित्वों के पूर्णरूपेण निष्पादन का कार्य तत्तपरतापूर्वक किया जा रहा है।

20 जिलों में चलंत न्यायालय, 243 प्रखण्डों में हुई वादों की सुनवाई

18 कार्याशाला, सेमिनार, संबंधित दिवसों का आयोजन

वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20

89 ग्राउंड जीरों पर निरीक्षण

123 संस्थाओं का निबंधन

17 विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक

72064 वाद परिवादों का निपटारा

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा-60 (वर्तमान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 कीधारा-89) के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग, बिहार के अंग के रूप में इस कार्यालय का गठन किया गया है। इस कार्यालय के मुख्य कृत्य निम्न है :-

दिव्यांगजनों के अधिकारों का संरक्षण, समान अवसर एवं पूर्ण भागीदारी के लिए उनसे प्राप्त आवेदनों/शिकायतों/परिवादों पर निर्णय कर उन्हें न्याय (आयुक्त न्यायालय/कार्यालय द्वारा) उपलब्ध कराना। सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थानों(NGO, DPO, Parents Association) का दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु निबंधन कर उन्हें दिव्यांगजनों के लिए शिक्षण/प्रशिक्षण/ खेलकूद/ रोजगार एवं पुनर्वास हेतु सहयोग एवं मार्गदर्शन करना। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों/जिला पदाधिकारियों/प्रखंड पदाधिकारियों/ पंचायत स्तर के कर्मचारियों इत्यादि द्वारा दिव्यांगजनों के लिए किये जा रहे कार्यों का अनुश्रवण करना एवं तत्सम्बन्धी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर वार्षिक/अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को समर्पित करना।

वर्ष 2019-2020 में न्यायालय राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा गठित वादों व संबंधित सुनवाई की विवरण:-

क्रं0सं0	वाद सं0	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
1.	01/2019	पटना	वादी :- श्री रामनाथ प्रतिवादी:-सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना	पेंशन से संबंधित
2.	02/2019	पटना	वादी :- श्री अनिल कुमार, किदवईपुरी, पटना प्रतिवादी :- प्रबंध निदेशक, बी.एस.बी.सी.एल. बिहार स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना	बकाया राशि रूपये का भुगतान स्थगित रखने के संबंध में
3.	03/2019	भागलपुर	वादी :- सुदर्शन कुमार चौधरी, भागलपुर प्रतिवादी :-सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, भागलपुर	पेंशन से संबंधित
4.	04/2019	पटना	वादी :- संस्था ''आशादीप'' दीघाघाट, पटना प्रतिवादी :- प्रधानाध्यापक, श्री चन्द्र सीनियर सेकेण्ड्री+2 विद्यालय, पटना	कक्षा नवम (IX) में नामांकन/ निबंधन नहीं किये जाने के सम्बन्ध में
5.	05/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- संस्थान 'शुभम', मुजफ्फरपुर के जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा-सह-दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, मुजफ्फरपुर	संस्थान 'शुभम', मुजफ्फरपुर के जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने
6.	06/2019	पटना	वादी :- श्री अभय कुमार सिन्हा, पटना प्रतिवादी :-निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना	अपनी पत्नी के स्थानान्तरण से सम्बन्धित
7.	07/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- मो0 कलीम, मुजफ्फरपुर प्रतिवादी :- प्रतिवादी :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	दिव्यांग के साथ लापरवाही बरतने के संबंध में
8.	08/2019	पटना	वादी :- श्री अतुल रंजन, राजीवनगर, पटना प्रतिवादी :- अपर, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना	सरकारी सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षिणक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण से संबंधित
9.	09/2019	पटना	वादी :- डॉ0 प्रमोद चन्द्र तिवारी, पटना प्रतिवादी :- प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना	दानापुर में किसी एक पद पर पदस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में
10.	10/2019	पटना	वादी :- नवल किशोर शर्मा , महासचिव, बिहार नेत्रहीन परिषद, पटना, प्रतिवादी :- बिहार विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बार्ड , पटना	दशम वर्ग में नामांकन नहीं किये जाने से सम्बन्धित
11.	11/2019	सहरसा	वादी :- श्री कुन्दन कुमार, सहरसा , प्रतिवादी :-परीक्षा नियंत्रक,बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-2019, बिहार, पटना	दृष्टिबाधितों को आरक्षण/ नामांकन नहीं दिये जाने के संबंध में

अगला पेज : 36

APRIL 2019

अप्रैल 2019

ऑटिज्म जागरूकता दिवस के मौके पर...

pg-026

सरल, सुगम एवं समावेशी चुनाव...

pg-027

प्रशासन द्वारा PwDs वोटर के लिए...

pg-028

लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदान को मिलेंगी सभी सुविधा चुनाव जागरूकता कार्यक्रम

राज्य आयुक्त कहा कि मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। वहीं दिव्यांगों को मतदान के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसके लिए विद्यालय के बाल सांसद का भी सहयोग लिया जा रहा है।

pg-029

दृष्टिबाधितों ने क्रिकेट में दिखाया जलवा ईस्ट जोन क्रिकेट टूर्नामेंट...

pg-030

दिव्यांग मतदाताओं को राहत बूथ तक...

pg-031

02 | अप्रैल | 2019

विश्व ऑटिज्म दिवस

जागरूकता कार्यशाला

■ विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के मौके पर लोगों को सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देते राज्य आयुक्त।

योजनाओं की दी जानकारीयां

विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के मौके पर लोगों को सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी दी गयी और लोकसभा चुनाव के संबंध में ऑटिज्म प्रभावित दिव्यांगजनों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। राज्य आयुक्त निःशक्तता के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त डॉ. सुभाष शर्मा समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद को राजय आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार व अपर आयुक्त, निःशक्तता डॉ. शंभू कुमार रजक ने नीला रीबन लगाकर स्वागत किया. दूसरे सत्र में निःशक्तता आयुक्त के कार्यालय स्थित सभाकक्ष में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञ डॉ. विनोद भांति एवं बिहार पैरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ राजीव गंगौल सहित अन्य प्रमुख व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद दिव्यांगजन एवं उनके अभिभावकों व स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच ऑटिज्म पर चर्चा हुई। वहीं वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस के अक्सर पर अरुणिम स्कूल फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रेन के द्वारा ऑटिज्म पर चर्चा एवं संवाद हुआ। प्रत्येक 20 मिनट पर एक ऑटिज्म के बच्चे की डायग्नोसिस हो रही है। इसका कोई औषधीय उपचार नहीं है। मुख्य रूप से एबीए और अन्य थेरेपी के माध्यम से इसे संयमित एवं ठीक किया जाता है।

ऑटिज्म पर लोगों को कई जरूरी जानकारियां दी गई

हमें साथ की आवश्यकता, सहानुभूति की नहीं

सुविधा निःशुल्क

300 दिव्यांगजन ने लिया हिस्सा

038 जिलों में कार्यक्रम

15 लाख से अधिक लोग सोशल मीडिया से जुड़े

02 लाख से अधिक लोग जुड़े इस जनजागरण

■ प्रत्येक 20 मिनट पर एक ऑटिज्म के बच्चे की डायग्नोसिस हो रही है।

ऑटिज्म के बच्चों की विशेष देखभाल के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार की चिकित्सात्मक उपाय, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं पुर्नवास सहित सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलायीं जा रही हैं. अगर अभिभावक ऐसे बच्चों के प्रति जागरूक जागरूक हों तो इसके बेहतर नतीजे देखे जा सकते हैं. **डॉ. शिवाजी कुमार (राज्य आयुक्त निःशक्तता)**

03 | अप्रैल | 2019

सरल, सुगम एवं समावेशी चुनाव पर समीक्षात्मक बैठक/जागरूकता कार्यक्रम

नवादा जिला

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा है कि जिले में 12 हजार 243 दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा व्हील चेयर व वाहन की व्यवस्था कराकर मतदान कराई जाएगी। वह बुधवार को समाहरणालय सभागार में 21 प्रकार के दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा मतदान की सुविधा की समीक्षा के दौरान पत्रकारों को की गयी व्यवस्था की जानकारी दे रहे थे। उनके साथ स्वीप प्रभारी व जिला जनसम्पर्क पदाधकारी गुप्तेश्वार कुमार भी उपस्थित थे। डॉ. शिवाजी ने कहा कि देश में पहली बार दृष्टिबाधित के लिए ईवीएम में ब्रेल लिपि की सुविधा प्रदान की गई है ताकि वे आराम से मतदान कर सकें। विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ के माध्यम से चिह्नित निःशक्त वोटरों के लिए बूथों तक लाने व वोट करने के बाद उन्हें पहुंचाने का इंतजाम किया गया है। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगजन से पीड़ित वोटरों को उनकी आवश्यकतानुसार मदद करने के लिए उपाय तैयार करने को राज्य निःशक्तता आयुक्त ने मौके पर कहा। बूथों पर स्काउट व गाइड के कैडरों को हेल्पर के रूप में तैनात किया गया है।

एक भी निःशक्त या दिव्यांग वोट से ना चुकें निर्वाचन आयोग इसके लिए पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्था कर रहा है। यह बातें कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता के दौरान राज्य निःशक्तता (सह दिव्यांगजन) आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा। उन्होंने प्रेस वार्ता के क्रम में बताया कि लोकसभा चुनाव 2019 में निर्वाचन आयोग द्वारा निःशक्त जनों एवं दिव्यांगों को निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता के लिए घर से बूथ तक आने एवं घर पहुंचाने तक की वाहन की भी सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जा रही है। पहली बार मतदान करने वाले दिव्यांगजन को सम्मान पत्र प्रदान किया जायेा।

मौके पर आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं के लिए जानकारी व सहायता पुस्तिका बीएलओ व अन्य माध्यमों से बांटा जायेगा। स्वीप कार्यक्रम के तहत हो रहे आयोजन में निर्वाचन से संबंधित जानकारी दिया गया। पत्रकारों के लिए किये गये वर्कशॉप में प्रोजेक्टर के माध्यम से सभी प्रकार के जानकारियों को बारी-बारी से समझाया गया। विभिन्न बूथों पर की गयी तैयारियों तथा निःशक्त वोटरों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में बताया गया। ईवीएम पर लिखे 1 से 16 तक की गिनती को भी दिखाया गया, जो दृष्टिबाधित वोटरों के लिए मतदान करने में सहायक साबित होगा।

■ दिव्यांगजनों को मतदान के प्रति जागरूकता रैली।

दिव्यांगों को मिलेगी मतदान की सुविधा : शिवाजी

व्यवस्था • आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा- घर से लाने एवं घर पहुंचाने तक की निःशुल्क व्यवस्था

आयोग कर रहा ऐसी व्यवस्था कि एक भी दिव्यांग वोट से न चूके

लाइन में बिना इंतजार के तुरंत कर सकेंगे मतदान, जिले में कुल 12243 दिव्यांग वोटर हैं

12243 दिव्यांगजन को मदद

250 दिव्यांगों ने लिया हिस्सा

50000 लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से

25000 से अधिक लोगों तक पहुंच

11 | अप्रैल | 2019

प्रशासन द्वारा PwDs वोटर के लिए सुलभ चुनाव जागरूकता कार्यक्रम

बांका जिला

लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक-एक वोट का महत्व है। शत प्रतिशत मतदान से लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। इस कड़ी में दिव्यांग मतदाताओं को विशेष रूप से सुविधा देने के प्रति निर्वाचन आयोग कटिबद्ध है। लिहाजा सभी पीसीसीपी को दिव्यांग मतदाता के घर पर पहुंचकर वाहन से मतदान केंद्र तक लाने और वोट के बाद उन्हें घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गयी है। उक्त बातें परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांग का मतदान शत प्रतिशत हो इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा सभी प्रयास किये जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सुगम, सरल एवं समावेशी मतदान कराने का निर्णय लिया है। बांका जिले में करीब 13,297 दिव्यांगों को चिह्नित किया गया है। जिसमें लोको मोटर के 7,530 दिव्यांग मतदाता शामिल हैं. दिव्यांग मतदाता की पहचान संबंधित प्रखंड के बीडीओ व बीएलओ द्वारा किया गया है. दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी बूथों पर लगभग सारी तैयारी की गयी है. इस मौके पर टीओ नवल किशोर यादव, एडीपीआरओ योगेंद्र लाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे. दिव्यांगों की सूची में 21 लक्षण वाले लोगों को शामिल किया गया है. इसमें चलन संबंधी, मांसपेशीय दुर्विकार, ठीक किया हुआ कुष्ठ, बौनापन, प्रमस्तिष्क घात, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट

■ दिव्यांगजनों की शिकायतों को सुनते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार।

21 प्रकार के दिव्यांगजन को फायदा

शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म शिक्षण दिव्यांगता, मानसिक रूमगाता, क्रोनिक स्नेनायविक स्थिति, बहुत काठिन्य, पार्किन्सन रोग, हीमोफीलिया, थैलेसिमिया, सिकल सेल रोग शामिल हैं. इसके पूर्व राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार औचक निरीक्षण करने शंभुगंज प्रखंड पहुंचे। जहां क्षेत्र के दर्जनों दिव्यांग मतदाताओं से मिलकर उनके हाल को जाना। गिरधारा गांव के दिव्यांग मतदाता चंदन कुमार, पवन पासवान, निर्मल मंडल, आरती कुमारी सहित आधे दर्जन से अधिक दिव्यांगों ने ट्रायसाइकिल नहीं मिलने की शिकायत की। वे जन्म से ही पैर से लाचार हैं।

दिव्यांगों के लिए बूथ पर विशेष सुविधा

05

21

13297

बिहार सरकार सभी प्रकार के दिव्यांगों के लिए कार्य कर रही है. जिन्हें भी अबतक कोई भी सुविधा नहीं मिला है। उन्हें चिह्नित कर योजनाओं का लाभ दिया जायेगा. मतदान के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो इसके लिए समुचित व्यवस्था चुनाव आयोग की ओर से की जा रही है. आप सभी मतदान में हिस्सा जरूर लें. राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार

फायदा

13297
दिव्यांग वोटर हुए चिह्नित

150
दिव्यांगजन ने लिया हिस्सा

50
हजार लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से

23
हजार से अधिक लोगों तक पहुंच

12 | अप्रैल | 2019

लोकसभा चुनाव में मतदान को मिलेंगी सभी सुविधा
चुनाव जागरूकता कार्यक्रम

■ दिव्यांगजनों को कई योजनाओं की दी गयी जानकारी

विभिन्न योजनाओं

11747
हैं दिव्यांग मतदाता

700
लोगों ने जागरूकता कार्यक्रम में लिया हिस्सा

50
हजार लोग सोशल मीडिया से जुड़े

30
हजार लोगों तक पहुंची सूचना

दिव्यांगजनों को मिली सरकारी योजनाओं की जानकारी

संवाददाता कटिहार

चुनाव को लेकर निःशक्तता विभाग के राज्य आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार औचक निरीक्षण करने प्रखंड पहुंचे। जहां क्षेत्र के दर्जनों दिव्यांग मतदाताओं से मिलकर उनके हाल को जाना। गिरधारा गांव के दिव्यांग मतदाता चंदन कुमार, पवन पासवान, निर्मल मंडल, आरती कुमारी सहित आधे दर्जन से अधिक दिव्यांगों ने ट्रायसाइकिल नहीं मिलने की शिकायत की। वे जन्म से ही पैर से लाचार हैं। इसके बाद भी सुविधा नहीं मिली। चुनाव को लेकर निःशक्तता विभाग के राज्य आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार औचक निरीक्षण करने प्रखंड पहुंचे।

जहां क्षेत्र के दर्जनों दिव्यांग मतदाताओं से मिलकर उनके हाल को जाना। गिरधारा गांव के दिव्यांग मतदाता चंदन कुमार, पवन पासवान, निर्मल मंडल, आरती कुमारी सहित आधे दर्जन से अधिक दिव्यांगों ने ट्रायसाइकिल नहीं मिलने की शिकायत की। वे जन्म से ही पैर से लाचार हैं। इसके बाद भी सुविधा नहीं मिली।

कटिहार जिला

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर विशेष व्यवस्था की गयी है। जिला अतिथि गृह में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं को इसके लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई नहीं होगी। वहीं दिव्यांगों को मतदान के प्रयोग में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसके लिए विद्यालय के बाल सांसद का भी सहयोग लिया जा रहा है। बूथ तक लाने एवं वापस घर तक छोड़ने की प्रशासनिक स्तर से तैयारी की गयी है। इसके लिए वाहनों की व्यवस्था भी की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों के लिए रैंप एवं व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी।

उन्होंने कहा कि पहली बार मताधिकार का प्रयोग करनेवाले दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में सम्मान पत्र दिया जायेगा। राज्य आयुक्त ने कहा कि नेत्रहीन मतदाताओं के लिए बूथों पर ब्रेल लिपि में डमी बायलट पेपर की व्यवस्था रहेगी। दिव्यांग मतदाताओं के मतदान केंद्रों पर अलग कतार लगाया जायेगा। मानसिक एवं मंद बुद्धि दिव्यांग मतदाता अपने माता-पिता की मदद से वोट दे सकते हैं. उनको सहयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर स्वंयसेवकों की प्रतिनियुक्ति होगी। प्रत्येक मतदान केंद्र के संबंध बीएलओ द्वारा पहचान के बाद डाटा बेस तैयार किया गया है। जहां तक संभव हो सके मतदाता मार्ग दर्शिका, पर्ची एवं पहचान पत्र दिव्यांग जनों के लिए अलग से तैयार किया जाये. इसके अलावा मतदान केंद्रों पर पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अलावे जो दिव्यांगजन पहली बार मतदान करेंगे उन्हें संबंधित बीडीओ द्वारा सम्मान पत्र प्रदान किया जायेगा।

इसके बाद जिला के अधिकारियों के साथ समाहरणालय में राज्य निःशक्तता आयुक्त ने समीक्षा बैठक की. जिसमें उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। गौरतलब है कि कटिहार जिला अंतर्गत 11,747 दिव्यांग मतदाता है। कटिहार जिला के लिए दिव्यांग आईकॉन के रूप में मानसी का चयन हुआ है, जो स्थानीय दुर्गा स्थान की रहनेवाली है। समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के जिला स्वास्थ्य प्रबंधक, जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक, बुनियाद केंद्र के डीपीएस, सहित विशाल फाउंडेशन एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

15 | अप्रैल | 2019

दृष्टिबाधितों ने क्रिकेट में दिखाया जलवा

ईस्ट जोन क्रिकेट टूर्नामेंट

मुजफ्फरपुर जिला

ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दीप प्रज्जवलित कर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से कैंप लगाकर उन्हें खेल के गुणों से अवगत कराया जा रहा है।

इधर पहले मैच में बीआरए बिहार विवि की टीम ने मुजफ्फरपुर में आयोजित लीग में नॉर्थ ओड़िशा विवि को 79 रनों से पराजित किया। टॉस जीत कर नॉर्थ ओड़िशा विवि ने पहले बीआरए बिहार विवि को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। टीम ने निर्धारित 40 ओवरों में 199 रन बनाए। इसमें शिवम ने 50 रन, प्रांशु ऋषिकेश ने 35 और अभिषेक सिन्हा ने 29 रनों का योगदान दिया। जवाब में नॉर्थ ओड़िशा विवि की टीम 121 रनों पर सिमट गई। टूर्नामेंट में बेहतर करनेवाले बिहार टीम के सदस्यों का चयन नेशनल टूर्नामेंट के लिए किया गया।

■ क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन डॉ. शिवाजी कुमार ने दीप प्रज्जवलित कर किया।

जज्बा • क्रिकेट एसो. फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया व क्रिकेट एसो. इन बिहार की ओर से आयोजन

शुभम बिहार ने धनबाद को 59 रन से हराया

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

बिहार के बच्चों के बीच निःशक्तता चिंता की बात है क्योंकि इसके व्यापक निहितार्थ होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में दर्शाया गया कि राज्य में 0 से 18 वर्ष उम्र समूह के 8.3 लाख बच्चे निःशक्त थे जिनका राज्य के कुल बच्चों में 1.63 प्रतिशत हिस्सा था। निःशक्त लड़कों का लड़कों की कुल आबादी में 1.80 प्रतिशत और निःशक्त लड़कियों का कुल लड़कियों में 1.44 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, संपूर्ण भारत के स्तर पर निःशक्त बच्चों का कुल बच्चों में 1.57 प्रतिशत हिस्सा था। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लगभग 90 प्रतिशत निःशक्त बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में थे और मात्र 10 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में। वहीं, तेज शहरीकरण के कारण संपूर्ण भारत के स्तर पर स्थिति कुछ भिन्न थी जहां 76 प्रतिशत निःशक्त बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 24 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में। दुख की बात है कि 2001 और 2011 के बीच निःशक्त बच्चों की संख्या बिहार और भारत, दोनों जगह शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बढ़ी।

तालिका 12.2 : विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (0-19 वर्ष) (2001 और 2011)

(आंकड़े हजार में)

भारत/ बिहार	लड़का/ लड़की	2011		2001	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
भारत	लड़का	3363.63	1054.93	3124.12	1258.01
	लड़की	2508.92	804.72	2466.35	1014.45
बिहार	लड़का	435.00	49.77	459.43	58.61
	लड़की	312.09	36.40	366.28	48.71

स्रोत : जनगणना 2001 और 2011

16 | अप्रैल | 2019

दिव्यांग मतदाताओं को राहत
बूथ तक पहुंचाएगा प्रशासन

लो मधेपुरा जिला

कसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं को सुगम सामवेशी और सहज मतदान प्रक्रिया में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मधेपुरा के समाहरणालय सभागार में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों को मतदान करने में कोई परेशानी न हो इसके लिए पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। राज्य आयुक्त ने कहा कि मधेपुरा लोकसभा में 9,579 दिव्यांग मतदाता है। इसके बावजूद अगर दिव्यांग मतदाता का नाम पीडब्लूडी के मैपिंग पंजी में नहीं चढ़ पाया है वो अपना नाम मैपिंग पंजी में चढ़ा सकते हैं। राज्य आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं का शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित कराने को मतदान केंद्र तक लाने एवं पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। इसके लिए सारी तैयारी पूरी कर ली गयी है। दिव्यांगों के बूथ पर पहुंचने पर उसे पहली प्राथमिकता देते हुए बिना कतार में खड़ा किये मतदान करवाना सुनिश्चित करेंगे। सभी बीएलओ दिव्यांगजनों की पहचान उनके दिव्यांगता का प्रकार के रूप में करें। आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची के आधार पर दिव्यांगजनों की सूची तैयार कर इसे केंद्र पर चिपकाएं। उन्होंने दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर, रैंप, शौचालय और पार्किंग सहित अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे दिव्यांग मतदाता जो, मानसिक एवं बौद्धिक रूप से मतदान करने में सक्षम नहीं है उनके साथ उनके परिवार के कोई एक सदस्य सहयोग के लिए मतदान केंद्र के अंदर जा सकता है। वहीं दिव्यांगों को बूथ तक लाने के लिए वोलेंटियर भी रखा जाए। जिन्हें इसके एवज में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मौके पर अपर समाहर्ता सह लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पवन कुमार, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रजनीश कुमार सहित अन्य मौजूद थे।

दिशा निर्देश

9579
दिव्यांग वोटर हैं लोस में

120
जिला प्रशासन के लोग जानें

5000
लोग जुड़े कार्यक्रम से

21000
आमलोग हुए जागरूक

● स्कूल दिव्यांग बच्चों को सिर्फ इसलिए नामांकन लेने से नहीं मना कर सकता कि वे दिव्यांग हैं।

दिव्यांगों के अधिकारों को लागू करें सीबीएसइ स्कूल : आयुक्त

सीबीएसइ ने सभी स्कूलों को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि दिव्यांगों को दिये अधिकारों व सुविधाओं को स्कूलों में अक्षरशः पालन किया जाये। राज्य निःशक्तता आयुक्त के निर्देश के बाद सीबीएसइ ने राज्य के सभी स्कूलों को पत्र के माध्यम से यह सूचना भेजी है। पत्र में सीबीएसइ ने लिखा है कि जागरूकता की कमी की वजह से दिव्यांग बच्चों को उनके हिस्से का लाभ नहीं मिल पाता है। वैसे दिव्यांग जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, उन्हें एग्जामिनेशन फीस व रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना है।

मतदान के दिन दिव्यांगों को बूथ पर लाने और घर पहुंचाने की व्यवस्था करेगा प्रशासन : आयुक्त

■ बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी लेते राज्य आयुक्त निःशक्ता।

मई 2019

MAY 2019

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016

दिव्यांगजन व्यक्तियों का अधिकार विधेयक- 2016" को दोनों सदनों राज्य सभा और लोकसभा ने पारित कर दिया. इस दिव्यांगजनता विधेयक ने दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम.

pg-33

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 21 के ऊपर जनजागरूकता कार्यक्रम

राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ शिवाजी कुमार ने कहा कि किसी भी निजी संस्थान में कार्यरत 20 कर्मचारियों में एक दिव्यांगजन को रखना अनिवार्य है.

pg-34

अनुसंधान एवं विकास कार्य...

समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में ऐसा शोध होना चाहिए...

pg-35

बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन

कविताएँ मन की घनी-भूत पीड़ा को अभिव्यक्ति हीं नहीं करती,व्यथा को तरल बना,बहाकर निकालती भी है और आँखों के आँसू भी पोंछतीं है।

pg-34

16 | मई 2019

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016
अनुपालन हेतू समीक्षात्मक बैठक

दिव्यांगजन व्यक्तियों का अधिकार विधेयक– 2016" को दोनों सदनों राज्य सभा और लोकसभा ने पारित कर दिया. इस विधेयक ने दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का स्थान ले लिया है. अधिनियम में निर्धारित दिव्यांगजनता की 7 शर्तों के स्थान पर यह विधेयक 21 शर्तों को कवर करता है. साथ ही इस विधेयक ने दिव्यांगजनता के लिए

> विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार दुनिया की कुल आबादी का करीब 15 प्रतिशत किसी– न– किसी प्रकार की दिव्यांगजन से जूझ रहा है.

किसी भी अन्य शर्त को अधिसूचित करने के लिए सरकार का रास्ता साफ कर दिया है. विधेयक को 2014 में पेश किया गया था. उस समय इस विधेयक में दिव्यांगजनता के लिए 19 शर्तें थीं. इस विधेयक के तहत दिव्यांगजनता माने जानी वाली 21 शर्तें इस प्रकार हैं– दृष्टिहीनता, कमजोर– दृष्टि, कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके व्यक्ति, बधिर (बहरे और मुश्किल से सुन सकने वाले), चलने में अक्षम, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगजनता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, सेरेब्रल पाल्सी, मांसपेशी दुरविकार, स्थानीय स्नायविक परिस्थितियां, विशिष्ट प्रज्ञता अक्षमताएं, मल्टीपल स्केलेरोसिस, भाषण और भाषा संबंधी दिव्यांगजनता, थैलेसीमिया, होमोफिलिया, सिकल सेल बीमारी, एसिड अटैक के पीड़ित और पार्किंसन बीमारी.

वर्ष 2011 की जनगणना से पता चलता है कि भारत में दिव्यांगजनों की कुल संख्या करीब 2.68 करोड़ या आबादी का 2.21% है. विधेयक से बड़ी संख्या में अक्षम लोगों को उनका हक और अधिकार दिलाने की उम्मीद की जा रही है क्योंकि इसमें 1995 के अधिनियम की तुलना में अधिक दिव्यांगजनों को कवर किया गया है. इसके अलावा विधेयक में दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के फैसले को भी अपनाया गया है क्योंकि विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार दुनिया की कुल आबादी का करीब 15 प्रतिशत किसी– न– किसी प्रकार की दिव्यांगजनता से जूझ रहा है.

श्रेणियों की सूची

1. Locomotor Disability
2. Leprosy Cured Person
3. Cerebral Palsy
4. Dwarfism
5. Muscular Dystrophy
6. Acid Attack Victims
7. Blindness
8. Low Vision
9. Deaf
10. Hard of Hearing
11. Speech and Language Disablity
12. Intellectual Disablity
13. Specific Learning Disabilities
14. Autism Spectrum Disorder
15. Mental Illness
16. Multiple Sclerosis
17. Parkinson's Disease
18. Haemophillia
19. Thalasemia
20. Sickle cell Disease
21. Multiple Disability

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 21 के ऊपर जनजागरूकता कार्यक्रम

राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ शिवाजी कुमार ने कहा कि किसी भी निजी संस्थान में कार्यरत 20 कर्मचारियों में एक दिव्यांगजन को रखना अनिवार्य है. अगर नयी नियुक्ति की जा रही है, तो दिव्यांगजन समान अवसर नीति के तहत दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 21(2) का पालन करना जरूरी है. अन्यथा अधिनियम का पालन नहीं करनेवाले निजी संस्थानों का निबंधन रद्द होगा. 21 मई 2019 पूरे राज्य में अधिनियम 2016 की धारा 21(2) को लागू कर दिया गया है. राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय में निजी स्थापन के लिए दिव्यांगजन समान अवसर नीति जारी करते हुए बातचीत में डॉ शिवाजी ने उक्त बातें कहीं. उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत समान अवसर नीति लागू करते हुए निजी संस्थानों में दिव्यांगों को पांच फीसदी आरक्षण मुहैया कराना है. साथ ही नियम के अनुसार सुविधा भी देनी है. राज्य सरकार ने राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय में इस संबंध में निबंधन कराया है.

☞ **अधिनियम का पालन नहीं करनेवाले निजी संस्थानों का निबंधन रद्द होगा.**

☞ **अधिनियम के तहत समान अवसर नीति लागू करते हुए निजी संस्थानों में दिव्यांगों को 5% आरक्षण मुहैया कराना**

मिली प्रशंसा

145 सेमिनार में थे शामिल

3000 लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से

500 दिव्यांग शामिल हुये

26 हजार लोग जानें मीडिया से

बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन

कविताएँ मन की घनी–भूत पीड़ा को अभिव्यक्ति हीं नहीं करती,व्यथा को तरल बना,बहाकर निकालती भी है और आँखों के आँसू भी पोंछतीं है। यह केवल कवि या कवयित्री की हीं नही होती, पीड़ा के सनासर से जुड़े हर एक व्यक्ति की होती है। संभवतः इसीलिए इसे लोक–रंजक और लोक–कल्याणकारी भी माना जाता है। इसे हीं'साहित्य' कहा जाता है, जो सदैव हीं समाज के 'हित'में खड़ी दिखती है,भले हीं शब्दों में वह निजी पीड़ा लगती हो। इनकी सक्रियता और श्रम अत्यंत प्रशंसनीय है। कवयित्री ने नारी–मन,प्रकृति, प्रेम,समाज की पीड़ा और संघर्ष समेत मानवीय–पक्ष से जुड़े प्रायः सभी तत्त्वों को अपनी कविता का विषय बनाया है। इनकी भाषा 'काव्य–भाषा'बनने की प्रक्रिया में है। इनकी कविताओं में छंद के प्रति रुझान दिखती है,किंतु कोई विशेष आग्रह नही। बिहार के निःशक्तता आयुक्त डा शिवाजी कुमार ने अपने विचार व्यक्त किए तथा कवयित्री को शुभकामनाएँ दी।

> लोक–रंजक और लोक–कल्याणकारी भी माना जाता है। इसे हीं'साहित्य' कहा जाता है, जो सदैव हीं समाज के 'हित'में खड़ी दिखती है,भले हीं शब्दों में वह निजी पीड़ा लगती हो। इनकी सक्रियता और श्रम अत्यंत प्रशंसनीय है।

कविताएँ हृदय की पीड़ा को अभिव्यक्त हीं नहीं करती, आँसू भी पोंछती हैं

■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार शपथ दिलाते हये. इधर बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में सम्मान करते हये।

27 | मई | 2019

अनुसंधान एवं विकास कार्य पर राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन

■ कार्यशाला में शामिल अतिथिगण और राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अतुल प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में ऐसा शोध होना चाहिए, जो वास्तविकता में उनके जीवन में परिवर्तन ला सके। शोध का लाभ अंतिम पड़ाव पर खड़े दिव्यांग व्यक्ति को मिले। जो शोध वास्तव में दिव्यांगजनों के हित में होगा, उसे ध्यान में रखकर बिहार सरकार नीति भी बनायेगी और उन्हें पुरस्कृत भी करेगी। उन्होंने ये बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित एकदिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन के बाद कहीं। उन्होंने कहा कि अच्छे शोध के आधार पर सरकार योजना बनायेगी और जरुरत हुई, तो इसके लिए विशेष फंड की व्यवस्था भी करेगी।

> उनके अधिकार को लेकर जागरुक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा। सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए रोजगार और उन्नति के अवसर सृजित किये जा रहे हैं।

चलेगा जागरुकता अभियान : राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों को बहुत सारे अधिकार दिये गये हैं। उनके अधिकार को लेकर जागरुक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा। सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए रोजगार और उन्नति के अवसर सृजित किये जा रहे हैं। आईजीआईएमएस के चिकित्सा अधिक्षक डॉ. मनीष मंडल ने कहा कि दिव्यांग बच्चे पैदा न हों, इसके लिए पहले से सावधान होने की जरुरत है। इसके लिए जल्द ही आईजीआईएमएस में अलग से एक प्रकोष्ठ बनाने की योजना है। मनोवैज्ञानिक डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि समाज में दिव्यांगजनों के प्रति फैली गलत अवधारणा और अंधविश्वास को दूर करने की जरूरत है। मौके पर अपर आयुक्त निःशक्तता डॉ. शंभू कुमार रजक, डॉ. हबीबुल्लाह अंसारी, संदीप कुमार, डॉ. सुभाष चंद्रा, डॉ. नरेंद्र कुमार सिन्हा, डॉ. ऋतु रंजन, डॉ. विनोद भांति, डॉ. अश्विनी कुमार, डॉ. नवल किशोर शर्मा आदि ने भी अपनी बातें रखीं।

अंतिम पड़ाव

100
विशेषज्ञों ने लिया था हिस्सा

33000
लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर

1200
विशेषज्ञों के बीच परिचर्चा

32000
लोग मीडिया से हुए जागरूक

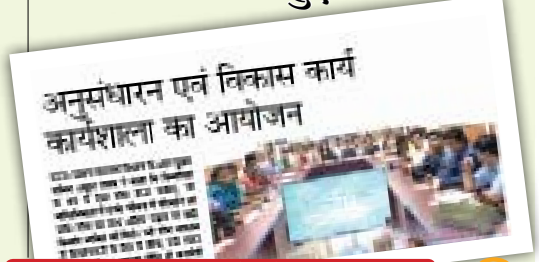

क्र0सं0	वाद सं0	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
12.	12/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- श्री साधु प्रसाद यादव एवं श्री तुलसी प्रसाद यादव (दोनों अस्थिबाधित दिव्यांग), मुजफ्फरपुर	समर्पित परिवाद पत्र पर कार्रवाई करने के सम्बन्ध में
13.	13/2019	पटना	वादी :- डॉ0 प्रभाष कुमार, मनेर, पटना। प्रतिवादी :- प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना	एक पद पर पदस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में। प्रक्रियाधीन
14.	14/ 2019	पटना	वादी :- श्री मनोज कुमार चौधरी, पटना। प्रतिवादी :- मुख्य महाप्रबंक, बिहार विकास मिशन, पटना।	नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण के संबंध में
15.	15/ 2019	बेगूसराय	वादी :- राज्य आयुक्त नि:शक्तता द्वारा स्वत: संज्ञान प्रतिवादी :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय	जिले में UDI कार्ड बनाने के संबंध में
16.	16/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- अतुल कुमार, पिता-श्री रंजीत शुक्ला, मुजफ्फरपुर प्रतिवादी :- सैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एंव अन्य	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनाने के संबंध में
17.	17/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- श्री शांति मुकुल एवं कुमारी सरिता, मुजफ्फरपुर प्रतिवादी :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर	राशन कार्ड सुलभ कराने के संबंध में
18.	18/2019	नालन्दा	वादी :- श्रीमती शशिकला कुमारी, नालन्दा प्रतिवादी :- उप विकास आक्युत नालन्दा	इंदिरा आवास योजना के संबंध में
19.	19/2019	नवादा	वादी :- श्रीमती मीना देवी (दिव्यांग) पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह, नवादा प्रतिवादी :- शाखा प्रबंधक, मगध ग्रमीण बैंक, नवादा	पेंशन राशि भुगतान के संबंध में
20.	20/2019	नालन्दा	वादी :- श्री उमाशंकर प्रसाद, पिता-श्री श्याम साव, नालन्दा प्रतिवादी :-श्री श्याम साव, नालन्दा एवं अन्य	पैतृक सम्पयति के बंटवारा के सम्बमन्ध में
21.	21/2019	पटना	वादी :- श्री राजेश कुमार, बेऊर, पटना। प्रतिवादी :- शाखा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बेऊर, पटना	इलाहाबाद बैंक में खाता खुलवाने के संबंध में
22.	22/2019	भागलपुर	वादी :- श्री नरेश कुमार शर्मा, भागलपुर प्रतिवादी :-जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला आपूर्ति कार्यालय, भागलपुर	जनवितरण प्रणाली के लाईसेन्स हेतु
23.	23/2019	समस्तीपुर	वादी :- श्री रणजीत कुमार सहनी, समस्तीपुर। प्रतिवादी :-जिला शिक्षा पदाधिकारी (स्थापना) समस्तीपुर	मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के संबंध में
24.	24/2019	पटना	वादी :- श्री एस0सी0 झा, J.S. Chandra & Co., Chartered Accountants, कंकड़बाग, पटना प्रतिवादी :- प्रबंधक निदेशक, कम्फेड, बिहार, पटना	अंकेक्षण कार्य का पारिश्रमि भुगतानके सम्बन्ध में
25.	25/2019	समस्तीपुर	वादी :- श्री ललित कुमार मिश्रा, गाँधी पार्क, समस्तीपुर प्रतिवादी :- बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना	दिव्यांगों के लिए अलग से कट ऑफ मार्क्स निर्धारित करने के संबंध में अगला पेज : 54

JUNE 2019

जून 2019

दिव्यांगजनों के हित में...

pg-038

रक्सौल अनुमंडल औचक निरीक्षण

pg-039

दिव्यांगों को प्रमाणपत्र तुरंत देने का निर्देश...

pg-041

दिव्यांग को अपमानित करने पर

pg-042

दिव्यांगों की अनदेखी पर कार्रवाई....

pg-051

पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक...

pg-052

कौशल विकास व रोजगार से जोड़ें

दिव्यांगजनों को उनके हिस्से का हक व अधिकार दिलाने को लेकर राज्य में कई प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने परिसदन में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि दिव्यांगों को समाज में बराबरी के साथ रहने व काम के अधिकार दिये गये हैं। विभिन्न स्तरों पर बरती जानेवाले भेदभाव व दिव्यांगों के काम में होनेवाली देरी को दर...

pg-40

01 | जून | 2019

एक दिवसीय कार्यशाला

विशेष अभियान

■ कार्यशाला में शामिल अतिथिगण और राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

दिव्यांगजनों के हित में

समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में ऐसा शोध होना चाहिए, जो वास्तविकता में उनके जीवन परिवर्तन ला सके। शोध का लाभ अंतिम पड.ाव पर खडें. दिव्यांग व्यक्ति को मिले। जो शोध वास्तव में दिव्यांगे जनों के हित में होगा, उसे ध्यान में रखकर सरकार नीति भी बनाएंगी और उन्हें पुरस्कृत भी करेगी। राज्य निःशक्तता आयुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन के बाद कही। डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों को बहुत सारे अधिकार दिये गये हैं। उनके अधिकार को लेकर जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए रोजगार और उन्नति के अवसर सृजित किये जा रहे हैं। समाज कल्याण बिभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में ऐसा शोध - ' होना चाहिए, जो वास्तविकता में उनके जीवन परिवर्तन त्ता सके। शोध का लाभ अंतिम पड़ाव पर खड़े दिव्याग व्यक्ति को मिले। जो शोघ वास्तव में दिव्यांग जनों के हित में होगा, उसे ध्यान में रखकर सरकार नीति भी बनाएगी और उन्हें पुरस्कृत भी करेगी। उन्होंने ये वातें राज्य निप्याक्तता आयुक्त कार्यालय द्वारा एक दिवसीय कर्याशाला के उद्घाटन के बाद कहीं। उन्होंने कहा कि अच्छे शोध के आधार सरकार योजना बनाएगी और जरूरत हुई तो इसके लिए विशेष फंड की व्यवस्था भी कांगो । डॉ. शिवाजी कुमार न कहा क्रि दिव्यांगजनों कर्क वहुत सारे,अधिकार दिए गए हैं। उनके अधिकार के लेकर जागरूक करन के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए रोजगार और उन्नति के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। आईजीआईएमएस के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने कहा कि दिव्यांग बच्चे पैदा न हों, इसके लिए पहले से सावधान होने की जरूरत है । है दित्यागजनों के प्रति फैली गलत अवधारणा और अंधविश्वास क्रो दूर काने की जरूरत है । मौके पर अपर आयुक्त निःशक्तता डॉ शभूकुमार रजक डॉ. हबीबुल्लाह अंस्नरी, संट्ठोंप कुमार, डॉ सुभाष चंद्रा, डॉ गोद कुमार सिन्हा, डॉऋतु स्वन, छो" विनोद भाति, डॉ अरिवनी कुमार डॉ नवल किशोर शर्मा आदि ने भी अपनी बातें रखीं।

दिव्यांगता के क्षेत्र में करें ऐसा शोध, जो उनके जीवन में परिवर्तन ला सके

कड़ा नियम

2500
दिव्यांग को मिला लाभ

1.5
लाख ने सोशल पर विजिट किया

30
ग्रुप ने हमें ज्वाइन किया

02
लोग जुडें मीडिया से

समाज कल्याण बिभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि दिव्यांगता के क्षेत्र में ऐसा शोध -
'होना चाहिए, जो वास्तविकता में उनके जीवन परिवर्तन त्ता सके। शोध का लाभ अंतिम पड़ाव पर खड़े दिव्याग व्यक्ति को मिले।

04 | जून | 2019

औचक निरीक्षण

▪ दिव्यांगजनों से मिलकर राज्य आयुक्त पटना डॉ. शिवाजी कुमार ने सुनी उनकी शिकायत.

निर्देश

350 सेमिनार में थे शामिल

25 हजार लोग जानें मीडिया से

रक्सौल अनुमंडल

भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रक्सौल अनुमंडल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत जर्जर देखकर स्थानीय अधिकारियों से इसके बारे में जानकारी ली। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारी से पूछा कि अब तक यहां अनुमंडलीय अस्पताल क्यों नहीं बन पाया है। ऐसी लचर व्यवस्था के बीच दिव्यांग मरीजों का उपचार कैसे हो पायेगा? उन्होंने मरीजों की असुविधा को देखकर निर्देश दिया कि इसमें तत्काल सुधार करने की आवश्यकता है.

इसके उपरांत अनुमंडल पदाधकारी अमित कुमार और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शरतचंद्र शर्मा और स्वास्थ्यकर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में आयुक्त ने दिव्यांगजनों के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर ही प्रमाणपत्र बनाने के निर्देश दिये तथा दिव्यांगजनों के लिए पेंशन संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए कैंप लगाकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को युद्ध स्तर पर कार्य करने का निर्देश दिया गया।

साथ हीं दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ने हेतु अनुमंडल के सभी प्रखंडों के प्रोग्राम ऑफिसर (मनरेगा) को निर्देशित किया गया कि 18 वर्ष से ऊपर के दिव्यांगजनों को विशेष जॉब कार्ड रोजगार सेवकों की सहायता से उपलब्ध कराया जाये। सभी मार्केटिंग ऑफिसर तथा एसडीओ को निर्देशित किया गया कि दिव्यांगजनों को अंत्योदय योजना के तहत राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाये। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अभियान चलाकर दिव्यांगजनों को शिक्षा से जोड़ा जाये तथा सभी दिव्यांगजनों को आने जाने के लिए एस्कॉर्ट अलाउंस उपलब्ध कराया जाये। सभी बीडीओ को निर्देशित किया गया कि कृत्रिम अंग उपकरण, जैसे व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल तथा अन्य जरुरत के सामान को उपलब्ध कराया जाये।

> सभी प्रखंडों के प्रोग्राम ऑफिसर (मनरेगा) को निर्देशित किया गया कि 18 वर्ष से ऊपर के दिव्यांगजनों को विशेष जॉब कार्ड रोजगार सेवकों की सहायता से उपलब्ध कराया जाये।

अधिकारियों ने अस्पतालों का किया औचक निरीक्षण

[illegible] दी। बताया कि अब दिव्यांगों को प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना होगा। हर शनिवार को रक्सौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच कर प्रमाण पत्र बनाने और दिव्यांगों को पेंशन रेलवे पास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बैठक में डॉ. राजीव रंजन, डॉ. एसके सिंह स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे।

निरीक्षण के बाद बैठक करते अधिकारी

नवादा जिला

अधिकार

03

लाख रुपये शादी के लिए देती है सरकार

102

धाराओं का अधिकार मिले दिव्यांग को

21

कोटि में दिव्यांगता को बांटा गया है।

07 | जून | 2019

कौशल विकास व रोजगार से जोड़ें स्पेशल मोबाइल कोर्ट

■ दिव्यांग बच्चे से मिलकर उसका हौसला बढ़ाते व सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक करते आयुक्त.

दिव्यांगजनों को उनके हिस्से का हक व अधिकार दिलाने को लेकर राज्य में कई प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने परिसदन में पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि दिव्यांगों को समाज में बराबरी के साथ रहने व काम के अधिकार दिये गये हैं। विभिन्न स्तरों पर बरती जानेवाले भेदभाव व दिव्यांगों के काम में होनेवाली देरी को दूर करने के उद्देश्य से पूरे राज्य में यह अभियान शुरू किया गया है। कई प्रभावकारी और सरकारी फैसले करने दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाया गया है।

चलंत न्यायालय में कोई भी दिव्यांग अपनी शिकायत को उठाने के लिए विभाग के प्रपत्र में शिकायत कर सकता है। दिव्यांगजन इसे भरकर अपनी शिकायत राज्य निःशक्तता आयुक्त के चलंत न्यायालय में ला सकते हैं। राज्य आयुक्त ने बताया कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र नहीं बनने, पेंशन की समस्या, सामान्य रूप से व्यवहार नहीं कर भेदभाव करने, सरकारी योजनाओं का लाभ देने में परेशानी, साहयता उपकरण नहीं मिलने आदि की शिकायतें चलंत न्यायालय में लाये जा सकते हैं। 11 जून को सदर प्रखंड कार्यालय में चलंत न्यायालय लगेगा। आठ जून को राज्य आयुक्त विभिन्न पदाधिकारियों के साथ बैठक, किये। कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों के साथ, लीड बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बैठक किये।

राज्य आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 21 कोटि में दिव्यांगता को बांटा गया है। राज्य में दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने के लिए नया खाका तैयार किया गया है। नये प्रमाणपत्र बनाने वालों को अब इसी खाका में निःशक्तता प्रमाणपत्र मिलेगा। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के सभी 102 धाराओं के दिये जानेवाले अधिकारों को उन्हें दिये जाने की बात कही। राज्य आयुक्त ने कहा कि समाज कल्याण के तहत कई योजनाएं चलायी जा रही है, जिसका लाभ जानकारी के अभाव में नहीं मिल पाता है। मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन राशि के तहत शादी के जोड़े में एक के निःशक्त होने पर एक लाख रुपये, दोनों के निशक्त होने पर दो लाख रुपये तथा दोनों निःशक्त अंतरजातीय विवाह किये हैं तो तीन लाख रुपये की सरकारी मदद मिलती है। लेकिन इस प्रकार के योजनाओं की जानकारी नहीं होने के कारण वह लाभ से वंचित हो जाते हैं।

{ कुल 21 कोटि में दिव्यांगता को बांटा गया है। **राज्य में दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने के लिए नया खाका तैयार किया गया है।** }

☞ **विभिन्न स्तरों पर बरती जानेवाले भेदभाव व दिव्यांगों के काम में होनेवाली देरी को दूर करने के उद्देश्य से पूरे राज्य में यह अभियान शुरू किया गया है।**

08 | जून | 2019

दिव्यांगों को प्रमाणपत्र देने का निर्देश
समीक्षा बैठक

दिव्यांगों को मिलेगा हक : डॉ शिवाजी

दिव्यांगों की समस्याओं के निपटारे को लगेगा कोर्ट

अधिकार

600000 रुपये श्रवण बाधित को इलाज के लिए

5500 लोग मीडिया के माध्यम से हुए जागरूक

नवादा जिला

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने मोबाइल कोर्ट से पहले समाहरणालय के सभागार में बैठक कर जिले में दिव्यांगों की स्थिति और प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। मौके पर उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की परेशानियों व समस्याओं को सामूहिक प्रयास से दूर करते हुए उन्हें समानता का अधिकार देने के लिए काम करना है। राज्य आयुक्त विभागीय अधिकारियों के अलावे पुलिस पदाधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों व बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके निःशक्तजनों के जीवन में सुधार के प्रयास से संबंधित बिंदुओं पर टिप्स दिये।

राज्य आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि समाज में सभी को सामान अधिकार दिया गया है। शारीरिक कमियों को हीन भावना से नहीं देखना है। बल्कि उनका मनोबल बढाते हुए समाज में उन्हें सम्मानजनक अधिकार देना है पर प्रशासन के ढुल मूल रवैये इस जरूरी काम को भी समय से पूरा नहीं किया जा रहा है। निःशक्तता प्रमाणपत्र बनाने के लिए भी उन्हें कई बार भटकना पड़ता है। उन्होंने तय सीमा में सभी दिव्यांगों का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से बनाने का निर्देश दिया। इस बैठक में खासकर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने के लिए मोबाइल कोर्ट में आवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा दिव्यांगजनों को उनके मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त सरकारी वकील की व्यवस्था की गयी है। सरकार की ओर से मिलनेवाली इन सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। श्रम संसाधन, जीविका, बुनियादी केंद्र आपस में समन्वय स्थापित कर दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ दिलायें। खेल-कूद में दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का भी निर्देश बैठक में दिया गया। सरकार के सभी विकास योजनाओ में गरीबी उन्मूलन योजनाओं के तहत 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिव्यांगों को मिलना है। श्रवण बाधित 06 वर्ष के बच्चे को भारत सरकार द्वारा जरूरी इलाज के लिए छह लाख का खर्च का लाभ दिया जाता है। इसका लाभ लोगों को दिलायें। दिव्यांग व्यक्ति को दिव्यांगता के आधार पर नौकरी से नहीं हटाया जा सकता है। बैठक में राज्य आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग बच्चों को पागल व मंद बुद्धि जैसे अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना गलत है। अस्पताल के अधिकारियों से कहा कि इलाज के नाम पर बेवजह दिव्यांगों को जिले से बाहर रेफर नहीं करें।

☞ **विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा दिव्यांगजनों को उनका मुकदमा लड़ने के लिए मुफ्त सरकारी वकील की व्यवस्था की गयी है।**

▪ अधिकारियों के साथ बैठक और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करते राज्य निःशक्तता आयुक्त।

09 | जून | 2019

दिव्यांग को अपमानित करने पर सजा

नियम व कानून

नवादा जिला

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने चलंत न्यायालय से पहले जिले के सभी प्रखंडों में भ्रमण कर वहां के अधिकारियों से बैठक कर दिव्यांगों की स्थिति के बारे में जायजा लिया। राज्य आयुक्त ने कौआकोल प्रखंड कार्यालय में बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को दिव्यांगों के लिए चलायी जा रही सभी योजनाओं का

> आयुक्त ने अधिकारियों व पंचायत सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पंचायत के सचिव पांच-पांच दिव्यांगों का चयन कर प्रखंड कार्यालय में उनकी सूची उपलब्ध कराये।

कार्यान्वयन पूरी जिम्मेदारी के साथ करने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य व केंद्र सरकार दिव्यांगों के कल्याण को लेकर अनेकों योजनाएं चला रही है। दिव्यांगत प्रमाणपत्र बनाने से लेकर हर योजनाओं में दिव्यांगों के लिए खास व्यवस्था की गयी है। सभी स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग-धंधा, कौशल विकास, ऋण सहित हर तरह के क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए योजनाएं बनी हुई हैं। लेकिन, जरुरत इस बात की है कि सभी विभाग के अधिकारी अपने अधीन दिव्यांगों से जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से और इन्हें हर संभव मदद करें। निःशक्तता आयुक्त ने कहा कि गरीबी उन्मूलन से संबंधित जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उसमें 5 फीसदी दिव्यांगों के लिए खर्च किया जाना है। साथ ही प्रत्येक योजनाओं में दिव्यांगों को प्राथमिकता के तौर पर लाभ दिलाना है। दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम के तहत जिलास्तरीय कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष डीएम कौशल कुमार बनाए गये। इनके अलावा कमेटी में सदस्य सचिव के रूप में सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक को रखा गया। वहीं सदस्य के रूप में सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव सहित सदर के एसडीओ को शामिल किया गया।

पकरीबरावां प्रखंड पहुंचकर आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंनें 16 पंचायतों से आये कई दिव्यांगों से बातचीत की. आयुक्त ने अधिकारियों व पंचायत सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पंचायत के सचिव पांच-पांच दिव्यांगों का चयन कर प्रखंड कार्यालय में उनकी सूची उपलब्ध करायें और पंचायत स्तर पर दिव्यांगों के साथ बैठक करें। नरहट प्रखंड कार्यालय पहुंच आयुक्त ने निर्देश दिया कि दिव्यांगों से जुड़े कानून का अनदेखी न करें। उन्होंने कहा कि इस कानून को अनदेखी करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। निःशक्तता कोर्ट इस मामले में आपको सम्मन भी जारी कर सकता है।

▪ निरीक्षण करते राज्य निःशक्तता आयुक्त.

स्थिति के बारे में

1413 दिव्यांगता प्रमाण पत्र

518 दिव्यांगता पेंशन

19 आवास व मनरेगा

☞ सभी स्वास्थ्य, ऋण सहित हर तरह के क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए योजनाएं बनी हुई हैं।

चलंत न्यायालय में दिव्यांगों का उमड़ा सैलाब

10 | जून | 2019

दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा
राज्य आयुक्त का निर्देश

राज्य निःशक्तता आयुक्त ने जिला के अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी विभागों के क्रियाकलापों की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली गयी तथा और बेहतर करने के लिए दिशा निर्देश दिये गये। निःशक्तता आयुक्त ने शहर के सर्किट हाउस में विभागवार समीक्षा की। उन्होंने दिव्यांगों के लिए आयोजित होने वाले चलंत न्यायालय में भी सभी को उपस्थित रहने के निर्देश दिये ताकि दिव्यांगों की समस्याओं का ऑनस्पॉट निपटारा हो सके। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में कहा कि छह वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी है और रिसोर्स टीचर उन्हें उनके घर से विद्यालय में लाना सुनिश्चित करेंगे।

06-18
वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

> राज्य निःशक्तता आयुक्त ने आईसीडीएस के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिव्यांग बच्चों को बेहतर माहौल मिलना चाहिए ताकि वे खुद को सबसे अलग नहीं समझे।

शत प्रतिशत विद्यालयों में दिव्यांगों के लिए रैंप और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। विद्यालय में दिव्यांग बच्चे भी सहज महसूस करें इसके लिए उन्हें बेहतर माहौल देने की कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने दिव्यांगों के लिए खेल में अवसर उपलब्ध कराने की बात करते हुए कहा कि दिव्यांग जनों के लिए पारा ओलिंपिक, स्पेशल ओलिंपिक, डेफ ओलिंपिक खेलों के लिए विशेष तैयारी की जाये। उन्होंने बुनियाद केंद्र के कर्मचारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि बुनियाद केंद्र दिव्यांगों और वृद्ध जनों का सहारा बनेगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिव्यांग बच्चों को मिले बेहतर माहौल

राज्य निःशक्तता आयुक्त ने आईसीडीएस के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिव्यांग बच्चों को बेहतर माहौल मिलना चाहिए ताकि वे खुद को सबसे अलग नहीं समझे। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं और सहायिकाओं को निर्देश देकर व्यवस्था को दुरुस्त करें।

दिव्यांगों को ड्राइविंग लाइसेंस

जिला परिवहन पदाधिकारी को दिव्यांगजनों के लिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

तुरंत प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश

आयुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश देते हुए कहा कि दिव्यांगता के सारे लाभ के लिए प्रमाणपत्र जरूरी है। इसलिए प्रमाणपत्र जारी करने में देर नहीं हो। जिस दिन दिव्यांगता की जांच हो उसी दिन उन्हें प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाये।

मिले माहौल

- आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिव्यांग बच्चों को मिले बेहतर माहौल
- सहायिकाओं को निर्देश देकर व्यवस्था को दुरुस्त कर
- रिसोर्स टीचर उन्हें उनके घर से विद्यालय में लाना सुनिश्चित करेंगे

सारथी योजना

11 | जून | 2019

दिव्यांगों को घर पर न्याय
चलंत न्यायालय

■ राज्य निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगों की सभी समस्याओं का समाधान किया.

नवादा जिला

जिले के सदर प्रखंड कार्यालय में दिव्यांगों की सभी समस्याओं के समाधान के लिए लगाये गये चलंत न्यायालय में दिव्यांगों का सैलाब उमड़ पड़ा। न्यायालय में 45 से अधिक काउंटर और 500 से अधिक कर्मी दिव्यांगों की समस्याओं को चिह्नित करने के लिए लगे हुए थे। न्यायालय में कुल 2780 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन किया गया और इनमें से 1431 को दिव्यांगता प्रमाणपत्र हाथों-हाथ सौंप दिया गया। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निदान के लिए विभिन्न विभागों का स्टॉल लगाया गया जबां से ऑन स्पॉट मामलों का निदान किया गया। कुछ माले को संबंधित विभागों को स्थानांतरित किया गया, तो कुछ मामले में समय सीमा निर्धारित कर मामले को निपटारा करने के आदेश दिया गगया।

इस न्यायालय का शुभारंभ राज्य निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमारी, जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने किया। राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजन किसी से भी कम नहीं हैं। चलंत न्यायालय का उदेश्य दिव्यांगों की समस्याओं को एक ही जगह दूर करना है। साथ हीं दिव्यांग पेंशन, इंदिरा आवास, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक लोन, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण , नियोजन आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गयी तथा ट्राईसाइकिल के लिए आये दिव्यांगजनों से भी आवेदन लिया गया। मौके पर सदर एसडीओ अनु कुमार, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी गुप्तेश्वर कुमार, प्रबंधक उपमा रानी व अन्य मौजूद थे। चलंत न्यायालय में बड़ी संख्या में दिव्यांगों ने ट्राईसाईकिल और अन्य उपकरणों के लिए आवेदन दिया। आये आवेदनों के आलोक में जल्द ही उपकरण मुहैया कराने की बात कही गयी। इसके अलावा जो दिवांगजन चलंत न्यायालय में शामिल नहीं हो सके, उन्हें अपने प्रखंड कार्यालय में आवेदन करने को कहा गया है। वे अपने आवेदन, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाणपत्र, जाति और आवास प्रमाणपत्र प्रखंड में जमा करेंगे। सभी प्रखंडों से डिमांड सूची आने पर क्रय कर उन्हें ट्राईसाइकिल व अन्य उपकरण दिये जायेंगे।

> दिव्यांग पेंशन, इंदिरा आवास, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक लोन, स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण, नियोजन आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गयी तथा ट्राईसाइकिल के लिए आये दिव्यांगजनों से भी आवेदन लिया गया।

शिकायतें

- **2780** दिव्यांगों ने सुनाया फरियाद
- **2174** मामलों को निष्पादन
- **987** दिव्यांगों को तत्काल मिला प्रमाणपत्र
- **123** दिव्यांगों के पेंशन को मिली हरी झंडी

चलंत न्यायालय में दिव्यांगों का उमड़ा सैलाब

दिव्यांगों को पांच मिनट में ड्राइविंग लाइसेंस मिला, एक मिनट में हुआ नियोजन का निबंधन

19 | जून | 2019

दिव्यांगों को सशक्त करना प्राथमिकता
पदाधिकारियों के साथ बैठक

■ कारगिल विजय भवन में शिक्षा विभाग व अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करते आयुक्त।

RPwD Act. 2016 की धारा 80 के बारे में जानकारी दी गयी

21 प्रकार के दिव्यांग होते हैं। अब नये कानून के तहत

बेगूसराय जिला

दिव्यांगजनों को सशक्त बनाना और सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आजादी के बाद पहली बार दिव्यांगों के लिए चलंत लोक अदालत का आयोजन 22 जून को सदर प्रखंड परिसर में किया जायेगा। परिसदन में आयोजित प्रेसवार्ता में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले दिव्यांगता सात प्रकार की होती थी। अब नये कानून के तहत कुल 21 प्रकार के दिव्यांग होते हैं। वर्तमान समय में दिव्यांगों के लिए सरकार दर्जनों योजनाएं चला रही है, जिससे कि उन्हें सशक्त किया जा सके और वह समाज में अपनी पहचना बना सकें। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वारा योजन के तहत हमलोग दिव्यांगजनों को चिह्नित कर उनके सतत विकास को प्रयत्नशील रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों का हमने तीन वर्षों की रिपोर्ट मंगवायी है कि दिव्यांगों के लिए इन तीन वर्षों में क्या काम हो पाया है? सभी विभाग की गरीबी उन्मूलन योजना की पांच प्रतिशत हिस्सेदारी दिव्यांगों को मिल रही है कि नहीं इसका भी जांच होगा। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी देवेंद्र कुमार झा, सिविल सर्जन ब्रजनंदन शर्मा, भुवन कुमार आदि मौजूद थे.

इसके बाद राज्य आयुक्त ने भगवानपुर प्रखंड के अधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिसमें उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह धारा राज्य आयुक्त को दिव्यांजनों के समस्याओं के निराकरण के लिए चलंत न्यायालय लगाने का शक्ति प्रदान करता है। इस न्यायालय में सुलभ रूप से विकालंग प्रमाणपत्र सहित उनकी समस्याओं का निवारण किया जायेगा। आयुक्त ने बीडीओ को निर्देश दिया कि आवेदन जमा करने वाले दिव्यांगों को गाड़ी की व्यवस्था कर उसे चलंत न्यायालय तक लाया जाये। प्रखंड स्तर पर दिव्यांगों की शिकायतों के निवारण के लिए एक कमेटी का गठन करें।

> पहले दिव्यांगता सात प्रकार की होती थी। अब नये कानून के तहत कुल 21 प्रकार के दिव्यांग होते हैं। **वर्तमान समय में दिव्यांगों के लिए सरकार दर्जनों योजनाएं चला रही है।**

दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा चालायी जा रही प्रमुख योजनाएं

- मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनाएं
- मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना
- मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना (कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण
- दिव्यांगजनों को रोजगार में चार प्रतिशत का आरक्षण
- गरीबी उन्मूलन योजनाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ

22 को दिव्यांगजनों के लिए चलंत न्यायालय सदर प्रखंड में

लाचार दिव्यांगजनों को घर पर ही बैंकिंग सुविधा दे

20 | जून | 2019

दिव्यांगजनों के लिए रैंप सभी भवनों में बनें

■ योजनाओं की जानकारी देते हुए राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

4% आरक्षण का लाभ देने का निर्देश दिया पदस्थापना में

बेगूसराय जिला

बिना शपथ पत्र दिव्यांगों से लिए 31 अगस्त तक जिले के सभी दिव्यांगजनों को जांच कर प्रमाणपत्र दिया जायेगा। वहीं जिले क दो दर्जन दिव्यांगजनों को लर्निंग ड्राईविंग लाइसेंस शीघ्र ही निर्गत किया जायेगा। कारगिल विजय सभा भवन में दिव्यांगजनों के लिए सरकार की ओर से चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन उत्कृष्ट प्रतिभा के धनी होते हैं। जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने की व्यवस्था करने का आदेश सिविल सर्जन को दिया। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिक से अधिक चलंत न्यायालय आयोजित करने पर भी जोर दिया।

> बैठक में आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों को उनके घरों पर ही बैंकिग सुविधा मिले। प्रधानमंत्री मुद्रा स्वरोजगार योजना में प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए कगारंटर की जरुरत नहीं होगी।

डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि सरकार के प्रत्येक विभाग के कार्यालयों, जिले के सभी मॉल, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि भवनों में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए रैंप का निर्माण कराना अनिवार्य है। नगर निगम के अधिकारियों को अलग से शौचालय निर्माण कराने का निर्देश दिया। विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालय में दिव्यांगजनों से जड़े मामलों की देखरेख के लिए एक नॉडल अधिकारी को नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। सूचना पट्ट पर उनका नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर अंकित रहेगा।

बैठक में आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों को उनके घरों पर ही बैंकिग सुविधा मिले। प्रधानमंत्री मुद्रा स्वरोजगार योजना में प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए किसी तरह की गारंटर की जरुरत नहीं होगी। खाता खुलवाने में दिव्यांगों की सुविधा का ख्याल रखना होगा। इसी तरह एटीएम में भी रैंप की सुविधा देनी होगी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से भी दिव्यांगजनों को लाभान्वित करने का आदेश दिया। वहीं स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को नामांकन में सुविधा देने का निर्देश दिया। पदस्थापना में 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने का निर्देश दिया।

“ डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि सरकार के प्रत्येक विभाग के कार्यालयों, जिले के सभी मॉल, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि भवनों में दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए सुगम्य रैंप का निर्माण कराना अनिवार्य है।

- **प्रधानमंत्री मुद्रा स्वरोजगार योजना में प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए किसी तरह की गारंटर की जरुरत नहीं होगी।**
- **स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को नामांकन में सुविधा देने का निर्देश दिया।**

पांच मिनट में बनेगा दिव्यांगों का प्रमाणपत्र

समस्याओं का किया गया निष्पादन

21 | जून | 2019

विभागिये पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक

▪ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुये।

7% तक छूट वाहन खरीदारी में दिव्यांगों को

बेगूसराय जिला

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने निगम के प्रतिनिधियों को बताया कि अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग के साथ विवाह करता है तो, सरकार उस व्यक्ति को एक लाख रुपया प्रोत्साहन के रूप में देती है। अगर विवाह करने वाला व्यक्ति भी दिव्यांग है, तो दोनों पति पत्नी को एक-एक लाख रुपये मिलेंगे। अगर दोनों अंतरजातीय विवाह करते हैं तो, सरकार और एक लाख रुपया अतिरिक्त देगी। जनप्रतिनिधिओं, वार्ड सदस्यों और पंचायत प्रतिनिधियों को ये जानना जरूरी है कि दिव्यांगों को सरकार की ओर से कौन-कौन सी सुविधा दी जा रही है। ताकि वे अपने-अपने क्षेत्र के दिव्यांगों को बेहतर लाभ दिला सके व उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ सकें। ये बातें राज्य आयुक्त ने नगर निगम के सभागार में कहीं। आयुक्त ने निगम के पार्षदों, कर्मियों और पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। बैठक में उन्होंने 22 जून को सदर प्रखंड में लगनेवाले चलंत न्यायालय के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही पॉवर प्वाइंट की मदद से दिव्यांगों को मिलने वाली सहायता, उनके लिए बनाये गए कानून, समाज कल्याण विभाग द्वारा उनको दी जानेवाली सुविधा के बारे में भी बताया।

आवास, रोजगार के लिए ऋण और अन्य मिलनेवाले लाभ के बारे में जानकारी दी। निजी या सरकारी विद्यालयों में दिव्यांगों का नामांकन लेना अनिवार्य होगा। वाहन खरीदारी में दिव्यांगों को सात प्रतिशत तक छूट, दिव्यांगों को एफआईआर के लिए थाना जाने की जरुरत नहीं बल्कि पुलिस दिव्यांग के पास आयेगी। उन्होंने हर बड़े भवनों में दिव्यांगों के लिए रैंप बनाने, बड़े-बड़े मॉल में दिव्यांगों को रोजगार देने, चौक चौराहों पर ट्रैफिक वाली जगह पर साउंड सिस्टम ट्रैफिक व्यवस्था करने सहित अन्य चीजों की जानकारी दी।

बैठक में आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों को उनके घरों पर ही बैंकिंग सुविधा मिले। प्रधानमंत्री मुद्रा स्वरोजगार योजना में प्राथमिकता देनी होगी। इसके लिए कगारंटर की जरुरत नहीं होगी।

खोदवंदपुर प्रखंड

दिव्यांगों को मिलेंगी सभी सुविधाएं : आयुक्त

खोदवंदपुर प्रखंड मुख्यालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजन भले शारीरिक रूप से कमजोर हों, परंतु ऐसे लोगों में प्रतिभाओं की कमी नहीं होती है। सरकार दिव्यांगों को हर सरकारी सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है। अधिकारी व कर्मी दिव्यांगों की समस्याओं का निपटारा करने में तेजी दिखाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिव्यांगों को किसी कार्यालय में आनेजाने में परेशानी नहीं हो। इसके लिए रैंप का निर्माण करवाएं। उनके लिए कार्यालय भवन में अलग से शौचालय की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। साथ ही खोदावंदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही निःशक्तता प्रमाणपत्र निर्गत करने का निर्देश प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया। उन्होंने हर सप्ताह इसके लिए विशेष कैंप लगाने का भी निर्देश दिया। राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगों को किसी प्रकार की शपथ पत्र देने की जरुरत नहीं है। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के हित में चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी भी बैठक में दी।

अब दिव्यांगों को आधार कार्ड की तर्ज पर मिलेगा यूनिक आईडी नंबर

22 | जून | 2019

सबकी सुनी गयी फरियाद
चलंत न्यायालय

■ दिव्यांगजनों की फरियाद सुनते राज्य निःशक्तता आयुक्त।

समस्याओं का किया गया निष्पादन

मोबाइल कोर्ट में त्वरित कार्रवाई से खुश हुए दिव्यांग

1080 आवेदन आये | **374** दिव्यांगों को दिया प्रमाणपत्र

न्यायालय में फरियाद

बेगूसराय जिला

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में विनिर्दिष्ट सेवाओं को लागू कराने के उद्देश्य से बेगूसराय में पहली बार चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया। इस न्यायालय में अपनी फरियाद सुनाने के लिए दिव्यांगों की होड़ लग गयी। भीषण गर्मी को देखते हुए दो पालियों में न्यायालय संचालित किया गया। न्यायालय में कुल 1080 दिव्यांगों ने अपनी फरियाद सुनाने के लिए अर्जी दी। जिसमें पहली पाली में सुबह 10 बजे तक 84 दिव्यांगों के आवेदनों का निपटारा किया गया। इसमें बुनियादी सेवा (एसटीवी) के 28, दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए 14, सामाजिक सुरक्षा के 20, आवास योजना के 09, स्वरोजगार कर्ज के 09, शिक्षा के 03 और डीआरसीसी से संबंधित 01 आवेदन थे।

द्वितीय पाली में शाम चार बजे से फिर कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। मोबाइल कोर्ट में बारह से अधिक विविध काउंटर बनाये गये थे। जहां कि सभी आवेदनों का सत्यापन के बाद बिहार सरकार के राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की देखरेख में त्वरित सुनवाई की गयी। डॉ. शिवाजी कुमार ने बताया कि दिव्यांगों की सभी प्रकार की शिकायतों एवं मांगों को लेकर जमा किये जा रहे आवेदनों पर त्वरित आदेश जारी कर सबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। जिले के सभी दिव्यांगों की समस्या समाप्त होने तक यह कार्रवाई सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा लगातार जारी रहेगी। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम में 21 प्रकार के दिव्यांग श्रेणी चयनित किये गये हैं और उन सभी दिव्यांगों को बुनियादी सुविधा, शिक्षा एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारें पूरी तरह तत्पर हैं। इन्हें अधिक से अधिक मदद पहुंचाने के लिए हरसंभव उपाय किये जा रहे हैं। केंद्र एवं बिहार की सरकार मुख्यधारा के सभी प्रकार की औपचारिक एवं अनौपचारिक योजना एवं कार्यक्रमों में दिव्यांगों का समावेश कर रही है। विकासात्मक, बौद्धिक और बहु दिव्यांगता ग्रसित दिव्यांगों के लिए सक्रिय संबद्धता सुनिश्चित करना है। इन्हें विवेक संगत, अनुकूल, बाधारहित और समुचित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार और समाज कल्याण विभाग तत्पर है। उन्होंने बताया कि जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, बैंक, पुलिस, प्रशासन, रेल समेत तमाम विभागों के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। गर्मी की छुट्टी के बाद विद्यालय खुलने पर सभी दिव्यांग बच्चों का नामांकन पोषक क्षेत्र के विद्यालयों में कारए जाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जा चुका है। एक भी बच्चा अनामांकित पाये जाने पर संबंधित विद्यालय प्रधान के विरद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विकासात्मक, बौद्धिक और बहु दिव्यांगता ग्रसित दिव्यांगों के लिए सक्रिय संबद्धता सुनिश्चित करना है। इन्हें विवेक संगत, अनुकूल, बाधारहित और समुचित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार और समाज कल्याण विभाग तत्पर है।

27 | जून | 2019

श्रम संसाधन एवं रोजगार विभाग, बिहार सरकार
पदाधिकारियों के साथ एडवोकेसी बैठक

■ अधिकारियों के साथ बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

राहार एवं भारत सरकार दिव्यांगजनों के नियोजन विशेषकर उनके व्यसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु निम्न रियायती दर पर ऋण के प्रावधान सहित योजनाओं का निर्माण करेगी। उपरोक्त के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम एवं योजनाएँ होगी :-

☞ मुख्यधारा के सभी प्रकार के औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यवसायिक एवं कौशल विकास प्रशिक्षण योजनाओं एवं कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों का समावेश।

☞ विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों को पर्याप्त सहयोग एवं सुविधा सुनिश्चित करना।

☞ विकासात्मक, बौद्धिक,बहु दिव्यांगता एवं स्वलीनता (ऑटिस्म) से ग्रसित दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं बाजार से सक्रिय सहबद्धता सुनिश्चित करना।

☞ सूक्ष्म ऋण सहित रियायती दर पर ऋण देना।

☞ दिव्यांगजनों द्वारा निर्मित उत्पादों का विक्रय।

☞ दिव्यांगजनों के स्वरोजगार, कौशंल विकास से संबंधित प्रगति का आंकड़ा रखना।

☞ सरकारी इकाई नियोजन से संबंधित किसी मामले में किसी भी दिव्यांगजन के विरूद्ध भेदभाव नहीं करेगा। सरकारी इकाई दिव्यांग कर्मचारियों को विवेकसंगत अनुकूलन, बाधा रहित उपयुक्त एवं समुचित वातारण उपलब्ध कराएगी।

☞ केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति की प्रोन्नति से इंकार नहीं किया जाएगा।

☞ कोई भी सरकारी इकाई किसी कर्मचारी को सेवा के दौरान दिव्यांगता से ग्रसित होने पर उसे अभिमुक्त या रैंक में कमी नहीं करेगी।

एडवोकेसी बैठक

अधिकार

■ अधिकारों पर चर्चा करते ग्रामीण दिव्यांगजन समूह।

राज्य आयुक्त निःशक्तता ने दिया निर्देश

बीपीएससी : 63वीं मेंस के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक

संवाददाता ▷ पटना

• दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में संशोधन के बाद ही रिजल्ट होगा जारी

राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा ली गयी संयुक्त प्रतियोगिता (मुख्य) परीक्षा के रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है। गुरुवार को अतुल रंजन की ओर से दायर मामले में दोबारा सुनवाई करते हुए आयोग ने बीपीएसी को दोबारा आदेश दिया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में संशोधन के बाद ही 63वीं मुख्य परीक्षा रिजल्ट प्रकाशित करें। राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार ने बताया कि अतुल रंजन मामले में 18 जनवरी को पहली सुनवाई में भी रिजल्ट पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के मुताबिक सरकारी नौकरी में दिव्यांगों को रिक्तियों की संख्या का चार प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, लेकिन अधिनियम के मुताबिक आरक्षण रोस्टर साप नहीं है। इस कारण से दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि अधिनियम के मुताबिक रोस्टर में सुधार करही 63वीं मुख्य परीक्षा के आरक्षित कोटे का रिजल्ट का प्रकाशन किया जाये।

> इस कारण से बहु-दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। **ऐसे में जरूरी है कि अधिनियम के मुताबिक रोस्टर में सुधार करही 63वीं मुख्य परीक्षा के आरक्षित कोटे का रिजल्ट का प्रकाशन किया जाये।**

1174 मामलों को निष्पादन
2780 दिव्यांगों ने सुनाया फरियाद
255 दिव्यांगता पेंशन
513 दिव्यांगता प्रमाण पत्र

28 | जून | 2019

दिव्यांगों की अनदेखी पर कार्रवाई
बैठक में निर्देश

सरायगढ़ भपटियाही ब्लॉक में बैठक (सुपौल)

दिव्यांग लोगों के समस्याओं के प्रति सरकार पूरी गंभीरता से योजना बनाकर कार्य कर रही है। ऐसे लोगों के समस्याओं की अनदेखी सरकारी अधिकारी तथा कर्मियों के लिए जेल जाने का कारण भी बन सकता है। तीन बार आवेदने देने के बाद यदि दिव्यांगता प्रमाणपत्र नहीं बना तो संबंधित लोग थाना में मुकदमा दर्ज करें। उक्त बातें बिहार राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड कार्यालय परिसर मे आयोजित दिव्यांगों की बैठक में अधिकारियों को कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को प्राथमिकता के साथ हर एक लाभ से जोड़ने का काम सरकारी अधिकारी तथा कर्मियों का है। अगर कोई जन प्रतिनिधि भी दिव्यांगों के हक को देने में मनमानी करते हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

राज्य आयुक्त ने कहा कि स्कूलों में नामंकन, प्रधानमंत्री आवास लाभ, पेंशन योजना सहित सरकार के अन्य लाभों में दिव्यांगों को जोड़ा जाना है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों में जागरुकता लाने के लिए एक सूची बनाकर सुपौल के मरौना, निर्मली, सरायगढ़-भपटियाही, किशनपुर व सुपौल में 28 जून की बैठक रखी गयी है। 29 जून को त्रिवेणीगंज तथा छातापुर में बैठक निर्धारित है। राज्य आयुक्त ने कहा कि प्रखंड स्तर के बैठक में सर्वसम्मति से दिव्यांगों की प्रखंड कमेटी गठित कर उसे तत्क्षण जिला कार्यालय को भेजना है। दिव्यांगों लोग कमेटी के माध्यम से अपनी समस्याओं को जिला तक पहुंचाने का काम करेंगें।

■ सरायगढ भपटियाही प्रखंड कार्यालय परिसर में अयोजित दिव्यांगों की बैठक में उपस्थित लोग

दिव्यांगो को अब कम दरों पर मिलेगा लोन

दिव्यांगों की अनदेखी करने वालों पर होगी कार्रवाई : आयुक्त

राज्य आयुक्त ने कहा कि प्रखंड स्तर के बैठक में सर्वसम्मति से दिव्यांगों की प्रखंड कमेटी गठित कर उसे तत्क्षण जिला कार्यालय को भेजना है। दिव्यांगों लोग कमेटी के माध्यम से अपनी समस्याओं को जिला तक पहुंचाने का काम करेंगें।

दिव्यांगता प्रमाण पत्र 613

दिव्यांगता पेंशन 421

दिव्यांगों ने सुनाया फरियाद 832

मामलों को निष्पादन 280

28 | जून | 2019

दिव्यांगों को मिलने वाले लाभ पर चर्चा

जिला सुपौल

किशनपुर व निर्मली प्रखंड

किशनपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सभा भवन में पंचायत स्तर पर दिव्यांग समिति को लेकर एक बैठक राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिसमें प्रखंड के विभिन्न पंचायत के दिव्यांग, पंचायत स्तरीय पदाधिकारी सहित अन्य लोगों ने दिव्यांगों को मिलने वाली लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। बैठक में उपस्थित राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए पंचायत स्तरीय कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि एडीप योजना अंतर्गत गंभीर रूप से दिव्यांगजन के लिए और क्वाड्रीप्लेजिक, एससीआई, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, प्रमस्तिष्क अंगघात, पक्षाघात वाले दिव्यांगजन जिनके तीन से चार अंग अथवा शरीर का आधा हिस्सा गंभीर रूप से दिव्यांग हो उनके लिए मोटराइज्ड ट्राई साइकिल देने का प्रावधान है। जिन दिव्यांगजनों के अभिभावकों का मासिक आय सभी साधनों से 20 हजार रुपये से अधिक है ऐसे दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राई साइकिल पाने के पात्र नहीं है। जिन दिव्यांगजनों की मासिक आय 15 हजार रुपया से 20 हजार रुपये के बीच है वह दिव्यांग योजना के तहत 50 प्रतिशत अनुदान सरकार द्वारा पाने के हकदार हैं। वैसे दिव्यांगजनों या उनके अभिभावकों की मासिक आय 15 हजार रुपया तक है। वह दिव्यांगजन योजना के तहत सौ प्रतिशत सहायता के पात्र है। इस योजना अंतर्गत ऐसे इन दिव्यांगजन को 25 हजार रुपये की छूट के साथ मोटर ट्राइ साइकिल उपलब्ध करायी जाती है। दिव्यांगों के स्वरोजगार कौशल विकास से संबंधित किसी भी दिव्यांग से भेदभाव नहीं किया जायेगा। सरकारी इकाई दिव्यांग कर्मचारियों को विवेक संगत, अनुकूल, बाधारहित, उपयुक्त एवं समुचित वातावरण उपलब्ध करायेगी। केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति के प्रति इन्कार नहीं किया जा सकता है। कोई भी सरकारी इकाई किसी कर्मचारी को सेवा के दौरान दिव्यांगता के स्थिति में होने पर भी उसे मुख्यधारा से बाहर नहीं केरगी।

■ फरियाद सुनते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

दिव्यांग अधिनियम का उल्लंघन करने पर 50 हजार से पांच लाख रुपये तक का होगा जुर्माना

राज्य आयुक्त ने कहा कि प्रखंड स्तर के बैठक में सर्वसम्मति से दिव्यांगों की प्रखंड कमेटी गठित कर उसे तत्क्षण जिला कार्यालय को भेजना है। दिव्यांगों लोग कमेटी के माध्यम से अपनी समस्याओं को जिला तक पहुंचाने का काम करेंगें।

दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी योजनाएं बना रही है सरकार

निर्मली अनुमंडल मुख्यालय स्थित टीसीपी भवन में दिव्यांगता को लेकर राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी। अनुमंडल में पहली बार आयोजित इस बैठक में पदाधिकारियों और दिव्यांगों को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि बिहार एवं भारत सरकार दिव्यांगजनों के नियोजन विशेषकर उनके व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतू रियायती दर पर ऋण के प्रावधान सहित अन्य योजनाओं का निर्माण कर रही है। पंचायत स्तर पर समूह बनाकर दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वार दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए जागरूक करने की बात कही।

दिव्यांगता प्रमाण पत्र 280

दिव्यांगता पेंशन 489 1700

दिव्यांगों ने सुनाया फरियाद

मामलों को निष्पादन 580

29 | जून | 2019

पंचायत स्तरीय पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक

सुपौल जिला

दिव्यांगों को अधिकार बोध के लिए शनिवार को टीपीसी भवन में बैठक हुई। बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की जानकारी अधिकारियों सहित दिव्यांगों को दी। उन्होंने बताया कि कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है। उन्होंने प्रखंड और पंचायत स्तर पर समूह बनाने की बात करते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर तक समूह बनाये जा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, उद्योग धंधा, कौशल विकास ऋण आदि हरेक क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए योजनाएं बन रही है और चल भी रही हैं।

इसके साथ हीं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए पेंशन, छात्रवृत्ति, आवास सहित

■ पंचायत स्तरीय समिति के प्रखंड स्तरीय समिति बनेगी

अन्य योजनाओं को धरातल पर उतराने के लिए काम किये जा रहे हैं ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। आयुक्त ने बस स्टैंड पर दिव्यांगजनों के लिए रैंप बनाने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए संचालित सभी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना को प्रचारित करने का निर्देश दिया। एसडीएम विनय कुमार सिंह ने कहा कि कम से कम आठवीं कक्षा तक पढ़ाई कर चुके दिव्यांगों की सूची तैयार करें, ताकि उनका स्किल ट्रेनिंग करवाया जा सके।

सुपौल-सहरसा

दिव्यांगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार कृतसंकल्पित : डॉ शिवाजी

> उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए संचालित सभी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत उन्हें मिलना चाहिए। **उन्होंने अधिकारियों से मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना को प्रचारित करने का निर्देश भी दिया।**

30 | जून | 2019

दिव्यांगों की बने कमेटी
समीक्षा बैठक

दिव्यांग जनों के अधिकार के प्रति पदाधिकारियों को होना होगा संवेदनशील : निःशक्तता आयुक्त

वीरपुर अनुमंडल

समीक्षा

220 दिव्यांगता प्रमाण पत्र	152 दिव्यांगता पेंशन
20 छात्रवृत्ति एवं नामांकन	40 दिव्यांगजन राशन कार्ड

योजनाओं को निचले और अंतिम स्तर तक लागू करना अनिवार्य होगा।

अनुमंडल मुख्यालय (वीरपुर) स्थित कौशिकी भवन के सभागार में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार द्वारा अनुमंडल क्षेत्र के सभी अधिकारियों के साथ दिव्यांग योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम सुभाष कुमार ने किया। इस बैठक में दिव्यांगों की समस्या को लेकर बिंदुवार चर्चा की गयी। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगों के अधिकारों के प्रति पदाधिकारियों को संवेदनशील होना होगा। आगे उन्होंने बताया कि यह बैठक पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड और अनुमंडल स्तर तक के सभी दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर समूह बनाने के लिए भी आयोजित किया गया है। बनाये गये समूह का कार्य दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं को निचले और अंतिम स्तर तक लागू करना अनिवार्य होगा। इन समूहों को दिव्यांगों के लिए संचालित सभी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। बैठक में आयुक्त ने कहा कि ऐसे बैठकों का उद्देश्य दिव्यांगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों को दिव्यांगों को उनके अधिकारों के प्रति हमेशा संवेदनशीलरहने की बात बतायी। समीक्षा बैठक में एसडीएम सुभाष कुमार, बसंतपुर के आरडीओ देवानंद कुमार सिंह, सीओ विद्यानंद झा, राघोपुर आरडीओ सुभाष कुमार, सीओ धर्मनाथ चौधरी, प्रतापगंज के आरडीओ राजाराम पासवान, सीओ नूर आलम, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बसंतपुर डॉ. अर्जुन चौधरी, मिथिलेश प्रसाद कुशवाहा, सभी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के विकास मित्र समते अन्य कई विभाग के कर्मी और दिव्यांग भी अपनी-अपनी समस्याओं के साथ बैठक में उपस्थित थे।

बनाये गये समूह का कार्य दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा जारी सभी योजनाओं को निचले स्तर तक लागू करना अनिवार्य होगा। इन समूहों को दिव्यांगों के लिए संचालित सभी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास करना होगा। **बैठक में आयुक्त ने कहा कि ऐसे बैठकों का उद्देश्य दिव्यांगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना भी है। बैठक में मौजूद सभी पदाधिकारियों को दिव्यांगों को उनके अधिकारों के प्रति हमेशा संवेदनशीलरहने की बात बतायी।**

▪ अनुमंडल क्षेत्र के सभी अधिकारियों के साथ दिव्यांग योजनाओं की समीक्षा बैठक

क्र0सं0	वाद सं0	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
26.	26/2019	नालन्दा	वादी :- श्री पंकज कुमार, पिता-स्व0 केदार सिंह, नालन्दा। प्रतिवादी :- शाखा प्रबंधक, सरमेरा शाखा, नालन्दा।	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार हेतु ऋण के संबंध में।
27.	27/2019	भागलपुर	वादी :- श्री अभिषेक रौशन, भागलपुर। प्रतिवादी :-प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर।	दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधी।
28.	28/2019	मुजफ्फरपुर	वादी:- श्री राम बाबू साह, मुजफ्फरपुर। प्रतिवादी :-सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुजफ्फरपुर।	पेंशन से संबंधित।
29.	29/2019	पटना	वादी :- कुमारी वैष्णवी, पटना। प्रतिवादी :- गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी, पटना।	दिव्यांगता प्रमाण प्रत्र एवं रेलवे रियायत प्रमाण-पत्र के संबंध में।
30.	30/2019	मुजफ्फपुर	वादी :- श्री लालू तुरहा, मुजफ्फपुर। प्रतिवादी :-कार्यपालक अभियंता, वद्युित आपूर्ति प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर।	छात्रावास में दी गयी गलत बिजली बिल के त्रुटि सुधार के सम्बन्ध में।
31.	31/2019	खगड़िया	वादी :- मो0 कासिम, पिता-महरूम इमामुद्दीन, खगड़िया। प्रतिवादी :-आरक्षी अधीक्षक , खगडिया एवं अन्य।	दिव्यांग पत्नी के साथ हुये दुष्कर्म के सम्बन्ध में
32.	32/2019	पटना	वादी :- श्री नवल किशोर शर्मा, नेत्रहीन कलाकार, पटना। प्रतिवादी :-जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	श्रावणी महोत्सव,2019 के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के संबंध में।
33.	33/2019	पटना	वादी :- श्री राजीव लोचन कुमार, पटना। प्रतिवादी :-सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, पटना।	नि:शक्तता पेंशन की राशि का भुगतान नहीं होने से संबन्धित।
34.	34/2019	वैशाली	वादी :- मो0 अनवर शबाब, महुआ, जिला-वैशाली। प्रतिवादी :-श्रम आक्युत, श्रम संसाधन विभाग, बिहार,पटना।	आई0टी0आई0 कॉलेजों में नामांकन से इनकार करने सम्बन्धी।
35.	35/2019	पटना	वादी :- सुश्री रश्मि तिवारी, पटना। प्रतिवादी :- अपर सचिव, (स्थापना) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार।	राजस्व अधिकारीद्व नियुक्ति एवं पदस्थापन के विरूद्व वेतनादि के भुगतान सम्बन्धी
36.	36/2019	पश्चिम चम्पारण	वादी :- श्री विनय बिहारी, विधायक, पश्चिम चम्पारण। प्रतिवादी :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण ।	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के संबंध में।
37.	37/2019	पटना	वादी :- श्री परमेश्वर दयाल प्रभाकर, पटना। प्रतिवादी :- निदेशक,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति,कल्याण विभाग,बिहार,पटना।	आरा में किए गए स्थानान्तरण आदेश को स्थगित करवाने से संबंधित।
38.	38/2019	पटना	वादी :- श्री अनिल कुमार पाण्डेय, सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, पटना। प्रतिवादी :- जिला पदाधिकारी-सह-बन्दोवस्त पदाधिकारी, पटना।	ए0सी0पी0/ एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्राप्त नहीं होने के सम्बन्ध में। अगला पेज : 96

JULY 2019

जुलाई 2019

दिव्यांगों की समस्याओं से गंभीरता से सुने

मरी कटसरी प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस बैठक में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सत्येंद्र कुमार सिंह भी मौजूद थे।

pg-058

दिव्यांगों को मिले आरक्षण का लाभ...

pg-056

सरकारी योजनाओं में 5% लाभ दिव्यांगों...

pg-060

वहीं राज्य स्तर पर 24 घंटे कार्यरत टॉल...

pg-062

इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त...

pg-063

चौसा प्रखंड कार्यालय पहुंचे...

pg-068

आयुक्त ने पांच दिव्यांगजनों को दी...

pg-070

02 | जुलाई | 2019

दिव्यांगों को मिले आरक्षण का लाभ
पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक

जनकल्याणकारी योजनाओं में दिव्यांगों को मिलेगा लाभ

शिवहर जिला

उम्मीद जगी

1632 दिव्यांगता प्रमाण पत्र	82 दिव्यांगता पेंशन
32 छात्रवृत्ति एवं नामांकन	38 दिव्यांगजन राशन कार्ड

निःशक्तता आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार एवं आर्थिक कार्यों के लिए कम दर पर ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग हेतू तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख तक का कम दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दीनदायल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार के साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतू सहयोग और पांच फीसदी आरक्षण के साथ कई अन्य लाभ दिये जायेंगें।

■ **राज्य निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार ने तीन दिवसीय दौरे पर शिवहर पहुंच कर बीडीओ के साथ बैठक**

राज्य निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार तीन दिवसीय दौरे पर शिवहर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शिवहर के तरियानी में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं दिव्यांगजनों के साथ सामूहिक बैठक कर दिव्यांगता के प्रकार की जानकारी देते हुए जिले में शत प्रतिशत निःशक्तता प्रमाण पत्र बनाने पर बल दिया तथा उन्होंने सरकार द्वारा दिव्यांग जनों को मिलने वाली लाभ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों की श्रेणी को बढ़ाकर अब 21 श्रेणी कर दिया गया है। इसमें चलंत संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशीय दुर्विकार, ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, वाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता आदि शामिल हैं। राज्य आयुक्त ने बताया कि सरकार प्रायोजित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में आमजनों को मिलनेवाले लाभ से पांच फीसदी अधिक लाभ दिव्यांग जनों को दी जाएगी। इसके लिए पंचायतस्तर से लेकर राज्यस्तर तक दिव्यांगजनों के साथ एकसमूह का गठन किया जा रहा है, जिसमें दिव्यांगजनों को जीविका हेतू भी कई योजना बनायी गयी है। निःशक्तता आयुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार एवं आर्थिक कार्यों के लिए कम दर पर ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग हेतू तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख तक का कम दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। दीनदायल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार के साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतू सहयोग, जनधन योजना के तहत आर्थिक समावेश का प्रयास, पेट्रोल पंप के आवंटन में दिव्यांग शारीरिक दिव्यांगजनों को पांच फीसदी आरक्षण के साथ कई अन्य लाभ दिये जायेंगें। आयुक्त ने कहा कि आजीविका के लिए संस्थाओं के माध्यम से भी योजनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। दिव्यांगजनों के साथ विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी है। पांच जुलाई को दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई एवं चलंत न्यायालय का आयोजन किया जायेगा। मौके पर सिविल सर्जन धनेश्वर कुमार, डीपीएम पंकज कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी चिंता कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग हेतू तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख तक का कम दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

चलंत संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशीय दुर्विकार, वाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता आदि शामिल हैं।

03 | जुलाई | 2019

अधिकारियों के साथ बैठक

शिवहर जिला

प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में राजय आयुक्त निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार व सहायक निर्देशक, समाजिक सुरक्षा सत्येंद्र कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव में करीब 200 से अधिक दिव्यांगों ने भाग लिया। आयुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार, अधिनियम 2016 की धारा 80 के तहत अधिकारियों को उनसे जुडी समस्याओं के निष्पादन का निर्देश दिया।

डुमरी कटसरी प्रखंड

■ अधिकारियों के साथ बैठक में अधिकारियों को उनसे जुडी समस्याओं के निष्पादन पर चर्चा करते अधिकारीगण

दिव्यांगों का पेंशन रोकने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

पंचायत स्तर पर 18 से 40 वर्ष की व्यक्ति का एक समूह की स्थापना करना है। उस समूह में सभी व्यक्ति पढा होना चाहिए। महीना में दो बार बैठक टोला सेवक, सहायिका, एएनएम, आशा द्वारा की जाएगी और दिव्यांगजन को चिन्हित कर पंचायत सचिव के माध्यम से प्रखंड स्तर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाना है। दिव्यांगजन को सरकारी ट्राई साइकिल, पेंशन के अलावे अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं में 5 प्रतिशत आरक्षण, संविदा पर बहाली आदि कामों में भी प्राथमिकता दी जाएगी।

निःशक्तों की बात नहीं सुनते हैं अधिकारी तो थाने में दर्ज कराएं प्राथमिकी : आयुक्त

बैठक में प्रखंड के विभिन्न गांव से करीब 200 से अधिक दिव्यांगों ने भाग लिया

पंचायत स्तर पर 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति के लिए बनाना है समूह

पंचायत स्तर पर 18 से 40 वर्ष की व्यक्ति का एक समूह की स्थापना करना है। उस समूह में सभी व्यक्ति पढा होना चाहिए। महीना में दो बार बैठक टोला सेवक, सहायिका, एएनएम, आशा द्वारा की जाएगी और दिव्यांगजन को चिन्हित कर पंचायत सचिव के माध्यम से प्रखंड स्तर प्राथमिक स्वास्थ्य

☞ दिव्यांगजन को सरकारी ट्राई साइकिल, पेंशन के अलावे अन्य जनकल्याणकारी योजनाएं में 5 प्रतिशत आरक्षण, संविदा पर बहाली आदि कामों में भी प्राथमिकता दी जाएगी।

250 दिव्यांग शामिल हुये

1500 लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से

335 लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से

05 हजार लोग जानें मीडिया से

अधिकारियों के साथ बैठक

शिवहर जिला

सबका अधिकार

200 दिव्यांग शामिल हुये

300 लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से

3000 से अधिक लोग मीडिया के माध्यम से हुए जागरूक

▪ **राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।**

डुमरी कटसरी प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगों की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस बैठक सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सत्येंद्र कुमार सिंह भी मौजूद थे। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांव से करीब 200 से अधिक दिव्यांगों ने भी भाग लिया। आयुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 के तहत अधिकारियों को उनसे जुड़ी समस्याओं के निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि दिव्यांगता 21 प्रकार की है। उनमें चलंत संबंध,दिव्यांगता मांसपेशीय दुर्विकार ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीडित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण छाती, सुनने में कठिनाई, वाक और भाषा दिव्यांगता, वौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता आदि शामिल है। बैठक में आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों को प्रखंड स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रमाण पत्र बनाया जाना है। अगर यहां पर प्रमाणपत्र नहीं बनता है, वैसे दिव्यांगजन का प्रमाणपत्र, सदर अस्पताल से जारी होगा। कोई निःशक्त व्यक्ति आरपटीपीएस काउंटर पर आवेदन एक से तीन बार करता है, उसके बाद भी विभागीय पदाधिकारी कोई सुधि नहीं लेते है, तो निःशक्त व्यक्ति थाना में जाकर पदाधिकारी के विरुद्ध सनहा लिखा सकता है। उसकी सुनवाई न्यायालय में होगी। निःशक्त व्यक्ति को सुनवाई के दौरान नहीं जाना है, सिर्फ संबंधित पदाधिकारी ही रहेंगे। आयुक्त ने कहा कि पंचातय स्तर पर 18 से 40 वर्ष की व्यक्ति का एक समूह की स्थापना करना है। उस समूह में सभी व्यक्ति पढ़ा होना चाहिए। महीना में दो बार बैठक टोला सेवक, सहायिका, एएनएम, आशा द्वारा की जाएगी और दिव्यांगजन को चिह्नित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाना होगा।

बैठक में आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों को प्रखंड स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रमाण पत्र बनाया जाना है। अगर यहां पर प्रमाणपत्र नहीं बनता है, वैसे दिव्यांगजन का सदर अस्पताल से जरी होगा।

दिव्यांगों के मामले निपटाये गये

05 | जुलाई | 2019

चलंत न्यायालय सक्रिय है सरकार

शिवहर जिला

1898 दिव्यांगता प्रमाण पत्र

345 दिव्यांगता पेंशन

3165 दिव्यांगों ने सुनाया फरियाद

2100 मामलों को निष्पादन

जांच शिविर

■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने समस्याओं का समाधान करते।

गांधी नगर भवन में दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, जिला पदाधिकारी अरशद अजीज, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रामसुजन पांडेय, सिविल सर्जन धनेश कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी अफाक अहमद, पूर्व जिला परिषद सदस्य अजब लाल चौधरी आदि ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान गांधी नगर भवन में दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जांच के बाद दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट दिव्यांगता प्रमाणपत्र दिया गया। सरकार के इस पहल से दिव्यांगों में हर्ष व्याप्त रहा। इस दौरान गांधी भवन में दिव्यांगों की भीड़ उमड़ पड़ी। चिकित्सकों की टीम दिव्यांगों के जांच को सक्रिय रही। दिव्यांगों ने कहा कि जांच व प्रमाणपत्र के लिए कार्यालय का चक्कर लगाने से राहत मिली है। इससे हम सब खुश हैं।

मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दी जानेवाली लाभों के बारे में जानकारी दी तथा कहा कि दिव्यांगजनों का क्षमता एवं विकास करना सरकार की मंशा है, ताकि वह अपने समुदाय एवं समाज के आर्थिक विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकें। जिलाधिकारी अजीज ने सभी प्रकार के औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यवसाय तथा कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के समावेश पर बल दिया। वहीं सहयोग का आश्वासन दिया।

कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ने सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय दिव्यांगता वित्त एवं विकास निगम के द्वारा स्वरोजगार एवं अन्य आर्थिक कार्यों के लिए कम दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चि किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग के लिए तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख रुपये तक का कम दर पर ऋण दिव्यांगों को उलब्ध कराया जाना है। उन्होंने दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण और रोजगार के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान दिव्यांगों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण आर्थिक पुनर्वास में सहायता के बारे में जानकारी दी गयी।

शिवहर-पुपरी

कार्यक्रम . गांधी नगर भवन में चलंत लोक अदालत का किया गया आयोजन

बांटे गये दिव्यांगता प्रमाणपत्र, खिले चेहरे

09 | जुलाई | 2019

सरकारी योजनाओं में 5% लाभ दिव्यांगों को मिलेंगे

खगड़िया जिला

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने परिसदन भवन में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रचार-प्रसार के अभाव में दिव्यांग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे दिव्यांगों को मिलनेवाले लाभ की जानकारी के संबंध में प्रचार प्रसार करें।

राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बताया कि राज्य सरकार 21 तरह के दिव्यांगों की पहचान की है। दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं में पांच प्रतिशत लाभ दिया जाना है। सरकारी सेवा में भी दिव्यांगों का आरक्षण तीन प्रतिशत से बढ़ाकर चार प्रतिशत कर दिया गया है। आयुक्त ने कहा कि दिव्यांग के प्रति उदासीनता बरतने वाले पदाधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की परेशानी का यदि स्थानीय स्तर पर अधिकारी निदान नहीं करते हैं, तो पीड़ित दिव्यांग पावती रसीद के साथ 15-15 दिन के अंतराल पर उन्हें जानकारी देंगे। उसके बाद मामला न्यायालय में चलेगा। जिसमें दोषी पाये जाने पर पदाधिकारियों को 10 हजार जुर्माना एवं कारावास की भी सजा दी जा सकती है।

आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों को इज्जत व सम्मान देना एवं घृणा एवं द्वेष से बचना बहुत जरूरी है। इसके लिए सामान्य सामाजिक दर्जा, सुविधाओं तक पहुंच, शिक्षा को बढ़ावा, रोजगार क्षमता एवं कानूनी क्षमता का पालन जैसे प्रयास तेज करने हैं। आयुक्त ने कहा कि पागल एवं मंदबुद्धि जैसे शब्दों का प्रयोग अपमानजनक है।

- ☞ **दिव्यांगजनों को इज्जत व सम्मान देना एवं घृणा एवं द्वेष से बचना बहुत जरूरी है।**
- ☞ **सामान्य सामाजिक दर्जा, सुविधाओं तक पहुंच, शिक्षा को बढ़ावा, रोजगार क्षमता एवं कानूनी क्षमता का पालन जैसे प्रयास तेज करने हैं।**
- ☞ **पागल एवं मंदबुद्धि जैसे शब्दों का प्रयोग अपमानजनक है।**

▪ निःशक्तता आयुक्त पहुंचे खगडिया, अधिकारियों के साथ की बैठक में उपस्थित हुए फरियादी

☞ दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त सरकारी वकील की व्यवस्था करेगा।
☞ खेलकूद में भी दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दें : डॉ. शिवाजी कुमार

दिव्यांगों के प्रति असंवेदनशील पदाधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी

श्रवण बाधित बच्चों के लिए छह लाख

राज्य आयुक्त ने बताया कि श्रवण बाधित छह वर्ष के बच्चों को भारत सरकार छह लाख खर्च का लाभ देगी। विधिक सेवा प्राधिकार दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त सरकारी वकील की व्यवस्था करेगा। खेलकूद में भी दिव्यांगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। श्रम संशाधन, जीविका, बुनियादी केंद्र आपस में समन्वय बनाकर दिव्यागों को योजनाओं का लाभ मुहैया कराएंगे।

09 | जुलाई | 2019

अधिकारियों के साथ बैठक

खगड़िया जिला

■ अधिकारियों के साथ की बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार.

गांधी नगर भवन में दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनवाई के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया। जिसका उद्घाटन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, जिला पदाधिकारी अरशद अजीज, पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रामसुजन पांडेय, सिविल सर्जन धनेश कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी अफाक अहमद, पूर्व जिला परिषद सदस्य अजब लाल चौधरी आदि ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान गांधी नगर भवन में दिव्यांगता जांच शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें जांच के बाद दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट दिव्यांगता प्रमाणपत्र दिया गया। सरकार के इस पहल से दिव्यांगों में हर्ष व्याप्त रहा। इस दौरान गांधी भवन में दिव्यांगों की भीड़ उमड़ पड़ी। चिकित्सकों की टीम दिव्यांगों के जांच को सक्रिय रही। दिव्यांगों ने कहा कि जांच व प्रमाणपत्र के लिए कार्यालय का चक्कर लगाने से राहत मिली है। इससे हम सब खुश हैं।

मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दी जानेवाली लाभों के बारे में जानकारी दी तथा कहा कि दिव्यांगजनों का क्षमता एवं विकास करना सरकार की मंशा है, ताकि वह अपने समुदाय एवं समाज के आर्थिक विकास में प्रभावी भूमिका निभा सकें। जिलाधिकारी अजीज ने सभी प्रकार के औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यवसाय तथा कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के समावेश पर बल दिया।

वहीं सहयोग का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के दौरान आयुक्त ने सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय दिव्यांगता वित्त एवं विकास निगम के द्वारा स्वरोजगार एवं अन्य आर्थिक कार्यों के लिए कम दर पर ऋण की उपलब्धता सुनिश्चि किया जाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग के लिए तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख रुपये तक का कम दर पर ऋण दिव्यांगों को उलब्ध कराया जाना है। उन्होंने दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण और रोजगार के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान दिव्यांगों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण आर्थिक पुनर्वास में सहायता के बारे में जानकारी दी गयी।

खगड़िया-बेगूसराय-मुंगेर

24 घंटे के अंदर स्टेशन पर दिव्यांगों के लिए खुलेगा काउंटर : राज्य आयुक्त निःशक्तता

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग के लिए तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख रुपये तक का कम दर पर ऋण दिव्यांगों को उलब्ध कराया जाना है।

खगड़िया जिला

1900 दिव्यांगता प्रमाण पत्र

1200 दिव्यांगों ने सुनाया फरियाद

समीक्षा बैठक

10 | जुलाई | 2019

वहीं राज्य स्तर पर 24 घंटे कार्यरत टॉल फ्री नंबर 8448385590 के प्रचार प्रसार का भी निर्देश दिये। **उन्होंने विभागवार समीक्षा करते हुए दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा की।**

▪ दिव्यांगजनों का फरियाद सुनते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार.

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सभी दिव्यांगों को नियमानुसार योजनाओं का समुचित लाभ मिले। अब दिव्यांगता सात से बढ़कर 21 प्रकार हो गया है। यह बातें राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार ने समाहरणालय सभाकक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में बुधवार को अपने संबोधन में कही। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया की दिव्यांगों से संबंधित प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था सभी पीएचसी में करना सुनिश्चित कराने की बात कही। वहीं दिव्यांगों द्वारा आवेदन के समय प्रयुक्त होनेवाले फोटोग्राफ में उनका दिव्यांगता दिखना अनिवार्य नहीं है। वही डीइओ को निर्देश दिया कि सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता दें।

वहीं डीटीओ को निर्देश दिया कि अगर कोई दिव्यांग लाइसेंस के लिए आवेदन करता है तो, उस पर त्वरित कार्रवाई कर प्राथमिकता दें। वहीं राज्य स्तर पर 24 घंटे कार्यरत टॉल फ्री नंबर 8448385590 के प्रचार प्रसार का भी निर्देश दिये। उन्होंने विभागवार समीक्षा करते हुए दिव्यांगों को दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। बैठक में डीएम अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि दिव्यांगों को सशक्त बनाने को लेकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग के लिए तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख रुपये तक के ऋण देने की बात कही। वहीं दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार, जन-धन योजना के तहत आर्थिक समावेश का प्रयास, पेट्रोल पंप के आवंटन में पांच प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था आदि के बारे में भी जानकारी दी। वहीं सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि 31 अगस्त तक अभियान चलाकर दिव्यांगों को हर हाल में प्रमाणपत्र जारी कर दें। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव धीरज कुमाक भास्कर, एसपी मीनू कुमारी, डीडीसी राम निरंजन सिंह, एसडीओ धर्मेंद्र कुमार, सुभाषचंद्र मंडल व अन्य मौजूद थे।आईसीडीएस की पर्यवेक्षिका रिंकी कुमिरी से उन्होंने पूरी जानकारी ली। आयुक्त ने विभिन्न प्रावधान के तहत विभागीय स्तर से निःशक्तजनों को दी जाने वाली सुविधाओं पर बिन्दुवार समीक्षा किया।

संचालित योजनाओं की समीक्षा

चौथम प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर ट्रायसेम भवन में राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। निःशक्त को प्रावधान के तहत दी जाने वाली सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा की गयी।

पांच-पांच दिव्यांगों का समूह बनाएं

निःशक्तता आयुक्त ने दुष्कर्म मामले में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का निर्देश दिया

खगड़िया जिला

518 दिया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र

4000 ने किया आवेदन

जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक

12 | जुलाई | 2019

इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। यह बातें आयोजित चलंत न्यायालय के दौरान राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार ने कही।

▪ दिव्यांगजनों का फरियाद सुनते राज्य निःशक्तता आयुक्त.

रा जिले के निःशक्तों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के उद्देश्य से चार दिवसीय दौरे पर खगड़िया आये राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने समाहरणालय के सभागार में जिले के आला अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों को अपने-अपने पंचायत या क्षेत्र के निःशक्तों की पहचान कर उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने कहा गया। पंचायत स्तर पर निःशक्तों की टीम बनाकर उनकी समस्याओं को सुनने तथा समाधान की बात कही गयी। आयुक्त ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से दिव्यांग एवं निःशक्तों को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचने के लिए विशेष ध्यान देना होगा। डीएम अनिरुद्ध कुमार ने जनप्रतिनिधियों से कहा कि अलग-थलग रह रहे निःशक्तों को मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। सरकार ने निःशक्तों के लिए आरक्षण, रोजगार के लिए विशेष सहायता, मुफ्त ट्रायसाइकिल, अस्पताल, बैंक, रेलवे स्टेशन पर विशेष काउंटर, कौशल विकास एवं रोजगार के लिए कई तरह की सुविधाओं का प्रवाधान किया है। जरूरी है उनके लिए बने नियम का पालन करते हुए निःशक्तों को उनका वाजिब हक दिलाया जाये।

गोगरी व परबत्ता प्रखंड में भी पहुंचे आयुक्त, किया निरीक्षण : निःशक्तता आयुक्त ने गुरुवार को गोगरी एवं परबत्ता प्रखंड में निःशक्तों एवं स्थानीय अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इसमें स्थानीय निःशक्तों को सरकार द्वारा उन्हें दी जाने वाली विशेष सुविधाओं पर चर्चा की गयी। इनके अलावा आयुक्त ने सदर अस्पताल प्रशासन को कई आवश्यक निर्देश दिये। आयुक्त ने सिविल सर्जन व अलग-अलग पीएचसी प्रभारी, आईसीडीएस के सुपरवाइजर, समावेशी शिक्षक व बुनियाद केंद्र के कर्मियों, जिला विधिक प्राधिकार के पीएलवी वॉलेंटियर, शिक्षा अधिकारी एवं निजी स्कूलों के प्रधानों के साथ अलग अलग बैठक की। गोगरी प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार निःशक्तों को समाज के मुख्य आधार में जोड़ने का कार्यक्रम चला रही है।

छह माह की सजा मिलेगी

निःशक्तों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं पहुंचाना एवं उन कानूनों की विस्तार से जानकारी दी जाये। अगर कोई व्यक्ति किसी को लंगड़ा कहता है, तो उसका वीडियो बनाकर सबूत पेश करने पर उस व्यक्ति को छह माह की सजा मिलेगी।

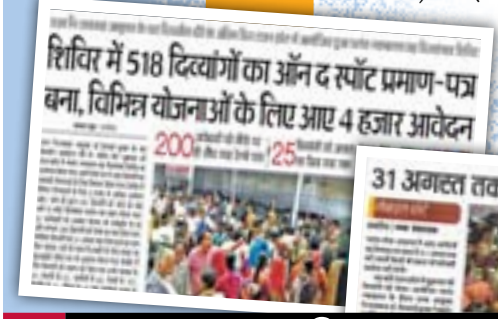

शिविर में 518 दिव्यांगों का ऑन द स्पॉट प्रमाण-पत्र बना, विभिन्न योजनाओं के लिए आए 4 हजार आवेदन

31 अगस्त तक आवेदनों का करें निष्पादन

21 | जुलाई | 2019

खेल बना रहा दिव्यांगों को सुदृढ़

बिहार के दिव्यांगों को खेल सुदृढ़ बना रहा है। तृतीय राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि राज्य के दिव्यांग खिलाड़ी हर मोर्चे पर देश और दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। इसमें राज्य सरकार भी अहम भूमिका निभा रही है। दिव्यांगों को खेल से जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई अहम योजनाएं चलायी जा रही हैं। दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल कोटे में नौकरी भी दी जा रही है। इसके अलावा खिलाड़ी कल्याण कोष से उनकी मदद भी की जा रही है। पिछले कुछ सालों में राज्य के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन कर बिहार का नाम रौशन किया है। ऐसे खिलाड़ियों को सरकार द्वारा राज्य के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। राज्य के पैरालिंपिक कमेटी और बिहार स्पेशल ओलिंपिक सहित तमाम खेल संघों को निर्देश दिया गया है कि वह गांव-गांव जाकर बेहतर प्रतिभा का चयन करें। दिव्यांग खिलाड़ियों को खेल से जोड़ने के लिए सभी अहम प्रयास करें। ताकि उनका भविष्य बेहतर बनाय जा सके।

इसके पूर्व राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी में बिहार की टीम उपविजेता बनी। रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया व रग्बी एसोसिएशन ऑफ बिहार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता में केरल की टीम चैंपियन बनी। पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में रविवार को खेले गये फाइनल मुकाबले में केरल ने बिहार को 22-21 से पराजित किया। केरल से एबिन ने सर्वाधिक 19 गोल किये।

वहीं बिहार की ओर से दीपक ने सर्वाधिक 14 गोल दागे। छत्तीसगढ़ की टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। बिहार के दीपक कुमार और केरल के इविन को बेस्ट स्कोरर का खिताब दिया गया। शैलेश को बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। इंद्रा प्रसाद को उदयीमान खिलाड़ी, प्रवीण कुमार, शाहरुख, सुनील एवं रिया गुप्ता को बेस्ट इनकरेजमेंट का पुरस्कार दिया गया। विजेता व उपविजेता को राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, उपाध्यक्ष लता गुप्ता (व्हील चेयर रग्बी फेडरेशन ऑफ इंडिया) व जापान से आये डेलिगेट ने संयुक्त रूप से ट्रॉफी व मेडल देकर खिलाड़ियों को पुरसकृत किया।

22-21

से पराजित किया पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर स्टेडियम में रविवार को खेले गये फाइनल मुकाबले में केरल ने बिहार को

19

गोल किये एबिन ने

तृतीय राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप में बिहार टीम बनी उपविजेता

दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल कोटे में नौकरी भी दी जा रही है। **पिछले कुछ सालों में राज्य के कुछ खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन कर बिहार का नाम रौशन किया है।**

■ राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी में विजेता ट्रॉफी के साथ केरल की टीम।

बक्सर जिला

452 दिया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र

2600 ने किया शिकायत

23 | जुलाई | 2019 प्रखंडों में भ्रमण

■ चलंत लोक अदालत में शिकायत लेकर पहुंचे दिव्यांगजन

चलंत लोक अदालत में दूर होगी दिव्यांगों की शिकायत

31 अगस्त तक दिव्यांगों के पास हो प्रमाणपत्र

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार बक्सर जिला में चार दिवसीय दौरे पर पहुंचे और विभिन्न प्रखंडों का निरीक्षण भी किया। जिले के अतिथि गृह में संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि वह विगत चार दिनों में दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं का समीक्षा करेंगे। वहीं दौरे के अंतिम दिन चलंत न्यायालय का आयोजन होगा, जिसमें सभी दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुनी जाएगी और जहां तक हो उसका निष्पादन तत्काल करने का प्रयास किया जायेगा। आयुक्त ने बताया कि दिव्यांगों की मदद के लिए सरकार आपके द्वार पर पहुंची है। जिले के सभी प्रखंडों में जाकर दिव्यांगों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर करने के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार की योजनाओं को उनके बीच पहुंचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि आमतौर पर दिव्यांग यह मानते हैं कि उन्हें केवल ट्राइसाइकिल तथा पेंशन ही सरकार से मिलने चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। सरकार उन्हें हर वह सुविधा प्रदान करती है, जो गरीबी उन्मूलन के लिए बनायी गयी है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों की समस्याओं का त्वरित निबटान करने हेतू प्रखंड स्तर पर एक कमेटी बनायी गयी है, जो कि डोर टू डोर जाकर दिव्यांगों की सहायता करेगी। आयुक्त ने बताया कि दिव्यांगों की सहायता के लिए एक टोल फ्री नंबर 8448385590 भी जारी किया गया है। जिस पर वे अपने सवालों का जवाब पा सकते हैं। डॉ. शिवाजी कुमार ने बताया कि सरकार की चाहत है कि दिव्यांगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निदान किया जाये।

चक्की प्रखंड

उन्होंने बताया कि आमतौर पर दिव्यांग यह मानते हैं कि उन्हें केवल ट्राइसाइकिल तथा पेंशन ही सरकार से मिलने चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। सरकार उन्हें हर वह सुविधा प्रदान करती है, जो गरीबी उन्मूलन के लिए बनायी गयी है।

चक्की प्रखंड मुख्यालय पहुंचे आयुक्त ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों के लिए पंचायत स्तर पर एक समूह का गठन हो, जिससे उनके लिए बनायी जा रही लाभकारी योजनाओं का तुरंत फायदा प्राप्त हो। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि अभी सरकार की हर योजना से दिव्यांगों को समुचित सुविधाएं नहीं मिल रही है। इन्होंने समस्याओं के जल्द निदान होने का आश्वासन दिया। बैठक में कई अन्य मौजूद थे।

बक्सर जिला

5% आरक्षण का लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी

हल्के एवं लर्निंग लाइसेंस भी दिये जाते है

- जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस लेने में भी दिव्यांगों को पांच फीसदी आरक्षण दिया जायेगा
- मनरेगा में भी उन्हें पांच प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान है

■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार बैठक करते।

दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर निःशक्तता आयुक्त ने की बैठक

दिव्यांग जनों के लिए डीआरसीसी भवन में आज लगेगी चलंत अदालत, योजनाओं का मिलेगा लाभ

24 | जुलाई | 2019

समीक्षा बैठक

विभिन्न विभागों के जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक

दिव्यांगों के साथ किसी प्रकार का विभेद करना कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन है। इसके लिए सजा का प्रावधन है। जिले के सभी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त ने राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी एक्ट के सभी प्रावधानों की जानकारी विस्तार दी। साथ ही जिले के प्रत्येक पंचायत में पांच-पांच दिव्यांगों का ग्रुप बनवाने की आवश्यकता जतायी। ताकि, उनकी समस्याओं का जल्द निष्पादन हो सके। बैठक में आयुक्त न सभी विभागों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। बैठक में जिले में दिव्यांगजनों को प्रमाणपत्र निर्गत करने की स्थिति दयनीय होने पर राज्य आयुक्त ने सिविल सर्जन एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का आदेश दिया। इस दौरान उन्होंने हर हाल में जिले के सभी दिव्यांगजनों को 31 अगस्त तक प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके लिए सदर अस्पताल के साथ-साथ सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से उन्हें प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए सख्त निर्देश दिया। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार ने बताया कि बैठक में कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग को सर्किट हाउस में अविलंब रैंप बनवाने का आदेश दिया। वहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को दिव्यांगजनों के लिए विशेष शौचालय बनवाने के लिए निर्देशित किया। साथ ही सरकारी विद्यालयों में गंभीर दिव्यांगजनों को सरकारी प्रावधान के अनुरूप सालाना तीन हजार रुपये भुगतान करने का आदेश जारी किया। आयुक्त ने कहा कि सरकारी नौकरियों में दिव्यांगनों को क्षैतिज रूप से

दिव्यांगजनों के लिए प्राइवेट नौकरियों में लाभ का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार दिव्यांगों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन स्तर में सुधार के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सस्ते दर पर ब्याज के अलावा स्वरोजगार के अन्य उपायों पर विमर्श किया जा रहा है।

पांच प्रतिशत का आरक्षण सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार दिया जाना है। वहीं आयुक्त ने कहा कि दिव्यांग चाहें तो कौशल विकास का प्रशिक्षण लेकर स्वंय हुनरमंद बन सकते हैं। यह हूनर उनको स्वरोजगार तथा प्राइवेट नौकरियों में बहुत काम आयेगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए प्राइवेट नौकरियों में लाभ का आवसर मिलेगा। राज्य सरकार दिव्यांगों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन स्तर में सुधार के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को सस्ते दर पर ब्याज के अलावा स्वरोजगार के अन्य उपायों पर विमर्श किया जा रहा है। आयुक्त ने दिव्यांगों से विवाह करने पर एक लाख रुपये की सहायता राशि मिलने की भी जानकारी बैठक में दी। उन्होंने बताया कि अगर दोनों दिव्यांग हैं, तो उन्हें दो लाख रुपये की सरकारी सहायता राशि देने का प्रावधान है। वहीं अगर उनका विवाह अंतरजातीय होता है तो उस परिस्थिति में एक लाख रुपया अतिरिक्त सहायता राशि के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

बक्सर जिला

■ चलंत लोक अदालत में शिकायत लेकर पहुंचे दिव्यांगजन

दिव्यांग चलंत न्यायालय में 3200 शिकायतों की हुई सुनवाई, निशक्तता आयुक्त ने दिलवाया सर्टिफिकेट

अफसरों ने ऑन द स्पॉट दिव्यांगों की समस्याओं का किया समाधान

2243

दिव्यांगजनों का जॉब कार्ड भी 15 अगस्त से पहले खुलवाने का निर्देश पीओ को दिया।

121

यूनिट मनरेगा के तहत वृक्ष लगाने की योजना अगस्त में है।

चलंत न्यायालय

25 | जुलाई | 2019

चौसा प्रखंड कार्यालय पहुंचे राज्य नि:शक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार अधिकारियों और दिव्यांगजनों के साथ बैठक कर सरकार द्वारा दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए चालयी जा रही प्रमुख लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि ऐसा प्रायः देखा जाता है कि दिव्यांग व्यक्ति का प्रमाणपत्र बनवाने के बाद सिर्फ उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि का ही लाभ मिल पाता है। जागरुकता के अभाव में दिव्यांगों को उनका वास्तविक लाभ व अधिकार नहीं मिल पाता है। जिससे दिव्यांगजन को जमीनी स्तर पर सरकारी सहायता का लाभ नहीम लि पाता है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों की सहायता के लिए पेंशन के अलावा दिव्यांग ऋण, आवास योजना, मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना आदि कई प्रकार की योजनाएं चला रखी है। परंतु जागरुकता व जानकारी के अभाव में समाज के वैसे व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।

आयुक्त ने प्रत्येक पंचायत में दिव्यांग शिक्षित व्यक्ति का समूह बनाने का निर्देश दिया। उन्होमने कहा कि ऐसे समूह के लोग गांव-गांव घूमकर अन्य दिव्यांग लोगों की सहायता कर योजनाओं के बारे में जानकारी साझा करेंगे। जिसमें प्रखंड व जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक एक चेन की तरह काम करने वाला संगठन का निर्माण किया जायेगा। जिसमें 18 से 40 वर्ष तक के अलग-अलग दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को सदस्य बनाया जायेगा। समूह गठन के बाद पुलिस से जुड़ा मामला, प्रमाण पत्र बनाने की जानकारी, पेंशन या रेलवे आदि में मिलने वाली सुविधाओं की जनकारी आसानी से दिव्यांगों तक पहुंच जाएगी।

राजपुर प्रखंड मुख्यालय के सभागार में हुई बैठक में बीडीओ अरुण कुमार सिंह ने बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना के तहत राजपुर में कुल 2243 लोगों का पेंशन स्वीकृत होने की जानकारी दी। जिसमें 75 लगों का नाम गलत व अन्य कारणो से पेंशन की राशि नहीं भुगतान होने की बात कही। इसके अलावा बैठक में बताया गया कि 111 दिव्यांगजनों के बीच वितरण ककरने के लिए सामग्री जैसे ट्राइसाइकिल और बैसाखी भी अनुमंडल स्तर पर ुपलब्ध हो गया है। बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब तीन प्रतिशत के बदले पांच प्रतिशत दिव्यांगजनों को दिया जायेगा।

ऑन द स्पॉट स्थलीय निरीक्षण

अगस्त में मनरेगा के तहत वृक्ष लगाने की योजना : इसके अलावा 121 यूनिट मनरेगा के तहत वृक्ष लगाने की योजना अगस्त में है। जिसमें से सभी दिव्यांगजनों को ही वन रक्षा के लिए लक्ष्य रखा गया है। बैठक में राज्य आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार ने प्रखंड के सबी 2243 दिव्यांगजनों का जॉब कार्ड भी 15 अगस्त से पहले खुलवाने का निर्देश पीओ को दिया। इसके अलावा जेएसएस को एक माह के अंदर प्रखंड में सर्वे कराकर सभी दिव्यांगजनों की रिपोर्ट दें। इसके अलावा देवढ़िया पंचायत के वार्ड संख्या पांच के सचिव जो कि पैर से दिव्यांग है, उन्हें समा्नित करने की बात भी कही। बैठक में बीडीओ द्वारा बताया गया कि उक्त दिव्यांग महिला ने जल नल योजना की कार्य को समय से पूर्ण करा दिया है। बैठक में सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक विशाल कुमार व अन्य मौजूद थे।

बक्सर जिला

■ चलंत लोक अदालत में शिकायत लेकर पहुंचे दिव्यांगजन

लोक अदालत में ऑन द स्पॉट निपटाई गई समस्याएं

चलंत न्यायालय

26 | जुलाई | 2019

3200
से अधिक आये आवेदन

1232
से अधिक प्रमाणपत्र मिला

1200
आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आये

500
से अधिक आवेदन पेंशन के लिए आये

900
आवेदन बैंक ऋण के लिए दिव्यांगों ने दिये

शहर के चरित्रवन स्थित जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (डीआरसीसी) में 26 जुलाई को चलंत लोक अदालत का आयोजन हुआ। जिसमें प्राप्त 3200 शिकायतों का निष्पादन किया गया। दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्राप्त वादों की सुनवाई राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने की। दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत चलंत न्यायालय का आयोजन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा किया गया था। जिसका उद्घाटन निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। अतिथियों का स्वागत सिविल सर्जन डॉ. उषा किरण वर्मा एवं मंच संचालन की जिम्मेदारी सदर अनुमंडल पदाधिकारी कृष्ण कुमार उपाध्याय एवं कोषांग के सहायक निदेशक हरिशंकर सिंह ने संयुक्त रूप से किया।

परिवादों की सुनवाई के दौरान निःशक्तता आयुक्त समस्याओं का निदान ऑन द स्पॉट करा रहे थे। इस मौके पर विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार त्रिपाठी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सतीश कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी राम इकबाल राम, बक्सर नप के कार्यपालक पदाधिकारी रोहित कुमार व अन्य मौजूद थे।

दिव्यांगों की समस्याओं से सबंधित विभिन्न विभागों के अलग-अलग कुल 40 काउंटर लगाये गये थे। जहां आयुक्त के निर्देश पर वादों का निपटारा तुरंत किया जा रहा था। दिव्यांगता प्रमाणपत्र निबंधन के लिए बने दस काउंटर पर चिकित्सकों की 80 सदस्यीय टीम तैनात थी। वहीं बैंकों के पांच काउंटरों के अलावा बुनियाद केंद्र की संजीवनी वाहन, डीआरडीए, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला परिवहन विभाग, पुलिस व आइसीडीएस समेत अन्य विभागों के काउंटर बने थे। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक कुल 3200 परिवाद दर्ज किये गये। जिनमें दिव्यांगता प्रमाणपत्र के 1232, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 सौ, राशन कार्ड के पांच सौ तथा नौ सौ मामलों का प्रक्रियाधीन निष्पादन किया गया।

दिव्यांगों की समस्याओं से सबंधित विभिन्न विभागों के अलग-अलग कुल 40 काउंटर लगाये गये थे। जहां आयुक्त के निर्देश पर वादों का निपटारा तुरंत किया जा रहा था। दिव्यांगता प्रमाणपत्र निबंधन के लिए बने दस काउंटर पर चिकित्सकों की 80 सदस्यीय टीम तैनात थी।

रोहतास जिला

- ☞ आयुक्त द्वारा विभिन्न प्रखंडों का दौरा
- ☞ ऑन द स्पॉट दिव्यांगों की हुई सुनवाई एवं हुआ समस्या का समाधान

27 | जुलाई | 2019 समीक्षा बैठक

■ बिक्रमगंज पहुंचने पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार का हुआ स्वागत।

दिव्यांगता की वजह से को घबराना नहीं चाहिए। समाज कल्याण विभाग द्वारा निःशक्तों के लिए कौशल विकास व रोजगार का प्रावधान किया गया है। उन्हें सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने सासाराम प्रखंड के इ-किसान भवन व बिक्रमगंज नगर परिषद सभागार में दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग की समीक्षा बैठक में कहीं।

उन्होंने बारी-बारी से सभी योजनाओं में दिव्यांगों की भूमिका व उनको मिलने वाले लाभ के बारे में जानाकीर ली। दिव्यांगों के प्रति शिक्षा विभाग की उदासीनता पर आयुक्त ने असंतोष जताते हुए एसडीएम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सासाराम प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी स्मृति व बिक्रमगंज एसडीएम विजयंत ने दिव्यांगजनों को औपचारिक व अनौपचारिक व्यवसायिक और कौशल विकास प्रशिक्षण व कार्यक्रमों में दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डाला। कई दिव्यांगों ने समय से पेंशन नहीं मिलने, आवास समेत कई समस्याओं की ओर आयुक्त का ध्यान आकृष्ट कराया। बिक्रमगंज के बाद राज्य आयुक्त दिनारा प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर वहां दिव्यांगजनों के हित के लिए चल रही योजनाओं का जायजा लिया और पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं निःशक्तजनों के साथ बैठक किया। बैठक में दिव्यांगजनों के लिए चालयी जा रही योजनाओं कीजनाकारी दी। पंचायत व प्रखंडस्तर पर निःशक्तजनों, पंचायत प्रतिनिधियों व प्रखंड कर्मियों की कमेटी का गठन कियागया। जो पंचायत में हर 15 दिनों व प्रखंड में महीने में एक बार बैठक कर दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। साथ ही दिव्यांगजन का तत्काल प्रमाणपत्र जारी करने का पीएचसी पदाधिकारियों को निर्देश दिया। बैठक के बाद पांच दिव्यांगजनों राजन पासवान, सुमन कुमार, धनजी कुमार, मिथिलेश सिंह और छोटेलाल को ट्राइसाइकिल दिया गया।

{ पंचायत व प्रखंडस्तर पर निःशक्तजनों, पंचायत प्रतिनिधियों व प्रखंड कर्मियों की कमेटी का गठन कियागया। जो पंचायत में हर 15 दिनों व प्रखंड में महीने में एक बार बैठक कर दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। **साथ ही निःशक्तों का तत्काल प्रमाणपत्र जारी करने का पीएचसी पदाधिकारियों को निर्देश दिया।** }

दिव्यांगों को हर योजना का मिलेगा लाभ

■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार हुये सम्मानित।

☞ दिव्यांग परिवार को दिलाया त्वरीत लाभ

☞ ट्राइसाइकिल, ऑर्थो बेड तत्काल मुहैया कराया

☞ घर मरम्मत और वेस्टर्न टॉयलेट बनाने का दिया निर्देश

28 | जुलाई | 2019

दिव्यांग से मुलाकात

इनके बारे में जानकारी मिलते ही राज्य आयुक्त 28 जुलाई को अपने सभी अधिकारियों के साथ गांव पहुंचे और तत्काल सारी व्यवस्थाएं करायी। आयुक्त को देवमुनी ने अपनी सभी व्यथा सुनायी।

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार अपने कार्यों को लेकर बहुत ही संवेदनशील हैं। इस बात की पुष्टि इससे होती है कि एक अखबार में दिव्यांगों की दयनीय स्थिति की खबर देखने के बाद उनको न्याय दिलाने के लिए उनके घर पहुंच गये। यह वाक्या सासाराम जिले के संझौली प्रखंड के छुलकार गांव की है। इस गांव के देवमुनी सिंह यादव के तीन पुत्र पैरों से दिव्यांग है। बीते सात वर्षों से वह अपने पुत्रों की दवा खुद से करा रहे थे। उन्हें अधिकारियों की शिथिलता से राज्य सरकार की योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जिससे उनकी माली स्थिति बेहद ही खराब हो गयी थी। न रहने को घर और न ही आगे इलाज कराने के पैसे थे। इनके बारे में जानकारी मिलते ही राज्य आयुक्त 28 जुलाई को अपने सभी अधिकारियों के साथ गांव पहुंचे और तत्काल सारी व्यवस्थाएं करायी। मौके पर पहुंचे आयुक्त ने इतनी दयनीय स्थिति में दिव्यांगों को देखकर हतप्रभ हो गये। आयुक्त को देवमुनी ने अपनी सभी व्यथा सुनायी। देवमुनी ने कहा कि हमारा परिवार बीपीएल सूची में आता है। फिर भी प्रशासन की तरफ से हमें कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। आयुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल तीन व्हीलचेयर देने का निर्देश दिया। इसके अलावा घर की मरम्मत करने और डॉक्टरों द्वारा मान्यता प्राप्त तीन बेड तुरंत मुहैया कराने का निर्देश दिया। साथ घर के बगल में वेस्टर्न टॉयलेट बनाने का भी निर्देश दिया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया कि तत्काल स्कूल से सकॉलरशिप इन्हें दिलवाया जाये।

Disability Commissioner visits man who pleaded euthanasia for sons

AUGUST 2019

अगस्त 2019

सम्मान पाकर खिल उठे खिलाड़ियों के चेहरे

बिहार दिव्यांग खेल एकेडमी, पैरालिंपिक कमेटी ऑफ बिहार, बिहार स्पेशल ओलिंपिक और समर्पण के तत्वावधान में स्काडा बिजनेस सेंटर में आयोजित 19वें सम्मान समारोह में हाजीपुर के प्रमोद भगत और जमुई के शैलेश कुमार को खेलरत्न...

pg-082

पारा एथलेटिक्स जूनियर...

pg-073

बिहार देश का पहला राज्य...

pg-075

कई प्रखंडों का लिया जायजा...

pg-076

मोहनिया प्रखंड में बैठक...

pg-077

शिकायतों का हुआ निपटारा...

pg-081

ऑटिज्म पर चर्चा...

pg-084

04 | अगस्त | 2019

पारा एथलेटिक्स जूनियर

यह चैंपियनशिप एक से चार अगस्त के बीच स्विटजरलैंड के नोटविल सिटी में खेला गया। जमुई के रहने वाले हैं। शैलेश का चयन बेंगलुरु में हुए ट्रायल के आधर पर वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप के लिया किया गया था।

बिहार के शैलेश को वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स में स्वर्ण

पटना | स्रोत संवाददाता

स्विट्जरलैंड के नोटविल में चल रहे वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप में बिहार के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीत लिया। बिहार पारा स्पोर्ट्स एसोसिएशन की सचिव सुलेखा कुमारी ने बताया शैलेश ने यह पदक टी-42 के

जूनियर प्रतियोगिता

- स्विट्जरलैंड के नोटविल में आयोजित हुई प्रतियोगिता
- जमुई के रहने वाले हैं शैलेश कैटेगरी टी-42 में जीता पदक

वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप 2019 में बिहार के शैलेश कुमार ने टी-42 केटेगरी (हाई जंप) में गोल्ड मेडल जीतकर अपने राज्य व देश का मान बढाया है। यह चैंपियनशिप एक से चार अगस्त के बीच स्विटजरलैंड के नोटविल सिटी में खेला गया। जमुई के रहने वाले हैं। शैलेश का चयन बेंगलुरु में हुए ट्रायल के आधार पर वर्ल्ड पारा एथलेटिक्स जूनियर चैंपियनशिप के लिया किया गया था। शैलेश के पदक जीतने पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने बधाई दी। साथ ही आगे हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। आयुक्त ने कहा कि शैलेश दिव्यांगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने यहां के दिव्यांगों यह सोचने पर मजबूर किया है कि पेंशन के अलावा दिव्यांगों के पास करने के लिए बहुत कुछ है। अपनी हुनर को राज्य के दिव्यांग पहचानें. जिस क्षेत्र में उन्हें जाना है वह दृढ़संकल्पित होकर उसमें लग जाये। राज्य सरकार उन्हें हर संभव मदद करेगी।

दिव्यांग से शादी करने पर मिलेगा अनुदान, बैठक

नौबतपुर प्रखंड

नौबतपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित मनरेगा भवन में दिव्यांग लोगों के लिए सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को लेकर कमेटी बनाने को बैठक हुई। बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पटना दिलीप कुमार कामत, अवर निर्वाचन पदाधिकारी दानापुर विपिन कुमार, बीडीओ नीरज आनंद व अन्य मौजूद थे। राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। बीडीओ ने कहा कि वे गत दिनों बीडीसी की बैठक में भी इस बात को रखे थे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के शादी-ब्याह में सरकार द्वारा एक-एक लाख रुपये दिये जाने का प्रवाधान है। दो वर्ष के भीतर यदि किसी दिव्यांग की शादी हुई तो वे एक लाख रुपये देने को तैयार हैं। प्रमाणपत्र के साथ आवेदन करें।

08 | अगस्त | 2019

अधिकार की जानकारी

■ दिव्यांगजनों के सुगम्यता का निरीक्षण करते राज्य निःशक्तता आयुक्त।

दिव्यांग विद्यार्थी के नामांकन में कोई भेदभाव नहीं होगा। दिव्यांग छात्र के लिए शौचालय और क्लास रूम की सुविधा के साथ खेल में भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यह शपथ सभी निजी स्कूलों के प्राचार्य ने ली। सामान्य छात्रों की तरह जगह देने का शपथ पत्र भी भरवाया गया। इसका आयोजन बांकीपुर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। दो दिनों के इस कार्यक्रम में पहले दिन सरकारी स्कूल और दूसरे दिन निजी स्कूल के प्राचार्यों ने हिस्सा लिया था। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 लागू होगा। इसके तहत धारा तीन, 16, 17, 18, 31 व 40 को लागू किया जाना है। इन सभी धाराओं के बारे में आयुक्त ने सभी को विस्तार से बताया।

दिव्यांग छात्रों के लिए बनेंगे विशेष शौचालय

आदर्श विद्यालय को दिया व्हील चेयर रखने का निर्देश

1000 हजार दिव्यांग शामिल हुये

1200 लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से

125 सेमिनार में थे शामिल

12 हजार लोग जानें मीडिया से

स्कूलों में दिव्यांग बच्चों यह सुविधाएं मिलेंगी

- ☞ नामांकन लेने आये छात्र नहीं लौटाये जायेंगे, रैंप, व्हील चेयर की सुविधा दी जाएगी
- ☞ जिस कक्षा में दिव्यांग छात्र होंगे, उनकी पढ़ायी नीचे के तल्ले पर होगी
- ☞ शौचालय अलग होगा, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो
- ☞ चेतना सत्र में दिव्यांग छात्रों को अखबार पढ़ने, प्रार्थना करने का मौका मिलेगा
- ☞ घर से स्कूल तक आने-जाने की सुविधा भी दी जाएगी
- ☞ कक्षा का मॉनिटर उन्हें बनाया जायेगा
- ☞ खेल गतिविधियों में शामिल होंगे

13 | अगस्त | 2019

दिव्यांगजन अधिकार विषय पर संगोष्ठी

बिहार देश का पहला राज्य...

549080 दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं

572163 श्रवण बाधित दिव्यांग हैं

70845 मूक बधिर दिव्यांग हैं

369577 अस्थि दिव्यांग हैं राज्य में

89251 मानसिक दिव्यांग

110844 एकाधिक दिव्यांगता

431728 अन्य प्रकार के दिव्यांग

जानकारी के अनुसार राज्य आयुक्त निःशक्तता प्राप्त आवेदन के आधार पर की गयी मांग की उचित माध्यम से जांच करायेंगे और अपनी अनुशंसा समाज कल्याण विभाग या अन्य विभागों को भेजेंगे, ताकि दिव्यांग को सुविधा मिल सके।

सामान्य से इतर सुविधा मांग सकते हैं दिव्यांगजन

बिहार प्रदेश का पहला राज्य बन गया है, जहां दिव्यांगजन राज्य सरकार से अपने जीवन निर्वाह के लिए सामान्य सुविधाओं से इतर अन्य सुविधाओं की मांग कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा (1) को बिहार में लागू कर दिया है। इस संबंध में विभाग के संयुक्त निदेशक (मुख्यालय) विजय रंजन ने आदेश जारी कर दिया है।

इसके साथ ही बिहार देश में दिव्यांगजनों को यह अधिकार देने वाला पहला राज्य हो गया है। इस अधिनियम के तहत दिये गये अधिकार के अनुसार कोई भी नागरिक या संगठन अगर दिव्यांगजन की दीन-हीन व लाचार स्थिति को देखता है और उनके लिए अधिक सहायता प्रदान किये जाने की आवश्यकता महसूस करता है तो वह इसके लिए राज्य सरकार से अनुरोध कर सकता है। उसे इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत राज्य आयुक्त निःशक्तता को इसके लिए अधिकृत किया गया है।

दिव्यांग कोटे की मेडिकल सीटों का फिर से हुआ आवंटन

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पहले राउंड में दिव्यांग कोटे की सीटों पर हुए आवंटन को रिवाइज किया है। इन सीटों पर फिर से आवंटन किया गया है। बीसीइसीइ की ओर से जारी सूचना के अनुसार दिव्यांग कोटे की सीटों पर हुए आवंटन के आधार पर सात से 10 अगस्त तक काउंसिलिंग आयोजित की गयी थी, जिसमें प्रॉस्पेक्ट्स के आधार पर पहले 50 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को सीट मिली। पूर्व के प्रावधान के अनुसार 50 प्रतिशत दिव्यांगता तक सीट आवंटन तथा नामांकन के बाद 40 से 80 प्रतिशत तक की दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों का सीट आवंटन होना था। लेकिन एमसीआइ के संशोधित नोटिफिकेशन के अनुसार दिव्यांगता की सीटों पर 40 से 80 प्रतिशत तक की दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों का सीट आवंटन मेधा सह विकल्प के आधार पर होगा।

17 | अगस्त | 2019

पटना जिला

कई प्रखंडों का लिया जायजा

■ मसौढी के विभिन्न प्रखंडों का नीरीक्षण करते राज्य निःशक्त विभाग के राज्य आयुक्त शिवाजी कुमार व अन्य

जिसमें ब्रेल लिपि मे या कंप्यूटर, लार्ज प्रिंट या उतर पत्रों की रिकॉर्डिंग कर जवाब देने का व्यवस्था परीक्षा लेनेवाले संस्थान को करनी चाहिए। ताकि वे आसानी से जवाब दे सकें।

परीक्षा लेने वाले संस्थानों को कहा गया है कि कंपनसेटरी टाइम 20 मिनट प्रति घंटा से कम नहीं होना चाहिए, खासकर उन्हें जिन्हें लेखक की सुविधा मिली हुई है।

इसके अलावा जिन्हें लेखक की सुविधा नहीं है, उन्हें तीन घंटे की परीक्षा में एक घंटा अतिरिक्त मिलना चाहिए।

सभी एंट्रेंस में मोड चुनने का ज्यादा विकल्प मिलेगा

दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए बदले नियम

ब्रेल, कंप्यूटर, लार्ज प्रिंट, रिकॉर्डिंग मोड में दे सकेंगे परीक्षा, सहयोगी खाली डिवाइस का कर

एक्स्ट्रा नहीं अब मिलेगा कम्पनसेटरी टाइम

जे इइ, नीट, यूजीसी नेट समेत सभी प्रवेश परीक्षाओं में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड इंपावरमेंट भारत सरकार की ओर से प्रवेश परीक्षाओं के लिए गाईडलाइन जारी की गयी है। आनेवाली सभी परीक्षाओं में इसका ख्याल रखा जायेगा। इसके तहत के यूनिफॉर्म नीति बनाने का निर्देश दिया गया है, ताकि नयी तकनीकों के आ जाने के कारण दिव्यांग परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत न हो। नियमित और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग-अलग नियम नहीं बनाये जायेंगे। दिव्यांग परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए कई सारे मोड उपलब्ध कराने को कहा गया है। विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में निर्देश दिया गया है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को जितनी ज्यादा हो सके उतने मोड में परीक्षा देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जिसमें ब्रेल लिपि मे या कंप्यूटर, लार्ज प्रिंट या उतर पत्रों की रिकॉर्डिंग कर जवाब देने का व्यवस्था परीक्षा लेनेवाले संस्थान को करनी चाहिए। ताकि वे आसानी से जवाब दे सकें। परीक्षा लेने वाली बॉडी को तकनीक का उपयोग कर लार्ज प्रिंटस इ-टेक्सट या ब्रेल लिपि को अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषाओं में कन्वर्ट करने की व्यवस्था हो। दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में एक्स्ट्रा टाइम या एडिशनल टाइम टर्म को हटाकर कंपनसेटरी टाइम कर दिया गया है। परीक्षा लेने वाले संस्थानों को कहा गया है कि कंपनसेटरी टाइम 20 मिनट प्रति घंटा से कम नहीं होना चाहिए, खासकर उन्हें जिन्हें लेखक की सुविधा मिली हुई है। इसके अलावा जिन्हें लेखक की सुविधा नहीं है, उन्हें तीन घंटे की परीक्षा में एक घंटा अतिरिक्त मिलना चाहिए। एक घंटे की परीक्षा प्रो डाटा बेसिस पर समय मिले। किसी भी सूरत में पांच मिनट से कम का वक्त नहीं मिलेगा।

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग की छूट

इसके अलावा उन्हें परीक्षा में टॉकिंग कैलकुलेटर (जहां इसकी इजाजत हो), टेलर फ्रेम, ब्रेल स्लेट, अबेकस, ज्योमेट्री किट, ब्रेल मेजरिंग टेप आदि व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के उपयोग की छूट देनी चाहिए। लेखक रखने को लेकर भी निर्देश में बदलाव हुआ है। साथ ही एक दिन पहले परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर की जांच कर देखने की व्यवस्था भी की गयी है।

कैमूर जिला

1711 कुल दिव्यांग हुए चिह्नित

3000 रुपये वार्षिक स्कॉट एलाउंस

मोहनिया प्रखंड में बैठक

19 | अगस्त | 2019

■ राज्य निःशक्तता आयुक्त अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए।

आयुक्त ने बेलौड़ी पंचायत में प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने मोहनिया प्रखंड मुख्यालय के बीआरजीएफ भवन में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों व दिव्यांगों के साथ बैठक की। इसमें आयुक्त ने प्रखंड के दिव्यांगों को मिलने वाली सभी तरह की योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के हितों का ख्याल रखा जाये। सरकारी योजनाओं को उनके पास पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास किये जाये। मनरेगा को लेकर पीओ जितेंद्र कुमार को निर्देश देते हुए आयुक्त ने

> बैठक में आयुक्त ने बताया कि दिव्यांगता 21 प्रकार की होती है। अब तक रिकॉर्ड के अनुसार मोहनियां प्रखंड में पूर्व से 743 दिव्यांगों को चिह्नित किया गया था, **जबकि वर्तमान सर्वे से 968 नये दिव्यांगों की खोज की गयी है। इस तरह प्रखंड में अभी तक 1711 दिव्यांगों का नाम सामने आया है।**

कहा कि मनरेगा के तहत दिये जाने वाले रोजगार में पहली प्राथमिकता दिव्यांगजनों को दी जानी चाहिए। दिव्यांगजनों का जॉब कार्ड बनाकर उनको रोजगार देना सुनिश्चित किया जाये। इस पर मनरेगा पीओ ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर पंचायत के सभी दिव्यांगों को चिह्नित कर उनका जॉब कार्ड निर्गत कर दिया जायेगा। इस पर आयुक्त ने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर दिव्यांगजनों का जॉब कार्ड नहीं निर्गत होता है, तो आप पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी भी व्यक्ति की प्रोन्नति से भी इन्कार नहीं किया जायेगा। सरकारी किसी कर्मचारी को सेवा के दौरान दिव्यांगता से ग्रसित होने पर उसे अविमुक्त या उसके रैंक में कमी नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी दिव्यांगता से ग्रसित होने के बाद उस पद के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता है। जिसमें वह धारित करता है तो समान वेतनमान और सेवा प्रावधानों के साथ किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जायेगा।

बैठक में आयुक्त ने बताया कि दिव्यांगता 21 प्रकार की होती है। अब तक रिकॉर्ड के अनुसार मोहनियां प्रखंड में पूर्व से 743 दिव्यांगों को चिह्नित किया गया था, जबकि वर्तमान सर्वे जो 31 अगस्त तक चलेगा अभी तक 968 नये दिव्यांगों की खोज की गयी है। इस तरह प्रखंड में अभी तक 1711 दिव्यांगों का नाम सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा निर्मित मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का मूल्य 37000 रुपये है। यह राशि सांसद या विधायक द्वारा दी जाती है।

☞ **31 अगस्त तक चलेगा अभी तक 968 नये दिव्यांगों की खोज की गयी है।**

☞ **इस तरह प्रखंड में अभी तक 1711 दिव्यांगों का नाम सामने आया है।**

कैमूर जिला

4%
आरक्षण दिव्यांगजनों को रोजगार में

4%
आरक्षण गरीबी निवारण योजना

- मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना
- मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना
- मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना

19 | अगस्त | 2019 रामगढ़ व दुर्गावती प्रखंड

■ कैमूर जिले में सबकी फरियाद सुनते निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

कैमूर जिले में चलंत न्यायालय के आयोजन से पहले राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार जिले के विभिन्न प्रखंडों में बैठक कर दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की। इस क्रम में वह रामगढ़ पहुंचे और प्रखंड पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों व दिव्यांगों के साथ बैठक की। बैठक में सभी को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि आप सभी दिव्यांग पंचायत स्तर पर बैठक कर एक पंचायत से कम से कम पांच दिव्यांगों का चुनाव करें। इनकी उम्र 18 से 40 वर्ष हो। चुनाव भी ऐसे पांच लोगों का करना है,

बैठक में शामिल एक दिव्यांग ने उपस्थिति पंजी में अपने पैरों से हस्ताक्षर किया। वह दोनों हाथों से दिव्यांग था। इसकी प्रतिभा व हौसला देखकर आयुक्त ने तारीफ की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि इसे जो भी जरुरत अपने जिविकोपार्जन के लिए चाहिए उसे दिया जाये।

जो पढ़े लिखे व तेज-तर्रार हो। उन्हें अपने अधिकार व सरकार से दिव्यांगों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में पूरी जानाकारी हो। वहीं पांच लोग पांचायत स्तर से आपकी मांगों को प्रखंड स्तर तक व प्रखंड से जिला तक आपकी बातों को पहुंचायेंगे। शहर से गांव तक के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों को उनके मूलभूत सभी सुविधाओं को लेकर सरकार गंभीर है। ऐसा भी नहीं कि जो लोग दिव्यांग है। केवल उन्हें ही मदद व रोजगार मिले सरकार द्वारा कई ऐसी योजनाएं हैं, जिसका लाभ लेकर दिव्यांग अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आयुक्त ने एक दिव्यांग से मनरेगा द्वारा मिलने वाले जॉब कार्ड के बारे में पूछा तब महुआरी के दिव्यांग छठु शर्मा व ऊपरी के जयप्रकाश ने बताया कि जॉब कार्ड तो बना है पर अब तक हमें काम नहीं मिला है। आयुक्त ने बीडीओ प्रदीप कुमार को मामले को देखने का निर्देश दिया। आयुक्त ने कहा कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 के अंतर्गत राज्य आयुक्त द्वारा 22 अगस्त को जिला परामर्श केंद्र डीआरसीसी भभुआ (कैमूर) में चलंत अदालत लगाया जायेगा। जहां पर जिले के सभी दिव्यांग अपनी शिकायतों को रख सकते हैं।

दिव्यांगों को दें हर प्रकार की सुविधा : दुर्गावती प्रखंड कार्यालय पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि दिव्यांगों को हर प्रकार की सुविधाएं दें, जो सरकार द्वारा उनके लिए चलायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में दिव्यांगों के सहायत के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलायी जा रही हैं। साथ ही मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया की मनरेगा के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के तहत लाल जॉब कार्ड दिव्यांगों को दिया जाये। गरीब भूमिहीन दिव्यांगों को भूमि संबंधित सुविधा दिलायें। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया की प्रमाणपत्र कम समय में दिव्यांगों को दी जाये।

कैमूर (भभुआ) जिला

3000 से अधिक दिव्यांगजन विभिन्न माध्यमों से कार्यक्रम से जुड़े

01 लाख तक अनुदान मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलता है

5% आरक्षण दिव्यांगजनों को सरकार के विभिन्न योजनाओं में मिलता है

20 | अगस्त | 2019 समीक्षा बैठक

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने चलंत न्यायालय से पहले जिला मुख्यालय के अधिकारियों के साथ समाहरणालय सभागार भवन में बैठक कर दिव्यांजनों के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान आयुक्त ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति में सुधार के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। योजनाओं का लाभ समय से दिव्यांगजनों तक पहुंचाना प्रशासन की जिम्देरी है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकार जनधन योजना के तहत आर्थिक समावेश की व्यवस्था की है। यहां तक कि पेट्रोल पंपों के आवंटन में भी शारिरिक दिव्यांगजनों को पांच प्रथिशत का आरक्षण है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिव्यांगजनों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दी जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भी दिव्यागंजनों को प्रशिक्षण तथा समूह को आर्थिक सहयोग प्रदान भी की जा रही है। आयुक्त ने बताया कि दिव्यांगजनों को सिविल सर्जन द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, समाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक द्वारा दिव्यांगता पेंशन, उपकरण व पुर्नवास की व्यवस्था, पुलिस द्वारा दिव्यांगजनों को प्रताड़ित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई, शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृति एवं स्कूलों में नामांकन कराने, परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराने, कृषि विभाग के द्वारा खाद्य व बीज की व्यवस्था करने, आपूर्ति विभाग द्वारा दिव्यांग महिला-पुरुषों को जनवितरण प्रणाली से संबंधित सेवा मुहैया कराने, डीडीसी द्वारा दिव्यांगजनों को आवास मुहैया कराने एवं बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के द्वारा दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री निःशक्तता स्वरोजगार ऋण योजना के तहत डेढ़ लाख रुपये शिक्षा ऋण देने का प्रवाधान है। उन्होंने संबंधित विभाग के अफसरों से यह कहा कि दिव्यांगजनों तक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय से पहुंचाना होगा। ताकि उनकी आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति में व्यापक बदलाव हो सके। बहुउद्देशीय भवन में दिव्यांगों के साथ बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने पंचायतस्तर पर दिव्यांगों की कमेटी बनाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने का निर्देश दिया। उन्होने चलंत संबंधी दिव्यांगत, मांसपेशीय दुर्विकार, ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क घात, अम्ल हमले से पीडित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने की कठिनाई, वाक व भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रुग्णता, क्रोनिक स्त्राविक स्थिति, बहुल काठिन्य, पार्किन्सन रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल रोग आदि से ग्रसित लोगों को दिव्यांगता की श्रेणी में रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों कल्याण के लिए सरकार कई विभागों के द्वारा योजनाएं चलायी जा रही है। लेकिन दिव्यांग जानकारी के आभाव में योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते है। साथ हीं उन्होंने कहा कि दिव्यांगों की सुविधा के लिए चलंत न्यायालय का गठन किया गया है।

■ कैमूर जिले में समस्या का समाधान करते निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

मांगें नहीं हुईं पूरी, तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे दिव्यांग

कैमूर (भभुआ) जिला

400
रुपये हर माह दी जाये पेंशन

- प्राइवेट संस्थानों में भी दिव्यांगों के लिए बने रैंप
- सार्वजनिक शौचालय का निर्माण दिव्यांगों को ध्यान में रखकर करें
- कैंप में पहुंचने वाले दिव्यांगों को तत्काल जांच कर प्रमाणपत्र की देने व्यवस्था करें

21 | अगस्त | 2019 समीक्षा बैठक

नगर परिषद के सभागार में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने नगरपालिका के पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता नगरपालिका की सभापति उर्मिला देवी ने किया। बैठक में नगर पंचायत मोहनियां के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय उपस्थित थे। पटना से अपनी बुनियादी केंद्र की टीम के साथ पुहंचे आयुक्त ने पार्षदों से निःशक्तजनों के उत्थान में मददगार बनने को कहा। उन्होंने कहा कि निःशक्तजन भी हमलोगों की तरह इंसान हैं। उन्हें भी रोटी, कपड़ा व मकान की आवश्यकता है।

उनकी बुनियादी सुविधाओं के लिए हमलोगों मिल-जुलकर प्रयास करना चाहिए. कहा कि हमलोग की तहत वे भी बाजार में सामान खरीदते हैं. मॉल में जाकर अपनी आवश्यक वस्तुओं को क्रय करते हैं। आयुक्त ने कहा कि बाजार व मॉल में निःशक्तजनों की सुविधा के लिए रैंप की आवश्यकता होगी। उनहोंने कहा बाजार व मॉल का नक्शा पास करने से पहले उसमें रैंप की भी व्यवस्था नगर परिषद को बनवानी चाहिए। उन्होंने निःशक्तजनों के लिए शौचालय आदि के निर्माण की भी बात पार्षदों से की। बैठक में पार्षदों को जानकारी देते हुए आयुक्त ने बताया कि निःश्कतजनों की समस्याओं के निदान के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन हो रहा है। उक्त न्यायालय में इनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारन किया जायेगा। बैठक में बुनियादी केंद्र के जिला प्रबंधक मनोहर पासवान के अलावा जाहिद हुसैन, पवन कुशवाहा के अलावा नगरपालिका की उपसभापति नाहिदा परवीन व सभी वार्डों के वार्ड पार्षद उपस्थित थे।

■ कैमूर जिले में फॉर्म भरते दिव्यांगजन।

सदर अस्पताल का लिया जायजा : राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने सदर अस्पताल पहुंचकर निशक्तजनों को मिलने वाली सुविधा का जायजा लिया। आयुक्त ने सदर अस्पताल के ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड की जांच कर दिव्यांगजनों को काउंटर तक पहुंचने के लिए सुविधा देने का निर्देश सीएस व डीएस डॉ. विनोद कुमार सिंह को दिया। दिव्यांगों के लिए सदर अस्पताल में व्हील चेयर की व्यवस्था बनाने को कहा।

प्रखंडों में कैंप लगाकर दिव्यांगजनों की करें जांच : राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने समाहरणालय सभागार भवन में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में आयुक्त ने सिविल सर्जन डॉ. अरुण कुमार तिवारी को प्रखंडों में शिविर लगाकर दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से करने को कहा। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगता का प्रकार एवं उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी स्वास्थ्य विभाग को विस्तार से बताया। उन्होंने जोर देकर यह कहा कि दिव्यांगजनों का हर हाल में सुविधाओं का ख्याल रखा जाये ताकि उन्हें किसी तरह की कठिनाई नहीं हो सके। उन्होंने कैंप में पहुंचने वाले दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य की डांच कर तत्काल प्रमाणपत्र निर्गत करने की बात भी कही। बैठक में मौजूद चिकित्सकों को उन्होंने दिव्यांगता के दायरे में आनेवाले विभिन्न प्रकार के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कई विषयों को समझाया। आयुक्त ने चिकित्सकों को यह बताया कि यदि दिव्यांगजनों का सहयोग किया जाये, तो वह समाज के मुख्यधारा से जुड़कर अपना नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होने कहा कि हाल ही में बिहार के दिव्यांग प्रमोद को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

निःशक्तजनों के उत्थान में बनें मददगार

22 | अगस्त | 2019

कैमूर (भभुआ)

चलंत न्यायालय

3450 से अधिक दिव्यांगजनों ने दर्ज करायी शिकायत

शिकायतों का हुआ निपटारा

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार के निर्देशन में चलंत आदालत का आयोजन कराया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए आयुक्त ने बताया कि चलंत अदालत में बड़ी संख्या में दिव्यांग आये थे।

▪ कैमूर जिले में समस्या का समाधान करते निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

दिव्यांगजनों के लिए आयोजित कैंप में 1990 दिव्यांगों ने कराया रजिस्ट्रेशन

दिव्यांगजनों को मिलेगी सभी सरकारी सहायता: निःशक्तता आयुक्त

भभुआ मुख्यालय के निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रांगण में जिले में पहली बार राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार के निर्देशन में चलंत अदालत का आयोजन कराया गया। अदालत में दिव्यांगजनों की शिकायतों के निपटारे केलिए सभी विभागों का काउंटर लगाया गया था। चलंत न्यायालय में विभिन्न समस्याओं से संबंधित 1986 परिवादों का निबटारा किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की सभी योजनाओं को दिव्यांगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में पिछले दिनों से लगातार दिव्यांगजनों की समस्याओं से रूबरू हो रहे राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार के निर्देशन में चलंत आदालत का आयोजन कराया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए आयुक्त ने बताया कि चलंत अदालत में बड़ी संख्या में दिव्यांग आये थे। जिनके द्वारा अपनी समस्याओं से संबंधित मामले अदालत के समक्ष रखे गये।

जिसमें मुख्य रूप से दिव्यांग पेंशन नहीं मिलना, प्रमाणपत्र नहीं बनाया जाना, प्रताणित करने,स्वरोजगार के लिए ऋण आदि जैसी विभिन्न समस्याओं से संबंधित परिवाद थे। अदालत में लगभग तीन हजार से अधिक परिवाद आये, जिसमें से 1986 परिवादों का निष्पादन कर लिया गया। अन्य आवेदनों को एक सप्ताह के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। दिव्यांगों का आवेदन प्राप्त करने के लिए लगभग दर्जनभर काउंटर भी बनाये गये थे। इस चलंत अदालत में सरकार के 56 विभाग समस्याओं के निबटारे के लिए समन्वय कर रहे थे। दिव्यांगों के लिए लगाये गये चलंत अदालत में उनके दिव्यांगता की जांच के लिए दर्जन भर से ऊपर चिकित्सकों की टीम भी लगायी गयी थी।

प्रभावित लोगों का व्यापक जांच कराया

जिसमें मूकबधीर से लेकर हाथ पैर से दिव्यांग, नेत्रहीन अथवा मानसिक असमर्थता से प्रभावित लोगों का व्यापक जांच कराया गया। साथ ही अदालत में ही जिन्हें पहले से दिव्यांग प्रमाणपत्र नहीं मिला था, उन्हें दिव्यांग प्रमाणपत्र भी उपलब्ध कराया गया। आयुक्त ने बताया कि जिन दिव्यांगों की जांच की गयी है, उन्हें कृत्रिम अंग या संबंधित उपकरण भी सरकार द्वारा शिविर लगाकर उपलब्ध कराया जायेगा।

28 | अगस्त | 2019

दिव्यांग खेल सम्मान
मेगा इवेंट

सम्मान पाकर खिल उठे खिलाड़ियों के चेहरे

19वें सम्मान समारोह में हाजीपुर के प्रमोद भगत और जमुई के शैलेश कुमार को खेलरत्न सम्मान से नवाजा गया।

170
से अधिक खिलाड़ी हुए सम्मानित

50
से अधिक अन्य क्षेत्र के लोगों को मिला सम्मान

20000
से अधिक लोगों ने देखा

30000
से अधिक लोगों तक पहुंची सूचना

दिव्यांग खेल सम्मान. अतुल को लाइफ टाइम एचीवमेंट अवार्ड

जुमई के शैलेश व हाजीपुर के प्रमोद भगत को मिला खेलरत्न पुरस्कार

■ राज्य का नाम रोशन करने वाले दिव्यांग खिलाड़ी सम्मान के साथ राज्य निःशक्तता आयुक्त व अतिथियों के साथ।

बिहार दिव्यांग खेल एकेडमी, पैरालिंपिक कमेटी ऑफ बिहार, बिहार स्पेशल ओलिंपिक और समर्पण के तत्वावधान में स्काडा बिजनेस सेंटर में आयोजित 19वें सम्मान समारोह में हाजीपुर के प्रमोद भगत और जमुई के शैलेश कुमार को खेलरत्न सम्मान से नवाजा गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अतुल प्रसाद को लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार, ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार, राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, छात्र एवं युवा कल्याण के निदेशक डॉ. संजय सिन्हा ने विभिन्न खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को सम्मानित किया। विशिष्ट अतिथि आइएएस अतुल प्रसाद, जिला खेल पदाधिकारी संजय कुमार थे। समारोह की अध्यक्षता विधायक सह स्पेशल ओलिंपिक बिहार के अध्यक्ष समीर कुमार महासेठ ने किया। सभी अतिथियों का स्वागत पैरालिंपिक कमेटी ऑफ बिहार के खेल निदेशक संदीप कुमार ने किया। मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रमोद ने पिछले वर्ष जकार्ता एशियाड के बैडमिंटन स्पर्धा में एकल में स्वर्ण और युगल में रजत पदक जीता था। इन दोनों के अलावा मुंगेर की अंकिता को अभिमन्यु, कुंदन, प्रवीण, अमन, निशू सुमन, सुदर्शन, नेहा, राधा, राजन, विशाल, सौरव, युवारज, मोहित, पारस, अविनाश, कुणाल, सौरभ राज, फिरदौस को भीम पुरस्कार दिया गया। सुमन, राहुल, साक्षी, रमेश, शेखर, अमन, सुनील, विश्वास, संजय, मेराज, शिशिर, अनुज, मानसी, विकास पांडे, राजकुमार, राजीव, हरिनाथ, अंकित, हरिमोहन, मीरा, धीरज, मिक्कू, रवि, गौरव, सौरभ कुमार, शिवम, राजेश, अफसर, अमीषा, आदित्य, उज्ज्वल, किशन, प्रणव, मंजीत, राजमंगल को आजतशत्रु सम्मान से नवाजा गया।

राज्य आयुक्त ने खिलाड़ियों से बोला

दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कार्य किये जा रहे हैं। उनको खिलाड़ी कल्याण कोष से मदद दी जा रही है। खेल सम्मान दिवस पर उन्हें सम्मानित करने के अलावा नकद राशि भी दी जाती है। हालांकि यह सामान्य खिलाड़ियों के बराबर नहीं है। इस संबंध में खेल मंत्री को दिव्यांग खिलाड़ियों ने बोला है, जिसपर वह विचार कर सामान पुरस्कार राशि करेंगे।

31 | अगस्त | 2019

ऑटिज्म पर चर्चा

■ कार्यक्रम एम्स के मानसिक विभाग द्वारा आयोजित किया गया

अधिकांश बच्चों में अनुवांशिक कारणों से यह बीमारी होती है। कहीं-कहीं पर्यावरण का असर इस बीमारी का कारण बनता है। डॉक्टरों के मुताबिक, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। बच्चे को जीवनभर इस खामी के साथ जीना पड़ता है। **हां, लक्षणों को जरूर कम किया जा सकता है। गर्भावस्था की जटिलताओं के कारण भी बच्चे इसका शिकार बनते हैं।**

पटना एम्स में ऑटिज्म की शीघ्र पहचान और निदान के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम एम्स के मानसिक विभाग द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम एम्स के मानसिक विभाग द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एम्स पटना के निदेशक डॉ प्रभात कुमार सिंह, निःशक्तता आयुक्त बिहार सरकार शिवाजी कुमार, डीन डॉ. नीरज अग्रवाल, चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सीएक सिंह, मानसिक रोग के विभागाध्यक्ष डॉ. पंकज कुमार और बाल रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. लोकेश तिवारी द्वारा किया गया।

ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक दिमागी बीमारी है। इसमें मरीज न तो अपनी बात ठीक से कह पाता है ना ही दूसरों की बात समझ पाता है और न उनसे संवाद स्थापित कर सकता है। यह एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। इसके लक्षण बचपन से ही नजर आ जाते हैं। यदि इन लक्षणों को समय रहते भांप लिया जाए, तो काबू पाया जा सकता है। सामान्य इंसान में दिमाग के अलग-अलग हिस्से एक साथ काम करते हैं, लेकिन ऑटिज्म में ऐसा नहीं होता। यही कारण है कि उनका बर्ताव असामान्य होता है। यदि ठीक से सहायता मिले तो मरीज की काफी मदद हो सकती है।

छोटे बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण : बच्चे हमारी भाषा तो नहीं समझते, लेकिन हाव भाव और इशारों को समझना शुरू कर देते हैं। जिन बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण होते हैं, उनका बर्ताव अलग होता है। वे इन हाव भाव को समझ नहीं पाते या इन पर कोई प्रतीक्रिया नहीं देते हैं। ऐसे बच्चे निष्क्रिय रहते हैं। बच्चा जब बोलने लायक होता है तो साफ नहीं बोल पाता है। उसे दर्द महसूस नहीं होगा। आंखों में रोशन पड़ेगी, कोई छुएगा या आवाज देगा तो वे प्रतीक्रिया नहीं देंगे। थोड़ा बड़ा होने पर ऑटिज्म के मरीज बच्चे अजीब हरकतें करते हैं जैसे पंजों पर चलना।

ऑटिज्म की जल्द पहचान और निदान पर हुई चर्चा

पटना एम्स

1.5 लाख दिव्यांग शामिल हुये

2500 लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से

500 सेमिनार में थे शामिल

25 हजार लोग जानें मीडिया से

SEPTEMBER

सितंबर 2019

चलंत लोक अदालत लगाने से पूर्व राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने गोपालगंज जिले के सभी प्रखंडों का दौरा कर वहां दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं का पिछले तीन वर्षों का जायजा लिया। राज्य निःशक्तता आयुक्त ने जिले के बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली, मांझा और गोपालगंज प्रखंड का जायजा लिया। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत बताया कि वर्ष 2016 तक दिव्यांगों की सात श्रेणी थी, जो बढ़कर 21 हो गयी है।

pg-094

राज्य सरकार ने प्रदेश के वैसे दिव्यांगों को...

pg-086

दिव्यांगों को लाभकारी योजनाओं...

pg-087

सुविधा देने में कोई लापरवाही बर्दाश्त...

pg-088

चीफ द मिशन बन टोक्यो गये आयुक्त...

pg-089

दिव्यांगों को लेकर सरकार चिंतित...

pg-092

एक स्थान पर सबको मिला न्याय...

pg-093

04 | सितंबर | 2019

दिव्यांगों की सहायता सरकार की प्राथमिकता

30 हजार दिव्यांगों को मिलेगी मदद

6243 लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से

393 सेमिनार में थे शामिल

12 हजार लोग जानें मीडिया से

■ दृष्टिवाधित दिव्यांगजनों से मुलाकात करते माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी।

राज्य सरकार ने प्रदेश के वैसे दिव्यांगों को अभिभावक उपलब्ध कराने का फैसला लिया है, जो खुद के बारे में निर्णय लेने में अक्षम होते हैं। अभिभावक दिव्यांग के परिवार से ही कोई एक होंगे। उन्हें यदि दिव्यांग के लिए हिस्से में कोई संपत्ति या ट्रस्ट होगा, तो उसकी देखभाल करने की जवाबदेही होगी। यदि एनजीओ को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो उसे सरकार की ओर से कुछ आर्थिक लाभ मिलेंगे। इस योजना के लिए दिव्यांग अधिनियम धारा 14 के तहत सभी जिलों में उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित होगी। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगों को सुविधा मुहैया करना है और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है।

जब कोई दिव्यांग कमिटी के समक्ष आवेदन करेगा कि उसे कानूनी तौर पर अभिभावक चाहिए, तो उस दिव्यांग के बताये गये परिवार के लोगों में से किसी एक को दिव्यांग के पालन-पोषण की

कानूनी अभिभावक

अक्षम दिव्यांगों को मिलेगा कानूनी तौर पर अभिभावक

संवाददाता ▷ पटना

राज्य सरकार ने प्रदेश के वैसे दिव्यांगों को अभिभावक उपलब्ध कराने का फैसला लिया है, जो खुद के बारे में निर्णय लेने में अक्षम होते हैं. अभिभावक दिव्यांग के परिवार से ही कोई एक होंगे. उन्हें यदि दिव्यांग के हिस्से में कोई संपत्ति या ट्रस्ट होगा, तो उसकी देखभाल करने की जवाबदेही होगी. यदि एनजीओ को यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो उसे सरकार की ओर से कुछ आर्थिक लाभ मिलेंगे. इस योजना के लिए दिव्यांग अधिनियम धारा 14 के तहत सभी जिलों में उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित होगी. सरकार का उद्देश्य दिव्यांगों को सुविधा मुहैया करना है और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना है.

जब कोई दिव्यांग कमिटी के समक्ष आवेदन करेगा कि उसे कानूनी तौर पर अभिभावक चाहिए, तो उस दिव्यांग के बताये गये परिवार के लोगों में से किसी एक को दिव्यांग के पालन-पोषण की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी. लेकिन, इसके पूर्व कमिटी उस व्यक्ति की पूरी छानबीन करेगी. इसके बाद उसे कानूनी तौर पर अभिभावक बनाया जायेगा. कमेटी की ओर से तय किये गये अभिभावक की मॉनीटरिंग भी खुद कमेटी करेगी. इसमें पुलिस की भी सहायता ली जाएगी. जब कभी अभिभावक की शिकायत मिलेगी, तो उस अभिभावक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

कमेटी में ये होंगे शामिल : उपविकास आयुक्त (अध्यक्ष), सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार (सचिव), सिविल सर्जन (सदस्य), सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई (सदस्य) एवं सहायक निदेशक,जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण (सदस्य सचिव) होंगे.

कमेटी में ये होंगे शामिल

उपविकास आयुक्त (अध्यक्ष), सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार (सचिव), सिविल सर्जन (सदस्य), सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई (सदस्य) एवं सहायक निदेशक,जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण (सदस्य सचिव) होंगे।

पटना जिला

05 | सितंबर | 2019

प्रखंडों में कार्यक्रम

दिव्यांगों को लाभकारी योजनाओं के लिए परेशान नहीं करें : आयुक्त

दुल्हिनबाजार प्रखंड कार्यालय में दिव्यांगजनों के लिए एकदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने प्रखंड के अधिकारियों एवं विकास मित्रों से दिव्यांगों को निःशक्तता पेंशन, राशन, मनरेगा, कृषि, प्रधानमंत्री आवास समेत मिलने वाली अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि दिव्यांगों को लाभकारी योजनाओं के लिए दौड़ा नहीं जाये। उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के 14 पंचायतों में दिव्यांगजन समूह का चयन करवाया। उन्होंने बीडीओ से अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग खिलाड़ी धीरज कुमार को प्रखंड स्तर पर सम्मानित करवाने को कहा। इस मौके पर सीओ राजीव कुमार, जीविका प्रखंड समन्वयक सुनंदा, सीडीपीओ वीणा कुमारी सहित अन्य प्रखंड अधिकारी व दिव्यांगजन मौजूद थे।

1220
दिव्यांगता प्रमाण पत्र

452
दिव्यांगता पेंशन

20
छात्रवृत्ति एवं नामांकन

40
दिव्यांगजन राशन कार्ड

■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगजनों की समस्या का समाधान करते हुये।

दिव्यांगों को निःशक्तता पेंशन, राशन, मनरेगा, कृषि, प्रधानमंत्री आवास समेत मिलने वाली अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

दिव्यांगों के लिए चलने वाली योजनाओं को जमीन पर उतारें

पटना. बिहार में दिव्यांगजनों के लिये सरकार केंद्र व राज्य सरकार की कई योजनाएं चल रही है. सभी योजनाओं का लाभ दिव्यांगों को नियमित मिले. इसके लिये जरूरी है कि दिव्यांग संबंधी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाये. ये बातें समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने दिव्यांग सलाहकार समिति की बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को विशेष शिक्षा मिले।

योजनाओं को जमीन पर उतारें : मंत्री

बिहार में दिव्यांगजनों के लिए केंद्र व राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। सभी योजनाओं का लाभ दिव्यांगों को नियमित मिले। इसके लिए जरूरी है कि दिव्यांग संबंधी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाये। ये बातें समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने दिव्यांग सलाहकार समिति की बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को विशेष शिक्षा मिले।

पटना जिला के विभिन्न प्रखंडों में हुई सुनवाई

1234
दिव्यांगता प्रमाण पत्र

155
दिव्यांगता पेंशन

40
छात्रवृत्ति एवं नामांकन

45
दिव्यांगजन राशन कार्ड

▪ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगजनों की समस्या की सुनवाई करते हुये।

07 | सितंबर | 2019

चलंत न्यायलय

सुविधा देने में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं

दिव्यांगों को सरकार की हर योजना को लाभ देना है, साथ ही इन लोगों की समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निबटारा व समाधान करना है.

इसके लिए हम कटिबद्ध है. यह बात बुधवार को बिहार राज्य निःशक्तता के आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार ने कहीं. उन्होंने कहा कि जागरूकता के अभाव में अधिकतर दिव्यांग सरकारी सेवा का लाभ नहीं ले पाते हैं, जो निंदनीय है. योजना की लाभ देने के लिए सारी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अधिकारी की होती है पर जागरूकता के अभाव में दिव्यांगों की सरकारी सेवा नदारद हो जाती है. पर अब ऐसा नहीं होगा. नये नियम के तहत हर दिव्यांगों की सरकारी सेवा दी जाएगी.

समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निबटारा किया जायेगा.

उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए एक हेल्पलाईन जारी किया जा रहा है. इस हेल्पलाईन पर कभी भी दिव्यांग पर समस्या को बता सकते है. शीघ्र ही हेल्पलाइन नंबर जारी होगा.

> इस योजना के लिए दिव्यांग अधिनियम धारा 4 के तहत सभी **जिलों में उपविकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी.**

किसी भी समस्या का होगा ऑन द स्पॉट निबटारा

बिहार राज्य निःशक्तता के आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों की किसी भी प्रकार की समस्याओं को ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जायेगा उन्होंने कहा कि इस चलंत लोक अदालत के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांगजनों के अधिकारियों के संरक्षण व समस्याओं का समाधान के लिए उक्त कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है.

11 | सितंबर | 2019

अंतर्राष्ट्रीय पैरा-ओलिंपिक सेमिनार

टोक्यो से लौटने के बाद राज्य आयुक्त ने कहा कि जापान सरकार और अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक कमेटी द्वारा सभी तैयारियों दिव्यांगों को ख्याल में रखकर की गयी हैं। वहां की व्यवस्था देखकर यह लगता है कि हमारे खिलाड़ी पूरी तरह से यहां पर एडजस्ट कर पायेंगे। दिव्यांगों को लेकर स्टेडियम के अंदर और बाहर सभी व्यवस्था बेहतर की गयी है।

■ टोक्यो में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

चीफ द मिशन बन टोक्यो गये आयुक्त

400 से अधिक विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

- दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए तैयार किया बेहतर स्टेडियम व ग्राउंड
- आयुक्त ने कुछ चीजों को लेकर वहां की कमेटी को दिये सुझाव

टोक्यो (जापान) में 2020 ओलिंपिक व पैरालिंपिक की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके लिए आठ से 13 सितंबर तक पूरे विश्व के चीफ द मिशन का सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने किया। इस सेमिनार में पूरे विश्व से 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस तीन दिवसीय सेमिनार में खेल स्थल, ओलिंपिक विलेज, आवास, खाद्य और पेय पदार्थ, लॉजिस्टिक्स, आगमन विभाग, परिवहन, प्रत्यायन, खेल प्रवेश, एनओसी सेवा, दिव्यांगजन और पैरालिंपियन के लिए सुलभ स्थल, टिकटिंग, ब्रांड प्रोटेक्शन, सेरेमनी, जापानी कल्चर एंड लॉज, मेडिकल सर्विसेज और एंटी डोपिंग की तैयारियों पर समीक्षा, प्रस्तुतिकरण पर चर्चा हुई।

टोक्यो से लौटने के बाद राज्य आयुक्त ने कहा कि जापान सरकार और अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक कमेटी द्वारा सभी तैयारियों दिव्यांगों को ख्याल में रखकर की गयी हैं। वहां की व्यवस्था देखकर यह लगता है कि हमारे खिलाड़ी पूरी तरह से यहां पर एडजस्ट कर पायेंगे। दिव्यांगों को लेकर स्टेडियम के अंदर और बाहर सभी व्यवस्था बेहतर

की गयी है। आयुक्त ने कुछ चीजों को लेकर वहां की कमेटी को सुझाव दिये, जिसमें बदलाव करने का आश्वासन भी दिया गया. भारतीय खिलाड़ियों के लिए अलग से खाने-पीने की व्यवस्था भी गयी है।

18 | सितंबर | 2019

समीक्षा बैठक
पूर्वी चंपारण

■ प्रखंड अधिकारियों और दिव्यांगों के साथ बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण व रोजगार और पेट्रोल पंप आवंटन में शारीरिक दिव्यांगजन को पांच प्रतिशत आरक्षण व चार प्रतिशत पीडीएस लाइसेंस दिव्यांगजन को निर्गत किया जाना है। **उसी प्रकार दिव्यांगजन को सारथी योजनाअंतर्गत निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप वाहन लाइसेंस निर्गत किया जाना अनिवार्य है।**

दिव्यांगों को मिले आरक्षण का लाभ

दिव्यांगजन के उत्थान व सहायता के लिए विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। अनुमंडल स्तर पर संचालित बुनियादी केंद्र व बुनियादी संजीवनी सेवा के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रवाधना है। सभी संबंधित विभाग इस संबंध में रिपोर्ट उपलब्ध करायें। यह निर्देश राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने राधाकृष्णन भवन में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लेकर आयोजित समीक्षात्मक बैठक में दिया। आयुक्त ने कहा कि सभी प्रशिक्षण योजनाओं में दिव्यांगजन के लिए पांच प्रतिशत व नौकरी में चार प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग के लिए तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख रुपये तक का कम दर पर ऋण का प्रावधान है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण व रोजगार और पेट्रोल पंप आवंटन में शारीरिक दिव्यांगजन को पांच प्रतिशत आरक्षण व चार प्रतिशत पीडीएस लाइसेंस दिव्यांगजन को निर्गत किया जाना है। उसी प्रकार दिव्यांगजन को सारथी योजनाअंतर्गत निर्धारित प्रतिशत के अनुरूप वाहन लाइसेंस निर्गत किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारियों व जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। दिव्यांगजन अधिकारी अधिनियम 2016 के अंतर्गत 21 प्रकार के दिव्यांगता के संबंध में जानकारी दी गयी। कहा कि दिव्यांगजन प्रतिभा के धनी होते हैं। उनको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, इस दिशा में कार्रवाई का निर्देश दिया.

दिव्यांग को दिलाएं योजनाओं का लाभ

300
से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा

20000
सोशल मीडिया से जुड़े

128
बैठक में थे शामिल

15000
लोग जानें मीडिया से

18 | सितंबर | 2019

प्रखंडों का निरीक्षण / पूर्वी चंपारण

योजनाओं की समीक्षा

300 दिव्यांगों ने लिया हिस्सा

21 प्रकार के दिव्यांगों को देना है प्रमाणपत्र

शिविर लगाकर दिव्यांगों के बीच बांटे प्रमाणपत्र

पंचायत स्तर पर दिव्यांगों के लिए कमेटी गठन करने में मदद करें

दिव्यांगजन के बीच ट्राइसाइकिल व बैसाखी का भी वितरण करने को कहा। बीडीओ से ऐसे लोगों को योजनाओं का लाभ ससमय दिलाने के लिए प्रयासरत रहने को कहा।

■ पूर्वी चंपारण के एक प्रखंड मुख्यालय में बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

दिव्यांगजन होते हैं अद्वितीय प्रतिभा के धनी, जीवन के हर क्षेत्र में किया है उल्लेखनीय योगदान : डॉ. शिवाजी

रक्सौल प्रखंड

दिव्यांगजनों की अनदेखी नहीं करें। इन्हें हरसंभव मदद करने की जरुरत है। उक्त बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने रक्सौल प्रखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहीं। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा ऐसे लोगों के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। इनका लाभ इन्हें मिलना चाहिए। लेकिन कुछ अधिकारियों की निष्क्रियता से ऐसे लोग या तो इस योजना से वंचित रह जाते है या फिर ससमय इन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। बीडीओ प्रशांत को इन लोगों की संख्या को लेकर स्पेशल सर्वे कराने का निर्देश दिया। दिव्यांगजन के बीच ट्राइसाइकिल व बैसाखी का भी वितरण करने को कहा। बीडीओ से ऐसे लोगों को योजनाओं का लाभ ससमय दिलाने के लिए प्रयासरत रहने को कहा। पीएससी प्रभारी डॉ. शरतचंद्र शर्मा को निर्देश दिया कि दिव्यांगजन को प्रमाणपत्र के लिए स्वास्थ्य केंद्र का चक्कर नहीं लगाना पड़े। एक शिविर लगाकर प्रमाणपत्र दें। ताकि इनलोगों को योजनाओं का लाभ ससमय मिल सके। मनरेगा पीओ गौरव से पूछा कि आपने कितने दिव्यांगजन को जॉब कार्ड बनवाया है। इसकी रिपोर्ट अविलंब देने का निर्देश दिया। वहीं प्रयास संस्था के स्वयंसेवकों से इस कार्य में सरकारी तंत्र को मदद करने को कहा। मौके पर जेएसएस मिथिलेश कुमार मेहता, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अरविंद कुमार, प्रयास संस्था की आरती कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

दिव्यांगजन को हक दिलाना पहली प्राथमिकता : निःशक्तता आयुक्त

राज्य निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार ने कहा कि तीन दिसंबर अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर राज्यस्तर के 50 हजार दिव्यांगों को उनका हक दिलवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। कहा कि सरकार ने कानून में बदलाव कर प्राथमिकता के तौर पर दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगों को उनके हक और अधिकार के प्रति जागरुक करने का बीड़ा उठाया है। दिव्यांगता को कुल 21 श्रेणी में रखा गया है।

महेसी प्रखंड का दौरा

19 | सितंबर | 2019

जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक / पूर्वी चंपारण

दिव्यांगों को लेकर सरकार चिंतित

■ पूर्वी चंपारण के एक प्रखंड मुख्यालय में बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

500
से अधिक दिव्यांगों ने लिया हिस्सा

1500
रुपये पेंशन देने की उठी मांग

- भूमिहीन दिव्यांगों को चिह्नित कर दें पांच डिसमिल जमीन
- बैंक घर जाकर पहुंचाये पेंशन की राशि
- दिव्यांगों को 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा की करें व्यवस्था

उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को नियत समय के अंदर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड में 679 दिव्यांजनों को पेंशन तथा 86 दिव्यांगजन को आवास की सुविधा दी गयी है।

दिव्यांगों को लेकर राज्य व केन्द्र है चिंतित

दिव्यांगों के लिए राज्य व केंद्र सरकार चिंतित है। इनकी सुविधा को लेकर संचालित कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों की भूमिका अव्वल है। यह बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में कहीं। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष प्रियंका जायसवाल ने निःशक्तता आयुक्त से आग्रह किया कि दिव्यांगों के पेंशन की राशि को कम से कम 15 सौ रुपये मासिक करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजकर इसे लागू कराया जाये। आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि संसदीय पैनल ने दिव्यांजनों के लिए मौजूदा योजनाओं में सुधार और इसे और बेहतर करने की सिफारिश सरकार को की है। केंद्र सरकार ने नयी प्रकार की अक्षमताओं को इस श्रेणी में शामिल किया है। इनके लिए छह से 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। मौके पर जिप उपाध्यक्ष कमलेश्वर सिंह, पूर्व विधायक पवन जायसवाल, नप की मुख्य पार्षद अंजू देवी आदि उपस्थित थे।

बैठक के बाद पकड़ीदयाल पहुंचे आयुक्त ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में सरकार द्वारा दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए उठाये गये कदमों को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को नियत समय के अंदर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। बीडीओ सूरज कुमार ने बताया कि अभी तक प्रखंड में 679 दिव्यांजनों को पेंशन तथा 86 दिव्यांगजन को आवास की सुविधा दी गयी है।

एडवोकेसी बैठक

पताही प्रखंड का निरीक्षण

पताही प्रखंड मुख्यालय पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगजन को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने शिविर लगाकर दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब बैंक दिव्यांगजन के घर जाकर पेंशन की राशि का भुगता करेगा। इसके लिए उन्होंने बीडीओ मनोज कुमार को बैंक को पत्र भेज सूचित करने का निर्देश दिया। साथ भूमिहीन दिव्यांगजन को चिह्नित कर पांच डिसमिल जमीन देने का निर्देश भी दिया।

20 | सितंबर | 2019

चलंत न्यायालय / पूर्वी चंपारण

एक स्थान पर सबको मिला न्याय

450 से अधिक दिव्यांगजनों ने चलंत लोक अदालत में दर्ज कराया परिवाद

1203 से अधिक को ऑन द स्पॉट मिला दिव्यांगता प्रमाणपत्र

दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाने के लिए उपलब्ध करायें समान अवसर

उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों को नियत समय के अंदर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड में 679 दिव्यांजनों को पेंशन तथा 86 दिव्यांगजन को आवास की सुविधा दी गयी है।

■ पूर्वी चंपारण के एक प्रखंड मुख्यालय में बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

मो तिहारी के नगर भवन परिसर में शुक्रवार को दिव्यांगों की समस्याओं के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, ढाका सीडीपीओ कुमारी आलोका, रक्सौल की जयमाला कुमारी, आदापुर की रिया कुमारी व अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान दिव्यांगों की शिकायतों, दिव्यांगों का प्रमाणीकरण सहित उनके अधिकार से संबंधित बातों के बारे में उन्हें जागरुक किया गया व उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुआ निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार ने कहा कि आयोग का मकसद है कि समाज में पल बढ़ रहे निःशक्त लोगों को उनका वाजिब हक मिले, इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। परंतु जानकारी नहीं होने क कारण उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। आयुक्त ने कहा कि चलंत न्यायालय में दिव्यांगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जा रहा है। कुछ ऐसी भी समस्याएं, जिनका तत्काल निराकरण संभव नहीं है. उन समस्याओं के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय संबंधित अधिकारियों को दिया जा रहा है।

दिव्यांग भी समाज के अंग है, उन्हें मुख्यधारा में लाने तथा उन्हें समान अवसर व अधिकार देने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है। लेकिन इस सुविधा का वे हकदार तब हैं, जब उनके पास दिव्यांग होने का प्रमाणपत्र हो। इसलिए न्यायालय के माध्यम से एक ही छत के नीचे ऐसी व्यवस्था की गयी है।

चार हजार दिव्यांगों का पंजीकरण, एक हजार को मिला प्रमाणपत्र

8 अलग-अलग काउंटर बनाये

यहां निशक्त लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के साथ प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। ताकि उनकी जांच कर दिव्यांगों को प्रमाणपत्र हाथों-हाथ दिया जा सके। इस प्रमाणपत्र के आधार पर इन्हें लाभ मिल सके। चलंत लोक अदालत में पंजीयन के लिए 8 अलग-अलग काउंटर बनाये गये थे। वहीं दिव्यांगों के लिए सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से संबंधित विभागों का भी अलग काउंटर स्थापित किया गया था।

गोपालगंज जिला

24 | सितंबर | 2019 प्रखंडों का दौरा

1000000 रुपये तक स्वरोजगार के लिए मिलता है ऋण

280 से अधिक दिव्यांगों ने लिया हिस्सा

चलंत लोक अदालत लगाने से पूर्व राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने गोपालगंज जिले के सभी प्रखंडों का दौरा कर वहां दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं का पिछले तीन वर्षों का जायजा लिया। राज्य निःशक्तता आयुक्त ने जिले के बैकुंठपुर, सिधवलिया, बरौली, मांझा और गोपालगंज प्रखंड का जायजा लिया। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत बताया कि वर्ष 1995 तक दिव्यांगों की सात श्रेणी थी, जो बढ़कर 21 हो गयी है। सभी 21 प्रकार के दिव्यांगों को उनका हक दिलाना है। दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर आगामी 27 सितंबर को जिला मुख्यालय में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया है। वहां पर दिव्यांगजनों के पेंशन, आवास, रोजगार, ऋण सहित अन्य समस्याओं का निदान किया जायेगा। अब दिव्यांगजनों को नये प्रपत्र में दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी दिया जायेगा। उनकी समस्याओं का निराकरण उनके घर पर पहुंचकर पंचायत स्तरीय समूह करेगी। इनको लेकर पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर समिति का गठन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वरोजगार के लिए 25 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण कम ब्याज पर देने का प्रवधान है।

दिव्यांगजन समूह का किया गठन

फुलवरिया पहुंच कर आयुक्त ने दिव्यांगजनों के समूह का गठन किया। प्रधान सहायक रवींद्र सिंह ने बताया कि इसमें सभी पंचायत में पांच-पांच संख्या में दिव्यांगजनों का एक समूह का गठन किया गया। इस समूह में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के आयु के कम से कम पांच सदस्य होने अनिवार्य हैं। बैठक में पंचायत सचिव शिवजी प्रसाद व अन्य लोग मौजूद थे। बरौली प्रखंड पहुंचे आयुक्त ने दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं का निरीक्षण किया. साथ ही वहां के बीडीओ को कहा कि 27 को जिला मुख्यालय में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया है. जिसमें दिव्यांगों के सभी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। अपने प्रखंड के सभी दिव्यांगों को इसके बारे में सूचित कर दें। ताकि वह अपनी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकें। मौके पर नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी सपना सिंह और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।

- पंचायत स्तर पर हुआ दिव्यांग समूहों का गठन
- पंचायत स्तरीय कमेटी घर पहुंचकर दिव्यांगों की समस्याओं का करेगी निराकरण
- 21 श्रेणी में अब दिव्यांगों को मिलेगा प्रमाणपत्र

▪ दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल देते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार

दिव्यांगों की समस्याओं को ले लगेगी चलंत लोक अदालत

27 सितंबर को आयोजन पंचायत स्तर पर भी होगी सुनवाई

का धरना

वहां पर दिव्यांगजनों के पेंशन, आवास, रोजगार, ऋण सहित अन्य समस्याओं का निदान किया जायेगा। अब दिव्यांगजनों को नये प्रपत्र में दिव्यांगता प्रमाणपत्र भी दिया जायेगा। **उनकी समस्याओं का निराकरण उनके घर पर पहुंचकर पंचायत स्तरीय समूह करेगी।**

गोपालगंज जिला

320 से अधिक ने बैठकों में लिया हिस्सा

- दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं में लायें गति
- दिव्यांगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बैंक आगे आयें
- सभी सरकारी व प्राइवेट भवनों में दिव्यांगों के लिए बने रैंप

समीक्षा बैठक

25 | सितंबर | 2019

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार ने जिले के विजयीपुर, भोरे, कटेया प्रखंडों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत स्तर पर दिव्यांगजन समूह का गठन कराया। दिव्यांगजनों के हित के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं की स्थिति से अवगत हुए। इतनी ही नहीं दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं में त्वरित गति लाये जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। जबकि दोपहर में जिला मुख्यालय में जिलास्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सामान अधिकार दिया जाये। नौकरी से लेकर अन्य कार्यों में दिव्यांगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराया जाये। उन्होंने दिव्यांगों को स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इतना ही नहीं दिव्यांगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर समुदायिक भवन, दुकान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि का निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों में दिव्यांगों को आनेजाने के लिए रैंप बनाया जाये। वहीं सुलभ शौचालय का निर्माण दिव्यांगों को ध्यान में रखकर कराया जाये। आयुक्त के साथ बैठक में वरीय उपसमाहर्ता अनंत कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। उपविकास आयुक्त सज्जन आर, श्रम अधीक्षक मनोज कुमार दुबे, वरीय उपसमाहर्ता नेहा कुमारी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मो इरफान, जिला पंचायत राज पदाधिकारी बृज किशोर सिंह व अन्य मौजूद थे।

आयोजन • पंचदेवरी में दिव्यांग आयुक्त की अनुपस्थिति में बीडीओ ने की समीक्षा बैठक और कर्मचारियों को दिए निर्देश

दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए सरकार देगी हर तरह की सहायता

दिव्यांगों के गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए स्थानीय स्तर पर बनेगी टीम

पंचदेवरी में दिव्यांगजनों की बैठक करते बीडीओ

■ अधिकारियों के साथ बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त

दिव्यांगों को दी गयी ट्राइसाइकिल

थावे प्रखंड पहुंचकर राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बैठक की। बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया की दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं को उन तक हर हाल में पहुंचाया जाये। वैसे दिव्यांगों को तलाश कर लाभ पहुंचाये, जिन्हें अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। मौके पर आयुक्त द्वारा सेमरा पंचायत के सुंदर पटी गांव के बिट्टु सिंह व धतिवाना पंचायत के प्यारेपुर गांव के प्रमोद कुमार पाठक को ट्राइसाइकिल प्रदान किया गया। बैठक के दौरान बीडीओ सुमन सिंह, प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉ. संजय कुमार सिंह, आकाश सिंह व अन्य लोग मौजूद थे।

उन्होंने दिव्यांगों को स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर बैंक प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इतना ही नहीं दिव्यांगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर समुदायिक भवन, दुकान रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि का निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिया।

गोपालगंज जिला

4000
से अधिक दिव्यांगों ने दिया आवेदन

1007
दिव्यांग का ऑन द स्पॉट मिला प्रमाण्पत्र

30300
से अधिक लोग जुड़े ऑनलाइन

25000
लोग मीडिया के माध्यम से जुड़े

चलंत न्यायालय

27 | सितंबर | 2019

■ दिव्यांगजन अपनी समस्या को सुनते हुये।

दिव्यांगों की समस्याओं का हुआ निपटारा

आं बेडकर भवन में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तत्वावधान में जिले के दिव्यांगजनो के लिए चलंत लोक अदालत का आयोजन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की देखरेख में हुआ। लोक अदालत में जिले के सभी प्रखंडों व शहरी क्षेत्रों से आये दिव्यांगजनों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा आंबेडकर भवन परिसर में सभी विभागों के काउंटर लगाये गये थे। यहां अधिकारियों ने दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनीं। वहीं जो समस्याएं ऑन द स्पॉट निष्पादित नहीं की जा सकीं, उनके समाधान के लिए संबंधित विभाग को एक महीने के कार्यदिवस में निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। अदालत को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी काफी अलर्ट दिखे। वरीय उप समाहर्ता पिंकी कुमारी व अनंत कुमार सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी अदालत में उपस्थित थे।

> लोक अदालत में जिले के सभी प्रखंडों व शहरी क्षेत्रों से आये दिव्यांगजनों की समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा आंबेडकर भवन परिसर में सभी विभागों के काउंटर लगाये गये थे। यहां अधिकारियों ने दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनीं।

☞ अदालत में निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगजनों के हक और अधिकार के बारे में भी जानकारी दी।

☞ दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में निहित सभी प्रावधानों के बारे में विस्तृत से बताया।

चलंत लोक अदालत में निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगजनों के हक और अधिकार के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में निहित सभी प्रावधानों के बारे में विस्तृत से बताया। आयुक्त ने जिला प्रशासन को दिव्यांगों से जुड़ी समस्याओं को जल्द से जल्द निपाटाने का भी निर्देश दिया। कार्यक्रम को डीएम अरशद अजीज ने भी संबोधित किया। डीएम ने दिव्यांगजनों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को समय से दूर दिया जायेगा।

मोबाइल कोर्ट में अपनी समस्याओं के निष्पादन के लिए दिव्यांगजन सुबह से पहुंचने लगे थे. जिले के थावे, माझा, बरौली, सिधवलिया, कुचायकोट, सदर, हथुआ, उचकागांव व फुलविरया आदि प्रखंडों से चार हजार से अधिक संख्या में दिव्यांग पहुंचे थे। दिव्यांगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित काउंटर पर पहुंचकर आवेदन दिया।

सुपौल जिला

शिक्षक दिवस समारोह

29 | सितंबर | 2019

120
से अधिक दिव्यांग एवं अभिभावकों को फायदा

300
से अधिक लोगों ने लिया हिस्सा

2500
से अधिक लोग जुड़े ऑनलाइन

20000
लोग मीडिया के माध्यम से जुड़े

■ शिक्षकों को सम्मानित करते डॉ शिवाजी कुमार.

आयोजन • प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के द्वितीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन

सरकारी व निजी शिक्षक साथ करें काम बच्चों को मिलेगा लाभ : डॉ. शिवाजी

दिव्यांग शिक्षक हुए सम्मानित

प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के द्वारा सुपौल के मिलन पैलेस में आयोजित जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि देश के भविष्य को गढ़ने के लिए निजी और सरकारी शिक्षकों को साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि आप लोग सभी बच्चों के प्रेरणा है। उनके जीवन सबसे नाजुक समय आपलोगों की देखरेख में गुजरता है। इसलिए एक बेहतर शिक्षक हजारों बेहतर विद्यार्थी तैयार करने का मद्दा रखता है। आपलोगों से सभी अभिभावकों को उम्मीद रहती है कि मेरे बच्चे के लिए आप बेहतर मार्गदर्शक साबित होंगे। इसलिए आपका दायित्व बनता है कि उस नौनिहाल को इस भीड़ में एक ऐसा पहचान दें की पूरी दुनिया आपके कार्यों की लोहा माने। शिक्षा के साथ-साथ बच्चों में शिष्टाचार भी आप ही के द्वारा दिया जाता है। आपके द्वारा सिखाया गया हर पाठ उसके जीवन में कहीं न कहीं काम आता है। आपके ऊपर सबसे बड़ा दायित्व समाज की ओर से दिया गया है। जिसे आप बखूबी निभाते भी हैं। आपसे हम आशा करते हैं कि आपके स्कूलों के बच्चे नये किर्तिमान रचें, जिससे आपका देश दुनिया में नाम रौशन हो। मौके पर आयुक्त ने कहा कि शिक्षकों का सम्मान एक सराहनीय काम है, क्योंकि शिक्षक ही समाज को गढ़ने का काम करते हैं। सरकारी स्कूल वाले अगर बड़े भाई हैं तो, निजी विद्यालय वाले छोटे भाई, दोनों मिलकर कार्य करें इसमें बच्चों को लाभ मिलेगा। मौके पर मौजूद डीइओ योगेश मिश्र ने कहा कि शिक्षक ही समाज का असली मार्गदर्शक है। शिक्षक ही एकता और शांति के दूत हैं। जिलाध्यक्ष श्याम किशोर ठाकुर ने कहा कि हम शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आरएसएम स्कूल के प्रायार्य डॉ. विश्वासचंद्र मिश्र ने गुरु और शिष्य की परंपरा पर प्रकाश डाला।

> सम्मान समारोह में दिव्यांग शिक्षकों को भी स्मानित किया गया। जो कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा का अलख जगाये हुए हैं। राज्य आयुक्त ने त्रिवेणीगंज के दिव्यांग शिक्षक संतोष कुमार को प्रतीक चिह्न और शॉल देकर सम्मानित किया।

☞ समाज को सही दिशा देने में शिक्षकों की है अहम भूमिका

☞ देश का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी शिक्षकों के हाथ में

क्रं0सं0	वाद सं0	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
39.	39/2019	पटना	वादी :- श्री मुन्ना कुमार , पटना। प्रतिवादी :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना एवं अन्य	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र नही बनने के संबंध में
40.	40/2019	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	वादी :- श्रीमती रेखा देवी, पति श्री सुरेन्द्र सिंह, पश्चिम चम्पारण, बेतिया प्रतिवादी :- जिला आपूर्ति , पश्चिम चम्पारण, बेतिया	जनवितरण प्रणाली की दुकान के संबंध में
41.	41/2019	पटना	वादी :- श्री राजा, पिता-राजदेव राय, पटना। प्रतिवादी :- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना एवं अन्य	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र टालमटोल करने के संबंध मे
42	42/2019	समस्तीपुर	वादी :- श्री अमर भूषण प्रकाश, समस्तीपुर प्रतिवादी :-शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम समस्तीपुर	भारतीय जीवन बीमा निगम की चेक की राशि का भुगतान के संबंध में
43.	43/2019	पटना।	वादी :- श्री बासकित साह (वरिष्ठ नागरिक), पटना प्रतिवादी :- उप नगर आक्युत, पटना नगर निगम, पटना एवं अन्य	सड़क निर्माण के सम्बन्ध में
44.	44/2019	मधुबनी	वादी : श्री हरिबोल यादव, मधुबनी प्रतिवादी :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधुबनी	पेंशन स्वीकृति के संबंध में
45.	45/2019	रोहतास	वादी :- श्री देव मुन्नी सिंह, रोहतास। प्रतिवादी :- जिला पदाधिकारी रोहतास एवं अन्य	राज्य आक्युत नि:शक्तता द्वारा आदेश अनुपालन नहीं करने के संबंध में
46.	46/2019	पटना	वादी :-दिव्यांगजनों से शिक्षक नियोजन 2019-20 के संबंध में। स्वत: संज्ञान प्रतिवादी :- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार	शिक्षक नियोजन 2019-20 की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में
47.	47/2019	पटना	वादी :- श्रीमती मिली बंसल, एग्जिबिशन रोड, पटना प्रतिवादी :- शाखा प्रबंधक, एच0डी0एफ0सी0 बैंक, पटना एवं अन्य	खाता खोलने के संबंध में
48.	48/2019	बेगूसराय	वादी :- श्री श्याम बाबु साह, श्री पप्पु साह तथा श्री भोला साह, बेगूसराय प्रतिवादी :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेगूसराय	चलन्त न्यायालय में पारित ओदश का अनुपालन नहीं किये जाने के संबंध में
49.	49/2019	बेगूसराय	वादी :-श्री संतोष कुमार, बेगूसराय प्रतिवादी :- अचलाधिकारी, प्रखण्ड-बेगूसराय सदर, जिला-बेगूसराय, बिहार	नि:शुल्क नापी करवाकर सीमांकन करवाने के संबंध में
50.	50/2019	पटना	वादी :- श्रीमती अंजली कुमारी, पटना प्रतिवादी :- श्रीमती मनीषा कृष्ण, सचिव, उत्कर्ष सेवा संस्थान बहादुर, पटना	बिना कोई सूचना के विशेष स्कूल से वापस करने के संबंध में
51.	51/2019	पटना	वादी :- श्री प्रियांशु कुमार, पटना प्रतिवादी :- निदेशक लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, पटना	दिव्यांगता प्रमाण पत्र से संबंधी
52.	52/2019	भोजपुर (आरा)	वादी :- श्री कमलेश कुमार गुप्ता, बन्धन टोला, क्षेत्रीय स्कूल के पास, आरा प्रतिवादी :- शाखा प्रबंधक, सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, मौलाबाग, आरा (भोजपुर)	सहारा में जमा राशि के परिपक्वता अवधि पूर्ण हो जाने के उपरांती भी राशि भुगतान नहीं करने के संबंध में

अगला पेज : 122

OCTOBER 2019

अक्टूबर 2019

24 घंटे दर्ज होगी शिकायत...

pg-098

मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यशाला

pg-099

मधेपुरा चलंत न्यायालय

pg-102

शौक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगों के लिए...

pg-101

प्रखंडों का निरीक्षण

न्यायालय में सुनवाई दिव्यांगजनों के उद्धार के लिए चल रही सभी योजनाओं पर होगी। मौके पर उन्होंने ने बताया कि राज्य सरकारा द्वारा 18 वर्ष तक के दिव्यांगों को मुफ्त शिक्षा, गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण, दिव्यांगता के आधार पर किसी तरह के भेदभाव नहीं करना चाहिए सहित कई जानकारी दी।

pg-100

11 | अक्टूबर | 2019

दिव्यांगों के लिए हेल्पलाइन नंबर

24 घंटे दर्ज होगी शिकायत

दिव्यांगों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार लगातार कार्य कर रहे हैं। दिव्यांगों की सहायता के लिए उन्होंने अब हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है। जहां दिव्यांग 24 घंटे अपनी समस्याओं की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह नंबर सातों दिन एक्टिव रहेगा। इसके तहत जिन दिव्यांगों को प्रमाणपत्र बनवाने में, पेंशन पाने आदि में परेशानी हो रही है वे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। गाली-गलौज से जुड़े मामले या जिनके लीगल गार्जियन नहीं हैं वैसे दिव्यांग भी शिकातय दर्ज करा सकते हैं। यह शिकायत रिकॉर्ड की जाएगी। रिकॉर्ड होने के बाद एक नंबर दिया जायेगा। इसके बाद संबंधित मामले पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बताया कि वेबसाइट को भी अपडेट किया जा रहा है।

यहां भी दिव्यांग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दिव्यांग, बैंक या अस्पताल जिस सार्वजनिक स्थल पर जा रहे हैं और वहां रैंप नहीं है तो ऐसी तस्वीरें या वीडियो भेज सकते हैं। यह वीडियो बतायेगा कि दिव्यांगों को कैसी असुविधा हो रही है। फोटो या वीडियों भेजने के साथ ही वह शिकायत के रूप में दर्ज हो जायेगा। यानी अलग से आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराने की जरूरत नहीं रहेगी। पेपरलेस वर्क करने के लिए यह सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। निःशक्तता आयुक्त

इसके बाद संबंधित मामले पर कार्रवाई की जाएगी। गाली-गलौज से जुड़े मामले या जिनके लीगल गार्जियन नहीं हैं वैसे दिव्यांग भी शिकातय दर्ज करा सकते हैं। यह शिकायत रिकॉर्ड की जाएगी। रिकॉर्ड होने के बाद एक नंबर दिया जायेगा। इसके बाद संबंधित मामले पर कार्रवाई की जाएगी।

- हेल्पलाइन पर किसी भी प्रकार की कर सकते हैं शिकायत होगी कार्रवाई
- कलर ब्लाइंडनेस के शिकार दिव्यांगों के लिए वेबसाइट बना अनुकूल
- सातों दिन और 24 घंटे के लिए शुरू किया गया हेल्पलाइन नंबर
- वेबसाइट पर शिकायतों की वीडियो बनाकर करें अपलोड, होगी कार्रवाई

23000
दिव्यांगों को मिला लाभ

532
दिव्यांगजनों ने भेजी रिकॉर्डिंग शिकायतें

25 हजार
लोग जानें मीडिया से

की वेबसाइट पर कलर ब्लाइंडनेस के शिकार दिव्यांग भी अब वहां शिकातय दर्ज करा सकते हैं। यह वेबसाइट अब उनके अनुकूल बना दिया गया है। आयुक्त ने बताया कि जहां दिव्यांगों से जुड़ा साइनेज नहीं है वहां लगाया जायेगा। इसकी शुरुआत सचिवालय से होगी। दिव्यांगों से जुड़ी सुविधाओं को चेक करने के लिए एक्सेस ऑडिटर बनाये गये हैं।

12 | अक्टूबर | 2019

मानसिक स्वास्थ्य पर कार्यशाला आयोजित

मानसिक दिव्यांगों के लिए पूनर्वास कार्यक्रम

राज्य आयुक्त निशक्तताता (दिव्यांगजन) बिहार, पटना, समाज कल्याण विभाग ,बिहार सरकार के तत्वाधान में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।इस अवसर पर राज्य भर से अस्सी प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला का आरम्भ अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप-प्रज्वलन कर किया गया।इस अवसर पर राज्य आयुक्त निशक्तताता (दिव्यांगजन) बिहार, पटना द्वारा कार्यशाला के संबोधन में बताया गया की राज्य में दिव्यांगजन के हित में व्यापक कार्य हो रहे।दिव्यांगजन से संबंधित कानून बिहार में लागू कर दिया गया है। अब इससे जुड़े लाभार्थी ससमय उचित लाभ ले रहें हैं। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में बताया कि बिहार सरकार इस दिशा में कार्य हेतु प्रयासशील है। बडे पैमाने पर मनोवैज्ञानिक प्रोफेशनल व मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को प्रशिक्षण देने की दरकार है। आज के इस कार्यशाला में सूबे के राज्य आयुक्त निशक्तताता ने तमाम प्रोफेशनल को यह शपथ दिलाया की राजधानी और अन्य जिलों में मानसिक रोगी भटके नही खासतौर से महिला मानसिक रोगियों को देखने पर तत्काल उन्हें सूचित करें।इस अवसर पर उन्होंने स्वयं पहले और बाद में अन्य सभी प्रोफेशनल को यह शपथ दिलायी की मानसिक बीमारी से जूझते बेसहारों का सहारा बना जाये।इन्होने हर स्कूल में एक मनोवैज्ञानिक रखने का सुझाव दिया ।

इस अवसर पर डॉ॰ पी.के सिंह,विभागाध्यक्ष व निदेशक कोईलवर मेंटल अस्पताल ने बताया कि बिहार में औसतन मनोरोगी की संख्या कुल आबादी का 10% है। राज्य सरकार की ओर से मानसिक स्वास्थ्य पर अभी 11जिलों में कार्य हो रहे और अभी 20 चिन्हित जिलों में काम होने जा रहा।इन्होने मीडीया को संबोधित करते हुए कहा की बिहार में तत्काल1000 मनोचिकित्सक तथा उससे बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक प्रोफेशनल की सख्त से सख्त आवश्यकता है। अकेलो कोईलवर मेंटल हास्पिटल में अबतक 65000 मरीज 2018 तक व इस साल 2019 में 70000 मानसिक रोगियों का ईलाज किया जा चुका है।

इस अवसर पर पटना के मनोवैज्ञानिक डॉ॰ मनोज कुमार ने बताया की बिहार में बच्चों,किशोरों, युवाओ,व्यस्कों और बुजुर्गों में अलग-अलग किस्म के मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इन्होंने अपने कार्यशाला के संबोधन में किशोरों के बिगडते मानसिक स्वास्थ्य पर सजग होने की जरूरत पर बल दिया ।कम उम्र के बच्चों में अवसाद,मोबाइल पर निर्भरता व खेलकूद से दूरी व माता-पिता के वर्किंग होने से बच्चों में भावनात्मक विकास सही से नही हो रहा जिससे मानसिक बीमारियां धर कर रही। किशोरों में परीक्षा के दबाव ,अधिक पैसे खर्च,उच्च इमेज और शोखी बघाडने व नशा आदि का प्रचलन बढना भी उन्हें मानसिक रोग की आगोश में धकेल रहा।इसी प्रकार वयस्कों में भी वैवाहिक जीवन ,रोजगार से संबंधित तनाव,नशा ,आत्महत्या जैसे मानसिक समस्या बिहार में देखी जा रही। कार्यक्रम में इन्होंने यह भी कहा कि बुजुर्गों को भी समाज में दरकिनार किया जा रहा जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतीकूल असर पड रहा।

> आत्महत्या जैसे मानसिक समस्या बिहार में देखी जा रही। कार्यक्रम में इन्होंने यह भी कहा कि बुजुर्गों को भी समाज में **दरकिनार किया जा रहा जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतीकूल असर**

103
विशेषज्ञों हुये शामिल

5000
लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से

323
सेमिनार में थे शामिल

08 हजार
लोग जानें मीडिया से

15 | अक्टूबर | 2019

प्रखंडों का निरीक्षण / मधेपुरा

दिव्यांगों को मिली अधिकारों की जानकारी

■ दिव्यांगों के साथ बैठक कर उनकी परेशानी जानते राज्य निःशक्तता आयुक्त।

400
से अधिक लोग बैठक में लिये हिस्सा

☞ 18 वर्ष तक दिव्यांगों को मुफ्त शिक्षा को हर हाल में व्यवस्था हो

☞ गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण का मिले लाभ

☞ विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अनुदान चिह्नित कर दें

चलंत लोक अदालत इस बार मधेपुरा में लगेगा। इसके पहले राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार सभी प्रखंडों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करने पहुंचे की दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं। शंकपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में बैठक कर वहां चल रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। मौके पर आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 के अंतर्गत राज्य निःशक्तता आयुक्त द्वारा दिव्यांगों की समस्याओं के निकारकरण के लिए चलंत न्यायालय लगाया जायेगा। न्यायालय में सुनवाई दिव्यांगजनों के उद्धार के लिए चल रही सभी योजनाओं पर होगी। मौके पर उन्होंने ने बताया

कि राज्य सरकारा द्वारा 18 वर्ष तक के दिव्यांगों को मुफ्त शिक्षा, गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण, दिव्यांगता के आधार पर किसी तरह के भेदभाव नहीं करना चाहिए सहित कई जानकारी दी। वहीं दिव्यांगजनों को मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, स्वरोजगार ऋण योजना, दिव्यांग को रोजगार में चार प्रतिशत का आरक्षण आदि योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी. वहीं मनरेगा पीओ मनोज कुमार ने कहा कि दिव्यांगों को मनरेगा का जॉब कार्ड 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जायेगा।

न्यायालय में सुनवाई दिव्यांगजनों के उद्धार के लिए चल रही सभी योजनाओं पर होगी। मौके पर उन्होंने ने बताया कि राज्य सरकारा द्वारा 18 वर्ष तक के दिव्यांगों को मुफ्त शिक्षा, गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण, दिव्यांगता के आधार पर किसी तरह के भेदभाव नहीं करना चाहिए सहित कई जानकारी दी।

16 | अक्टूबर | 2019

अधिकारियों के साथ बैठक/मधेपुरा

शौक्षणिक संस्थानों में दिव्यांगों के लिए बने रैंप

प्रति कुलपति डॉ. फारुक अली ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है। भगवान ने उन्हें स्पेशल बनाकर दिव्य शक्ति दी है। हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वर्षों से उपेक्षित दिव्यांग पिछड़े नहीं हैं, उन्हें पछाड़ दिया गया है। प्रतीकुलपति ने विवि स्तर से दिव्यांगजनों के लिए हर संभव कार्य करने की बात कही।

243
दिव्यांगजनों को हुआ फायदा

400
से अधिक लोगों ने लिया भाग

8000
से ज्यादा सोशल मीडिया से जागरूकता

15000
मीडिया के माध्यम से जन जागरूक

■ दिव्यांगों के साथ बैठक कर उनकी परेशानी जानते राज्य निःशक्तता आयुक्त।

बी एन मंडल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने बैठक की। इसमें विश्वविद्यालय व कॉलेजों में दिव्यांगजनों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के बारे में चर्चा की गयी। आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाए चलायी जा रही हैं। इन योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय व महाविद्यालय स्तर से जागरुकता अभियान चलायें। विव के ऑडिटोरियम व मंच पर पहुंचने के लिए दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था नहीं रहने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होने बैठक में मौजूद विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यों व विवि के अधिकारियों से सभी महाविद्यालयों और विभागों में दिव्यांगजनों के लिए रैंप की सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही।

प्रति कुलपति डॉ. फारुक अली ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है। भगवान ने उन्हें स्पेशल बनाकर दिव्य शक्ति दी है। हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वर्षों से उपेक्षित दिव्यांग पिछड़े नहीं हैं, उन्हें पछाड़ दिया गया है। प्रतीकुलपति ने विवि स्तर से दिव्यांगजनों के लिए हर संभव कार्य करने की बात कही। उन्होंने सभी प्रचार्यों को निर्देश दिया कि महाविद्यालय में रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये.

18 | अक्टूबर | 2019

चलंत न्यायालय/मधेपुरा

■ चलंत लोक अदालत में शामिल दिव्यांगजन और उनके परिजन।

4732
दिव्यांगों ने दर्ज की शिकायत

1256
दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट मिला प्रमाणपत्र

723
दिव्यांगों ने सामाजिक पेंशन

042
आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आये

दिव्यांगजननों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए रासबिहारी हाईस्कूल के खेल मैदान में मोबाइल अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, डीएम नवदीप शुक्ला और एसपी संजय कुमार ने संयुक्त रूप से किया। आयुक्त ने दिव्यांगों के लिए मोबाइल कोर्ट में विभिन्न समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान किया। विभिन्न आयुवर्ग के दिव्यांगों की समस्याओं को लेकर राज्य आयुक्त ने विभागीय अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्दश दिये। आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने सभी दिव्यांगों के राशन कार्ड, डीएल सहित अन्य मामले ऑन द स्पॉट निपटाये। वहीं सरकारी

दिव्यांगों को मिले सुविधा,नहीं हो किसी प्रकार का भेदभाव'

अनुदान, लोन जैसे अन्य कार्य भी एक महीने के भीतर निपटा लेने का निर्देश जारी किया। उन्होंने सभी दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आपके लिए सिर्फ पेंशन योजना ही नहीं लायी है, बल्कि दिव्यांगों को शिक्षा लोन, व्यवसाय ऋण सहित रोजगार में आरक्षण सहित अन्य योजना भी लायी है। दिव्यांगों को अब जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

डीएम नवदीप शुक्ला ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य आयुक्त खुद जिले में तीन दिनों से लगातार प्रयासरत हैं। एसपी संजय कुमार ने कहा कि दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशेष कानून का अधिकार भी दिया गया है। उन्होने कहा कि अन्याय या दुर्व्यवहार होने पर नजदीकी थाने में जानकारी देने को कहा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिविर स्थल पर स्वास्थ्य विभाग, परिवहन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सहित विभिन्न प्रखंड क्षेत्र का स्टॉल लगा हुआ था। जहां संबंधित क्षेत्र के दिव्यांगों ने अपना फॉर्म जमा किया।

डीएम नवदीप शुक्ला ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए योजनाओं का लाभ देने के लिए राज्य आयुक्त खुद जिले में तीन दिनों से लगातार प्रयासरत हैं। एसपी संजय कुमार ने कहा कि दिव्यांगों की सुविधा के लिए विशेष कानून का अधिकार भी दिया गया है।

NOVEMBER 2019

नवंबर 2019

प्रखंडों का निरीक्षण मधुबनी जिला

pg-105

विभागीय निर्देश के अनुसार...

pg-106

प्रखंडों का निरीक्षण

pg-108

प्रखंडों का निरीक्षण...

pg-111

कई जगहों पर दिव्यांगजनों से ...

pg-114

नगर भवन में आयोजित कार्यशाला

pg-120

दिव्यांगजनों के समूह का हुआ गठन

खुटौना प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी , कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं दिव्यांग समूह के साथ बैठक की। उन्होंने दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग के अंतर्गत मुख्यमंत्री निःशक्त सहायता योजना के बारे में प्रखंड से आये सभी दिव्यांगों को बारीकी से समझाया। उन्होंने प्रखंड के पांच पंचायतों से आये शिकायत का संज्ञान लेते हुए...

pg-107

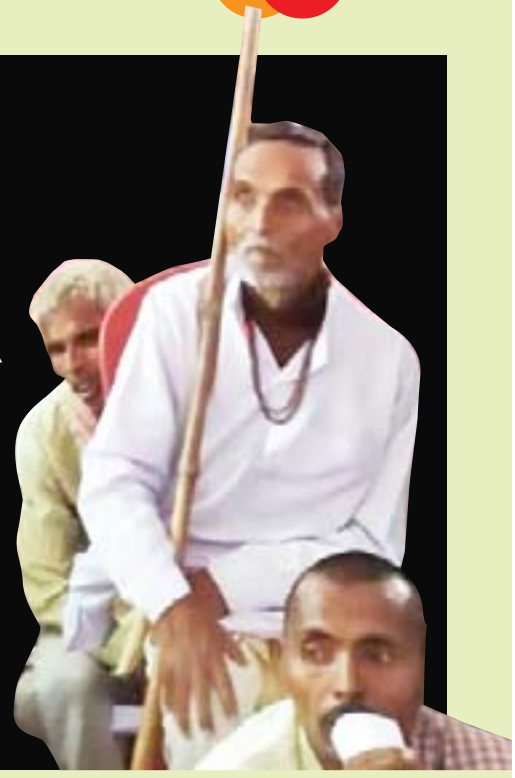

06 | नवंबर | 2019

प्रखंडों का निरीक्षण मधुबनी जिला

■ दिव्यांगों व प्रखंड के अधिकारियों के साथ बैठक करते राज्य आयुक्त।

300
से अधिक दिव्यांग हुए शामिल

- गरीबी उन्मूलन योजना का लाभ दिव्यांगों को हर हाल में मिलेगा
- दिव्यांग को पेंशन व ट्राइसाकिल से ऊपर उठना होगा
- शिक्षा, आवास और भूमिहीन को जमीन का भी मिलता है लाभ

अब दिव्यांग को घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके लिए बिहार सरकार ने कई अहम निर्णय लिया है। मधुबनी के प्रेस क्लब में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों को घर बैठे लाभ पहुंचाने के लिए पंचायत, प्रखंड व जिला स्तर पर दिव्यांग समूह का गठन किया गया है। पंचायत समूह में मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, शिक्षा विभाग के बीआरपी, सेविका, एएनएम, समाजसेवी, किसान सलाहकार, रोजगार सेवक, न्याय मित्र, आवास सहायक, विकास मित्र, टोला सेवक एवं बीएलओ को शामिल किया गया है। समूह में शामिल लोगों की नियमित बैठक होगी। वे

दिव्यांगों को घर बैठे मिलेगा योजनाओं का लाभ

दिव्यांग तक जरूरी लाभ पहुंचायेंगे। प्रखंड स्तर पर गठित समूह को भी रिपोर्ट करेंगे।

राज्य आयुक्त ने कहा कि गरीबी उन्मूलन योजना का लाभ दिव्यांगों को हर हाल में मिलेगा। इसके लिए अनुमंडल स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि 14 नवंबर को फुलपरास एवं 15 नवंबर को बेनीपट्टी अनुमंडल में चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया है। इसमें दिव्यांग अपनी समस्या रख सकते हैं। डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि लोगों को सोंच बदलनी होगी। दिव्यांग को पेंशन व ट्राइसाइकिल से ऊपर उठना होगा। अब सरकार शिक्षा, आवास, भूमिहीन को जमीन, मनरेगा सहित कई अन्य लाभ देगी। राज्य आयुक्त ने जिले के कई प्रखंडों का दौरा किया। बीडीओ, सीओ, अस्पताल प्रभारी व एमओ सहित अन्य कई विभागीय पर्यवेक्षकों के साथ बैठक कर दिव्यांगों को मिलनेवाली योजनाओं के लाभ व सुविधाओं की जानकारी ली। राज्य आयुक्त ने मनरेगा के तहत रोजगार मुहैया करानेवाली योजनाओं की समीक्षा की। मजदूरी करने लायक 18 वर्ष से ऊपर के सभी दिव्यांगों को 15 दिन के अंदर जॉब कार्ड निर्गेत करने का निर्देश दिया।

> राज्य आयुक्त ने कहा कि गरीबी उन्मूलन योजना का लाभ दिव्यांगों को हर हाल में मिलेगा। इसके लिए अनुमंडल स्तर पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि 14 नवंबर को फुलपरास एवं 15 नवंबर को बेनीपट्टी अनुमंडल में चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया है।

07 | नवंबर | 2019

मधुबनी जिला

■ बैठक में शामिल दिव्यांगजन और जिले के अधिकारी।

- 2016 अधिकार अधिनियम में 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है
- दिव्यांगों को ध्यान में रखकर भवनों का निर्माण किया जाये
- निजी संस्थानों में भी दिव्यांगों को दिया जाना है पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने मधुबनी के समाहरणालय सभाकक्ष में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत 21 तरह के दिव्यांग होते हैं। इसमें चलंत संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशीय दुर्विकार, ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि दृष्टिहिनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, वाक एवं भाषा का दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ठ शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रूग्णता, क्रोनिक स्त्रायविक, स्थिति, बहुल काठिन्य, पार्किंसन रोग, हीमोफीलिया,

सीएससी से राशि जमा-निकासी की व्यवस्था

दिव्यांगों के लिए राज्य निशक्तता आयुक्त ने आधिकारियों को लाभार्थियों की सूची बनाने के दिए निर्देश

थैलेसेमिया तथा सिकल सेल रोग संबंधी दिव्यांग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण तथा संबंधित विभाग के निर्माण निगम के द्वारा कार्यालयों का निर्माण इस प्रकार से किया जाये, जिससे कि दिव्यांगजनो को कार्यालय में प्रवेश करने में कोई परेशानी नहीं हो। विभागीय निर्देश के अनुसार किसी भी निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों में पांच प्रतिशत दिव्यांगजनों का चयन किया जाना है। उच्च स्तरीय शिक्षा यथा बीएड, एमएड तथा मेडिकल इत्यादि में भी दिव्यांगजनों को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाना है। उन्होंने श्रम संसाधन विभाग को एक माह के अंदर दिव्यांगजन कामगारों की पहचान कर विभाग से परिचय पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी विभागों के पदाधिकारियो को अपने-अपने विभाग से जुड़े लाभार्थियों की सूची बनाने का निर्देश दिया. ताकि यह पता चल सके कि किस दिव्यांगजन को उनके विभाग के द्वारा कौन-कौन से लाभ दिये गये हैं। राज्य व केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना एवं विकास कार्यक्रम में पांच प्रतिशत दिव्यंगजनों को लाभ दिया जाना है।

अनुमंडल में बैठक

> विभागीय निर्देश के अनुसार किसी भी निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मियों में पांच प्रतिशत दिव्यांगजनों का चयन किया जाना है। **उच्च स्तरीय शिक्षा यथा बीएड, एमएड तथा मेडिकल इत्यादि में भी दिव्यांगजनों को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाना है।**

08 | नवंबर | 2019

प्रखंडों बैठक मधुबनी जिला

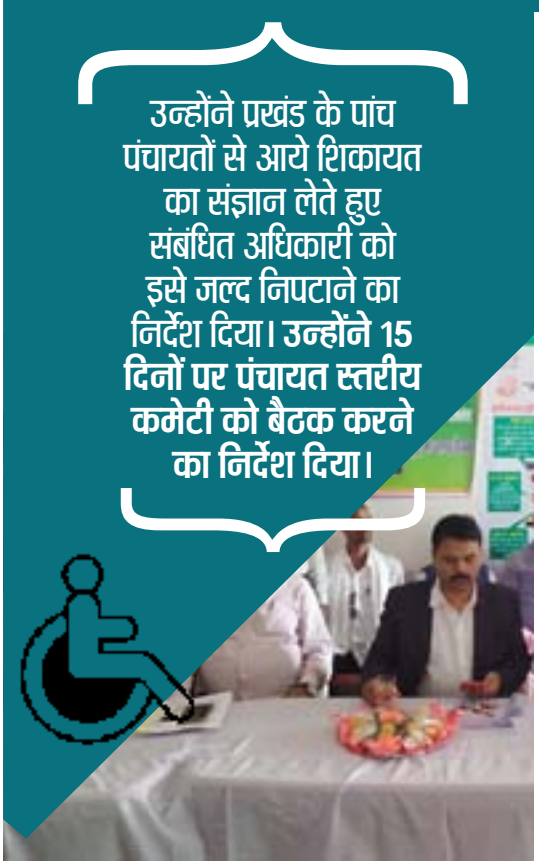

उन्होंने प्रखंड के पांच पंचायतों से आये शिकायत का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को इसे जल्द निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने 15 दिनों पर पंचायत स्तरीय कमेटी को बैठक करने का निर्देश दिया।

- बैठक में दिव्यांग अधिकार अधिनियम की दी जानकारी
- दिव्यांगजनों के समूह का हुआ गठन
- प्रखंड स्तर पर दिव्यांगजन को चिह्नित कर दिया जायेगा सुविधाओं का लाभ

■ अधिकारियों व दिव्यांगों के साथ बैठक करते राज्य निःशक्तता आयुक्त।

खु

टौना प्रखंड मुख्यालय स्थित टीपीसी भवन में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी , कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं दिव्यांग समूह के साथ बैठक की। उन्होंने दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग के अंतर्गत मुख्यमंत्री निःशक्त सहायता योजना के बारे में प्रखंड से आये सभी दिव्यांगों को बारीकी से समझाया। उन्होंने प्रखंड के पांच पंचायतों से आये शिकायत का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को इसे जल्द निपटाने का निर्देश दिया।

उन्होंने 15 दिनों पर पंचायत स्तरीय कमेटी को बैठक करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत अब कुल 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है। इसी के तहत बीडीओ को दिव्यांगों की सूची बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने धारा 72 के अंतर्गत दिव्यांगजन समूह का गठन कर दिव्यांगों को योजना के बारे में जानकारी देने को कहा।

बैठक में एसडीओ गणेश कुमार, बीडीओ किशोर कुमार, बीएओ पवन कुमार यादव, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. विजय मोहन केशरी, मनरेगा पीओ जितेंद्र कुमार सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे। लौकही प्रखंड पहुंचे आयुक्त ने बीडीओ को निर्देश दिया कि प्रखंड के सभी दिव्यांगजनों को चयनित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने व उनके अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह निभाया जाये।

अधिकार से वंचित न हों एक भी दिव्यांग: शिवाजी

09 | नवंबर | 2019

प्रखंडों का निरीक्षण मधुबनी जिला

राज्य आयुक्त ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों की सहयोग की आवश्यकता है। बिना सहयोग किये दिव्यांगों को सही लाभ नहीं मिल सकता है।

400 से अधिक दिव्यांगजनों व जनप्रतिनिधियों ने लिया बैठक में हिस्सा

- पंचायत स्तर पर गठित दिव्यांगों के समूह का प्रत्येक 15 दिनों पर होगी बैठक
- दिव्यांगों तक लाभ पहुंचाने के लिए पदाधिकारी करें हरसंभव प्रयास
- चलंत न्यायालय में दिव्यांगों के सभी शिकायतों का एक जगह होगा सामाधान

दिव्यांगों के सशक्तीकरण को किए जा रहे प्रयास, सहायता की अपील

■ हरलाखी प्रखंड में दिव्यांगजन व जनप्रतिनिधियों से मुखातिब राज्य नि:शक्तता आयुक्त।

हरलाखी प्रखंड

राज्य आयुक्त नि:शक्तता डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलायी जा रही सभी योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर इसका लाभ उठाने के प्रति दिव्यांगों को जागरूक किया जा रहा है। आयुक्त हरलाखी प्रखंड स्थित नये जनप्रतिनिधि भवन में सैकड़ों दिव्यांगों को जागरूक करने पहुंचे थे। बीडीओ अरुणा कुमार चौधरी की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बैठक में बीडीओ, सीओ शशिभूषण प्रसाद सिंह, प्रमुख राजेश कुमार पांडेय उर्फ बालाजी, सहित दर्जनों मुखिया उपस्थित थे।

राज्य आयुक्त ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों व पदाधिकारियों की सहयोग की आवश्यकता है। बिना सहयोग किये दिव्यांगों को सही लाभ नहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही है, लेकिन जागरुकता के अभाव में दिव्यांगजन इसका समुचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसी कारण पंचायत स्तर तक दिव्यांग समूह का गठन किया गया है। हर 15 दिन पर इस समूह की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को बेनीपट्टी स्थित बुनियाद केंद्र कार्यालय में प्रमाणीकरण का कार्य एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण तथा निष्पादन के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन किया जायेगा। मौके पर प्रखंड प्रमुख राजेश कुमार व अन्य मौजूद थे।

10 | नवंबर | 2019

प्रखंड मधवापुर

असहायों का अधिकार हनन होने की स्थिति में की जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों को दी। उन्होंने कहा कि निःशक्तों के लिए अनुमंडल स्तरीय लोक अदालत लगायी जाएगी।

■ प्रखंड के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व दिव्यांगों के साथ बैठक

350
से अधिक दिव्यांग पहुंचे बैठक में

- दिव्यांगों को सुविधा पहुंचाने में अधिकार नहीं बर्तें उदासिनता
- इंसानियत की हैसियत से दिव्यांगों की करें सुरक्षा
- देश में दिव्यांगों के लिए भी समान अवसर

क्षेत्र के दिव्यांगजनों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी हर संभव सहायता करें। वह भी हमारी तरह देश के सम्मानित नागरिक हैं। वह अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें इंसानियत की हैसियत से उनकी सेवा करनी चाहिए।

उक्त बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहीं। मधवापुर प्रखंड परिसर में कई विभाग के पदाधिकारियों व दिव्यांगजनों को संबोधित कर रहे थे। मौका था दिव्यांग कल्याण कार्यशाला के आयोजन का। राज्य आयुक्त ने निःशक्तों के लिए किये जाने वाले कार्यों की जानकारी स्थानीय पदाधिकारियों से ली। उन्होंने असहायों को उनका अधिकार दिलाने में उदासीनता नहीं बरतने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। असहायों का अधिकार हनन होने की स्थिति में की जाने वाली कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी राज्य आयुक्त ने दिव्यांगजनों को दी। उन्होंने कहा कि निःशक्तों के लिए अनुमंडल स्तरीय लोक अदालत लगायी जाएगी। वहां दिव्यांगजन अपनी समस्याएं रख कर उसका निराकरण करा सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन मधुबनी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा आयोजित हुई थी।

राज्य दिव्यांग आयुक्त ने दिए निर्देश
पंचायत दिव्यांग कमेटी होगी गठित

दिव्यांगों को मिला प्रमाणपत्र व कृत्रिम अंग

किसान भवन सभागार में भारत सरकार के एपिड योजना के अंतर्गत एक दिवसीय दिव्यांग परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 200 से अधिक दिव्यांगों ने हिस्सा लिया। शिविर में अनुमंडल के झंझारपुर, मधेपुर, अंधराठाढ़ी और लखनौर प्रखंड के दिव्यांगजन ने अपना परीक्षण कराया। मौके पर एसडीओ ने कहा कि दिव्यांगजनों को जांच पड़ताल के बाद सर्टिफिकेट दिया जायेगा। साथ ही ऐसे दिव्यांगों को कृत्रिम अंग भी दिया जायेगा। एलिमको कंपनी के द्वारा उपकरण के लिए दिव्यांगों को छह से सात सप्ताह में उन्हें उपकरण उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस दिव्यांग परीक्षण शिविर में सभी विभाग के डॉक्टर मौजूद थे।

11 | नवंबर | 2019

प्रखंड लदनियां

पंचायत से प्रखंड स्तर पर दिव्यांगजनों को संगठित व सशक्तिकरण पर बल दिया। उन्होंने बीडीओ नवल किशोर ठाकुर को निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर पंद्रह दिनों पर बैठक कर दिव्यांगजनों की समस्या का समाधान किया जायेगा।

■ विभिन्न प्रखंडों में राज्य आयुक्त ने दिव्यांगों व अधिकारियों के साथ की बैठक।

450 से अधिक दिव्यांगों के साथ प्रखंडवार हुई बैठक

☞ सीमावर्ती क्षेत्र दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने में लायें तेजी

☞ जागरुकता कार्यक्रम का हो आयोजन

☞ पांचयतस्तर पर हर 15 दिन में हो दिव्यांग समूह की बैठक

प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित सामुदायिक प्रशिक्षण भवन सभागार में बीडीओ नवल किशोर ठाकुर द्वारा दिव्यांगजनों के समूह एवं सशक्तिकरण को लेकर बैठक आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने की। आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र दिव्यांगजनों को अभी तक सभी सुविधाएं देने में उम्मीद से कम सफलता हासिल कर पाया है। जानकारी के अभाव में दिव्यांगजनों को कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

पंचायत से प्रखंड स्तर पर दिव्यांगजनों को संगठित व सशक्तिकरण पर बल दिया। उन्होंने बीडीओ नवल किशोर ठाकुर को निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर पंद्रह दिनों पर बैठक कर दिव्यांगजनों की समस्या का समाधान किया जायेगा। सरकार से मिलने वाली सुविधा की जानकारी दी गयी। आवास, राशन कार्ड देने के लिए बीडीओ को आवश्यक निर्देश दिया। दिव्यांगजनों का शिकायत दर्ज करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारी को दिया। सीओ को भूमिहीन दिव्यांगजनों को कम से कम तीन डिसमिल जमीन देना का भी निर्देश दिया। बैठक में जिला अध्यक्ष राम प्रकाश यादव व अन्य उपस्थित थे।

दिव्यांगजनों की बैठक में आयुक्त बोले- 15 दिन पर पंचायत स्तरीय व प्रति माह प्रखंड स्तरीय बैठक करें

दिव्यांगों के हित में कार्य जारी रखने का निर्देश

जयनगर अनुमंडल कार्यालय के सभागार में आयुक्त ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने स्तर से 21 प्रकार के दिव्यांगों को लाभ पहुंचाये। राज्य आयुक्त ने सभी अधिकारियों,जनप्रतिनिधियों को दिव्यांगों के समग्र विकास, मान सम्मान, समस्या व अधिकार को लेकर सरकार के निर्देशों का अनुपालन का निर्देश दिया। प्रत्येक पंचायत में पंचायत भवन में महिना में दो बार पंद्रह दिन के अंतराल पर पांचयत के दिव्यांगों के साथ बैठक का निर्देश दिया गया। जिसके नोडल पदाधिकारी मनरेगा पीओ एवं पीडब्यूओ को बनाया गया। बैठक में पंचायत प्रतिनिधि के अलावा सभी संबंधित विभागों के अधिकारी हिस्सा लेंगे और दिव्यांगों के समस्याओं को सुनेंगे।

12 | नवंबर | 2019

प्रखंडों का निरीक्षण

बैठक में बताया गया कि दिव्यांगजनों के लिए मधुबनी जिले में विशेष थाना बनाया गया है। दिव्यांगजन वहां अपनी समस्या से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

■ प्रखंडस्तरीय बैठक में हिस्सा लेते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार.

500
से अधिक लोग बैठक से हुए लाभांवित

☞ दिव्यांग को शादी करने पर राज्य सरकार देती है तीन लाख तक का सहयोग

☞ दिव्यांग व्यक्ति दूसरी जाति के दिव्यांग महिला से शादी करती है तो एक लाख अलग से कुल तीन लाख राशि मिलेगी।

☞ प्राइवेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने पर आनेवाले खर्च का 25 प्रतिशत राज्य सरकार करती है वहन

प्रशिक्षण भवन के सभागार में जिला दिव्यांग सशक्तिकरण को लेकर दिव्यांगों के समग्र विकास, मान सम्मान, अधिकार तथा समस्या के निराकरण को ले बैठक हुई। अध्यक्षता राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने की। संचालन दिव्यांग संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश पंजियार ने किया। राज्य आयुक्त ने दिव्यांगों की समग्र विकास, मान सम्मान, अधिकार व समस्या के निराकरण को लेकर कार्य को गति देने पर बल दिया। बैठक में सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए किये जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गयी।

बैठक में बताया गया कि दिव्यांगजनों के लिए मधुबनी जिले में विशेष थाना बनाया गया है। दिव्यांगजन वहां अपनी समस्या से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सांख्यिकी पदाधिकारी मुकेश कुमार को 15 दिनों के भीतर प्रखंड के सभी दिव्यांगों की सूची बनाने का आदेश दिया। पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, विकास मित्र के अलावा प्रमुख शीला देवी जिला परिषद सदस्य चंदेश्वर राय सहित बड़ी संख्या में दिव्यांगजन मौजूद थे।

दिव्यांगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराएं

कलुआही प्रखंड कार्यालय के सभागार में अधिकारियों व दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए राज्य निःशक्तता आयुक्त ने कहा कि अगर किसी दिव्यांग व्यक्ति ने दिव्यांग महिला केसाथ शादी की है, तो दोनों जनों को दो लाख मिलेगा। दिव्यांग व्यक्ति दूसरी जाति केदिव्यांग महिला से शादी करती है तो एक लाख अलग से कुल तीन लाख राशि मिलेगी। अगर दिव्यांग छात्र प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो कुल खर्च का 25 प्रतिशत राज्य सरकार भार उठाती है। उन्होनमे कहा कि 15 नवंबर को बेनीपट्टी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में दिव्यांगजनों के सर्टिफिकेट के लिए कैंप लगाया जायेगा।

आयुक्त ने जिले के तीन प्रखंडों में दिव्यांगजन समूह की बैठक की

भूमिहीन दिव्यांगजन को बासगीत पर्चा और जॉब कार्ड दिया जाएगा

भास्कर न्यूज | मधुबनी

राज्य आयुक्त की अध्यक्षता में आज मंगलवार को जिले के तीन खजौली, कलुआही और बिस्फी प्रखण्ड कार्यालय पर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, कर्मी, जन प्रतिनिधि

13 | नवंबर | 2019

प्रखंड में बैठक
अंधराठाढ़ी

दिव्यांग अब हर क्षेत्र में आगे, करें प्रेरित

समय के साथ दिव्यांगों के प्रति लोगों को मानसिकता बदलनी होगी। अब दिव्यांग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें समय-समय पर प्रोत्साहित करने की जरूरत है। जागरुकता के अभाव में अधिकतर दिव्यांग सरकारी सेवा का लाभ नहीं ले पाते हैं। दिव्यांगों को सरकार की हर योजना का लाभ देना है।

350

से अधिक दिव्यांगजनों ने जागरुकता शिविर में लिया हिस्सा

प्रत्येक 15 दिनों पर पंचायत स्तर के दिव्यांग समूह का होगा बैठक

प्रखंड स्तरीय दिव्यांग समूह की बैठक हर महीने

दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता

■ अपने अधिकारों की जानकारी लेने बैठक में पहुंचे दिव्यांगजन।

अंधराठाढ़ी प्रखंड परिसर स्थित टीपीसी भवन में दिव्यांगों के जागरुकता एवं उन्नयन को लेकर बैठक हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का प्रचार-प्रसार कर इसका लाभ उठाने के लिए दिव्यांगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। सरकार की प्राथमिकता दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में जोड़ना है। इसके लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम कानून भी बनाया गया है। समय के साथ दिव्यांगो के प्रति लोगों को मानसिकता बदलनी होगी। अब दिव्यांग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें समय-समय पर प्रोत्साहित करने की जरूरत है। जागरुकता के अभाव में अधिकतर दिव्यांग सरकारी सेवा का लाभ नहीं ले पाते हैं। दिव्यांगों को सरकार की हर योजना का लाभ देना है। साथ ही इन लोगों की समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निपटाया जायेगा। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। खजौली प्रखंड पहुंचे आयुक्त ने कहा कि पंचायत स्तर पर प्रत्येक 15 दिन पर दिव्यांग समूह का बैठक आयोजित कराना है। प्रखंडस्तर पर प्रत्येक माह समूह की बैठक होगी। इस समूह में 18 से 40 वर्ष तक पढ़े लिखे दिव्यांगों को रखा जायेगा। वहीं सभी दिव्यांगों को रोजगार से जोड़ने के लिए मनरेगा का जॉब कार्ड बनाया जायेगा।

दिव्यांग अब हर क्षेत्र में आगे, करें प्रेरित

14 | नवंबर | 2019

चलंत न्यायालय / फुलपरास अनुमंडल

■ फुलपरास में दिव्यांगजनों की आवेदन भरने के लिये उमड़ी भीड़।

3252 दिव्यांगों ने चलंत न्यायालय में दर्ज करायी शिकायत

786 दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट दिया गया प्रमाणपत्र

1200 दिव्यांगता पेंशन के मामले को किया गया निष्पादित

140 दिव्यांगों ने उपकरण के लिए किया आवेदन, हुआ निष्पादन

सफुलपरास प्रखंड कार्यालय में नवनिर्मित बुनियाद केंद्र में चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया। अनुमंडल दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग फुलपरास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने किया। मौके पर आयुक्त ने कहा कि अनुमंडल में अभी तक दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ नहीं हो सका है। सभी विभागों के पदाधिकारी इस पर ध्यान दें तो इस अनुमंडल में प्रत्येक दिव्यांगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है।

आयुक्त ने बताया कि जब तक सभी दिव्यांगों की जांच व प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा। तब तक शिविर में कार्य किया जायेगा। साथ हीं उन्होने कहा कि शीघ्र ही अनुंडल दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग फुलपरास का कार्यालय बुनियाद केंद्र में स्थापित की जाएगी।

चलंत न्यायालय में लगभग 3252 दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन हुआ एवं उनके शिकायत पर राज्य आयुक्त का आदेश हुआ। न्यायालय में अधिकांश लोग दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए आये थे। साथ ही रोजगार, कृषि, शिक्षा आदि की भी शिकायत दर्ज की गयी। न्यायालय में दिव्यांगता प्रमाणपत्र संबंधित 786 मामले का निष्पादन किया गया। दिव्यांगता पेंशन के 1200 मामले निष्पादित किये गये। 140 दिव्यांग उपकरण के मामले को ऑन द स्पॉट निष्पादित किये गये। 40 मामले दिव्यांग को प्रताड़ित करने का निष्पादन हुआ। भूमि से संबंधित 20 मामले का निष्पादन हुआ, 128 मुद्रा लोन के मामले निष्पादित हुए, खेलकूद से संबंधित 12 मामले निष्पादित हुए, राशन कार्ड से संबंधित 160 आवेदनों को निष्पादित किया गया। शिक्षा संबंधित 140 मामले निष्पादित हुए एवं कृषि एवं पशुपालन से संबंधित 60 मामले निष्पादित हुए, 52 मामले रेलवे टिकट में रियायत के लिए निष्पादित किये गये।

आयुक्त ने बताया कि जब तक सभी दिव्यांगों की जांच व प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा। तब तक शिविर में कार्य किया जायेगा। साथ हीं उन्होने कहा कि शीघ्र ही अनुंडल दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग फुलपरास का कार्यालय बुनियाद केंद्र में स्थापित की जाएगी।

3252 दिव्यांगों का हुआ रजिस्ट्रेशन, न्यायालय में दिव्यांग प्रमाण पत्र के अधिकांश मामले आए

चलंत न्यायालय में दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधित 13 सौ मामले का हुआ निष्पादन

160 मामले राशन कार्ड के निष्पादित किये गये

128 मामले मुद्रा लोन के आये, जिन पर तत्काल विचार किया गया

15 | नवंबर | 2019

चलंत न्यायालय / बेनीपट्टी अनुमंडल

■ बेनीपट्टी में दिव्यांगजनों की आवेदन भरने के लिये उमड़ी भीड़।

> कई जगहों पर दिव्यांगजनों से आवेदन भरने के नाम पर अवैध उगाही किये जाने के मामले सामने आ चुके हैं। **इसलिए आप सतर्क रहें और अपना आवेदन खुद भरें। केवल आधारकार्ड या पहचान पत्र के आधार पर ही दिव्यांगों का पंजीकरण और जांच किया जा सकता है**

5000 से अधिक आवेदन आये चलंत लोक अदालत में

856 दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट मिला प्रमाणपत्र

856 दिव्यांग पेंशन मामले का हुआ निपटारा

464 दिव्यांगों के छात्रवृत्ति संबंधित शिकायत का हुआ निष्पादन

बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर स्थित बुनियाद केंद्र में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया।

इस दौरान आयुक्त ने दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों की सभी प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें निबंधन, अस्थि दिव्यांगता, मूक बधिर जांच, नेत्र दिव्यांगता जांच और बहू निःशक्त जांच सहित कुल 60 स्टॉल लगाकर दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी जा रही है और सभी का शीघ्र निष्पादन करने का भी प्रयास किया जायेगा। उन्होंने दिव्यांगों को कहा कि आवेदन जमा करने या सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के मामले में कोई भी दिव्यांग किसी भी बिचौलियों के फेर में नहीं पड़े। कई जगहों पर दिव्यांगजनों से आवेदन भरने के नाम पर अवैध उगाही किये जाने के मामले सामने आ चुके हैं। इसलिए आप सतर्क रहें और अपना आवेदन खुद भरें। केवल आधारकार्ड या पहचान पत्र के आधार पर ही दिव्यांगों का पंजीकरण और जांच किया जा सकता है और जबतक सभी दिव्यांगों की जांच नहीं होगी तब तक अदालत चलती रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांगों के जीवन स्तर बेहतर और सशक्तिकरण करने को सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

चलंत न्यायालय में करीब 5000 हजार दिव्यांगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करायीं। इसमें से दिव्यांग प्रमाणपत्र के 856 मामले का निष्पादन किया गया। रेलवे रियायत से संबंधित 124, दिव्यांग पेंशन योजना के 856, भूमि विवाद एवं आवंटन के 38, मुद्रा लोन के 78, आवास के 164, राशन कार्ड के 186, ड्राइविंग लाइसेंस के 26, छात्रवृत्ति के 464, कृषि एवं पशुपालन के 192, दिव्यांग उत्पीड़न के 16 मामले का निष्पादन किया गया। दिव्यांगों को प्रमाणपत्र देने के लिए 12 डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी।

192 कृषि एवं पशुपालन संबंधित मामले का हुआ निपटारा

16 | नवंबर | 2019

सभी को मिले समय पर न्याय

■ प्रेमचंद्र रंगशाला में आयोजित कार्यक्रम में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार व अन्य।

13000 से अधिक मामले चलंत न्यायालय के माध्यम से बीते दो वर्षों में निष्पादित किया गया

☞ स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच जागरुकता से न्यायालय पर कम होगा बोझ

☞ न्याय मित्र और पैरा लीगल वोलेंटियर निभा सकते हैं अहम भूमिका

शिवाजी ने बताया कि चलंत लोक अदालत के माध्यम से पिछले दो वर्षों में एक लाख 30 हजार से ज्यादा मामले को स्थानीय स्तर पर निपटाया जा सका है। लोक अदालत एवं स्थानीय स्तर के न्यायिक प्रक्रिया, ग्रामीण स्तर पर पंचों की भूमिका, प्रखंड स्तर पर बीडीओ की भूमिका, अनुमंडल स्तर पर हमारे अनुमंडलाधिकारी की भूमिका न्यायिक मामले में नकारा नहीं जा सकता है।

बदलाव नहीं होगा, तो फैसला मिल सकता है, न्याय नहीं : जस्टिस राजेंद्र

जस्टिस राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि देश के न्यायपालिका के समक्ष बहुत सारी चुनौतीयां हैं। सबसे बड़ी चुनौती वर्तमान न्यायिक व्यवस्था ही है। क्योंकि यह न्याय व्यवस्था अंग्रेजों की बनायी हुई है। अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के अनुकुल न्याय व्यवस्था का गठन करना तथा वर्तमान मानसिक परिवेश के अनुकुल कानून में परिवर्तन लाना भी चुनौती है। जब तक न्याय व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा तब तक फैसला तो मिल सकता है, लेकिन न्याय नहीं। जस्टिस प्रसाद जस्टिस फॉर सोसाइटी के तत्वावधान में पांचवें राष्ट्रीय सेमिनार में न्यायपालिका के समक्ष चुनौतीयों के विषय पर बोल रहे थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि न्यायपालिका को समाज के अनुकुल सशक्त करने की आवश्यकता है।

शिवाजी ने बताया कि चलंत लोक अदालत के माध्यम से पिछले दो वर्षों में एक लाख 30 हजार से ज्यादा मामले को स्थानीय स्तर पर निपटाया जा सका है। लोक अदालत एवं स्थानीय स्तर के न्यायिक प्रक्रिया, ग्रामीण स्तर पर पंचों की भूमिका, प्रखंड स्तर पर बीडीओ की भूमिका, अनुमंडल स्तर पर हमारे अनुमंडलाधिकारी की भूमिका न्यायिक मामले में नकारा नहीं जा सकता है। अगर यहां सही कार्य कर मामले को निपटाने का प्रयास किया जाये और लोगों को इसकी जानकारी दी जाये तो, न्यायालय का भार कुछ कम हो जायेगा। इसमें न्याय मित्र और पैरा लीगल वोलेंटियर अहम भूमिका निभा सकते हैं।

इस विषय पर लिखने वाले हुए पुरस्कृत

इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पटना कॉलेज के प्राचार्य प्रो. डॉ. मोहम्मद शरीफ ने कहा कि समाज में शांति पूर्णत: बहाल है। इसका मतलब है कि लोगों को न्याय मिल रहा है। सेमिनार में कई लोगों ने अपने विचार रखे। इस सेमिनार मे विषय पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसमें ईशा, शिखा, अनुराधा, साकेत, राहुल, रवि झा समेत अन्य लोगों को पुरस्कृत किया गया।

17 | नवंबर | 2019

दुदर्शन बिहार पर लाइव कार्यक्रम

▪ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने लाइव टॉक शो करते हुये।

☞ दिव्यांगों को सम्मान देने के साथ समय-समय पर मदद भी करनी चाहिए

☞ जैविक तरीके से खेती करने की करें पहल

☞ जैविक तरीके से उत्पन्न उत्पाद मानव जीवन के लिए सुरक्षित

प्रखंड सरैया / मुजफ्फरपुर

रैया प्रखंड के बहिलवारा गोविंद पंचायत के भटौलिया गांव में मुजफ्फरपुर बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट परिसर में संस्थान के नौवें स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार कृषि महोत्सव सह भगवान जानकी स्मृति सम्मान का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, पूर्व कुलपति डॉ गोपालजी त्रिवेदी, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ राजीव कुमार सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि किसान रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक तरीके से खेती करने की पहल करें। जैविक तरीके से खेती से उत्पन्न उत्पाद मानव जीवन के लिए सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन को सम्मान देने के साथ समय-समय पर उनकी मदद करनी चाहिए। एमबीआरआई के संस्थापक अविनाश जैसे कृषि वैज्ञानिकों के प्रयास से खेत व खलिहानों में हरियाली लौटने लगी है। आरएयू पूसा के पूर्व कुलपति

मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि किसान रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक तरीके से खेती करने की पहल करें। जैविक तरीके से खेती से उत्पन्न उत्पाद मानव जीवन के लिए सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन को सम्मान देने के साथ समय-समय पर उनकी मदद करनी चाहिए।

डॉ. गोपालजी त्रिवेदी ने कहा कि गांव के किसान देश का हृदय हैं। जब गांव विकास करेगा तब देश विकास करेगा। साहित्यकार डॉ संजय पंकज ने कहा कि पहले ऋषि व कृषि संस्कृति थी। अब कुर्सी संस्कृति है। जीवन को बचाना है तो, कृषि को बचाना होगा। मौके पर स्लम बस्ती के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।

प्रदेश में मौसंबी व नाशपाती की उगाई जा सकती है अच्छी फसल : डॉ. गोपालजी

जैविक खेती का उत्पाद मानव जीवन के लिए सुरक्षित : आयुक्त

19 | नवंबर | 2019

चार दिवसीय दौरा
अरवल जिला

दिव्यांगों को जागरूक करने की पहल

प्रखंडो का दौरा

दिव्यांगजनों की समस्या दूर करने के लिए अरवल के नगर भवन में चलंत न्यायालय का आयोजन होगा। 22 नवंबर को चलंत लोक अदालत की सफलता के लिए प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने समाहरणालय मे बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग जन परिवाद के माध्यम से अपना शिकायत पत्र दाखिल करेंगे। जिस पर सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि दिवयांगजनों के लिए कई योजनाओं चलायी जा रही है। इसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 2016 में नये कानून बनाये गये थे। उक्त कानून का अनुपालन हो रहा है या नहीं। इसकी भी जानकारी ली जाएगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 20 नवंबर को जिला सभागार, पुलिस सभागार, शिक्षा विभाग, बस स्टैंड आदि जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर आमलोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी। 21 नवंबर को जिला परिषद और नगर परिषद के अलावा सदर अस्पताल में बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रखंडों में भी बैठक कर चलंत न्यायालय की सफलता के लिए पहल की जयेगी। उन्होंने सभी दिव्यांगजनों को उनसे संबंधित कई प्रमुख योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान 2016, मुख्यमंत्री निःशक्तजन रोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण, दिव्यांगजनों को रोजगार में चार प्रतिशत का आरक्षण, गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण का लाभ देना है।

इसके अलावा दिव्यांगजनों को अन्य सरकारी अनुदेश में वर्णित अधिकार एवं सुविधाएं मुहैया करना है। दिव्यांगता के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बर्दाश्त करने के लिए सरकार तरह-तरह की योजनाएं चलाकर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर दिव्यांग बच्चा किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहे तो, उसे निःशुल्क पढ़ायी भी करायी जा रही है। प्राइवेट स्कूलों में उनके कुल फीस का 25 प्रतिशत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है। बैठक के माध्यम से उन्होंने दिव्यांगजनों को अति महत्वपूर्ण बाते विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी विरेंद्र कुमार सिंह व अन्य अधिकारी मौजदू थे।

प्रावधान

- मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत तीन लाख रुपये तक दिये जाते हैं
- रोजगार के लिए कम दर पर बैंकों से ऋण देने का है
- दिव्यांगों को निःशुल्क विशेष उपकरण दिये जाते हैं
- दिव्यांगजनों को रोजगार में चार प्रतिशत आरक्षण का दिया जाता है लाभ

दिव्यांगों को उपलब्ध कराई जाएंगी कई सुविधाएं

20 | नवंबर | 2019

जिला
अरवल

पदाधिकारियों के साथ बैठक

दिव्यांगजनों के परिवाद की सुनवाई के लिए 22 नवंबर को अंबेडकर नगर भवन में चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया है। इसे लेकर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने विभिन्न विभाग की बैठक अलग-अलग जगहों पर की और लोगों से कहा कि जिले में दिव्यांगजनों के लिए जो अधिकार हैं, उस पर अमल करें। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और सभी थानाध्यक्षों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। साथ ही उन्होंने ने निर्देश दिया की अगर कोई भी दिव्यांग अपनी प्रताड़ना की शिकायत करता है तो पुलिस उसपर तुरंत कार्रवाई करे। अगर वह दिव्यांग थाने तक पहुंचने में असमर्थ है तो, पुलिस उसके घर पर जाकर उसका रिपोर्ट लिखेगी और कार्रवाई करेगी।

शिक्षा विभाग में विभिन्न कोचिंग संस्थान व उच्च शिक्षण संस्थान के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। साथ ही निर्देश दिया की दिव्यांग के लिए चिह्नित सुविधाओं का लाभ उन्हें पहुंचाये।

जिले में संचालित बैंक के पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक की। सभी को दिव्यांगजनों के अधिकारों से अवगत कराया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उनसे अवगत करायें। उन्होंने कहा कि चलंत न्यायालय में दिव्यांगजन अपना प्रमाणपत्र सहित तमाम तरह की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। 21 नवंबर को जिला पर्षद, नगर पर्षद, बीआरसीसी, सदर अस्पताल, चलंत न्यायालय के आयोजन स्थल पर बैठक की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में 21 प्रकार के दिव्यांगों को शामिल किया गया है।

समीक्षात्मक बैठक

- 21 प्रकार के दिव्यांगों को नयी सूची में किया गया है शामिल
- निःशक्तजनों के सशक्तिकरण के लिए सरकार चला रही है योजनाएं
- दिव्यांगों को हर हाल में सभी सुविधाएं करायें मुहैया

■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने की अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और सभी थानाध्यक्षों के साथ समीक्षात्मक बैठक की।

> शिक्षा विभाग में विभिन्न कोचिंग संस्थान व उच्च शिक्षण संस्थान के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की। साथ ही निर्देश दिया की दिव्यांग के लिए चिह्नित सुविधाओं का लाभ उन्हें पहुंचाये।

21 | नवंबर | 2019

अरवल

औचक निरीक्षण

- दिव्यांगों को मदद के लिए जनप्रतिनिधि आगे आयें
- प्रत्येक पंचायत में बनायें दिव्यांगों का समूह
- पंचायतस्तर पर बनी कमेटी का हर 15 दिनों पर होगा बैठक

■ वंशी प्रखंड कार्यालय परिसर में सभी पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, विकास मित्रों व अधिकारियों की बैठक।

जिसमें वैसे दिव्यांगों को शामिल किया जाये, जो पढ़े लिखे हों और उन्हें सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी हो। इस समूह की बैठक हर 15 दिन पर होगी।

दिव्यांगों को सभी लोग करें सहयोग

अरवल | निज संवाददाता

बैठक

- पंचायत प्रतिनिधि दिव्यांगों की करें पहचान, योजनाओं का दें लाभ
- नगर भवन में आयोजित शिविर

वंशी प्रखंड कार्यालय परिसर में गुरुवार को सभी पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, विकास मित्रों व

रा

वंशी प्रखंड कार्यालय परिसर में सभी पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत सचिवों, विकास मित्रों व अधिकारियों की बैठक हुई। इस मौके पर राज्य नि:शक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगों को सहयोग करने के लिए सभी लोग आगे आयें। दिव्यांगों के विकास के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रही है। इसका लाभ उन्हें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को पेंशन से लेकर अन्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। पंचायत प्रतिनिधि इस मामले में सक्रिये भूमिका निभायें। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों के दिव्यांगों की पहचान कर चलंत न्यायालय तक लेकर आयें। उन्होंने कहा कि जिन दिव्यांगों को अब तक प्रमाणपत्र नहीं मिला है या अन्य सुविधाओं के लाभ से वंचित रहे हैं। ऐसे लोगों को लाभ देने के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है।

उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर दिव्यांगों के हितों के लिए एक समूह का गठन किया जाये। जिसमें वैसे दिव्यांगों को शामिल किया जाये, जो पढ़े लिखे हों और उन्हें सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी हो। इस समूह की बैठक हर 15 दिन पर होगी। प्रखंड पदाधिकारियों को राज्य आयुक्त ने प्रखंड स्तर पर एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया। इस कमेटी की बैठक प्रत्येक महीने होगी। इस कमेटी को पंचायत कमेटी अपनी शिकायतों को सौंपेगी।

दिव्यांगों को हर संभव मदद करें

वहीं वार्ड पार्षदों के साथ बैठक में राज्य नि:शक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगों को हर संभव मदद करने के लिए आप लोग आगे आयें। उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। प्रचार-प्रसार के अभाव में दिव्यांगजन इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए आपलोग उनको इन सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार का सहयोग करें।

22 | नवंबर | 2019

चलंत न्यायालय अरवल

3051
से अधिक दिव्यांगजनों ने चलंत न्यायालय में दर्ज करायी शिकायत

371
मामला दिव्यांग पेंशन के लिए आयें

300
मामले मुद्रा लोन संबंधित

200
मामले रेलवे रियायत के

नगर भवन में आयोजित चलंत लोक अदालत का उद्घाटन निःशक्तता आयुक्त और डीएम रविशंकर चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। निःशक्तता आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों से भेदभाव न बरतें। इन्हें हर संभव सहयोग करें। इनके विकास के लिए अधिकारी भी पूरी दिलचस्पी दिखायें।

दिव्यांगों को सुविधा देने को सरकार संकल्पित

चलंत लोक अदालत का आयोजन, निःशक्तता आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार व डीएम ने किया उद्घाटन

100 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया।

न्यायालय में ऑन द स्पॉट 12 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने दिव्यांगों का प्रमाणपत्र बनाया।

■ अरवल जिला में आयोजित चलंत लोक अदालत में आयुक्त को अपनी फरियाद सुनाते दिव्यांगजन।

दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार के द्वारा इनके विकास के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही है। इन योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। उक्त बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कही। नगर भवन में आयोजित चलंत लोक अदालत का उद्घाटन निःशक्तता आयुक्त और डीएम रविशंकर चौधरी ने संयुक्त रूप से किया। निःशक्तता आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों से भेदभाव न बरतें। इन्हें हर संभव सहयोग करें। इनके विकास के लिए अधिकारी भी पूरी दिलचस्पी दिखायें।

इस मौके पर डीएम ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम से दिव्यांगों में जागरुकता आयेगी और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलंत लोक अदालत में लगभग 3051से अधिक मामले आये। दिव्यांग पेंशन से संबंधित 371, मुद्रा लोन से संबंधित 300, रेलवे रियायत टिकट से संबंधित 200, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 90 तथा राशन कार्ड से संबंधित 100 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया। न्यायालय में ऑन द स्पॉट 12 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने दिव्यांगों का प्रमाणपत्र बनाया। लालपुर निवासी जीतेंद्र कुमार ने बताया कि यह अच्छी पहल है। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अन्य मामलों को एक महीने के अंदर निष्पादित करें। साथ ही आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना भेदभाव के दिव्यांगजनों की मदद करें।

28 | नवंबर | 2019

दरभंगा कार्यशाला

दिव्यांगों के हितों की रक्षा करने के मामले में बिहार देश में अव्वल

रोचक प्रश्नोत्तर सत्र में साधनसेवी ने प्रतिभागियों की शंकाओं का संतोषजनक जवाब देकर उन्हें संतुष्ट किया। इस अवसर पर डॉ. अनुपम कुमार सिंह, डॉ. अभिलाषा कुमारी, प्रो रागिनी रंजन, डॉ. पुनीता कुमारी, डॉ मीनाक्षी कुमारी व अन्य मौजूद थे।

दिव्यांगों के हितों की रक्षा करने के मामले में बिहार देश में अव्वल

■ आयुक्त ने प्रतिनिधियों के साथ की बैठक।

2005 से ही इंटरनेशनल खिलाड़ियों को नौकरी दे रही है।

■ यहां दिव्यांगों के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू है।

दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम 2016 को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। दिव्यांगों के हित रक्षा तथा पुनर्वास के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, सामाजिक, कानूनी, शैक्षणिक तथा आर्थिक व्यवस्था आवश्यक है। ये बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने सीएम कॉलेज में कही। वे कॉलेज के स्नातकोत्तर मनोविज्ञान विभाग तथा भारतीय स्वास्थ्य, शोध एवं कल्याण संघ, हिसार के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांगों के मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का मूल्यांकन एवं हस्तक्षेप विषयक तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मानसिक दिव्यांगों का समुचित इलाज के साथ-साथ उनकी सामाजिक स्वीकार्यता बेहद जरूरी है। हम सबों की नैतिक जिम्मेदारी है कि दिव्यांगजनों को सही इलाज स्थल तक पहुंचायें तथा उन्हें सरकारी सुविधाओं की जानकारी देकर उनका वास्तविक लाभ दिव्यांगों को दिलावायें। उन्होंनें कहा कि न्यूटन, मारकोनी, आइंस्टीन, ग्राहम बेल आदि विख्यात वैज्ञानिक भी दिव्यांग थे। विश्व के सर्वाधिक धनाढ्य व्यक्ति बिल गेट्स भी दिव्यांग हैं। दिव्यांगों को भी समाज में पूरे सम्मान के साथ जीने का पूर्ण अधिकार है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां दिव्यांगों के लिए विशेष कोर्ट गठित किये गये हैं। यहां दिव्यांगों के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी नौकरियों में आरक्षण लागू है। बिहार सरकार यहां 2005 से ही इंटरनेशनल खिलाड़ियों को नौकरी दे रही है। समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य डॉ. मुश्ताक अहमद ने कहा कि इस कार्यशाला से सामान्य लोगों को भी दिव्यांगजनों के बारे में विस्तृत जानकारी मिली है। तकनीकी सत्र में साधनसेवी के रूप में यूपी कॉलेज, पूसा के मनोविज्ञान विभाग के प्राध्यापक तथा नैदानिक चिकित्सक डॉ. दीपक भारद्वाज ने कहा कि दिव्यांगता किसी भी अवस्था, क्षेत्र, स्थिति में हो सकता है, जिनकी सही पहचान तथा उनकी वास्तविक जरूरत पूरी होनी चाहिए।

29 | नवंबर | 2019

राज्यस्तरीय कार्यशाला

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग सप्ताह कार्यक्रम

दिव्यांगजनों का क्षमता संवर्धण जरूरी : आयुक्त

इसके साथ ही उन्होंने चयनित प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला स्तरीय दिव्यांगजन समिति में चयनित प्रतिनिधियों के लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि पंचायत से लेकर जिले तक आम से खास दिव्यांगों को उनके एक-एक अधिकारों को जन-जन तक पहुंचाया जाये।

■ आयुक्त ने प्रतिनिधियों के साथ की बैठक।

38

जिलों के दिव्यांग प्रतिनिधियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया।

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) कार्यालय, बिहार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के पूर्व राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। दो दिवसीय इस कार्यशाला का उद्देश्य दिव्यांगजन की क्षमता संवर्धन है। ज्ञातव्य है कि इस कार्यशाला में बिहार के विभिन्न जिलों से आये प्रखंडस्तरीय दिव्यांगजन समिति व जिला स्तरीय दिव्यांगजन समिति व जिला स्तरीय दिव्यांगजन समिति के चयनति प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यशाला के अंतिम दिन मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली और पश्चिम चंपारण के कुल 19 जिलों के दिव्यांग प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह दो दिनों के कार्यशाला में बिहार के कुल 38 जिलों के दिव्यांग प्रतिनिधियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया। विदित हो कि राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय विश्व दिव्यांग दिवस का आयोजन एक पखवाड़ा तक किया जा रहा है। यह पखवाड़ा 29 नवंबर से शुरू हो कर 13 दिसंबर तक चलेगा। इसी पखवाड़ा के तहत पंचायत से लेकर जिला स्तर पर दिव्यांगजनों की पहचान एवं क्षमता संवर्धन के लिए राज्य भर में कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पटना में आयोजित इस कार्यशाला में हर जिले से दिव्यांग प्रतिनिधियों को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया गया है।

यही मास्टर ट्रेनर अपने जिले और जिले के पंचायतों में दिव्यांगों को प्रशिक्षित करेंगे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार द्वारा मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित करते हुए कहा गया कि वह इस प्रशिक्षण का उपयोग अपने क्षेत्र के दिव्यांगजनों के हित में करें। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पंचायत स्तर पर भी दिव्यांगजनों के अधिकारों व हक के बारे में जन जागरूकता लाने का काम आज से शुरू किया जाये।

सूबे के दिव्यांगजनों को किया जाएगा जागरूक

कार्यशाला

क्रं0सं0	वाद सं0	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
53.	53/2019	बक्सर	वादी :- श्री सोना लाल वर्मा, पिता-श्री भगवान प्रसाद वर्मा, बक्सर प्रतिवादी :- सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना	प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के संबंध में
54.	54/2019	अरवल	वादी :- मो0 फिरदौस अख्तर, पिता-मो0 सम्मी अख्तर, अरवल। प्रतिवादी :- प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अरवल	लगड़ा कह कर प्रताड़ित करने एवं अपमानित करने के संबंध में
55.	55/2019	भागलपुर	वादी :- श्री परमानन्द चौधरी पुत्र श्री मोहन चौधरी, भागलपुर प्रतिवादी :- आरक्षी अधीक्षक, भागलपुर, बिहार करने के संबंध में	दो लाख रूपया रंगदारी माँगने, मार-पीट करने तथा अन्य तरह से प्रताड़ित
56.	56/2019	नालंदा	वादी :- श्री अतुल्या दीपक कुमार, नालंदा प्रतिवादी :- सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना	ए0एन0एम0 (ANM) पद के लिए प्रकाशित अनुशंसित अभयार्थियों की त्रुटीपूर्ण के संबंध में
57.	57/2019	मधेपुरा	वादी :- श्री गौतम कुमार गंभीर, पिता-श्री कुमार जयकृष्ण प्रसाद, मधेपुरा प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला समाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा एवं अन्य	दिव्यांगता पेंशन राशि के भुगतान के संबंध में
58.	58/2019	सीतामढ़ी	वादी :- श्रीमती शीला कुमारी, पत्नी श्री अवधेश नायक, सीतामढ़ी प्रतिवादी :- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस, सीतामढ़ी, बिहार	अवैध रूप से सेविका की नियुक्ति के संबंध में
59.	59/2019	नालंदा	वादी :- श्री सुदर्शन कुमार, जिला-नालंदा। प्रतिवादी :- सिविल सर्जन, नालंदा, बिहार	दिव्यांगता प्रतिशत कम करने के संबंध में।
60.	60/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- श्रीमती राधा साह, पति-श्री अनिल कुमार, मुजफ्फरपुर प्रतिवादी :- अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिम अनुमंडल मुजफ्फरपुर एवं अन्य	जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति से वंचित किये जाने संबंध में
61.	61/2019	वैशाली	वादी :- श्री लाल बाबु राय, पिता- श्री कपिलदेव राय, वैशाली। प्रतिवादी :- जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली एवं अन्य	40 प्रतिशत दिव्यांग को आरक्षित पद पर नियुक्त के संबंध में
62.	62/2019	मधुबनी	वादी :- श्री हरिबोल यादव, मधुबनी। प्रतिवादी :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधबुनी।	दिव्यांग पेंशन स्वीकृती हेतु।
62.	63/2019	रोहतास	वादी :- श्री संदीप कुमार सिंह, रोहतास (सासाराम)। प्रतिवादी :- परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन राष्ट्रभाषा परिषद, सैदपुर, पटना (बिहार)	प्रखण्ड साधन सेवी (समावेशी शिक्षा) को उच्च स्तरीय कमिटि की सेवा सुविधा प्रदान करने के संबंध में
64.	64/2019	पटना	वादी -: श्री मुकेश कुमार सिन्हा, पटना प्रतिवादी :- सचिव, जगमणी पैलेस अपार्टमेंट, शक्ति नगर, खोजा इमली, अनिसाबाद,पटना	मारपीट एवं दुर्व्यव्हार करने के संबंध में अगला पेज : 140

DECEMBER 2019

दिसंबर 2019

विकास निगम द्वारा स्वरोजगार के लिए कम दर पर मिलता ऋण

टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने जनप्रतिनिधियों एवं दिव्यांगजनों के साथ बैठक की। बैठक कर उन्होंने विभिन्न दिव्यांगता के प्रकार की जानकारी देते हुए शत प्रतिशत निःशक्तता प्रमाणपत्र बनाने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को दी जाने वाली लाभ की जानकारी दी।

pg-138

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग दिवस कार्यक्रम

pg-126

पाक्षिक दिव्यांगता दिवस कार्यक्रम

pg-127

दो सप्ताह तक अलग-अलग...

pg-128

दिव्यांगजन जागरूकता कार्यक्रम

pg-130

ऑन द स्पॉट बनायें दिव्यांगता प्रमाणपत्र

pg-131

पंचायत स्तर पर ऑन द स्पॉट निरीक्षण

pg-139

03 | दिसंबर | 2019

राज्यस्तरीय कार्यशाला

■ आयुक्त ने प्रतिनिधियों के बातचीत करते।

कोई दिव्यांग सरकारी सुविधाओं से नहीं रहेगा वंचित

विश्व दिव्यांग दिवस पर चल रहा जागरूकता अभियान

55 हजार दिव्यांग शामिल हुये 38 जिलों में

234 सेमिनार में थे शामिल

234 लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से

08 हजार लोग जानें मीडिया से

अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस

राज्य के निजी संस्थानों में दिव्यांगजनों की पांच फीसदी नियुक्ति अनिवार्य हो गयी है। जिस निजी संस्थान में 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, वहां पांच फीसदी दिव्यांगजनों की नियुक्ति करनी होगी। उनको सामान्य व्यक्तियों की तरह समान सुविधाओं प्रदान करनी होगी। निजी संस्थआनों में कंपनी, फर्मा, सहकारी या अन्य सोसायटी, संगम, न्यास, अभिकरण, संस्था, संगठन, संघ, कारखाना सभी शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने निजी स्थापना के लिए दिव्यांगजन समान अवसर नीति जारी कर दी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 21 (1) के अनुसार प्रत्येक स्थापना में समान अवसर नीति को लागू कियाजाना अनिवार्य है। इसी के तहत केंद्र ने दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 जारी की है, जिसके नियम-8 के तहत समान अवसर के प्रकाशन की नीति का प्रवाधान किया गया है। डॉ. शिवाजी ने प्रेस कांफ्रेंस में बतायाकि निजी संस्थानों को दिव्यांगजन समान अवसर नीति के पालन करने के पूर्व राज्य निःशक्तता के कार्यालय में निबंधन कराना होगा। वहीं 20 कर्मिकों वाले निजी संस्थान को एक दिव्यांग को नियुक्त करना होगा। संस्थान की वेबसाइट परसमान अवसर नीति का प्रदर्शन करना होगा।

आयुक्त ने कहा कि निजी संस्थानों द्वारा दिव्यांगजन समान अवसर नीति का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। संस्थान का निबंधन संबंधित विभागों के द्वारा रद्द किये जाने की अनुशंसा की जा सकती है। मौके पर मौजूद अपर आयुक्त निःशक्तता शंभु कुमार रजक ने बताया कि इस नीति का पहले प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि निजी क्षेत्र के संस्थान दिव्यांगजनों के अधिकार के प्रति जागरूक हो सकें।

सभी दिव्यांगों को मिलेगा सरकारी सुविधा का लाभ

बिहार सरकार जिलों में जन जागरूकता अभियान चला कर दिव्यांगों को जागरूक कर रही है। सरकार का लक्ष्य है की दिव्यांग इस योजना से वंचित न रहें। उक्त बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहीं। वह विश्व दिव्यांग दिवस जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में उन्होंने स्वीकरा किया कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ऐसे दिव्यांग हैं। जिन्हें सरकारा द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी नहीं है। इसको लेकर दिव्यांगों को जागरूक करना होगा। हर एक पंचायत, प्रखंड और जिलों में दिव्यांग दिवस पर आमसभा कर उन्हें जागरूक किया जाये। उसके लिए जनसंपर्क अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाना चाहिए।

> दिव्यांगजन समान अवसर नीति का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। संस्थान का निबंधन संबंधित विभागों के द्वारा रद्द किये जाने की अनुशंसा की जा सकती है। **मौके पर मौजूद अपर आयुक्त निःशक्तता शंभु कुमार रजक ने बताया कि इस नीति का पहले प्रचार-प्रसार किया जायेगा ताकि निजी क्षेत्र के संस्थान दिव्यांगजनों के अधिकार के प्रति जागरूक हो सकें।**

07 | दिसंबर | 2019

86वीं पूर्वी क्षेत्रीय अभिभावक सम्मेलन

पाटलिपुत्र पैरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड एवं संभव मधुबनी के संयुक्त तत्वावधान में विश्व दिव्यांग जागरूकता पखवारा के तहत दो दिवसीय 86वीं पूर्वी क्षेत्रीय अभिभावक सम्मेलन का शुभारंभ आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह, राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने कहा कि इस तरह के सम्मेलन से बौद्धिक अक्षम बच्चों के अभिभावकों को नयी ऊर्जा मिलेगी। आशा की नयी किरण खिलेगी। राज्य के दिव्यांगों के कल्याण के लिए नीतीश सरकार पूरी तरह संवेदनशील रहते हुए कार्य कर रही है। दिव्यांगों के विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उनके विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जा चुका है। आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा क दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए उनके परिजनों को सजग रहने की जरूरत है। दिव्यांगों के लिए निर्धारित योजनाओं के लाभ के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों को जागरूक होना होगा। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि बौद्धिक दिव्यांग, ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी बच्चों के लिए सरकार कार्य कर रही है। जरुरत है अभिभावकों को जागरूक होने की। सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव में दिव्यांग सरकारी लाभ से वंचित हो जाते हैं। राज्य के दिव्यांगजनों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सम्मेलन में एनआइइपीआइडी अध्यक्ष श्रीरंग बिजूर, क्षेत्रीय निदेशक डॉ. हेमंत केशवाल, डॉ. राजीव गंगौल, झारखंड पैरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष दीपा चौधरी, संदीप कुमार व अन्य मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बौद्धिक दिव्यांग, ऑटिज्म सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों का शिक्षण-प्रशिक्षण व्यवसायिक परीक्षण, सामाजिक परिवेश, लिविंग विथ डिग्निटी, सेल्फ एडवोकेसी की जानकारी दी गयी।

☞ **समाज कल्याण माननीय मंत्री श्री रामसेवक सिंह द्वारा किया गया उद्घाटन।**

☞ **दिव्यांग बच्चों को सरकारी लाभ मिले, इसके लिए अभिभावक को रहना होगा जागरूक**

☞ **सरकार विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के लिए कई योजनाओं पर कर रही है कार्य**

200 से अधिक मानसिक दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों ने लिया कार्यक्रम में हिस्सा

4000 से अधिक लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े

दिव्यांगों के कल्याण की दिशा में राज्य की सरकार पूरी तरह संवेदनशील : रामसेवक

12 | दिसंबर | 2019

समाजिक आंकेक्षण

एक साल में चलंत कोर्ट में दिव्यांगों के 59694 मामले

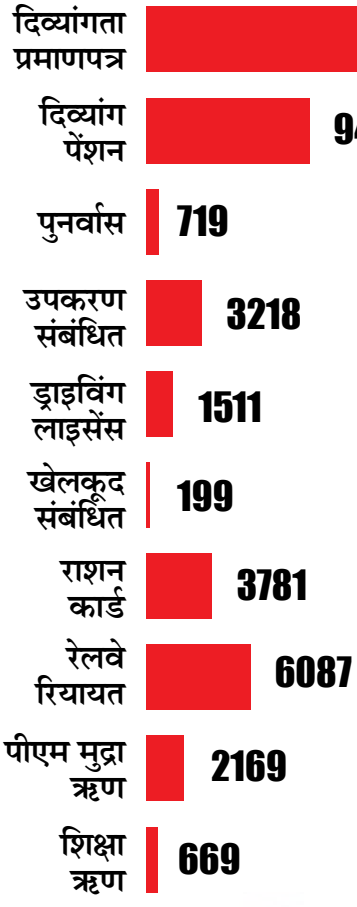

*निबटाये गये केसों की

■ आयुक्त ने दिव्यांगजनों के साथ की थी बैठक।

राज्य निःशक्तता आयुक्त के कार्यालय द्वारा वित्तिय वर्ष 2018-19 में 20 जिलों में 23 चलंत न्यायालय लगाया गया। जहां उन दिव्यांगजनों के वैसे मामलों को सुना गया, जिसे संबंधित विभाग ने सुनने से इन्कार कर दिया था। अधिकारियों के मुताबिक कोर्ट में सबसे अधिक शिकायत दिव्यांगता प्रमाणपत्र अस्तपतालों में नहीं बनाने को लेकर आया था। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा दिव्यांगों के शिकायत पर सभी सिविल सर्जन को निर्देश भेजा गया है कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने में लापरवाही नहीं करें। अगर वह अपने कार्यशैली में सुधार नहीं लाते हैं, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि चलंत न्यायालय में दिव्यांगजनों के शिकायतों का निबटारा तुरंत किया जाता है। सबसे अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनाने का मामला था। इस सबंध में पूर्व में भी सभी सिविल सर्जन को दिशा निर्देश भेजा गया है। अब कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

चलंत कोर्ट में दिव्यांगों के 59,694 मामले निबटे

- न्यायालय में सबसे अधिक 27,365 मामले दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आये, डॉक्टरों को मिला निर्देश

संवाददाता ▷ पटना

राज्य आयुक्त निःशक्तता दिव्यांगजन के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में 20 जिलों में 23 चलंत न्यायालय लगाया गया, जहां उन दिव्यांगजनों के वैसे मामलों को सुना गया, जिसे संबंधित

इन शिकायतों का निबटा

दिव्यांगता प्रमाणपत्र	27,365
दिव्यांग पेंशन	9498
पुनर्वास	719
उपकरण संबंधित	3218
ड्राइविंग लाइसेंस	1511
खेलकूद संबंधित	199
राशन कार्ड	3781
रेलवे कन्सेशन	6087

14 | दिसंबर | 2019

दो सप्ताह तक अलग-अलग हिस्सों में दिव्यांग दिवस मनाया गया

सरकारों और समाज की जिम्मेवारी बनती है उन्हें बराबरी के मौके उपलब्ध कराने की। राज्य आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि सरकार चाहती है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। दिव्यांगों के लिए एक नया कानून आया है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016। कहा कि पहले दिव्यांगों की श्रेणी सात थी लेकिन अब यह इक्कीस हो गई है। इसमें चलंत संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशीय दुर्विकार, ठीक किया हुआ कुष्ठ, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, वाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रूग्णता, क्रानिक स्त्रायविक स्थिति, बहुल काठिन्य, पार्किन्सन रोग, हीमोफीलिया, थैलसीमिया तथा सिकल सेल रोग को शामिल किया गया है। अगर कोई व्यक्ति 40 प्रतिशत दिव्यांग है तो वह केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकता है। लेकिन अगर उससे कम प्रतिशत दिव्यांग है और उसके आवेदन को चिकित्सक निरस्त कर रहे हैं तो उसे उसका कारण भी बताना होगा। अन्यथा उस चिकित्सक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कहा कि दिव्यांगों कई योजनाएं हैं जिनमें मुख्यमंत्री निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना 2016, मुख्यमंत्री निःशक्त जन स्वरोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना- दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण, मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना- विकलांगजनों का सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण शामिल है। 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए समुचित वातावरण एवं मुफ्त शिक्षा, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण, गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 व संबंधित नियमावलियों में कार्यकारी आदेशों व अन्य सरकारी अनुदेशों में दिव्यांगों के लिए वर्णित अधिकार व सुविधाएं तथा दिव्यांगता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव संबंधित मामले की सुनवाई की जाएगी। वहां 42 सौ दिव्यांगजन का ऑर्डर पास करना पड़ा। उन्होंने निदेश देते हुए कहा कि सभी दिव्यांगों का सर्टिफिकेट बनाने का कार्य पूरा कर लिया जाय अन्यथा कार्रवाई होगी। अगर कोई चिकित्सक किसी दिव्यांगजन को बाहर रेफर करता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांगों की शिकायत सुनने के लिए एक टोल फ्री नंबर चालू किया गया। इस नंबर पर कोई भी दिव्यांगजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

250
दिव्यांग शामिल हुये

1000
अभिभावक हुये जाकरूक

6243
लोग सीधे जुड़े कार्यक्रम से

15 हजार
लोग जानें मीडिया से

दो सप्ताह तक अलग-अलग हिस्सों में दिव्यांग दिवस मनाया गया

■ आयुक्त ने दिव्यांगजनों से मुलाकात करते हुये।

> सभी दिव्यांगों का सर्टिफिकेट बनाने का कार्य पूरा कर लिया जाय अन्यथा कार्रवाई होगी। अगर कोई चिकित्सक किसी दिव्यांगजन को बाहर रेफर करता है तो **उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांगों की शिकायत सुनने के लिए एक टोल फ्री नंबर चालू किया गया। इस नंबर पर कोई भी दिव्यांगजन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।**

17 | दिसंबर | 2019

चलंत न्यायालय / कटिहार

■ आयुक्त ने प्रतिनिधियों के साथ की बैठक।

21

श्रेणी में रखा गया है दिव्यांगों को

दिव्यांगों को सशक्त करने के लिए चलायी जा रही हैं कई प्रकार की योजनाएं

दिव्यांग समुदाये को मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार की कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। जागरूकता के अभाव में दिव्यांगजन उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। यहीं वजह है कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों को जागरूक करते हुए उसे लाभान्वित करने की कोशिश शुरू की गयी है। चार दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने विभिन्न प्रखंडों का दौरा करने के बाद समाहरणालय के सभाकक्ष में संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब कुल 21 श्रेणी के दिव्यांग हैं। सभी श्रेणी के दिव्यांगों को कानून एवं योजना के मुताबिक लाभ दिया जाना है। उन्होंने कहा कि पहली बार बिहार में दिव्यांगजनों के लिए चलंत अदालत लगाया जा रहा है। अब तक 33 जिले में चलंत अदालत लगाया जा चुका है। आगामी 20 दिसंबर को कटिहार में चलंत अदालत लगाया जायेगा। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 एवं बिहार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 के तहत दिव्यांगजनों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गयी हैं।

प्रखंडों का दौरा

अधिनियम व नियमावली के तहत सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक पहुंचाने के लिए अब मिशन मोड में अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर दिव्यांगों को पेंशन की समस्या या उसके बारे में ही जानकारी होती है। जबकि दिव्यांग अधिकार को लेकर अब कानून बन चुका है। बिहार सरकार नियमावली भी बना दी है। ऐसे में उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य के 534 प्रखंडों में इस बार तीन दिसंबर को दिव्यांगों के लिए मनरेगा योजना के तहत प्रखंड स्तर पर कैंप लगाया गया। करीब एक लाख दिव्यांगों का जॉब कार्ड बनाया गया। उन्होंने बताया कि सरकारी सेवाओं में दिव्यांगजनों को चार प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी गयी है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में पांच प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर अर्थात मॉल, निजी स्कूल, कॉलेज सहित निजी क्षेत्र के सभी तरह के प्रतिष्ठान व उपक्रम में दिव्यांगों को आरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन को लेकर दिव्यांगों के बीच कई तरह की प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गयी है। कौशल विकास एवं रोजगार के प्रावधान को लेकर सरकारी की कई योजनाएं चल रही है।

निर्देश • ब्लॉक में निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने की दिव्यांग समूह की बैठक

बरारी ब्लॉक में दिव्यांगों के लिए आयुक्त ने कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी

योजनाओं के लाभ के लिए प्रखंड क्षेत्र में चलाना होगा जागरूकता अभियान

18 | दिसंबर | 2019

चलंत न्यायालय / कटिहार

उचित प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया राज्य आयुक्त ने

राज्य आयुक्त ने स्टेशन पर दिव्यांगों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर भी बातचीत की। राज्य आयुक्त ने शहर के मॉल एवं बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान के संचालक से भी दिव्यांगों को मिल रही सुविधा की जानकारी ली। इस मौके पर सदर एसडीओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

दिव्यांगजनों की योजनाओं में शत-प्रतिशत उपलब्धि नहीं
देख बिफरे आयुक्त, लगाई अधिकारियों को फटकार

40%
अधिक दिव्यांगता होने पर ही बनाये स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र

सार्वजनिक स्थलों/ भवनों का एक्सेस ऑडिट

सुगम्य भारत अभियान

■ आयुक्त ने प्रतिनिधियों के साथ की बैठक करते हुये।

पहले केवल सात प्रकार के दिव्यांगजनों के कैटेगरी का प्रावधान था। अब दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 के तहत 21 प्रकार के प्रावधान किये गये हैं। जिसमें हीमोफीलया, थैलेसीमिया, सिकल रोग पार्किन्सन रोग आदि शामिल हैं। सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत एवं गैर सरकारी नौकरी में पांच प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। उक्त बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में कहीं। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता की स्थिति में ही स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनावें। 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता का प्रमाणपत्र पर जो गलत तरीके से नौकरी प्राप्त किये हैं उनके खिलाफ अभियान चलाकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कुष्ठ शताब्दी पेंशन योजना के तहत भी 1500 रुपये दिये जाते हैं। राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बैठक में पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि थाना में दिव्यांगजनों से सम्मान पूर्वक व्यवहार करें। उन्होंने बैंक के पदाधिकारियों एवं कोचिंग संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डंडखोरा प्रखंड पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुपालन को लेकर बैठक की। राज्य निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार ने प्रखंड क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा की। सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ दिव्यांगजनों तक शत प्रतिशत पहुंचाने के लिए उन्होंने बीडीओ और सीओ को निर्देश दिया। साथ हीं कहा कि प्रत्येक दिव्यांग को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य दें। प्रत्येक पंचायत में दिव्यांगों के समूह का गठन करायें।

राज्य आयुक्त ने रेलवे स्टेशन पर दिव्यांगों को मिल रही सुविधा का जायजा लिया। स्टेशन के रैंप का भी जायजा लिया। राज्य आयुक्त ने टिकट काउंटर पर पहुंचकर वहां मौजूद दिव्यांगों से होने वाली असुविधा की जानकारी ली।

19 | दिसंबर | 2019

अनुमंडल/प्रखंड/ पंचायत
दिव्यांग समूह के साथ बैठक

60
से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों ने विशेष प्रशिक्षण में लिया हिस्सा

16
प्रखंडों के प्रभारी व जांच टीम ने लिया प्रशिक्षण शिविर में भाग

■ आयुक्त ने सभी दिव्यांगजनों की फरियाद सुनी।

• दिव्यांगों को प्रमाणपत्र बनाने के लिए बार-बार नहीं लगाना पड़े अस्पताल का चक्कर

ऑन द स्पॉट बनायें दिव्यांगता प्रमाणपत्र

सदर अस्पताल के सभागार में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर आयुक्त ने निःशक्तता प्रमाणपत्र बनाने के सभी तकनीकी से अवगत कराया। फार्म भरने के तरीके से लेकर निःशक्तता होने के प्रमुख बीमारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 21 प्रकार की बीमारियां लोगों को हो सकती है। इससे मानसिक व शारीरिक रूप से लोग दिव्यांग हो सकते हैं। इलाज करते समय सभी चिकित्सक इस बात का ख्याल रखें कि इलाज की प्रकिया या दवा का उपयोग करने से दिव्यांगता का कारण नहीं बने। साथ ही प्रमाणपत्र बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि दिव्यांग लोगों को बार-बार विभाग या डॉक्टर का चक्कर नहीं लगाना पड़े। उन्होंने जिले के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों से कहा कि दिव्यांगजनों को परेशान नहीं करे। वह दैनिक कार्य अवधि में जिस समय अस्पताल आते हैं। उसी समय उन्हें दिव्यांगता प्रमाणपत्र मिल जाना चाहिए। दिव्यांगता प्रमाणपत्र देने के लिए किसी शिविर का इंतजार नहीं करें तथा विशेष तिथि निर्धारित करने की जरूरत नहीं है। सभी संबंधित स्वास्थ अधिकारियों को यह सोचना होगा कि पैर और आंख से दिव्यांग व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचने में कितनी परेशानी होती है। उनके परेशानियों को महसूस कर प्रमाणपत्र निर्गत करें। आयुक्त ने बैठक में सख्त निर्देश दिया कि दिव्यांगों की ओर से मिलने वाली शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी।

मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी व जीविका डीपीएम के वेतन पर रोक

निशक्तता आयुक्त की बैठक में देर से पहुंचने पर कार्रवाई का निर्देश

20 | दिसंबर | 2019

चलंत न्यायालय / कटिहार

3052 परिवादों का चलंत अदालत में हुई सुनवाई

934 से अधिक प्रमाणपत्र बनाने को आये आवेदन

456 आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ के लिए आये

120 आवेदन रेलवे में दिव्यांगों को मिलने वाली छूट को लेकर आये

ऑन द स्पॉट निपटारा

कटिहार जिले में दिव्यांग चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें 32 काउंटर बनाये गये थे, जिसमें सभी 3052 परिवादों की सुनवाई की गयी। चलंत अदालत के माध्यम से दिव्यांगजनों के प्रमाणपत्र का निर्गमन, 18 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए समुचित वातावरण एवं मुफ्त शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण, गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण पर विशेष रूप से चर्चा भी किया गया। मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि चलंत न्यायालय का आयोजन आगे चलकर प्रखंडस्तर पर भी लगाया जा सकता है। जिससे दिव्यांगजनों की लंबित समस्याओं का निपटारा किया जाये। विभागीय अधिकारी व कर्मी बारी-बारी से आने वाले दिव्यांगों के समस्याओं का समाधान कर रहे थे।

मनरेगा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, डीआरडए, डीआरसीसी, बैंक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, राजस्व सहित अन्य विभागों के द्वारा काउंटर लगाया गया था। जिसमें संबंधित विभाग से पीड़ित दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी गयी। चलंत न्यायालय में दिव्यांगजनों के द्वारा दिव्यांग प्रमाणपत्र बनवाने वाले काउंटर में सबसे अधिक भीड़ लगी रही। डीपीआरओ संजीव कुमार सज्जन ने बताया कि कुल 2650 परिवादों में केवल 934 परिवाद दिव्यांग प्रमाणपत्र के लिए आये थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 456, रेलवे छूट प्रमाणपत्र से संबंधित 120, व्हील चेयर से संबंधित कुल आठ परिवाद दर्ज किये गये। इसके अलावा रोजगार, उपकरण सहित अन्य मामलों के भी परिवादों का निपटारा किया गया।

मौके पर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां के दिव्यांगों के समस्या समाधान के लिए सरकार प्रशासन खुद उन तक पहुंच रही है। राज्य सरकार कटिहार हीं नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी दिव्यांगों की समस्या के लिए तत्काल संबंधित अधिकारियों को समाधान का निर्देश दे रही है।

■ आयुक्त ने 1600 मामलों का निपटारा किया।

420 दिव्यांगों के लिए पीएम आवास योजना की मिली स्वीकृति

दिव्यांग चलंत अदालत में 1600 मामलों का किया गया निष्पादन

23 | दिसंबर | 2019

शिक्षक नियोजन

न्यायालय ने शिक्षक नियोजन मामले में सुनवाई की

राज्य निःशक्तता आयुक्त के न्यायालय ने राज्य में होने वाले शिक्षक नियोजन के तहत दिव्यांगजनों के आरक्षण रोस्टर में खामी पाये जाने के बाद इसमें सुधार करने का निर्देश दिया है। साथ ही हर प्रखंड में एक-एक पद पर दिव्यांगों द्वारा आवेदन करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय देने का निर्देश दिया है।

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने न्यायालय ने शिक्षक नियोजन मामले में सुनवाई की। इसमें सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। नालंदा के माहिम राय और सहरसा के शिवशंकर कुमार से प्राप्त शिकायत की सुनवाई की गयी। शिकायतकर्ताओं ने प्रारंभिक शिक्षक नियोजन, 2019-20 में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा सभी जिलों में दृष्टि बाधित दिव्यांगजनों के लिए अनुमान्य रिक्तियों का स्पष्ट प्रकाशन नहीं किये जाने की शिकायत सक्षम न्यायालय से की थी। सुनवाई के दौरान यह जानकारी मिली कि सभी जिलों में शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन प्राप्त किये जाने को लेकर प्रकाशित विज्ञापन में स्पष्टता एवं एकरूपता का अभाव है। इसके कारण दिव्यांगजनों को आवेदन करने में काफी परेशानी हो रही है। दिव्यांगजनों के लिए प्रकाशित आरक्षित पदों की गणना में भी प्रथम दृष्टया त्रुटि पायी गयी है।

राज्य निःशक्तता आयुक्त ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि दिव्यांगजनों के लिए स्पष्ट रिक्ति की सूची बनाकर प्रत्येक प्रखंड में एक स्थान पर आवेदन करने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दें. बढ़ायी गयी तिथि का प्रचार-प्रसार भी करायें। बढ़े हुए समय की गणना रोस्टर प्रकाशन की तिथि से होगी। कोर्ट ने दिव्यांगजनों को दिये जाने वाले चार फीसदी क्षैतिज आरक्षण को लेकर निदेशक माध्यमिक शिक्षा व प्राथमिक शिक्षा को भी आवश्यक निर्देश देने को कहा है। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी प्रतिवादी बनाते हुए उनका पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया। कोर्ट द्वारा इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

> कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग एवं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को भी प्रतिवादी बनाते हुए उनका पक्ष जानने के लिए नोटिस जारी किया।

■ राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने न्यायालय ने शिक्षक नियोजन मामले में सुनवाई की।

- ☞ सामान्य प्रशासन व शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों को भेजा गया नोटिस
- ☞ दिव्यांगों को राज्य सरकारी की नियुक्ति में चार प्रतिशत आरक्षण का मिले लाभ

दिव्यांगजनों के आरक्षण रोस्टर में खामी सुधारें : आयुक्त

दिव्यांगों को आवेदन के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय

शिक्षक नियोजन

13

स्पष्ट रिक्ति की सूची बनाने को कहा

26 | दिसंबर | 2019

किशनगंज जिला

प्रखंडों का दौरा और एडवोकेसी बैठकें

दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलायी जा रही है, लेकिन जानकारी व जागरूरता के अभाव में दिव्यांगजन इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ये बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कही। किशनगंज समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष कोर्ट का गठन किया गया है। दिव्यांगजनों को अलग से जॉब कार्ड मुहैया कराना है। जीविका में भी दिव्यांगजनों का समूह बनाया जाना है। आयुक्त ने कहा कि जिले में पांच दिवसीय कार्यक्रम निर्धारित है। जिसके तहत जिले में प्रखंडवार समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक प्रखंड में दिव्यांग समूह का गठन किया जायेगा।

कौशल विकास एवं रोजगार का प्रावधान : डॉ. शिवाजी कुमार ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए मुख्यधारा के सभी औपचारिक एवं अनौपचारिक व्यवसाय एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना है। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दिव्यांगजनों को पर्याप्त सहयोग प्रदान करना है। दिव्यांगों के अधिकार के संबंध में बताते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकारी इकाइयों में अनुकूल एवं उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति की प्रोन्नति से इन्कार नहीं किया जा सकता है। कोई भी सरकारी इकाई किसी भी सरकारी कर्मचारी को सेवा के दौरान दिव्यांगता से ग्रसित होने पर उसे अविमुक्त या रैंक में कमी नहीं कर सकता है। राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों की आजीविका के लिए राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार एवं अन्य आर्थिक कार्यों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग एवं अन्य उद्योगों के लिए 50 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण का प्रावधान है। दीनदायल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार का प्रवाधान है। जन धन योजना के तहत भी दिव्यांगजनों को आर्थिक समावेश का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण तथा दिव्यांगजनों के समूह को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। रोजगार महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी दिव्यांगजनों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं आर्थिक पुनर्वास सहायता प्रदान करता है।

> रोजगार महानिदेशालय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी **दिव्यांगजनों को व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं आर्थिक पुनर्वास सहायता प्रदान करता है।**

■ आयुक्त ने किशनगंज समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की।

50 हजार से 10 लाख रुपये तक कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है रोजगार के लिए दिव्यांगों को

750 से अधिक लोग इस कार्यक्रम से जुड़े

कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत दिव्यांग भी प्रशिक्षित किया जायेगा

नौकरी के दौरान दिव्यांग हुए व्यक्ति को प्रोन्नति देने से नहीं कर सकते इन्कार

जिले में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का सख्ती से होगा पालन

26 | दिसंबर | 2019

किशनगंज जिला

3100 से अधिक दिव्यांगों ने कई प्रखंडों में हुई बैठक में हिस्सा लिया

- दिव्यांगों को केवल पेंशन ही नहीं रोजगार से जोड़ने का भी करें प्रयास
- प्रत्येक पंचायत में शिक्षित दिव्यांगों का समूह बनाना जरूरी

शिक्षा से आये पदाधिकारियों से दिव्यांगों से संबंधित जानकारी मांगी। मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी सतीश कुमार को आयुक्त ने निर्देश दिया कि 15 दिनों के अंदर प्रखंड क्षेत्र के तीन हजार दिव्यांगों को कार्य प्रदान करते हुए उनके खाते में उनको मिलने वाली राशि भेजना सुनिश्त करें।

- महीने में दो बार होगी समूह की बैठक, हर गांव के दिव्यांगों की समस्या का होगा समाधान

■ आयुक्त ने की प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने किशनगंज में चलंत लोक अदालत लगाने से पूर्व सभी प्रखंडों का दौर और समीक्षा बैठक किया। उन्होंने सभी प्रखंडों में दिव्यांगों के लिए चल रही योजनाओं का जायजा भी लिया। ठाकुरगंज प्रखंड कार्यालय पहुंचकर राज्य आयुक्त ने अधिकारियों और दिव्यांगजनों के साथ बैठक की. बैठक में आयुक्त ने सरकार द्वारा दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए चलायी जा रही प्रमुख लाभकारी एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि ऐसा प्रायः देखा जाता है कि दिव्यांग व्यक्ति का प्रमाणपत्र बनवाने के बाद सिर्फ उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि का ही लाभ मिल पाता है, जागरूकता के अभाव में दिव्यांगों को उनका वास्तविक लाभ व अधिकार नहीं मिल पाता है, जिससे दिव्यांगजन को जमीनी स्तर पर सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों की सहायता के लिए पेंशन के अलावा दिव्यांग ऋण, आवास योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना आदि कई प्रकार की योजनाएं चला रखी है। परंतु जागरूकता व जानकारी के अभाव में समाज के वैसे व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जिसको लेकर उन्होंने प्रत्येक पंचायत में पांच दिव्यांग शिक्षित व्यक्ति का समूह बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ऐसे समूह के लोग गांव-गांव घूमकर अन्य दिव्यांग लोगों की सहायता कर योजनाओं के बारे में जानकारी साझा कर उन्हें लाभ दिलवाने का काम करेंगे। इस दौरान दिव्यांग सह शिक्षक अतारूर रहमान, संतोष झा, देवलाल हेम्ब्रम, राजू मुर्मू, कियासुद्दीन, रोशन पासवान आदि मौजूद थे। इसके बाद पोठिया प्रखंड पहुंचकर राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी। मौके पर उन्होंने कहा कि दिव्यांग सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की धारा 72 की तहत पंचायत दिव्यांग समूह बनाने तथा प्रत्येक माह में दो बार समीक्षात्मक बैठक किया जाना है।

27 | दिसंबर | 2019

किशनगंज जिला

पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक

■ आयुक्त ने सुनी सबकी फरियाद।

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने डीआरडीए कार्यालय के सभागार में दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधा को लेकर विभिन्न विभागों के साथ बैठक की. इस दौरान दिव्यांजनों की सुविधाओं को लेकर विभिन्न विभागों में किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की और दिव्यांगजनों को विभिन्न मामलों में दिये जा रहे सरकारी सुविधाओं के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिये. उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर को शहीद अशफाक उल्लाह खां स्टेडियम खगड़ा में दिव्यांगजनों के परिवादों की सुनावई हेतू चलंत न्यायालय लगाया जायेगा। इसके लिए सभी विभागों को निर्देशति किया गया है। विशेषकर स्वास्थ और परिवहन आपूर्ति, समाजिक सुरक्षा आदि के पदाधिकारी एवं कर्मी अपने संसाधन के साथ उपस्थित रहेंगे और तत्काल उन्हें प्रमाणपत्र और अन्य जानकारी उपलब्ध करायेंगे। इस दौरान एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी ने कहा कि जिले में जनवितरण प्रणाली की 575 विक्रेताओं में से 12 जनवितरण प्रणाली विक्रेता दिव्यांगजन चला रहे हैं। वहीं पुलिस उपाध्यक्ष सहित सभी थानों के थानाध्यक्ष को दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील बनने एवं उनके अधिकार को दिलाने का जानकारी विस्तार से दिया गया। इस दौरान उपस्थित सभी पदाधिकारियों को दिव्यांगजन अधिकार 2016 अंतर्गत विनिर्दिष्ट दिव्यांगजन के बारे में विस्तार से बताया गया।

- दिव्यांगों को कौशल विकास और रोजगार से जोड़ने का करें प्रयास
- दिव्यांगों को रोजगार के लिए बैंक ऋण देने में करें सहायता
- दिव्यांगों को एक दिन में बनाकर दें दिव्यांगता प्रमाणपत्र

सभी बैंकों के साथ बैठक

सभी बैंकों के साथ बैठक में राज्य नि:शक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत कौशल विकास एवं रोजगार हेतू प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग दिव्यांगजन अधिकार नियमावली 2017 में कौशल विकास के लिए नीति का उल्लेख किया गया है। नियमावली के तहत राज्य के सभी योजनाओं में दिव्यांगजनों का समावेश सुनिश्चित करना ही उद्देश्य है।

दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ देना हमसबों की जिम्मेदारी : डॉ. शिवाजी

28 | दिसंबर | 2019

समीक्षा बैठक

जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठक

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने डीआरडीए रचना भवन के सभागार में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए चलायी जा रही योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को अब यूनिक आइडी कार्ड दिया जायेगा। आयुक्त ने बताया कि कुल 21 प्रकार के दिव्यांग होते हैं। जिसमें चलने संबंधी दिव्यांगता, मांसपेशीय दूर्विकार, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, श्रवण क्षति, वाक एवं भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता ऑटिज्म, थैलेसीमिया, हिमोफीलिया, मानसिक रूग्णता, सिकल सेल रोग, सुनने में कठिनाई, पार्किन्सन रोग आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में दिव्यांगजनों का समूह बनाया गया है। किस विभाग में दिव्यांगजनों के लिए कौन सी योजनाएं चल रही है, जिससे उन्हें लाभ दिलाया जा सकता है। इससे लाभुक को अवगत कराया।

इस बैठक के बाद बहादुरगंज प्रखंड कार्यालय पहुंचे राज्य आयुक्त ने कहा कि घर बैठे ही अब दिव्यांगों की शिकायतों का निपटारा होगा। दिव्यांगजनों को भी सरकारी योजनाओं के संचालन की जानकारी उपलब्ध होगी एवं कौशल विकास व रोजगार पर आधारित योजनाओं से भी वे अधिक से अधिक लाभ उठा पायेंगे। प्रखंड अंचल कार्यालय परिसर में सरकारी कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ दिव्यांग समूह की जागरूकता बैठक में राज्य आयुक्त ने कहा कि दियांगों को भी सरकार की संचालित योजनाओं का यथोचित फायदा मिले। सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। दिव्यांगों की शिकायत का निपटारा समय रहते ही करना होगा, जिसके लिए वक्त निर्धारित कर दिया गया है। इससे पहले राज्य आयुक्त प्रखंड क्षेत्र के अलग-अलग पंचायतों से प्राप्त दिव्यांगजनों के परिवाद की सुनवाई एवं शिकायत के बाबत संबंधित विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके कार्यशैली को सही करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के हितों की अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। योजना के सुचारू संचालन की दिशा में सरकारी अधिकारी व कर्मचारी अपनी कार्यशैली में यथोचित बदलाव लायें एवं दिव्यांगों के हितों को प्राथमिकता में शामिल करें. जागरूकता बैठक व परिवादों की सुनवाई के समापन के पश्चात राज्य आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगों के परिवादों को सुना और जल्द ही उनकी शिकायतों के निपटारे का भरोसा भी दिलाया।

■ समीक्षा बैठक में उपस्थित डॉ. शिवाजी कुमार व अन्य।

21

प्रकार के दिव्यांगों को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है

☞ **दिव्यांगों को पहचान के लिए दिया जा रहा है यूनिक आइडी कार्ड**

☞ **दिव्यांगों के आवेदन को प्राथमिकता से लेकर करें निदान**

☞ **दिव्यांगों को रोजगार से जोड़न के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण जरूर**

> बहादुरगंज प्रखंड कार्यालय पहुंचे राज्य आयुक्त ने कहा कि घर बैठे ही अब दिव्यांगों की शिकायतों का निपटारा होगा। दिव्यांगजनों को भी सरकारी योजनाओं के संचालन की जानकारी उपलब्ध होगी एवं कौशल विकास व रोजगार पर आधारित योजनाओं से भी वे अधिक से अधिक लाभ उठा पायेंगे।

निबटारा, घर बैठे मिलेगी जानकारी

29 | दिसंबर | 2019

दिव्यांगजन समूह बैठक / किशनगंज जिला

2500 से अधिक दिव्यांगजनों ने प्रखंडों में हुई बैठक में लिया हिस्सा

21 प्रकार के दिव्यांगों को मिलता है सरकारी योजना का लाभ

- दिव्यांगों को कुटीर उद्योग के लिए 25 हजार से लेकर 10 लाख रुपये तक के ऋण का प्रावधान

- पेट्रोल पंप के आवंटन में पांच फीसद दिव्यांगों के लिए आरक्षण की सुविधा

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतू सहयोग, जनधन योजना के तहत आर्थिक समावेश का प्रयास, पेट्रोल पंप के आवंटन में शारीरिक दिव्यांगजनों को पांच फीसद आरक्षण के साथ कई अन्य लाभ दिये जा रहे हैं।

- आयुक्त ने दिव्यांगजनों की फरियाद सुनते।

☞ राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार के लिए कम दर पर मिलता है ऋण

दिव्यांगों को उनकी योजना की जानकारी व अधिकार दिलाना मकसद ही जरूरी

प्रखंड मुख्यालय पहुंचे राज्य निःशक्तता आयोग के आयुक्त कहा- हर दिव्यांगों को मिले सही लाभ

टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार भवन में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने जनप्रतिनिधियों एवं दिव्यांगजनों के साथ बैठक की। बैठक कर उन्होंने विभिन्न दिव्यांगता के प्रकार की जानकारी देते हुए शत प्रतिशत निःशक्तता प्रमाणपत्र बनाने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को दी जाने वाली लाभ की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों की श्रेणी को बढ़ाकर अब 21 कर दिया गया है, जिसमें चलंत संबंधी दिव्यांगता, प्रमस्तिष्क घात, बौनापन, अम्ल हमले की पीड़ित, कम दृष्टि, दृष्टिहीनता, श्रवण क्षति, सुनने में कठिनाई, वाक और भाषा दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता आदि शामिल है। राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बताया कि सरकार प्रायोजित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में आमजनों को मिलने वाले लाभ से पांच फीसद अधिक लाभ दिव्यांगजनों को दी जाएगी। इसके लिए पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक दिव्यांगजनों के साथ एक समूह का गठन किया जा रहा है। जिसमें दिव्यांगजनों को जीविका हेतू भी कई योजना बनायी गयी है। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम द्वारा स्वरोजगार एवं आर्थिक कार्यों के लिए कम दर पर ऋण, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुटीर उद्योग हेतु तीन श्रेणी में 25 हजार से 10 लाख रुपये तक का कम दर पर ऋण, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के तहत प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतू सहयोग, जनधन योजना के तहत आर्थिक समावेश का प्रयास, पेट्रोल पंप के आवंटन में शारीरिक दिव्यांगजनों को पांच फीसद आरक्षण के साथ कई अन्य लाभ दिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजीविका हेतु संस्थाओं के माध्यम से योजनाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। दिव्यांगजनों के साथ विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गयी।

30 | दिसंबर | 2019

चलंत न्यायालय

4719 कुल परिवादों का चलंत न्यायालय में हुआ निबंधन

1237 दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट दिया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र

400 मामले शिक्षा विभाग संबंधित आये, जिनका ऑन द स्पॉट गया निपटारा

114 मामले बैंक संबंधित चलंत न्यायालय में आये, जिसपर हुई सुनवाई

274 डीआरडीए संबंधित मामलों की गयी सुनवाई

जिले के दिव्यांगजनों की शिकायतों के निपटारा के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 80 के अंतर्गत चलंत न्यायालय लगाया गया। खगड़ा स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां स्टेडियम में आयोजित चलंत न्यायालय सुबह से शाम तक चली। जिसमें विभिन्न विषयों से संबंधित मामलों की सुनवाई के साथ दिव्यांगजनों को प्रमाणपत्र भी दिये गये।

इसके पूर्व राज्य निःशक्ता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने चलंत न्यायालय का उद्घाटन दीप प्रज्जवलित कर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि चलंत न्यायालय में सुनवाई संबंधित प्राप्त परिवादों के निबंधन की संख्या 4719 रही। इसके अंतर्गत बैंक संबंधित परिवादों की संख्या 114, डीआरडीए के 274, डीआरसीसी के 12, शिक्षा विभाग के 400, मनरेगा के 220, श्रम विभाग के 32 और आपूर्ति विभाग के 64 मामले रहे। साथ ही खेल विभाग के छह, अंग एवं उपकरण के 156, यूडीआइडी के 90, रेलवे रियायत पास के 52 और सामाजिक सुरक्षा कोषांग के 89 मामले न्यायालय में आये। इसके अलावा 1237 मामले दिव्यांगता प्रमाणपत्र के आये, जिनका ऑन द स्पॉट निराकरण किया गया। चलंत न्यायालय के प्रति दिव्यांगजनों का विश्वास बढ़ा है। अब उन्हें लगने लगा है कि ऐसे चलंत न्यायालय में पहुंचकर समस्याओं का त्वरित निष्पादन हो जायेगा। इस वजह से कड़ाके की ठंढ़ होने के बावजूद भी चलंत न्यायालय में बड़ी संख्या में दिव्यांग पहुंचे। इस न्यायालय में परिवादों के निबंधन और सुनवाई के लिए दिव्यांग अपने साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आधार कार्ड सहित अन्य वांछित कागजात के साथ चलंत न्यायालय में शामिल हुए थे।

परिवादों के निबंधन के लिए आठ काउंटर बनाये गये थे।

■ सबकी फरियाद सुनते राज्य निःशक्तता आयुक्त।

- कड़ाके की ठंढ़ होने के बावजूद भी चलंत न्यायालय में बड़ी संख्या में दिव्यांग पहुंचे।
- इस न्यायालय में परिवादों के निबंधन और सुनवाई के लिए दिव्यांग अपने साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आधार कार्ड सहित अन्य वांछित कागजात के साथ चलंत न्यायालय में शामिल हुए थे।

> इसके अंतर्गत बैंक संबंधित परिवादों की संख्या 114, डीआरडीए के 274, डीआरसीसी के 12, शिक्षा विभाग के 400, मनरेगा के 220, श्रम विभाग के 32 और आपूर्ति विभाग के 64 मामले रहे।

दिव्यांगों के अधिकार व सुरक्षा को लेकर लगे चलंत न्यायालय में 2350 मामले निपटे

31| दिसंबर | 2019

दिव्यांगजनों के लिए अनुमंडलीय स्तर पर कैंप

सुपौल

■ अपनी फरियाद सुनाते दिव्यांगजन।

300 से अधिक दिव्यांगजनों ने इस कार्यक्रम में लिया हिस्सा

52 दिव्यांगजनों को ऑन द स्पॉट दिया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र

54 दिव्यांगजनों को दिया गया मनरेगा का जॉब कार्ड

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में जिला सामाजिक सुरक्षा सह दिव्यांग सशक्तिकरण तहत वीरपुर अनुमंडल के सभी कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं दिव्यांगों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में दिव्यांगों के परिवादों की सुनवाई हुई। इसके अलावा अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को राज्य निःशक्तता आयुक्त ने दिव्यांगों के लिए चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण मोहन प्रसाद, आरडीओ देवानंद कुमार सिंह एवं बसंतपुर के पीओ अजीत कुमार झा और पीएचसी प्रभारी डॉ. अर्जुन चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक के बाद पत्रकारों से राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि बैठक में दिव्यांगों की शिकायतों का निपटारा भी किया गया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को मिलने वाले प्रमाणपत्र चिकित्सकों द्वारा जांच कर देने की प्रक्रिया ऑन द स्पॉट की गयी है तथा मिलने वाला लाभ भी तुरंत स्वीकृत किया जायेगा। ताकि लाभार्थियों को भटकना न पड़े।

इतना ही नहीं जो भी संबंधित कर्मचारी इसमें शिथिलता बरतेंगे या उन्हें लाभ से वंचित रहने को मजबूर करेंगे। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिविर में 52 दिव्यांगजनों को प्रमाणपत्र दिया गया और 54 दिव्यांगजनों को जॉब कार्ड राज्य आयुक्त एवं सिविल सर्जन के हाथों प्रदान किया गया। जॉब कार्ड धारक को सरकार द्वारा एकमुश्त पेंशन की राशि खाते में उपलब्ध करायी जाएगी। जिसका उपयोग वे अपने उत्थान के लिए करेंगे।

दिव्यांग को लाभान्वित करने का पहला राज्य बना बिहार : राज्य निःशक्तता आयुक्त

क्रं0सं0	वाद सं0	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
65.	65/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- श्री तनिस राज, पिता- श्री सतेन्द्र कुमार, मुजफ्फरपुर प्रतिवादी :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, मोतीपुर (पश्चिमी अनुमंडल) मुजफ्फरपुर	सरकारी योजना जो दिव्यागों के लिए अनुमान्य है का लाभ नही मिलने के संबंध में
66.	66/2019	दरभंगा	वादी :- दरभंगा जिलान्तर्गत जाले प्रखण्ड के दिव्यांगजन से प्राप्त परिवाद पत्रों के सम्बन्ध में (स्वत: संज्ञान) प्रतिवादी :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड- जाले दरभंगा	राज्य आक्युत नि:शक्तता द्वारा आदेश अनुपालन नहीं करने के संबंध में
67.	67/2019	पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	वादी :- श्री भूषण कुमार, एवं श्री कामेश्वर पटेल, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) प्रतिवादी :- जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) एवं अन्य	समाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) को नीचे तल्ले पर लाने के संबंध में
68.	68/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- श्री अवनीश कुमार, मुजफ्फरपुर। प्रतिवादी :- कुल सचिव, भीम राव अम्बेदकर (बिहार) विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	नामांकन के क्रम में दिव्यांग कोटे का लाभ नहीं दिए जाने के संबंध में
69.	69/2019	पटना	वादी :- श्री मिथिलेश कुमार, श्री इन्द्र प्रसाद सिंह, पटना प्रतिवादी :- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, पटना।	सातवाँ वेतन निर्धारण का लाभ देने संबंधी में
70.	70/2019	बेतिया	वादी :- सुश्री माला कुमारी, बेतिया प्रतिवादी :- श्री दीपक चतराज (सी0ई0ओ0), राउरकेला उड़ीसा एवं अन्य	चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों की नियुक्ति नहीं किए जाने से संबंधित
71.	71/2019	सिवान	वादी :- श्री रजनीश कुमार शाही, सिवान। प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान	पेंशन राशि के भुगतान के संबंध में
72.	72/2019	औरंगाबाद	वादी :- श्री राम पुकार पासवान, औरंगाबाद। प्रतिवादी :- जिला पदाधिकारी-सह-समाहत्ता , औरंगाबाद	चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के पद पर नियुक्ति के संबंध में
73.	73/2019	बेगूसराय	वादी :- श्री संतोष कुमार, पिता- श्री विष्णुदेव चौधरी, बेगूसराय प्रतिवादी : - अंचलाधिकारी, सदर प्रखंड, बेगूसराय	सरकारी अमीन से नि:शुल्क नापी करवाने के संबंध में
74.	74/2019	रोहतास	वादी :- श्रीमती चंचला देवी, रोहतास। प्रतिवादी :- अंचलाधिकारी, प्रखंड सझौली, रोहतास	आश्रय हीन करने के संबंध में
75.	75/2019	पटना	वादी :- श्री वाणी भूषण पाण्डेय, पिता-स्व0 बाल्मीकी पाण्डेय, पटना प्रतिवादी :- आरक्षी अधीक्षक, ग्रामीण, पटना एंव अन्य	पैतृक घर से बेदखल करने के संबंध में
76.	76/2019	पटना	वादी :- श्रीमती शोभा देवी, (कुमारी), पिता-स्व0 नरेश प्रसाद, पटना प्रतिवादी :- उप विकास आक्युत, पटना एंव अन्य	प्रधानमंत्री अवास योजना के अन्तर्गत आवास आवंटन हेतु
77.	77/2019	गोपालगंज	वादी :- श्री चन्दन कुमार सिंह, गोपालगंज। प्रतिवादी :- प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, नया सचिवालय परिसर बिहार, पटना एवं अन्य	शिक्षक नियोजन में दिव्यांगजनों के आवेदन स्वीकार करने के संबंध में

अगला पेज : 156

जनवरी 2020

JANUARY 2020

राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार खिलाड़ियों की नियुक्ति में 10 प्रतिशत देती है आरक्षण

लुई ब्रेल की जयंती...

pg-143

लुई ब्रेल समापन समारोह...

pg-144

मकर संक्रांति अवसर पर आयोजन

pg-145

न्यूरो दिव्यांग का इलाज...

pg-147

द्वितीय युवा राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन हो गया। मुख्य अतिथि राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के हित में कई सारे कार्य कर रही है। सरकार द्वारा खिलाड़ियों को नियुक्ति में दस प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है।

pg-146

04 | जनवरी | 2020

कार्यशाला आयोजित

लुई ब्रेल की जयंती

■ लुई ब्रेल की 211वीं जयंती पर दृष्टिबाधित दिव्यांगता की रोकथाम पर आयोजित कार्यशाला।

राज्य में दृष्टिबाधितों के जल्द पहचान के लिए रोडमैप बनेगा। लुई ब्रेल की 211वीं जयंती पर दृष्टिबाधित दिव्यांगता की रोकथाम पर आयोजित कार्यशाला में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि जल्द पहचान नहीं होने के कारण राज्य में दृष्टिबाधित दिव्यांगता बढ़ रही है। इसपर प्रभावी रोक लगाने के लिए अर्ली इंटरवेंशन जरूरी है। सरकार इसके प्रति गंभीर है और जल्द ही अर्ली इंटरवेंशन में आये विशेषज्ञों से इस दिशा में काम करने का अह्वान किया।

बिहार विद्यापीठ के अध्यक्ष विजय प्रकाश ने कहा कि दव्यांगों को अवसर की समानता नहीं वरन समानता का अवसर मिलना चाहिए। आजकल शारीरिक कमियों को कृत्रिम अंगों के जरिये दूर किया जा रहा है। कृत्रिम अंग प्राकृतिक अंगों पर भारी पड़ रहे हैं। विशेषज्ञों को दिव्यांगों के लिए नयी तकनीक पर काम करने की आवश्यकता है। दिव्यांगजन सश्क्तीकरण निदेशालय की सहायक निदेशिका पिंकी कुमारी ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 23 लाख दिव्यांग थे, जिसमें 14 लाख 63 हजार को प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जा चुका है। विभाग का लक्ष्य सभी दिव्यांगों को प्रमाणपत्र और उससे जुड़े लाभ देने की है। कार्यशाला में डॉ. राजीव गंगौल, मोती लाल सिंह, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. अश्विनी कुमार, डॉ. नवल किशोर शर्मा आदि ने विचार रखें। कार्यशाला में राज्यभर से आये नेत्र रोग विशेषज्ञों और दिव्यांगता के क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी और गैरसरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा समर्पण स्पेशल स्कूल, नेत्रहीन यूनिट की ओर से अंतरराष्ट्रीय लुई ब्रेल दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने किया। इस अवसर पर डॉ. सुभाष चंदा, मधु श्रीवास्तव व अन्य मौजूद थे।

2011
की जनगणना के अनुसार बिहार में 23 लाख है दिव्यांगों की संख्या

14.63
लाख दिव्यांगों को अब तक दिया गया है दिव्यांगता प्रमाणपत्र

☞ जल्द पहचान नहीं होने पर बढ़ रही है दृष्टिबाधित दिव्यांगता।

☞ विभाग का लक्ष्य सभी दिव्यांगों को प्रमाणपत्र और उससे जुड़े लाभ देने की है।

समर्पण स्पेशल स्कूल, नेत्रहीन यूनिट की ओर से अंतरराष्ट्रीय लुइ ब्रेल दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने किया। इस अवसर पर डॉ. सुभाष चंदा, मधु श्रीवास्तव व अन्य मौजूद थे।

लुई ब्रेल • 211वीं जयंती के मौके पर दृष्टि बाधित दिव्यांगता की रोकथाम पर कार्यशाला

जल्द पहचान नहीं होने के कारण राज्य में बढ़ रही है दृष्टि बाधित दिव्यांगता

12 | जनवरी | 2020

पटना जिला

लुई ब्रेल समापन समारोह

▪ लुई ब्रेल के 211वीं स्मृति सप्ताह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगजन।

दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की दर बढ़ायी गयी है। स्कूल व कॉलेजों में दिव्यांगों को अब चार की जगह पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं सरकारी नौकरी में तीन के बदले चार प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। राजधानी के दो बड़े अस्पताल आइजीआइएमएस व एनएमसीएच में मार्च से आई बैंक चालू हो जायेगा। ये बातें उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कुम्हरार स्थित अंतरज्योति बालिका विद्यालय में लुई ब्रेल के 211वीं स्मृति सप्ताह के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कही।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगों का परीक्षा शुल्क भी सामान्य के मुकाबले एक चौथाई के साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा में दस वर्ष की छूट दी जा रही है। उपमुख्यमंत्री ने पटना, भागलपुर व दरभंगा में चल रहे नेत्रहीन विद्यालय का नया भवन बनाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दधीची देहदान समिति के माध्यम से नेत्रहीन छात्र-छात्राओं की स्क्रीनिंग कर उन्हें नेत्रदान किया जा रहा है। दो छात्राओं का प्रत्येक वर्ष रौशनी लौटाने का प्रयास होगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कॉर्निया इंप्लांट के लिए इसी वर्ष मार्च महीने से आइजीआइएमएस व एनएमसीएच में आई बैंक शुरू किया जायेगा। परिषद के महासचिव विजय कुमार सिंह, राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ शिवाजी कुमार ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन प्रो. आनंदमूर्ति ने किया।

- सरकारी नौकरी में तीन के बदले अब चार प्रतिशत आरक्षण दिव्यांगों को दिया जा रहा है
- आइजीआइएमएस व एनएमसीएच में शुरू होगा आई बैंक
- स्कूल और कॉलेजों में चार के स्थान पर अब पांच प्रतिशत आरक्षण दिव्यांगों के लिए

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कॉर्निया इंप्लांट के लिए इसी वर्ष मार्च महीने से आइजीआइएमएस व एनएमसीएच में आई बैंक शुरू किया जायेगा। परिषद के महासचिव विजय कुमार सिंह, राज्य निःशक्तता आयुक्त शिवाजी कुमार ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन प्रो. आनंदमूर्ति ने किया।

दृष्टिबाधितों को अब नौकरी में मिलेगा चार फीसद आरक्षण : उपमुख्यमंत्री

बिहार सरकार ने लुई ब्रेल की जयंति एक सप्ताह तक मनाने का लिया है निर्णय

211
151
25

दुनिया से गए हैं सत्येंद्र, दिलों से नहीं

12 | जनवरी | 2020

मकर संक्रांति अवसर पर आयोजन

मिली सफलता

■ समदृष्टि चौरिटेबल फाउंडेशन तथा दिव्यांग फ्यूचर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

पटना के ठाकुर प्रसाद कम्युनिटी हॉल के सभागार में दिव्यांगजनों का अधिकार संवाद सह मकर संक्रांति उत्सव का आयोजन किया गया समदृष्टि चौरिटेबल फाउंडेशन तथा दिव्यांग फ्यूचर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने सवालों को समाधान की प्रकिया की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में राज्य सरकार खासकर दिव्यांगजन आयुक्त कार्यलय पटना भारत का पहला दिव्यांगजनों के ऊपर सबसे ज्यादा कार्य करने वाला राज्य बना है। बिहार राज्य में दिव्यांगों के रोजगार के लिए सरकार निजी कंपनियों को पत्र जारी कर प्रत्येक 20 कर्मचारी में एक दिव्यांग कर्मचारी रखने का आदेश दिया है।

दिव्यांगजनों को यूआइडी कार्ड, रेलवे रियायत प्रमाणपत्र, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, उपकरण योजना, ऋण योजना के साथ दिव्यांग अधिकार अधिनियम की धाराओं की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान अधिनियम में दिव्यांगों को यदि कोई व्यक्ति अभद्र भाषा बोलता है तो उन्हें जुर्माना के साथ जेल जाना होगा।

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की पत्नी प्रो. माया शंकर ने कहा कि दिव्यांगों के विकास एवं उनकी जरूरत के लिए हमारी ओर से हर संभव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने पटना जिले के दिव्यांगों को बैटरी वाली ट्राइसाइकिल सांसद निधि से दिलवाने की बात कही। साथ ही साथ फुटपाथ पर अलग से दिव्यांगों के जीविका के लिए दिव्यांग वेंडर जोन बनाने की मांग राज्य सरकार से की।

चिकित्सक संजय प्रसाद राणा ने कहा कि अपने सेवा में यदि कोई दिव्यांग हमारे पास आते हैं तो आजीवन उनका फीस नहीं लूंगा। मौके पर बिहार नेत्रहीन परिषद के माहसचिव डॉ. नवल किशोर शर्मा, दिव्यांग फ्यूचर एसोसिएशन के अनील कुमार, आदित्य राज व अन्य मौजूद थे।

20 कर्मचारी वाले निजी संस्थान में एक दिव्यांग को नौकरी देना जरूरी

- बिहार के दिव्यांगजनों को दिया जा रहा है यूनिक आइडी कार्ड
- मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दिव्यांगों को तीन लाख रुपये तक का अनुदान
- दिव्यांगों को स्थानीय सांसद अपने निधि से दें बैट्री चलित ट्राइसाइकिल

> दिव्यांगों के विकास एवं उनकी जरूरत के लिए हमारी ओर से हर संभव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने पटना जिले के दिव्यांगों को बैटरी वाली ट्राइसाइकिल सांसद निधि से दिलवाने की बात कही।

'दिव्यांगों के लिए फुटपाथ पर बनें स्थाई दुकानें'

पटना (एसएनबी)। राजधानी के ठाकुर प्रसाद कम्युनिटी हाल के सभागार में दिव्यांग जनों का अधिकार संवाद सह मकर संक्रांति उत्सव-2020 आयोजित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन समदृष्टि चौरिटेबल फाउंडेशन और दिव्यांग फ्यूचर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया था।

मौके पर दिव्यांग अधिकार संवाद में दीघा के सुधीर पासवान ने दिव्यांगों के जमीन दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने का मुद्दा राज्य

लिए हमारी ओर से हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने पटना जिले के दिव्यांगों को बैटरी वाली ट्राई साइकिल सांसद निधि से दिलवाने की बात कही साथ ही साथ फुटपाथ पर अलग से दिव्यांगों के जीविका हेतु दिव्यांगों के लिए वेन्डर जोन बनाने की मांग राज्य सरकार से की। वही चिकित्सक संजय प्रसाद राणा ने कहा कि अपने सेवा में यदि कोई दिव्यांग हमारे पास आते हैं तो आजीवन उनका फीस नहीं लूंगा और प्रो

27 | जनवरी | 2020

बॉल बैडमिंटन चैम्पियनशिप

मोतिहारी जिला

☞ राज्य में खेल को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार खिलाड़ियों की नियुक्ति में 10 प्रतिशत देती है आरक्षण

☞ खिलाड़ी कल्याण कोष से खिलाड़ियों को हर साल लाखों रुपये की दी जाती है मदद

☞ खेल संघों को आयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा दिये जाते हैं लाखों रुपये

☞ दिव्यांग खिलाड़ियों को भी नियुक्ति में मिलती है प्राथमिकता

▪ **भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के निर्देशन में प्रथम युवा राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैपियनशिप का शुभारंभ**

द्वितीय युवा राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन हो गया। मुख्य अतिथि राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के हित में कई सारे कार्य कर रही है। सरकार द्वारा खिलाड़ियों को नियुक्ति में दस प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा खेल को बढ़ावा देने के लिए कई सारी खेल गतिविधियां करायी जा रही हैं। खिलाड़ियों के मदद के लिए खिलाड़ी कल्याण कोष से हर साल लाखों रुपये दिये जा रहे है। इसके अलावा खिलाड़ी सम्मान राशि को भी अन्य राज्यों के अपेक्षा कई गुना अधिक दी जा रही है। साथ ही दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए भी राज्य सरकार द्वारा मदद किया जाता है। राज्य के दिव्यांग खिलाड़ी विदेशों में अपने नाम का परचम लहरा रहे हैं। यह चैंपियनशिप भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के निर्देशानुसार बिहार राज्य बॉल बैडमिंटन संघ के तत्वावधान में पूर्वी चंपारण जिला बॉल बैडमिंटन संघ की ओर से आयोजित था। मैच एपेक्स इंटरनेशनल स्कूल गायघाट, मोतिहारी में खेला गया। इस चैंपियनशिप के बालक वर्ग के फाइनल मुकाबले का खिताब आंध्रप्रदेश ने तमिलनाडु को 35-31 और 35-30 से हराकर अपने नाम किया जबकि, बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु ने केरल को 35-29 और 35-28 से हराया और विजेता बनी। वहीं, बालक वर्ग में करेल व तेलंगाना को एवं बालिका वर्ग में मेजबान बिहार व आंध्रप्रदेश को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इससे पहले खेले गये बालक वर्ग के पहले सेमीफाइनल में तमिलनाडु ने केरल को 35-32 और 35-20 से व दूसरे सेमीफाइनल में आंध्रप्रदेश ने तेलंगाना को 35-25 और 35-16 से हराया। बालिका वर्ग के पहले सेमीफाइनल में तमिलनाडु ने बिहार को 35-21 और 35-20 से और दूसरे सेमीफाइनल में केरल ने आंध्रप्रदेश को 35-22 और 35-28 से पराजित किया. चैंपियनशिप में बिहार की बालक टीम को छठे स्थान से संतोष करना पड़ा। बिहार की बालिका टीम ने कांस्य पदक जीता। बिहार बालिका टीम की ओर से प्रिया सिंह, वंदना कुमारी, तुलसी कुमारी, मुस्कान और सोनाली घोष ने शानदार प्रदर्शन किया।

30 | जनवरी | 2020

कार्यक्रम
आइएचआइएफ

न्यूरो दिव्यांग का इलाज

■ फाउंडेशन द्वारा पटना में रिहैब सेंटर की स्थापना की गयी है।

मस्तिष्क में गभीर चोट (हेड इन्जूरी) अथवा किसी अन्य कारणों से न्यूरो दिव्यांगता के शिकार हुए लोग पुनः सामान्य जीवन जी सकते हैं। अगर उन्हें सही इलाज के साथ तकनीकी रूप से सक्षम रिहैबिटेशन सेंटर की मदद मिले। इसमें उनके परिवार और समाज के लोगों की मदद मिले तो और आसानी होगी। ये बातें इंडियन हेड इंज्यूरी फाउंडेशन (आइएचआइएफ) और कारा मेडिकल फाउंडेशन के अध्यक्ष सह ट्रस्टी डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने न्यूरो रिहैब सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में कहीं। उन्होंने कहा कि आइएचआइएफ बिहार के सभी 38 जिलों में दिव्यांगों को व्हील चेयर, वॉकर, श्रवण यंत्र, जैसे उपकरण भी उपलब्ध कराने का काम करेगा। अभी फाउंडेशन द्वारा पटना में रिहैब सेंटर की स्थापना की गयी है। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम द्वारा पीड़ितों की मदद की जा रही है। प्रेस वार्ता में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सुभाष चंद्रा, इंग्लैंड के हेल्थ सर्विस विशेषज्ञ प्रो. ल्यूक डे, डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय सलाहकार डॉ. पतंजलि नायर व डॉ. गौरव गुप्ता मौजूद रहे। दिव्यांग मरीजों के पुनर्वासन में मदद के लिए डब्ल्यूएचओ 50 प्रकार के सहायक उपकरण उपलब्ध कराता है। ये उपकरण राज्य सरकार अथवा रिहैब सेंटरों की मदद से मरीज निःशुल्क भी प्राप्त कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के डॉ. पतंजलि ने डब्ल्यूएचओ से मिलने वाले सहायक उपकरणों की सूची भी जारी की। कहा कि आइएचआइएफ और कारा के प्रयासों से राज्य के पांच लाख दिव्यांगों को सहायता मिल सकेगी।

दिव्यांगों के उपकरण को बनेगी योजनाः बिहार के दिव्यांगजनों के लिए सहायक तकनीक व सहायक उपकरणों के विकास के लिए योजना बनायी जाएगी। पटना स्थित दिव्यांग भवन की क्षमता को विकसित किया जायेगा।

50
प्रकार का सहायक उपकरण डब्ल्यूएचओ दिव्यांगों को निःशुल्क उपलब्ध कराता है

☞ आइएचआइएफ के सहायता से राज्य के पांच लाख दिव्यांगों को मिली सहायता

☞ 38 जिलों में दिव्यांगों को व्हील चेयर, वॉकर, श्रवण यंत्र, जैसे उपकरण भी उपलब्ध कराने का काम करेगा

राज्य निःशक्तता आयुक्त के कार्यालय के तत्वावधान में दिव्यांगजनों के लिए सहायक तकनीक एवं उपकरण विषय पर आयोजित एकदिवसीय कार्यशाल एवं उच्चस्तरीय बैठक में विमर्श के दौरान ये बातें सामने आयी। बैठक का उद्घाटन समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने की।

न्यूरो दिव्यांग पीड़ितों का इलाज संभव

आईएचआईएफ

पटना | वरीय संवाददाता

FEBRUARY 2020

फरवरी 2020

समस्तीपुर जिला का दौरा
प्रखंडों का निरीक्षण

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी ने कहा कि किसी भी दिव्यांगजन को किसी भी स्तर पर उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर कई कानून भी बनाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसा करती है तो उसके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

pg-149

समीक्षात्मक बैठक
pg-150

जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक...
pg-151

लखीसराय जिला चलंत न्यायालय
pg-152

अधिकारियों के साथ बैठक...
pg-153

जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक...
pg-154

थैलेसीमिया से अब नहीं मरेंगे...
pg-156

11 | फरवरी | 2020

समस्तीपुर

प्रखंडों का निरीक्षण

▪ निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी ने दिव्यांगजन को सारी बातें सूनी।

3000 से अधिक दिव्यांगजनों ने विभिन्न प्रखंडों में हुई बैठक में लिया हिस्सा

☞ दिव्यांगजनों को किसी भी स्तर पर उपेक्षित नहीं किया जा सकता

युवती अपने आपको कभी कमजोर न समझें। सरकार के द्वारा उनके उत्थान एवं आत्मनिर्भरता के लिए अनेकों योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिसका लाभ उठाकर दिव्यांगजन अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं।

नाराज कमिश्नर ने कल्याणपुर के मनरेगा पीओ का वेतन रोका

15000 से अधिक लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी ने कहा कि किसी भी दिव्यांगजन को किसी भी स्तर पर उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। इसको लेकर कई कानून भी बनाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसा करती है तो उसके विरुद्द त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी योजनाओं में दिव्यांगजनों के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण दी है। साथ ही उनके बेहतर विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित हो रही है। जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। जिले में पहली बार निःशक्तता आयुक्त ने विभिन्न प्रखंडों का जायजा लिया और दिव्यांगजन समूह बनाने के लिए बैठकें भी आयोजित की गयी।

उन्होंने बताया कि 14 फरवरी को जितवारपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित डीआरसीसी परिसर में दिव्यांगजनों के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन किया गया है। जहां दिव्यांगजनों से संबंधित मामले का निष्पादन किया जायेगा। इससे पूर्व प्रखंडों में समीक्षा की जा रही है। साथ ही अधिकारियों के साथ ही समीक्षा कर दिव्यांगजनों की योजनाओं का हाल लिया जा रहा है। ताजपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में शामिल अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए आयुक्त ने कहा कि दिव्यांग युवक-युवती अपने आपको कभी कमजोर न समझें। सरकार के द्वारा उनके उत्थान एवं आत्मनिर्भरता के लिए अनेकों योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिसका लाभ उठाकर दिव्यांगजन अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं। उनहोंने मनरेगा के द्वारा सभी दिव्यांगों को जॉब कार्ड बनवाने, भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराने, शिक्षित दिव्यांग युवकों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण देने आदि के बारे में भी जानकारी दी।

बैंक की समस्याओं पर दिलाया ध्यान

वारिसनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित इ-किसान भवन में प्रखंड अधिकारी व दिव्यांगजनों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता बीडीओ अजमल परवेज ने की। बैठक में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगों को मिलने वाली लाभ के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान कुसैया पंचायत के शुखपुर गांव के दिव्यांग मो. इबरान ने आयुक्त का बैंक से जुड़ी समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। इस पर उन्होंने दरोगा जेपी साह को इबरान से आवेदन लेकर कार्रवाई का निर्देश दिया।

12 | फरवरी | 2020

समस्तीपुर

4000 से अधिक दिव्यांगजनों ने विभिन्न प्रखंडों में हुए कार्यक्रम में लिया हिस्सा

अधिनियम के अनुपालनार्थ पदाधिकारियों के साथ बैठकें

युवती अपने आपको कभी कमजोर न समझें। सरकार के द्वारा उनके उत्थान एवं आत्मनिर्भरता के लिए अनेकों योजनाएं चलायी जा रही हैं, जिसका लाभ उठाकर दिव्यांगजन अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं।

☞ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर दिव्यांगों का बनाया जाये दिव्यांगता प्रमाणपत्र

■ निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी ने सबकी फरियाद सुनते।

3200 से अधिक लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ली जानकारी, हर दिव्यांग को दिया जाये राशन कार्ड संबंधित सभी प्रकार के योजनाओं का लाभ

समस्तीपुर समाहरणालय सभाकक्ष में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, कोचिंग संस्थाओं और बैंकर्स के साथ अलग-अलग समीक्षा बैठक की। इस दौरान विभागों के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए किये गये कार्यों की गहन समीक्षा की गयी। साथ ही सभी विभागों के द्वारा दिव्यांगजनों को दी जा रही सुविधाओं की सूची उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। साथ ही उन्हें कहा गया किसी भी योजनाओं में दिव्यांगजन को प्राथमिकता के आधार पर चयनित करें। सभी योजनाओं में दिव्यागंजनों के लिए पांच प्रतिशत रिजर्व किया गया है। ताकि कोई भी दिव्यांग अपने को समाज से अलग थलग नहीं समझें। मौके पर डीडी सी बरुण कुमार मिश्रा, सीएस डॉ. सीयाराम मिश्र व अन्य मौजूद थे। राज्य आयुक्त ने सभी दिव्यांगजनों के प्रमाणपत्र बनाने के लिए सभी पीएचसी पर शिविर लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने ने कहा कि इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, पेंशन, बैंक लोन आदि योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने का आदेश संबंधित विभागों को दिया गया है। साथ ही कोचिंग संस्थानों को भी दिव्यांगजन को शिक्षित करने को कहा गया। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का भी निर्देश परिवहन विभाग को दिया गया। **दिव्यांग भूमिहीनों को भी मिलेगी तीन डिसमिल भूमि** : भूमिहीन दिव्यांगों को भी तीन डिसमिल जमीन शीघ्र उपलब्ध करायी जाएगी। यह बातें राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने मोरवा प्रखंड मुख्यालय परिसर में आयोजित दिव्यांग महापंचायत में कही। इस दौरान उनहोंने सभी सरकारी योजनाओं में दिव्यांगों को प्राथमिकता देने और सभी प्रकार के सरकारी नियोजन में चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ प्राथमिकता के आधार पर देने का निर्देश दिया।

योजना की समीक्षा के दौरान प्रखंड के सभी दिव्यांगों को अब तक जॉब कार्ड नहीं दिये जाने पर उन्होंने मनरेगा पदाधिकारी राजेश कुमार को जल्द जॉब कार्ड देने का निर्देश दिया। इसके बाद सरायरंजन प्रखंड पहुंचे राज्य आयुक्त ने बैठक में शामिल अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांग व्यक्ति भी समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। उनके भी विकास का पूर्ण ख्याल रखा जाना आवश्यक है। तभी समरस समाज का निर्माण होगा। उन्होंने कहा जिन दिव्यांगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है. वह इसकी शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज करा सकते हैं। जांचोपरांत वैसे कर्मी व पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। जिसका सभी को लाभ उठाना चाहिए।

13 | फरवरी | 2020

त्रिस्तरीय पंचायत

समस्तीपुर

जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक

700

से अधिक पंचायत/ जनप्रतिनिधियों और दिव्यांगजनों ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा

12000

से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम के बारे में सोशल मीडिया/प्रिंट मीडिया से जाना

4%

आरक्षण दिव्यांगजनों को रोजगार में मिलता है

समाज के अंतिम दिव्यांग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना एकमात्र लक्ष्य

स्वरोजगार ऋण योजना के तहत कम दर पर उन्हें ऋण दिया जाता है

■ योजनाओं की जानकारी देते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

समस्तीपुर के सत्यनारायण सिन्हा नगर भवन में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की ओर से जिले के त्रिस्तरीय पंचायत के प्रमुख प्रतिनिधियों को संबोधित किया गया। इस दौरान राज्य आयुक्त ने कहा कि निःशक्तता विभाग का दायित्व ही पूरी तौर पर दिव्यांगों के लिए समर्पित है। हमारे माध्यम से समाज के अंतिम दिव्यांग तक सरकार की ओर से उनके लिए चलायी जा रही योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही एकमात्र लक्ष्य है। इसके लिए समाज के हर तबके में जाकर एक-एक दिव्यांग से मिलने का काम किया जा रहा है। ताकि पेंशन के अलावे उनके आवास, शौचालय, ट्राइसाइकिल, स्वास्थ्य सहित अन्य सभी समस्याओं को जानकर उसका तत्काल निदान किया जायेगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपने क्षेत्र में आने वाले सभी दिव्यांगों की पहचान कर उनहें होने वाली असुविधाओं से विभाग को अवगत कराने व उन्हें हर प्रकार से सहायता दिलाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग की सहायक निदेशिका गायत्री कुमारी ने बताया कि दिव्यांगों को रोजगार में चार फीसदी आरक्षण मिल रहा है। इसके लिए उन्हें प्रमाणपत्र दिया जाता है। वहीं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश व गरीबी निवारण योजनाओं में आरक्षण आदि का लाभ दिलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को विवाह प्रोत्साहन, स्वरोजगार ऋण योजना, संबल योजना का लाभ दिया जाता है।

कार्यक्रम | निःशक्तता के राज्य आयुक्त ने जनप्रतिनिधियों को अपने यहां मौजूद हर एक दिव्यांग को लाभ दिलाने का किया आह्वान

समाज के अंतिम दिव्यांग तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही है लक्ष्य

दिव्यांगों को होने वाली असुविधाओं से विभाग को अवगत कराने का आह्वान

दिव्यांगजनों को रोजगार में मिल रहा 4 फीसदी तक आरक्षण

वसन्त न्यायालय के माध्यम से आज होगा परिवादों का निपटारा

समस्तीपुर जिला

4526 शिकायतें दर्ज हुई चलंत न्यायालय में

1067 दिव्यांगों का बनाया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र

14 | फरवरी | 2020

चलंत न्यायालय

80 को दिव्यांगता प्रमाणपत्र, 16 को रेलवे रियायत एवं 35 दिव्यांगों को यूडीआइडी कार्ड का लाभ दिया गया। वहीं 465 दिव्यांगों को मनरेगा का जॉब कार्ड, 195 को इंदिरा आवास व 225 दिव्यांगों को राशन कार्ड का लाभ दिलाया गया।

जिला दिव्यांग सशक्तिकरण कोषांग, समस्तीपुर द्वारा चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। जितवारपुर स्थित डीआरसीसी पसिर स्थित चलंत लोक अदालत का उद्घाटन राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने किया। इस दौरान अधिकारियों ने दिव्यांगजनों के लिए केंद्र व राज्य सरकार के स्तर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन दिव्यांगजन की समस्या है, उससे संबंधित विभागों का काउंटर बनाया गया है। इन काउंटर पर एक-एक कर दिव्यांगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करायी। पिछले तीन दिनों से राज्य निःशक्तता आयुक्त द्वारा सभी प्रखंडों में बैठक कर समीक्षा की गयी। जिसके कारण जिले के विभिन्न क्षेत्रों से दर्जनों दिव्यांगजन लोक अदालत में पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखा। जिसमें कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। वहीं अन्य आवेदन को संबंधित विभाग के पास भेजकर दिव्यांगजन को एक तिथि का निर्धारण किया गया। दिव्यांगजनों के लिए आयोजित चलंत लोक अदालत में कुल 4526 मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें लाभांवित किया गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 1067 को लाभ दिया गया। इसमें 80 को दिव्यांगता प्रमाणपत्र, 16 को रेलवे रियायत एवं 35 दिव्यांगों को यूडीआइडी कार्ड का लाभ दिया गया। वहीं 465 दिव्यांगों को मनरेगा का जॉब कार्ड, 367 को इंदिरा आवास व 457 दिव्यांगों को राशन कार्ड का लाभ दिलाया गया। राज्य निःशक्तता आयुक्त ने कहा कि मॉल, होटल, दूकान या फिर वैसे संस्थान जहां कम से कम बीस या फिर उससे अधिक कर्मी कार्यरत हैं, तो उस स्थान पर एक दिव्यांगजन कर्मी की उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसे संस्थान पर अगर दिव्यांग नहीं हैं और कोई दिव्यांगजन काम की तलाश में आते हैं तो, संस्था के द्वारा उसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। वहीं सरकार की सभी योजनाओं में दिव्यांगजन के लिए पांच प्रतिशत आरक्षित किया गया है।

■ जितबारपुर स्थित डीआरसीसी परिसर में आयोजित चलंत न्यायालय.

367
दिव्यांगों को हुआ इंदिरा आवास का आवंटन

457
राशन कार्ड की शिकायतें

465
दिव्यांगों को दिया गया मनरेगा का जॉब कार्ड

चलंत कोर्ट में 3178 दिव्यांगों को लाभ, 195 को इन्दिरा आवास और 225 को मिला राशन कार्ड

राज्य निशक्तता आयुक्त की मौजूदगी में डीआरसीसी में किया गया कार्यक्रम का आयोजन

18 | फरवरी | 2020

लखीसराय

रामगढ़ चौक प्रखंड

राज्य आयुक्त 19 फरवरी को सदर असपताल का निरीक्षण करेंगे। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। 20 फरवरी को स्थानीय गांधी मैदान में दिव्यांगजनों की समस्याओं का चलंत न्यायालय के माध्यम से ऑन द स्पॉट निराकरण भी किया जायेगा।

7000
सोशल मीडिया से जुड़े

- सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं संचालित
- दिव्यांगों के लिए पांच फीसदी आरक्षण का किया गया है व्यवस्था
- सामुदायिक भवनों, सरकारी भवनों में दिव्यांगों की सुविधा के लिए बनाये जाये रैंप

■ अपनी समस्याओं को लेकर शिविर पहुंचे फरीयादी।

अधिकारियों के साथ बैठक

दिव्यांगों के कल्याण के लिए चलायी जा रही योजनाओं तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रति अधिकरियों में संवेदनशीलता लाने के उद्देश्य से बिहार के राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार लखीसराय पहुंचे। उन्होंने समाहरणालय कक्ष में जिला स्तरीय विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की । उन्होंने कहा कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं है।

सरकार ने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उन योजनाओं का लाभ दिवयांगजनों को मिले, उनके साथ किसी प्रकार की गैर बराबरी नहीं हो। आपका छोटा प्रयास दिव्यांगजनों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने बैठक के दौरान पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की विस्तार से चर्चा की। उनहोंने बताया कि इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए समता और अविभेद, उनके सामुदायिक जीवन संरक्षण और सुरक्षा, प्रजनन अधिकार, मतदान में पहुंच, विधिक सामर्थ्य, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं स्वनियोजन, समान अवसर की नीति, सामाजिक सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य की देखरेख, बीमा स्कीमें, संरक्षता के लिए उपबंध, पुनर्वास, शिक्षण, हिंसा और शोषण से संरक्षण सहित अन्य अधिकार सुनिश्चित किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए पांच फीसद आरक्षण की व्यवस्था है। उनहोंने कहा कि बैंकों एवं अन्य सरकारी भवनों, सामुदायिक भवनों में दिव्यांगों की सुविधा के लिए रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को ऐसे सभी भवनों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कारने का निर्देश दिया। साथ ही सभी विभाग के पदाधिकरियों को अपने क्षेत्राधीन विगत तीन वर्ष में दिव्यांगों के कल्याण के लिए किये गये कार्यों से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

प्रखंड के सभी दिव्यांगों की समस्याओं का समाधान चलंत न्यायालय के माध्यम से होगा : राज्य निशक्तता आयुक्त

19 | फरवरी | 2020

लखीसराय

■ कार्यक्रम में सबकी समस्या सनुते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक

लखीसराय जिला परिषद सभागार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों, मुखिया, प्रमुख, उपप्रमुख, जिला परिषद के सदस्य, वार्ड पार्षदों के साथ दिव्यांगों के कल्याण के लिए संचालित सरकारी योजनाओं एवं कानूनी प्रावधानों के विषय में उन्मुखीकरण कार्यशाला को संबोधित करते हुए बिहार के राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि दिव्यांगों के जीवन में गुणात्मक एवं रचनात्मक सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है एवं इसमें पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति काफी प्रतिभाशाली होते हैं आवश्यकता है उन्हें पहचानने की एवं निखारने की. आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन, ग्राहम बेल जैसे लोग दिव्यांग होते हुए वैज्ञानिक हुए, जिनके अनुसंधान से आज दुनिया को लाभ मिल रहा है। इस कड़ी में उन्होंने बिल गेट्स की उपलब्धियों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि दिव्यांग शारीरिक एवं मानसिक चुनौतीयों से जूझते हुए आगे बढ़ते हैं जरूरत इस बात की है कि हमारा और आपका सहयोग एवं संबल उन्हें मिले, तो वे काफी आगे जा सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उनके कल्याण के लिए कई सरकारी योजनाएं संचालित हैं। सरकार दिव्यांगों के कल्याण के लिए कृत्संकल्पित है। उन्होंने बताया कि पूर्व में सात प्रकार की दिव्यांगता के लिए ही प्रमाणीकरण किये जाते थे परंतु अब नये कानूनी अधिकार के माध्यम से 21 प्रकार की दिव्यांगता के तहत दिव्यांगों को सुविधा एवं सहूलियत प्रदान की जा रही हैं। ऐसी सभी दिव्यांगता के लिए चलंत न्यायालय में दिव्यांगता प्रमाणपत्र तत्क्षण मुहैया कराने की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा भी कोई भी दिव्यांग व्यक्ति अपनी समस्याओं के लिए चलंत न्यायालय में भाग ले सकते हैं। उन्होंने सरकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि कुष्ठ रोगियों के लिए पंद्रह सौ रुपये प्रतिमाह की राशि दिये जाने का प्रावधान है।

दिव्यांगों के जीवन में गुणात्मक व रचनात्मक सुधार में पंचायत प्रतिनिधियों की बड़ी भूमिका : डॉ शिवाजी

उसी प्रकार परवरिश योजना के माध्यम से भी दिव्यांगों को लाभांवित किये जाने की व्यवस्था है। इसके अलावा दिव्यांगों को मनरेगा के माध्यम से वशेष कार्ड, श्रम संसाधन विभाग की ओर से श्रम कार्ड दिये जाने का प्रवाधान है। विवाह प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, **भूमिहीन दिव्यांगों को प्रावधान के अनुसार भूमि उलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है, सभी निकायों में विकास बजट का पांच प्रतिशत राशि दिव्यांगजन के लिए खर्च किये जाने क प्रावधान है।**

3200
सोशल मीडिया से जुड़े

300
से अधिक जनप्रतिनिधियों व दिव्यांगजनों ने लिया बैठक में हिस्सा

सभी निकायों में विकास बजट का पांच प्रतिशत दिव्यांगों पर खर्च करने का प्रवाधान

20 | फरवरी | 2020

लखीसराय

स्वास्थ्य केंद्रों पर दिव्यांग प्रमाणीकरण होगा। उन्होंने दिव्यांगों से अपील की कि आप अपने संबंधित प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर **अपना दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार पिछले तीन दिनों से लखीसराय के दौरे पर हैं।**

■ कार्यक्रम में फरियाद सनुते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

चलंत न्यायालय

राज्य निःशक्तता आयुक्त एवं जिला पदाधिकारी शोभेंद्र कुमार चौधरी की मौजूदगी में जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांगजनों की समस्याओं के तत्क्षण निष्पादन को लेकर गांधी मैदान में आयोजित चलंत न्यायालय में हजारों की संख्या में दिव्यांगों की समस्याओं का निराकरण किया गया। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने दिव्यांगों की समस्याओं को सुनकर तत्काल उन्हें वांछित योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए चलंत न्यायायल में आदेश पारित किये। इस दौरान कुल 3744 आवेदन न्यायालय के समक्ष आये, जिसमें बैंक लोन से संबंधित 252 मामला 1008 लोगों को ऑन द स्पॉट विभिन्न प्रकार का प्रमाणपत्र दिया गया। इस दौरान रामगढ़ चौक के फेंकू भगत एवं विभिन्न प्रखंडों से आये घोल्टन मंडल, कुंती देवी, बुधनी देवी, कृष्णा महतो, लक्ष्मी रजक, सबिला खातुन, बाल सुंदर तांती, भरत कुमार पासवान, जगदेव सिंह, शंभु कुमार, सुमित कुमार सहित हजारों की संख्या में दिव्यांगों को प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम कार्ड, रेलवे कंसेशन पास, ट्राइसाइकिल, सामाजिकसुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, रोजगार के लिए ऋण सहित अन्य विभिन्न योजनाओं का लाभ उनकी अहर्ता एवं वांछित योग्यता के अनुसार दिलाने के लिए अनुशंसित किया गया।

सहायक निदेशक समाजिक सुरक्षा कोषांग राकेश कुमार ने बताया कि जिन दिव्यांगों का आज के चलंत न्यायालय में दिव्यांगता प्रमाणपत्र नहीं बन पाया है। उनके लिए भी उनके संबंधित प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्रों पर दिव्यांग प्रमाणीकरण होगा। उन्होंने दिव्यांगों से अपील की कि आप अपने संबंधित प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर अपना दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार पिछले तीन दिनों से लखीसराय के दौरे पर हैं।

3744
कुल मामले आये चलंत न्यायालय में

252 **मामले बैंक से ऋण संबंधी आये, जिनका हुआ निपटारा**

1008 **दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट मिला दिव्यांगता प्रमाणपत्र**

आयोजन • गांधी मैदान में आयोजित चलंत न्यायालय में उमड़े दिव्यांग

ऑन-द-स्पॉट 300 दिव्यांगों की समस्याओं का निराकरण, पहली बार लगा चलंत अदालत

23 | फरवरी | 2020

शिविर आयोजित

थैलेसीमिया से अब नहीं मरेंगे पीड़ित

■ थैलेसीमिया शिविर में भाग लेते केंद्रीय माननीय मंत्री श्री अश्वनी चौबे।

300 से अधिक थैलेसिमिया पीड़ित बच्चों का शिविर में किया गया जांच

इस अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत महिला दिव्यांग को स्वयं के पांच पीसदी अंशदान पर ग्रामीण क्षेत्र में 25 फीसदी अनुदान दिया जायेगा।

☞ **इस बीमारी से पीड़ित बच्चों का राज्य सरकार बनायेगी दिव्यांगता प्रमाणपत्र**

☞ **थैलेसिमिया से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए सरकार करेगी हरसंभव मदद**

राज्य भर के थैलेसिमिया पीड़ित बच्चों के लिए पटना के प्रेस क्लब परिसर में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। जांच शिविर में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने कहा कि अब दिव्यांगों को सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। इन बच्चों को राज्य सरकार दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगी।

इस शिविर में राज्य भर से 300 से अधिक थैलेसिमिया पीड़ित बच्चे अपने माता-पिता और भाई-बहन के साथ पहुंचे थे। इससे पूर्व शिविर का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा कि थैलेसिमिया पीड़ित एक भी बच्चे को सरकार मरने नहीं देगी। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर हरसंभव सहयोग करेगी। इन बच्चों की चिकित्सा के लिए हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

मौके पर उन्होंने पद्मश्री समाजसेवी बिमल जैन को सम्मानित किया और कहा कि इनके प्रयास से हजारों दिव्यांगों को नयी जिंदगी मिली है। शिविर के संयोजक नंद किशोर अग्रवाल ने बताया कि पहली बार निर्धन थैलेसिमिया पीड़ित बच्चों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है। समिति के अध्यक्ष सुशील संदरका ने बताया कि थैलेसिमिया एक गंभीर बीमारी है और इसके मरीजों को कुछ दिनों पर खून चढ़ाने की जरूरत होती है।

निजी क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए पांच प्रतिशत पद रहेंगे सुरक्षित : उद्योग विभाग ने निर्णय लिया है कि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के तहत स्थापित किसी भी औद्योगिक यूनिट में पांच फीसदी पद दिव्यांगों के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे। यह निर्णय एक अप्रैल को शुरू होने वाले नये वित्तिय वर्ष में प्रभावी किया जायेगा।

दिव्यांगों खासकर वार विडो, थर्ड जेंडर और एसिड अटैक पीड़िता की तरफ से अगर नया उद्यम स्थापित किया जाता है तो, ब्याज की दर 11.5 प्रतिशत या सावधि कर्ज पर वास्तविक ब्याज की दर सामान्य से कम रखी जाएगी। हाल ही में उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में यह निर्णय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का पालन कराने की दीशा में उठाया गया है। इस अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत महिला दिव्यांग को स्वयं के पांच पीसदी अंशदान पर ग्रामीण क्षेत्र में 25 फीसदी अनुदान दिया जायेगा।

क्रं0सं0	वाद सं0	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
78.	78/2019	सिवान	वादी :- श्री रजनीश कुमार शाही, सिवान। प्रतिवादी : - सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान एंव अन्य	पेंशन राशि के भुगतान के संबंध में
79.	79/2019	दरभंगा	वादी :- श्री धिरोज कुमार झा, दरभंगा प्रतिवादी :-जिला पदाधिकारी, दरभंगा	चतुर्थवर्गीय पद पर नियुक्ति से संबंधित
80.	80/2019	बेगूसराय	वादी :- श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बेगूसराय एंव अन्य	पेंशन के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में
81.	81/2019	बेगूसराय	वादी :- श्री बिरजू कुमार, बेगूसराय प्रतिवादी :- सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बेगूसराय	पेंशन से संबंधित
82.	82/2019	पटना	वादी :- श्री माहिम राय, पिता-श्री रंजित प्रसाद, पटना प्रतिवादी :-जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना	शिक्षक नियोजन 2019-20 में दिव्यांग के लिए रोस्टर प्वाइंट- 13 जारी करने कें संबंध में
83.	83/2019	सहरसा	वादी:- श्री शिवशंकर कुमार, सहरसा प्रतिवादी :-जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा	शिक्षक नियोजन 2019-20 में दिव्यांगजनों के लिए अनुमान्य रिक्ति का स्पष्ट प्रकाशित नहीं किये जाने के संबंध में
84.	84/2019	नालंदा	वादी :- श्री माहिम राय, नालंदा प्रतिवादी :- सभी जिला के ''जिला शिक्षा पदाधिकारी'', बिहार एवं अन्य	शिक्षक नियोजन 2019-20 में दिव्यांगजनों के लिए अनुमान्य रिक्ति का स्पष्ट प्रकाशित नहीं किये जाने के संबंध में
85.	85/2019	मोतिहारी पूर्वी चम्पारण	वादी :- श्री दिलीप कुमार, मोतिहारी,पूर्वी चम्पारण प्रतिवादी :- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्रशिक्षा अभियान,पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी एवं अन्य	दृष्टिबाधित विद्यार्थी को दाखिल से इनकार करने के संबंध में
86.	86/2019	खगड़िया	वादी :- श्री रोहित कुमार, खगड़िया प्रतिवादी : - उप सचिव, (बजट) नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना, बिहार एवं अन्य	आवंटन के अभाव में नौ माह से वेतन नही मिलने के संबंध में
87.	87/2019	सिवान	वादी :- श्री प्रिंस कुमार, सिवान प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान, बिहार एवं अन्य	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र बनवाने के क्रम में उत्पन हो रही कठिनाइयों के संबंध में
88.	88/2019	पटना	वादी :- श्री ऋषि कुमार, पिता-श्री संतोष कुमार मेहता, पटना। प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पटना एंव अन्य	दिव्यांगता पेंशन भुगतान की स्वीकृति के अनुमोदन के संबंध में
89.	89/2019	पटना	वादी :- श्री अतुल रंजन, पटना प्रतिवादी :- श्री मनीष रंजन एवं राधा कुमारी, पटना	मानसिक रूप से प्रताड़ित

अगला पेज : 200

MARCH 2020

मार्च 2020

मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने की अपील की है

बिहार के अंतरराष्ट्रीय पारा एथलीट शरद कुमार ने कोरोना महामारी (कोविड -19) से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में एक लाख रुपया दान दिया है।

pg-167

दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए...

pg-159

राज्य निःशक्तता आयुक्त...

pg-160

प्रखंडों का निरीक्षण

pg-161

प्रखंड अधिकारियों के साथ बैठक...

pg-162

149 दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट

pg-163

दिव्यांगों को मिला अधिकार...

pg-164

05 | मार्च | 2020

अररिया

■ आयुक्त ने अपने पांच दिवसीय यात्रा के पहले दिन आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए

7023 पंचायतों का अबतक जाना गया हाल

320000 दिव्यांग अब तक हो चुके हैं लाभान्वित

20 से ज्यादा संख्या वाली कंपनी में एक दिव्यांग की नियुक्ति जरूरी

23000 से अधिक शिकायतें टॉल फ्री नंबर पर की जा चुकी हैं दर्ज

दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण के क्रम में अररिया पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने अपने पांच दिवसीय यात्रा के पहले दिन आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। पांच दिवसीय कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा पेश करते हुए उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को समाज के मुख्यधारा में शामिल करने के लिए केंद्र व राज्य स्तर पर कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के शत-प्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के लिए वे अब तक राज्य के 36 जिलों का भ्रमण कर चुके हैं।

इस क्रम में राज्य के 454 प्रखंड अंतर्गत लगभग सात हजार 23 पंचायतों का भ्रमण अब तक संपन्न हो चुका है। इस क्रम में 3.5 लाख दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं। राज्य आयुक्त ने कहा कि यात्रा के क्रम में वे विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक करेंगे। दिव्यांगजनों को जरूरी आर्थिक मदद के लिए बैंक अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक प्रस्तावित है। इस क्रम में वे जिले के सभी प्रखंडों में बैठक आयोजित कर निःशक्तजनों के लिए संचालित योजनाओं के अद्यतन स्थिति की समीक्षा करेंगे। साथ ही योजनाओं का लाभ दिव्यांगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में नौ मार्च को दिव्यांगजनों से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन के लिए चलंत लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सीमांचल क्षेत्र में दिव्यांगता का मामला ज्यादा है। लिहाजा दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक किये जाने की जरूरत है। तमाम तरह के लोक कल्याणकारी योजनाओं में दिव्यांगजनों को पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। साथ ही वैसे संस्था जहां 20 से ज्यादा लोग कार्यरत हैं। वहां एक दिव्यांग को निश्चित रूप से काम पर रखने का प्रवाधान है। इतना ही नहीं दिव्यांगजनों से जुड़ी समस्याओं के निपटारा के लिए एक टॉल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। दिव्यांगजन 8448385590 पर संपर्क कर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। उक्त टॉल फ्री नंबर पर अब तक 23000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुये हैं।

राज्य आयुक्त ने कहा कि अप्रैल 2017 से दिव्यांगता प्रमाणपत्र नये प्रारूप में जारी किया जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किये जाने के इंतजाम संबंध जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता के क्रम में दी।

चलंत अदालत में हल होंगे दिव्यागों के परिवाद

06 | मार्च | 2020

समीक्षात्मक बैठक अररिया जिला

- दिव्यांगजनों की समस्या की समाधान करते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

21 श्रेणियों में बांटा गया है दिव्यांगता को, सभी श्रेणी के दिव्यांगों को मिलता है लाभ

18348 कुल संख्या है अररिया जिले में दिव्यांगों की

☞ मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत तीन लाख तक अनुदान

☞ मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना का लाभ दिव्यांगों के लिए

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने समाहरणालय स्थित सभा भवन में अलग-अलग विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना जरूरी है। अधिकारी दिव्यांगजनों से बात करें। गले मिलें और हाथ मिलाया ताकि उनको एहसास नहीं हो कि वे आम लोगों से अलग हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगों के लिए संचालित योजनाओं का लाभ भी दिलायें। इसमें विलंब न करें। राज्य आयुक्त ने बताया कि दिव्यांगता की कुल 21 श्रेणियां होती हैं. इसी क्रम में उन्होंने सभी विभागों को दिव्यांगजनों को दिये जा रहे एवं पूर्व में दिये गये लाभ की विस्तृत रिपोर्ट समर्पित करने का निर्देश दिया।

सभी कार्यालयों में निःशक्त जनों के लिए रैंप व शौचालय सुनिश्चित कराएं

उन्होंने सभी सरकारी कार्यालय में रैंप की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा। इस अवसर पर उन्होंने दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, मुख्यमंत्री निःशक्तजन स्वरोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना, कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण सुविधा योजना पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को रोजगार के लिए सरकारी विभाग में चार प्रतिशत और निजी क्षेत्र में पांच प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। वहीं बैठक में बताया गया कि जिले में दिव्यांगजनों की संख्या 18348 है। इसके पूर्व राज्य आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने रानीगंज व भरगामा प्रखंड में प्रखंडस्तरीय बैठक में भी भाग लिया। बैठक में उन्होंने दिव्यांगजनों की समस्या सुनी व समस्या के निराकरण को लेकर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही वह रानीगंज प्रखंड के हांसा पंचायत का औचक निरीक्षण भी किया। जबकि बैठक के बाद वे शहर स्थित एक मॉल भी पहुंचे। मॉल में दिव्यांगजनों के लिए रैंप व शौचालय की सुविधा नहीं देखे जाने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने 15 दिनों के अंदर दोनों तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश वहां के प्रबंधक को दिया।

भरगामा प्रखंड मुख्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजनों को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। जागरूकता के अभाव में कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक योजनाओं यथा आवास, भूमि, कृषि, पशुपालन, मनरेगा, जनवितरण आदि में पांच प्रतिशत का लाभ मिलता है। उन्होंने मनरेगा पीओ सुधांशु शेखर को एक सप्ताह के अंदर दिव्यांगों को जॉब कार्ड देने का निर्देश दिया।

07 | मार्च | 2020

अररिया

प्रखंडों का निरीक्षण

● दिव्यांगजनों की शिकायतों को गंभीरता से लें अधिकारी और दिलायें योजनाओं का लाभ

● दिव्यांगों को परेशान करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी विभाग में चार प्रतिशत व निजी क्षेत्र में पांच प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान हैं। इसके बाद राज्य आयुक्त ने आंगनबाड़ी कर्मी, विकास मित्र व बुनियादी केंद्र के कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की।

▪ दिव्यांगनों से बात करते मुख्य अतिथि राज्य निःशक्तता आयुक्त ।

दिव्यांगजनों को समझें अपना, हाथ मिलाएं, गले लगाएं

'पटना पहुंची दिव्यांगों की शिकायत पर स्थानीय प्रशासन बेखबर'

बैठक में कम उपस्थिति पर बिफरे राज्य निःशक्तता आयुक्त

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने फारबिसगंज प्रखंड कार्यालय परिसर में विभिन्न विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों व पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिसमें बड़ी संख्या में प्रखंड के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के दिव्यांगजनों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में राज्य आयुक्त ने कहा कि दिव्यांगजन पहले इंसान हैं तब दिव्यांग है। इनकी समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुने व इनका हर संभव सहायता करें। जो सरकारी योजनाएं है उनकी जानकारी दें व समुचित लाभ इन्हें मुहैया करायें।

नरपतगंज प्रखंड कार्यालय पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व दिव्यांगजनों के साथ बैठक की। बैठक में दिव्यांगजनों की समस्या से अवगत हुए। जहां दिव्यांगजन की कई तरह की समस्या से अवगत होते हुए स्थानीय पदाधिकारी को कई दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन के साथ एक भी लापरवाही बर्दास्त नहीं होगी। इसके बाद अररिया में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राज्य आयुक्त ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलायी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी विभाग में चार प्रतिशत व निजी क्षेत्र में पांच प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान हैं। इसके बाद राज्य आयुक्त ने आंगनबाड़ी कर्मी, विकास मित्र व बुनियादी केंद्र के कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की।

नरपतगंज प्रखंड

08 | मार्च | 2020

अररिया

प्रखंड अधिकारियों के साथ बैठक

■ दिव्यांगनों की समस्या सुनते मुख्य अतिथि राज्य निःशक्तता आयुक्त ।

3000 से अधिक दिव्यांगों ने विभिन्न प्रखंडों में आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा

साथ ही मुख्यालय पहुंचे दिव्यांगजनों की शिकायतें भी सुनी। उन्होंने मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी दिव्यांगों की शिकायतों का जल्द निपटारा किया जाये।

नरपतगंज में एमओ व मनरेगा पीओ के वेतन पर रोक

कार्रवाई

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने पलासी मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी। राज्य आयुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि दिव्यांगों की समस्याओं को हल कराने में किसी तरह की आनाकानी नहीं करें। इस क्रम में उन्होंने एक दिव्यांग बच्ची को अपने समीप कुर्सी पर बैठाया और उसकी हौसला अफजाई की।। कहा कि पंचायतों में कम से कम 15 दिनों पर व प्रखंड मुख्यालय में माह में कम से कम एक बार दिव्यांगों की बैठक होनी जरूरी है। बैठक में आयुक्त ने कहा कि 21 प्रकार के दिव्यांगों का सर्वे कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलायें। सरकारी योजना के तहत भूमिहीन को भूमि देने, रेलवे आरक्षण सहित अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान है।

पलासी प्रखंड कार्यालय पहुंचे राज्य निःशक्तता आयुक्त ने प्रखंड अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। साथ ही मुख्यालय पहुंचे दिव्यांगजनों की शिकायतें भी सुनी। उन्होंने मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि सभी दिव्यांगों की शिकायतों का जल्द निपटारा किया जाये। इन्हें मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड और पेंशन स्कीम का जल्द से जल्द लाभ दिलाया जाये।

पलासी प्रखंड

11 | मार्च | 2020

चलंत न्यायालय

149 दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट यूडीआइडी कार्ड

जिला अररिया

अररिया शहर के टाउन हॉल में राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार की अध्क्षता में चलंत लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस शिविर में दूर दराज से दिव्यांग पहुंचे। दिव्यांगों की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ने पर राज्य आयुक्त ने 28 मार्च को सभी प्रखंडों में शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य निःशक्तता आयुक्त ने कहा कि चलंत न्यायालय में आये हुए जो भी दिव्यांग वंचित रह गये हैं उनके लिए 28 मार्च को शिविर आयोजित की जाएगी। निःशक्तता विभाग के आंकड़ों के अनुसार 6500 दिव्यांगों का निबंधन किया गया, जिसमें 350 दिव्यांगों का प्रमाणपत्र बनाया गया। 149 दिव्यांगों के यूडीआइडी कार्ड बनाये गये। बैंक एलडीएम ने 15 दिव्यांगों का लोन का आवेदन पत्र प्राप्त किया।

आयोजन • कुव्यवस्था का शिकार हुआ दिव्यांग शिविर, 28 मार्च को प्रखंड स्तर पर लगेगा शिविर

चलंत न्यायालय में 6500 दिव्यांगों का किया रजिस्ट्रेशन, 500 को दिया गया प्रमाण-पत्र

टाउन हॉल के आगे जाम हटाने में पुलिस प्रशासन को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत

■ कार्यक्रम में फरियाद सनुते राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार।

6500 दिव्यांगों ने लोक अदालत में दर्ज करायी शिकायतें

1456 दिव्यांगों को ऑन द स्पॉट दिया गया दिव्यांगता प्रमाणपत्र

15 दिव्यांगों ने रोजगार के लिए ऋण के लिए बैंक को दिया आवेदन

निःशक्तता विभाग के आंकड़ों के अनुसार 6500 दिव्यांगों का निबंधन किया गया, जिसमें 350 दिव्यांगों का प्रमाणपत्र बनाया गया। 149 दिव्यांगों के यूडीआइडी कार्ड बनाये गये। बैंक एलडीएम ने 15 दिव्यांगों का लोन का आवेदन पत्र प्राप्त किया।

14 | मार्च | 2020

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016

दिव्यांगों को मिला अधिकार

राज्य सरकार बिहार राज्य आवास बोर्ड के भवनों और भूमि के आवंटन में दिव्यांगों को आरक्षण देगी। इसके साथ ही नगर निकायों द्वारा सरकारी भूमि पर निर्मित दुकानों के आवंटन में भी पांच फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा। नगर विकास विभाग ने दिव्यांगों को आरक्षण देने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड और सभी नगर निकायों को आवंटन के प्रावधानों में बदलाव करने का निर्देश दिया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में दिये गये निर्णय के तहत दिव्यांगों को ये सुविधाएं दी जानी है। विभाग ने बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के अलावा चारों स्मार्ट सिटी के प्रबंध निदेशक, नगर आयुक्त और नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को इन प्रावधानों को लागू करने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा शहरों में बनने वाले सभी व्यावसायिक भवनों में दिव्यांगों की सुविधा के लिए रैंप का निर्माण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए बिल्डिंग बायलॉज में भी बदलाव की अनुशंसा की गयी है। व्यावसायिक परिसरों का नक्शा पास कराने के लिए भवनों में रैंप का प्रावधान अनिवार्य किया गया है। स्मार्ट सिटी की योजनाओं में दिव्यांगों के लिए जरूरी सुविधा को शामिल किया जायेगा। इसकी प्लानिंग में दिव्यांगों के लिए सुगम्यता, बाधारहित परिसर और वातावरण उपलब्ध कराने का प्रावधान शामिल करने का निर्देश दिया गया है। नगर विकास विभाग के सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों के फुटपाथ और सड़कों के डिवाइडरों का निर्माण दिव्यांगों की सुविधा के अनुसार किया जाये।

आवास बोर्ड और निकायों की जमीन पर बनी दुकानों में दिव्यांगों को 5% आरक्षण

व्यावसायिक परिसरों में नक्शा पास कराने के लिए रैंप का निर्माण होगा अनिवार्य

पहाड़ी इलाकों में जल संचय के लिए बनेगा गारलैंड-ट्रेंच

> नगर विकास विभाग के सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों के फुटपाथ और सड़कों के डिवाइडरों का निर्माण दिव्यांगों की सुविधा के अनुसार किया जाये।

14 | मार्च | 2020

खेलकूद

दिव्यांग व सामान्य खिलाड़ियों की प्रतियोगिता एक साथ

बिहार देश का दूसरा बड़ा राज्य है, जहां दिव्यांगजनों की संख्या करीब 50 लाख से अधिक है इनके जीवन को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार कई महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। इसी के तहत 10 लाख दिव्यांगजन को खेलकूद से जोड़ने का प्रयास शुरू हो गया है। राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने इसके लिए अब तक 26 जिला खेल संघों के साथ चर्चा कर इसे पूर्ण रूप देने की तैयारी की है. फिलहाल किसी भी खेल संघ द्वारा दिव्यांग खेलों का आयोजन नहीं कराया जाता है। राज्य में दिव्यांग खेलकूद के आयोजन की पूरी जिम्मेदारी बिहार पैरालिंपिक कमेटी के जिम्मे है। बिहार की पैरालिंपिक कमेटी की शुरुआती ट्रेनिंग के दम पर ही शरद कुमार और अर्जुन अवार्डी प्रमोद भगत जैसे पैरा एथलीट दुनिया में राज्य का नाम रौशन करने में सफल रहे हैं।

राज्य निःशक्तता आयुक्त ने बताया कि राज्य में दिव्यांगजनों के समावेशी विकास के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के धारा में यह निहित है कि जहां पर सामान्य बच्चों के लिए खेलकूद की व्यवस्था हो। वहीं पर दिव्यांगों के लिए भी सारी सुविधा उपलब्ध हो, जिस तरह से ओलिंपिक खेलों का आयोजन जहां होता है। वहीं पर पैरालिंपिक खेलों का भी आयोजन कराया जाता है। उसी तरह राज्य में भी ऐसी व्यवस्था सभी राज्य खेल संघों को मिलकर करनी होगी। इसके लिए राज्य संघों को अलग से खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अन्य क्षेत्रों में भी इसी कानून के तहत दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने की जरूरत है।

दिव्यांग व सामान्य खिलाड़ियों की प्रतियोगिता एक साथ

■ ट्वीटर पर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते प्रधानमंत्री।

> वहीं पर पैरालिंपिक खेलों का भी आयोजन कराया जाता है। उसी तरह राज्य में भी ऐसी व्यवस्था सभी राज्य खेल संघों को मिलकर करनी होगी। इसके लिए राज्य संघों को अलग से खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अन्य क्षेत्रों में भी इसी कानून के तहत दिव्यांगजनों के लिए कार्य करने की जरूरत है।

10 लाख दिव्यांगजनों को खेल से जोड़ने का हो रहा है प्रयास

26 जिला खेल संघों के साथ अबतक हो चुकी है बैठक

30 में निहित है यह व्यवस्था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के धारा

29 | मार्च | 2020

पटना

कोरोना महामारी

बिहार के अंतरराष्ट्रीय पारा एथलीट शरद कुमार ने कोरोना महामारी (कोविड -19) से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में एक लाख रुपया दान दिया है। शरद के पिता सुरेंद्र कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शरद फिलहाल अपनी तैयारियों के सिलसिले में यूक्रेन में है। इनसे पहले बिहार के रहने वाले क्रिकेटर इशान किशन ने कोरोना पीड़ितों के लिए 2.5 लाख रुपये दान किये थे।

शरद ने देश भर के लोगों से हौसला बनाये रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपने संदेश में कहा कि पूरे लॉकडाउन तक घर में रहें और सुरक्षित रहें। बहुत जरूर हो तभी घर से बाहर निकलें और अगर निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क का प्रयोग जरूर करें। आपकी एक छोटी सी गलती सैकड़ों लोगों को संक्रमित कर सकती है।

शरद ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर बिहार और देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने लंदन में हुई विश्व पारा एथलेटिक्स के लांग जंप में रजत पदक जीता था। इसके बाद एशियन पारा एथलेटिक्स में भी देश के लिए स्वर्ण पदक जीता था. उनके उत्कृष्ट खेल के लिए बिहार सरकार उन्हें सम्मानित भी कर चुकी है।

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने भी राज्य में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों व अधिकारियों से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने की अपील की है, ताकि इस महामारी को हराया जा सके।

कोविड-19 से लड़ने के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी और अधिकारी सरकार की करें मदद

लॉकडाउन का पालन कर इस महामारी को हम सबको मिलकर हराना है

राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने भी राज्य में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों व अधिकारियों से मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देने की अपील की है, ताकि इस महामारी को हराया जा सके।

बिहार के खिलाड़ी कोरोना से लड़ने में कर रहे हैं सहयोग

SUCCESS STORY

दिव्यांग होना अभिशाप नहीं है। यह राज्य के दिव्यांगों ने साबित किया है। हर क्षेत्र खेल, कला, साहित्य, समाजसेवा और प्रशासनिक सेवा में अपने कार्यों का लोहा मनवाया है। इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में सराहनीय कार्य किये। इन्हीं दिव्यांगों की प्रेरणाओं को सक्सेस स्टोरी के रूप में वार्षिक प्रतिवेदन में संकलित किया गया है। **जो राज्य के लिए गौरव का विषय है...**

success story

मानव सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया

■ मुंगेर (बिहार)

नाम

आमीर उल इस्लाम

वा दोनों पैरों के दिव्यांगता से जुझने वाले आमीर उल इस्लाम के पास हौसले की कोई कमी नहीं है। रात हो या दिन हर समय जरूरतमंद लोगों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। पोलियो के कारण दिव्यांग हुए आमीर ने मानव सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। गरीब निस्सहाय लोगों की मदद करना बीमार लोगों को अस्पताल में मुफ्त इलाज कराना, रक्तदान के द्वारा जरूरतमंदों को रक्त की आपूर्ति करवाना अपना दायित्व समझते हैं। लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते पिछले एक माह में 300 से अधिक बीमार लोगों को सदर अस्पताल पहुंचाने का काम किया। पिछले 15 दिनों में संगठनों के सहयोग से 200 जरूरतमंद लोगों को कंबल दिलवाने का काम किया, जो रात में सड़क किनारे सोये हुए थे।

वहीं लोगों के घरों से भोजन इकट्ठा कर सड़क पर रह रहे बेघर लोगों की भूख मिटाने का काम भी करते हैं। दिनभर सामाजिक कार्यों में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। गरीब लड़कियों की शादी में मदद और बच्चों को शिक्षा बेरोजगारों को उनके योग्यता के अनुसार छोटा-मोटा रोजगार दिलाने में सहयोगी की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। आमिर उल इस्लाम यह कहते हैं कि वह कभी भी अपने आपको दिव्यांग महसूस नहीं करते, लेकिन एक वक्त है जब राष्ट्रगान के सम्मान के लिए सब खड़े हो जाते हैं उस वक्त आमिर को लगता है कि इनके पास पैर होता, तो मैं भी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा हो सकता है। इसलिए मैं अपने खुदा से 52 सेकेंड के लिए पैर देने की भी मांग करता हूं। लोगों के काम आना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक वक्त था जब 15 साल तक चार दीवारों में गुजारा होता था और बाहर निकलना एक सपने जैसा था और एक चैलेंजिग जीवन लिए यह मैसेज देना है।

पहले दृष्टिबाधित उपायुक्त राजेश

बिहार के पटना जिले के रहनेवाले आइएएस राजेश कुमार सिंह ने बोकारो डीसी का पदभार ग्रहण किया। राजेश कुमार को पदभार निवर्तमान डीसी मुकेश कुमार द्वारा प्रदान किया गया। डीसी राजेश कुमार सिंह दृष्टिहीन है तथा लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। डीसी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने पहली बार किसी दृष्टिहीन अधिकारी को जिले की कमान सौंपी है। मैं मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव का आभार प्रकट करते हुए उन्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा।

एसडीओ व एडीएम के रूप में काम कर चुके हैं : 2007 बैच के राजेश सिंह ने बतौर डीसी अपनी पहली पदस्थापना के लिए सीएम हेमंत सोरेन के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि चूंकि वह एसडीओ व एडीएम के रूप में काम कर चुके हैं। इसलिए ज्यादा चुनौतीपूर्ण तो नहीं, परंतु कोरोना काल की विकट परिस्थिति में डीसी के पद पर काम करना यकीनन एक चैलेंजिंग जॉब होगा।

बिहार के रहने वाले हैं राजेश कुमार सिंह: राजेश कुमार सिंह पटना के धनरूआ के गोविंदपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके दो भाई और एक बहन हैं। पिता सिविल कोर्ट में काम करते थे। सिर पर चोट लगने से तीसरी कक्षा में ही उनकी दृष्टिबाधित हो गई। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद उनका एडमिशन देहरादून के एक स्पेशल स्कूल में कराया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू से भी पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा। राजेश सिंह ने साल 2007 में यूपीएससी की परीक्षा पास की। लेकिन उनकी नियुक्ति लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2011 में हो पाई। वो सुप्रीम कोर्ट तक में गए, जहां उनके हक में फैसला आया। 2013 में उनकी शादी हुई।

हौसले बुलंद हो तो दृष्टिविहीन होना अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है : पदभार लेने के बाद डीसी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि अगर आपके हौसले मजबूत हैं तथा लक्ष्य निर्धारित है तो, दृष्टिहीन होना कोई अभिशाप नहीं है। भारत में डायवर्सिटी की एक अलग पहचान है। असमानता के बावजूद भी जो इस कसौटी पर बेहतर तरीके से मुकाम हासिल करते हैं, मुझे दृष्टिहीन कमजोरी के रूप में नहीं दिखती बल्कि यह मुझे अन्य लोगों से भिन्न बनाती है। ताकि मैं एक समान सभी को समान अधिकार दिला सकूं। लक्ष्य निर्धारण करते वक्त मुझे किसी का चेहरा नहीं दिखायी देता बल्कि मैं लक्ष्य को लेकर ही चलता हूं।

■ धनरूआ पटना (बिहार)

नाम

राजेश कुमार

success story

हौसले से बनायी पहचान

■ आरा (भोजपुर)

नाम

धीरज कुमार

खेतिहर परिवार के धीरज कुमार के लिए सोनपुर मेला देखना तब महंगा पड़ गया जब लौटने के क्रम में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। इस हादसे में उनके दोस्त की मौत हो गयी, लेकिन धीरज बच गये। हालांकि इस हादसे ने उन्हें दिव्यांग बना दिया। इस हादसे में धीरज को स्पाइनल इंज्यूरी हो गयी और उनका शरीर कमर से सून्न हो गया। उनके दोनो पैर काम करना बंद कर दिया। यह घटना 2015 में हुई, जब धीरज की उम्र 22 वर्ष थी

हादसे से टूट गये सपने : धीरज बीए की पढ़ाई कर डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे थे। इन्होंने इसके लिए परीक्षा भी दे दी थी और मेडिकल व फीजिकल दोनों ही टेस्ट पास कर लिए थे। लेकिन इस दुर्घटना से इनका फौज में ऑफिसर बनने का सपना टूट कर बिखर गया। काफी लंबे इलाज व फिर थेरपी कराते काफी समय गुजरते गये और धीरज अंदर ही अंदर टूटते गये। खुद को संभालने के लिए धीरज ने प्रशिक्षण व पुनर्वास का सहारा लिया। धीरे-धीरे को खुद को संभालने लगे। पहले से खुद को बेहतर समझने लगे।

धीरज अपने में हौसले को संजोना शुरु कर दिया। जिससे वह अपनी नयी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। दिव्यांगता को हराने के लिए धीरज ने खेल को अपना हथियार बनाया। जिसमें बिहार पैरालिंपिक कमेटी ने अहम भूमिका निभायी। धीरज ने पहली बार व्हीलचेयर मैराथन में हिस्सा लिया, जिसमें वह पांचवें स्थान पर रहे। इसके बाद इन्होंने व्हीलचेयर रग्बी में हाथ आजमाया जिसमें इन्होंने सफलता के झंडे गाड़े। अपनी कप्तानी में इन्होंने राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी में बिहार टीम को पहली बार सिल्वर मेडल दिलाया। इसके अलावा दीपक व्हीलचेयर बास्केटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी हैं। दीपक बिहार और ओड़िशा दोनों टीमों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

खेलकूद ने बनाया संबल

दिव्यांगता अभिशाप नहीं है। यह सामान्य लोगों से बेहतर करने की प्रेरणा है। हर किसी के पास दिव्यांगता से लड़ने का हौसला नहीं होता है, लेकिन जो इससे लड़कर आगे बढ़ता है। उसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाता है। ऐसी ही एक कहानी अताउर रहमान की है। बचपन से दोनों पैरों से दिव्यांग अताउर ने दिव्यांगता को हराने के लिए अपनी नयी जिंदगी की शुरुआत खेलकूद से कि और अब वह शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगा रहे हैं।

अताउर रहमान ने अपनी इस कमजोरी को औजार बनाकर सफलता की सीढ़ियां तय की वह आज किशनगंज जिले के दिव्यागों के लिए नजीर बन गये हैं। दिव्यांग होने के बाद भी अपनी शारीरिक कमजोरी को अपनी ढाल बनाकर खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य ही नहीं दूसरे राज्यों में भी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उन्होंने खेल में प्रतिभा का परचम लहराया और जिले व राज्य का नाम रोशन किया। ऑल इंडिया दिव्यांग टेबुल टेनिस प्रतियोगिता, राज्यस्तरीय खेलकूद दिव्यांग एथलेटिक्स प्रतियोगता, राष्ट्रीय पैरा ओलिंपिक प्रतियोगिता सहित प्रमंडलीय स्तर के दर्जनों प्रतियोगिता में भाग लेकर अताउर रहमान ने अपनी योग्यता का लोहा मनवाया।

लोकसभा चुनाव (किशनगंज) में जिले भर के दिव्यांग मतदाताओं के लिए उनका चयन रोल मॉडल के रूप में भी किया गया। राज्य आयुक्त निःशक्तता डॉ. शिवाजी कुमार से इन्हें हरक्षेत्र में बेहतर करना मदद मिला। आज के समय में अताउर रहमान स्कूल में शिक्षक के रूप नियुक्त हैं। ठाकुरगंज प्रखंड के लौधावाड़ी में बतौर शिक्षक अताउर अपना योगदान दे रहे हैं।

{ हरक्षेत्र में बेहतर करना मदद मिला। आज के समय में अताउर रहमान स्कूल में शिक्षक के रूप नियुक्त हैं। ठाकुरगंज प्रखंड के लौधावाड़ी में बतौर शिक्षक अताउर अपना योगदान दे रहे हैं। }

■ किशनगंज (बिहार)

नाम

अताउर रहमान

success story

हादसे से हारे नहीं उठाने लगें औरों का बोझ

नाम
नीतीश कुमार सिंह

■ गोपालगंज (बिहार)

होनी-अनहोनी जीवन का एक हिस्सा है कहीं बोझ बन जाती है, कहीं औरों का बोझ उठाने वाली जिंदगी। निर्भर इस बात पर कि कौन इसे किस रूप में लेता है। गोपालगंज जिले के नीतीश कुमार सिंह ऐसे ही शख्स हैं, जिनके साथ हादसा हुआ। वे इससे हारे नहीं, बल्कि औरों का भी बोझ उठाने लगे। एक प्रेरणा कि जीना इसी का नाम है। कुचायकोट प्रखंड के उचकागांव निवासी नीतीश 01 अगस्त 2014 में देवघर से पूजा कर लौट रहे थे उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। गंभीर रूप से जख्मी हो गये। दो साल तक एम्स, दिल्ली में इलाज चला। नयी जिंदगी तो मिली, पर गर्दन के नीचे के हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया। रीढ़ की हड्डी टूट गयी थी। दिव्यांगता जीवन भर की साथी बन चुकी थी, लेकिन व न तो हताश हुए, न जिंदगी से निराश। औरों की खुशी में सुकून ढूंढना शुरू किया। 2018 से एक नये मिशन में जुट गये। नाते-रिश्तेदारों और मित्रों के साथ मिलकर एक टीम बनायी। चंदा इकट्ठा कर जो पैसे आये, उससे व्हीलचेयर खरीदी और अपने जैसे उन लोगों को भेंट की, जो खरीदने में सक्षम नहीं थे। अब तक तीन दर्जन से ज्यादा व्हीलचेयर बांट चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद दिव्यांगों तक राशन पहुंचाया। वे व्हीलचयेर पर खुद से नहीं बैठ पाते हैं। घर के लोग उठाकर बिठाते हैं, पर नीतीश अपने जैसे और भी दिव्यांगों का सहारा बन चुके हैं। वे मनरेगा में दिव्यांगों के लिए तीन फीसद आरक्षण की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कुचायकोट के जागीर सेमरा गांव निवासी नागेंद्र सिंह सहित आठ लोगों का दिल्ली में इलाज भी कराया। ये सभी हादसे का शिकार हो दिव्यांग हो चुके थे। ऐसे लोगों के इलाज के लिए चेन्नई की एक संस्था द स्पाइनल फाउंडेशन की भी मदद लेते हैं। थावे प्रखंड के विदेशी टोला निवासी रमेश यादव कहते हैं कि नीतीश ने ही उनमें नयी ऊर्जा भरी। रमेश जिले के नामी पहलवान थे। एक दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी टूट गयी।

दुर्घटना ने व्हीलचेयर पर बैठाया

विषम परिस्थितियों में राह बनानेवाले अक्सर विरले होते है, वह भी तब जब सामान्य जीवन से एकाएक दिव्यांग जीवन में इंसान प्रवेश कर जाये। दिव्यांगता के चुनौतीयों से पार पाना कोई आम बात नहीं है। इसमें बहुत समय और दृढ़ इच्छाशक्ति की जरूरत होती है, जैसे ही लोगों को खुद पर विश्वास बढ़ता है। वह दिव्यांगता को चुनौती देने में कामयाब होते हैं। पटना के अनुराग की भी यहीं कहानी है। 25 वर्षों तक सामान्य जीवन जीने वाले अनुराग को एक हादसे में गोली लग गयी, जिससे उनका शरीर 50 प्रतिशत कार्य करना बंद कर दिया। उन्हें इस हादसे में स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हुई। उनकी जिंदगी व्हीलचेयर पर सिमट गयी। इच्छाशक्ति भी धीरे-धीरे समाप्त होने लगी। इसी दौरान उनकी मुलाकात राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार से हुई, जिन्होंने उनका सही मार्गदर्शन करने के साथ-साथ हौसला भी बढ़ाया। इसके बाद से अनुराग की जिंदगी में धीरे-धीरे बदलाव शुरू हो गया। उन्होंने अपने जैसे लोगों की मदद करने की राह चुनी। इन्होंने अपने जैसे लोगों का एक व्ट्सएप ग्रुप बनाया। इनका मकसद स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी से जुझ रहे लोगों की हिम्मत बढ़ाना और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा था। इस मकसद से बने इस ग्रुप में बिहार से झारखंड तक के लोग जुड़े। इसके बाद द स्पाइनल फाउंडेशन की स्थापना हुई। करीब 200 लोगों को अब तक इनके द्वारा मदद पहुंचायी गयी है। इस परेशानी से जुझ रहे लोगों को मोटिवेट करना। उन्हें यह जानकारी देना की आप इस अवस्था में क्या बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए। इन सब बातों को बताया जाता है। उनके अधिकार और लाभ के बारे में जानकारी दी जाती है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से अनुराग लोगों में अलख जगा रहे हैं। वह अपनी इस नयी जिंदगी से खुश हैं। अनुराग कहते हैं अब दूसरों के लिए जीना है. मैं जीन हालातों में कुछ दिनों के लिए था। वैसे हालात दूसरों के साथ न हो इसके लिए मैं हरसंभव प्रयास करूंगा।

> अब दूसरों के लिए जीना है. मैं जीन हालातों में कुछ दिनों के लिए था। वैसे हालात दूसरों के साथ न हो इसके लिए मैं हरसंभव प्रयास करूंगा।

■ पटना (बिहार)

नाम
अनुराग

success story

समाजसेवा को बनाया अपना लक्ष्य

नाम

शांती मुकुल

■ **मुजफ्फरपुर**

मुजफ्फरपुर जिले के मिर्जापुर गांव के रहने वाले शांती मुकुल को बचपन में पोलियो ने अपने चपेट में ले लिया। इसकी वजह से यह एक पैर से दिव्यांग हो गये। इन विषम परिस्थितियों में भी इन्होंने खुद को समाज में बनाये रखने के लिए हर संभव प्रयास किया और बहुत हद तक सफल भी हुए। अनुबंध समाप्त होने के बाद एकबार फिर शांती बेरोजगार हो गये। नौकरी की तलाश में उनकी मुलाकात उषा मानकी से हुई जो जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल चलाती थी। इन्हीं के द्वारा राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार से मुलाकात हुई। इसके बाद जैसे मेरी जिंदगी में रोशनी आ गयी। इनकी प्रेरणा के बाद मैं पूर्ण रूप से समाज सेवा में लग गया। मैंने एक लक्ष्य बनाया कि सरकारी योजनाओं का लाभ जिले के प्रत्येक दिव्यांगों को दिलाउंगा। मेरे कार्यों को देखते हुए मुझे जिला स्तरीय दिव्यांग संगठन का सदस्य बनाया गया। मेरी पत्नी कुमारी सरिता भी समाजसेवा के लिए मुझे प्रेरित करते रहती है। वह भी हाथ और पैर से दिव्यांग है। सरिता स्नातक कर चुकी है और प्रतियोगिता परिक्षा की तैयारी कर रही है।

● कार्य के लिए इन सम्मानों से नवाजा गया। ● समाज सेवा के लिए मिला सम्मान ● पुनर्वास और संशाधन केंद्र सम्मान (2007) ● राष्ट्रीय कोचिंग शिविर एथलेटिक्स में प्रमाण पत्र सम्मान (2008) ● महात्मा बुद्ध सम्मान (2008) विशेष ओलिंपिक बिहार ● राज्यस्तरी विचार गोष्ठी सम्मान ● जिला खेलकूद में भाग लेने के लिए कोच के रूप में सम्मानित (2018) ● भागवान जानकी स्मृति सम्मान (2019) समाजसेवा ● निर्मल अनुपम फाउंडेशन से सम्मान (2019) मानव सेवा के लिए ● उम्मीद कर्मवीर योद्धा सम्मान (2020) ● हेलन केलर की 140 वीं जयंती पर प्रशंसा प्रमाणपत्र, राज्य आयुक्त के द्वारा (2020)

धीरज दिव्यांगों को कर रहे हैं जागरूक

2013 में इन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से स्नातक किया।

■ **नालंदा (बिहार)**

नालंदा जिले के थरथरी बाजार के रहने वाले धीरज कुमार दिव्यांगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं। बचपन में पोलियो के शिकार हुए धीरज अपने जिले के दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए वह दिव्यांग जागरुकता मंच बनाकर कार्य कर रहे हैं। धीरज कुमार ने बताया कि राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार से मिलने के बाद दिव्यांगों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफल हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था, जब मुझे दिव्यांगता प्रमाणपत्र बनवाने में तीन हप्ता लग गया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपने दिव्यांग मित्रों का प्रमाणपत्र अब कुछ दिनों में ही बन जाता है। यह राज्य आयुक्त की वजह से संभव हो पाया है।

घर से आर्थिक रूप से कमजोर धीरज स्कूल टाइम से ही बच्चों पढ़ाने का काम करते हैं। इसमें भी गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। इसके अलावा इन बच्चों को वह कॉपी किताब भी मुहैया कराते हैं। 2013 में इन्होंने मगध यूनिवर्सिटी से स्नातक किया। अब शिक्षा के क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के लिए बीड़ी कर रहे हैं। इनकी पत्नी इनके हर निर्णय में सहयोग करती है। जिसकी वजह से आज यह दिव्यांगों को मदद करने में सफल हो रहे हैं। दिव्यांगता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए धीरज को अभिमन्यू सम्मान से राज्य पैरालिंपिक कमेटी सम्मानित कर चुकी है। इसके अलावा इन्हें अन्य सम्मान से भी नवाजा गया है।

> {दिव्यांगता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए धीरज को अभिमन्यू सम्मान से राज्य पैरालिंपिक कमेटी सम्मानित कर चुकी है। इसके अलावा इन्हें अन्य सम्मान से भी नवाजा गया है।}

नाम

धीरज कुमार

success story

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शम्स ने बिहार का नाम किया रोशन

नाम

शम्स आलम

■ मधुबनी (बिहार)

"कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों।" इस कहावत को मधुबनी के रहने वाले अंतरराष्ट्रीय पैरा तैराक मो शम्स आलम ने सच कर दिखाया है। वो अब तक कई सारे रिकॉर्ड्स स्थापित कर चुके हैं। इन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चैपिंयनशिप में गोल्ड, सिल्वर और कांस्य पदक मिल चुका है। पिछले साल 8 दिसंबर को बिहार स्विमिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित मिश्रीलाल मेमोरियल विंटर स्विमिंग कंपटीशन 2019 में फास्टेस्ट पैराप्लेजिक स्विमर का रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने गंगा नदी में सबसे तेज दो किलोमिटर की तैराकी 12:23:04 मिनट में पूरा कर लिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसी रिकॉर्ड के लिए उनका नाम इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। मोहम्मद शम्स बताते हैं कि इस रिकॉर्ड के लिए उन्होंने पिछले साल हुए मिश्रीलाल मेमोरियल विंटर स्विमिंग कंपटीशन 2019 में रिकॉर्ड बनाने के बाद अप्लाइ किया था, जिसके वेरिफिकेशन के बाद उन्हें इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला है। 2019 में बनाये गये फास्टेस्ट पैराप्लेजिक स्विमर के रिकॉर्ड के आधार पर मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाइ किया है।

दो बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ चुका है नाम : वो आगे बताते हैं कि इससे पहले उनका नाम दो बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ चुका है। साल 2014 में उन्होंने एक घंटा 40 मिनट में 6 किलोमिटर की स्विमिंग मुंबई में आयोजित कंपटीशन में किया था, जबकि साल 2017 में उन्होंने गोवा में आयोजित स्विमिंग कंपटीशन में 8 किलोमिटर की तैराकी की थी।

पढ़ाई के ललक में 10 दिनों में ब्रेल सीख ली

ज्जबा का दूसरा नाम है कविता कुमारी । कवीता कुमारी का जन्म सीतामढ़ी जिले के पमरा गांव में मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन में वे स्वस्थ्य थी। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव के पास के स्कूल विद्या मंदीर से पूरी की। अचानक 2010 में इण्टरमिडिएट की परीक्षा के बाद अगस्त में तबीयत खराब हुई और बुखार लगी। बुखार की दवा लेने के कारण आंखों में खराबी एवं लाल निशान बन गए। आंख के डॉक्टर से दिखाने के बाद उन्होंने दवा दिया जो रिएक्शन कर गया एवं आंखों की रोशनी चली गई। एम्स में इलाज चली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इंटरमिडिएट अच्छे अंको से पास की। समाज में तरह-तरह के बातें चलने लगी। हरकोई ताना देना शुरू कर दिया। एक जन्म से अंधा होना और एक अचानक अंधा होना बहुत तकलीफदेह होता है। मन में तरह-तरह का सवाल एवं आत्महत्या करने का ख्याल आने लगा। लेकिन कविता की दृढ़निश्चिय ने सफल बना दिया। बहुत आग्रह करने पर ममरे भाई ने नेट से ब्लांइड स्कूल एवं उनसे जुड़े लोगों का नम्बर सर्च कर दिया। बहुत मुश्किल से सुदामा सर से सम्पर्क हुआ लेकिन उन्होंने बताया कि हम रिटायर हो गये हैं फिर उन्होंने पटना के सुनिल कुमार का नम्बर दिया। उनसे बात करने पर उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया एवं आगे पढ़ाई देहरादुन में करने के बोला। देहरादुन जाने के बाद आगे की पढ़ाई के ललक में 10 दिनों में ब्रेल सीख ली। कोबा कोर्स के लिए प्रवेश परिक्षा दी एवं सफल हो गई। सफल होने के एक वर्ष की कोबा कोर्स की। आज अपने दृढ़ निश्चय के कारण जॉब कर रही है एवं दूसरे नेत्रहीन को प्रोत्साहित कर रही है। कविता का कहना आंखों की रोशनी से नहीं मन की रोशनी से देखिए सब समान्य लगेगा।

> आज अपने दृढ़ निश्चय के कारण जॉब कर रही है एवं दूसरे नेत्रहीन को प्रोत्साहित कर रही है।

■ सीतामढ़ी (बिहार)

नाम

कविता कुमारी

success story

खुद खेले और अब दिव्यांगों को जोड़ रहे हैं खेल से

■ मुंगेर (बिहार)

नाम

हरिमोहन सिंह

हरिमोहन सिंह पिता सुभाष कुमार सिंह यह नाम अब किसी सफलता का मोहताज नहीं है। इन्होंने खुद तो खेल से नाम कमाया ही अब जिले और राज्य के दिव्यांग बच्चों के भी खेल से जोड़ने में लगे हुए हैं। मुंगेर के कल्याणपुर गांव के रहने वाले हरिमोहन एथलेटिक्स, क्रिकेट और खो-खो सहित कई खेलों में हाथ आजमा चुके हैं। एथलेटिक्स में इन्होंने कई पदक भी अपने नाम किये हैं।

हरिमोहन बताते हैं कि वह पढ़ाई में भी बेहतर थे। इसलिए मेरे परिवार को लगता था कि मैं बड़ा होकर कोई सरकारी नौकरी जरूर करूंगा। लेकिन कब खेल से मैं दिल से जुड़ गया पता ही नहीं चला। पहली बार 2012 में मुझे प्रखंडस्तरीय खेल में हिस्सा लेने का मौका मिला। इस स्कूली चैंपियनशिप के लिए सभी स्कूलों के खिलाड़ी पहले से तैयारी में जुटे हुए थे। इस संबंध में मैंने भी अपने प्रधानाध्यापक महोदय से जानकारी ली, तो उन्होंने मुझे भी इस प्रतियोगिता में अपनी विधालय की टीम की ओर से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। इस प्रतियोगिता में मैंने सिल्वर मेडल जीता। प्रखंडस्तर पर सिल्वर मेडल जीतने के बाद भी मेरा चयन जिला स्तर के टीम में नहीं हुआ। इस टीम में उसे चुना गया, जिसे तीसरा स्थान मिला था। बस यहीं बात मुझे खट गयी और मैं स्पोर्ट्स को अपना कैरियर मानकर इससे जुड़ गया। मैंने इस सेलेक्शन पर आपत्ति भी दर्ज करायी, लेकिन उनकी मनमानी के आगे मेरी एक न चली। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि प्राइज मिल गई न अब अपने घर जाओ और किसका सेलेक्शन करना है और किसका नहीं ये मुझे अब मत सिखाओ । मैंने देखा कि टैलेंट का यहां कोई कद्र नहीं होता।

अब रक्तदान कर बनाया रिकॉर्ड

■ वैशाली (बिहार)

रक्तदान, एक ऐसा दान, जो मनुष्य को इंसान होने की पहचान देता है। अगर यहां भी रिकॉर्ड बने तो कई मायनों में सबसे महान कार्य है। यह रिकॉर्ड कोई और नहीं डॉ संदीप कुमार ने बनाया है। वैशाली जिले के गोरौल मोहनपुर के रहने वाले संदीप 2010 में एक ट्रेन हादसे में अपने दोनों पैर गंवा दिये। इस हादसे में इन्हें बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत थी। जिन्हें एक व्यक्ति ने दिया। इसके बाद से संदीप उस व्यक्ति के लिए सबकुछ देने को तैयार हो गये। संदीप 2013 से 2017 तक में पूरे बिहार झारखंड के हर एक जिले में साइकिल से पहुंच कर रक्तदान शिविर लगा चुके है, जिसके लिए इन्हें इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह दिया जा चुका है। इन्हें लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी संवाद आ चुका है। संदीप एक ऐसे सेवक है की कोई 12 बजे रात को भी मदद मांगे तो, बेहिचक संदीप उनका मदद करने को तैयार रहते है। ये किसी राजनीतिक पार्टियों से संबंध नही रखते और न ही राजनीति करते है। मानव सेवा इनका परम कर्म है। संदीप कहते है मानव रूप में जन्म लिए हैं अगर मानव के लिए कुछ न किया जाये तो मानव रूप में जन्म लेना बेकार है। एक मानव ही दूसरे मानव को काम आता है। इसलिए एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। 2010 में हुए हादसे के बाद जितने दिन इन्होंने जिंदगी जिया है उससे कई गुना ज्यादा लोगों की जिंदगियां दें चुके हैं। संदीप लॉकडाउन में निःशुल्क सेवा तो दे ही रहे है साथ ही निःशुल्क प्रतियोगिता शिक्षा सेवा , निःशुल्क रक्त सेवा भी देते है। गरीब बेसहारा बच्चों की पढ़ाई लिखायी भी कराते है।

माउंट एवरेस्ट फतह करने का लक्ष्य : इनका कहना है की मैं आशीर्वाद इसलिए पा रहा हूं, क्योंकि मुझे माउंट एवरेस्ट भी फतह करना है, जिसके लिए मैं ट्रेनिंग भी कर रहा हूं। वहां से जिंदा लौटूं, इसलिए आशीर्वाद पाने को सेवा करता रहता हूं। कुछ काम आये न आये दुआ जरूर काम आती है। संदीप की आर्थिक स्थिति भले ही बहुत अच्छी नहीं हो पर वह दिल से बहुत मजबूत हैं। संदीप के दोनों पैर कृत्रिम हैं और वह उसी के सहारे जीवन जी रहे हैं। संदीप के बड़े भाई प्रदीप आज भी साइकिल पर कपड़ा बेचते हैं और पिता बैद्यनाथ साह हाट में सब्जियां बेचते हैं। ऐसे हालात में भी इन्होंने कोरोना महामारी के दौरान 1730 गरीबों की रोजमर्रा की जरुरतों को पूरा किया। इस कार्य में इनके दोस्तों ने भी मदद की।

नाम

डॉ संदीप

success story

बिहार का पहला तैराक, जो सामान्य तैराकों को देता है चुनौती

नाम

गजेंद्र सहनी

■ समस्तीपुर (बिहार)

प्रतिभा अपनी राह खुद बना लेती है और उस मुकाम तक पहुंचा डालती है, जो उसके सपने में पल रहा होता है। बशर्ते कि उसके सपने को पर लगाने में मजबूत इच्छाशक्ति उसका साथ दे रही हो। कुछ ऐसा ही हुआ है जिले के वारिसनगर प्रखंड के डरसुरबलिपुर के गजेंद्र सहनी के साथ। बचपन से बागमती नदी में डुबकी लगाने वाले युवक के अंदर इंग्लिश चैनल पार करने का ख्वाब पल रहा है। निःशक्तता की परवाह न करते हुए इस होनहार ने राज्य के लिए 18 मेडल जीते हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने तैराकी में बिहार का परचम हमेशा लहराया है। गजेंद्र बिहार के पहले तैराक हैं, जिन्होंने तैराकी में बैचलर डिग्री हासिल की है। इसके अलावा इन्होंने नये तैराक तैयार करने के लिए तैराकी में डिप्लोमा कर स्पेशलाइजेशन भी हासिल किया है। फिलहाल गजेंद्र बेंगलुरु में युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं।

गजेंद्र ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित ग्यारहवीं नेशनल पैरालिंपिक तैराकी चैंपियनशिप में तीसरा स्थान लाकर देश स्तर पर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। उसे यह खिताब ब्रेस्ट स्ट्रोक में मिला है। इस प्रतियोगिता में सूबे से शिरकत करने वालों में बीस खिलाड़ी शुमार हैं। गजेंद्र ने अब तक तीस मेडल जीते हैं। वर्ष 2005 से लेकर 2011 तक प्रदेश में आयोजित हर तैराकी प्रतियोगिता में उसने भाग लिया। सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया, बल्कि तीन बार बेस्ट स्विमर का खिताब भी हासिल किया। इन सफलताओं ने उसके जज्बे को ऊंचाई देनी शुरू की। फिर क्या था, कामयाबी की दौड़ में उसे इस बात की कसक कभी नहीं रही कि काश बचपन में उसके एक पैर को लकवे ने नहीं छुआ होता। उसने अपने हौसले से बुलंदी की जो लकीर खिंची है, वह दूसरे युवकों के लिए नजीर बन गयी है। गजेंद्र को इस बात का कभी मलाल नहीं रहा कि वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आता है। उसके तीन भाई और एक बहन है। सभी पढ़ाई कर रहे हैं। गजेंद्र कहता है कि उसे इस बात का तनिक भी पता नहीं था कि बागमती में गोता लगाते-लगाते वह इंग्लिश चैनल पर करने का ख्वाब देखने लगेगा। उसे इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जरूर झटकेगा। इसी मंशे से वह दो ढाई महीने से बेंगलुरु में रहकर स्विमिंग पुल में प्रैक्टिस कर रहा है। उसके को एसआर सिंधिया बड़े पुख्ता अंदाज में कहते हैं कि गजेंद्र निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर का तैराक बनेगा। इसकी मेहनत जरूर रंग लायेगी। बस चाहिए तो इसके चाहने वालों की शुभकामनाएं।

मंशे से वह दो ढाई महीने से बेंगलुरु में रहकर स्विमिंग पुल में प्रैक्टिस कर रहा है। उसके को एसआर सिंधिया बड़े पुख्ता अंदाज में कहते हैं कि गजेंद्र निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर का तैराक बनेगा। इसकी मेहनत जरूर रंग लायेगी। बस चाहिए तो इसके चाहने वालों की शुभकामनाएं।

खेल कोटे से बिहार सरकार ने दी नौकरी

उपलबधि

- पैरा कॉमनवेल्थ में गेम्स 2010 (नयी दिल्ली) में सहभागिता
- 13वीं नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप (2013) में पांच गोल्ड मेडल
- 12वीं नेशनल तैराकी चैंपियनशिप (2012) में एक गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रांज मेडल
- 11वीं राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप (2011) में एक गोल्ड, दो सिल्वर, एक ब्रांज मेडल
- 10वीं तैराकी चैंपियनशिप (2010) दो सिल्वर, दो ब्रांज मेडल
- बिहार के मुख्यमंत्री की ओर से लगातार तीन साल मिला सम्मान (2011, 2012 व 2013)
- 2013 में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड इटीवी की ओर से मिला
- बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बीपीइडी)
- डिप्लोमा इन स्विमिंग

success story

जज्बे से मौत को दिया मात, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का बढ़ाया मान

■ बांका (बिहार)

नाम
अर्चना कुमारी

का मयाबी उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उडान होती है। मत कर इतना यकीन हाथों की इन लकीरों पर तकदीर तो उनकी भी होती है, जिनके हाथ नहीं होते। यह कथन बांका की दिव्यांग खिलाडी अर्चना पर कुमारी पर सटीक बैठती है, जिन्होंने अपनी शारीरिक दिव्यांगता को धत्ता बताते हुए बतौर खिलाड़ी अपने राज्य का नाम रौशन किया। अर्चना के कमर के नीचे का भाग बेजान है बावजूद इसके उसने पैरालिंपिक गेम्स में कई अंतरराष्ट्रीय पदक हासिल किये हैं। इस उपलब्धि के कारण चुनाव आयोग ने अर्चना को मतदाता जागरूकता के लिए ब्रांड एंबेसडर भी बनाया था और उसे सरकारी नौकरी भी मिली।

छत से उतरने के क्रम में हुई थी घटनाः 25 अक्टूबर 1992 को जन्मी अर्चना, महेश मंडल एवं फूलवती देवी के चार संतानों में इकलौती बेटी है। 18 अगस्त 2006 की रात छत से उतरने के दौरान सीधे जमीन पर आ गिरी। इस दुर्घटना ने उसके कमर से नीचे का भाग बेजान कर दिया। परिवार वाले अर्चना के इलाज में कोई कसर न छोड़े पर सारा प्रयास विफल रहा।

एक फौजी चिकित्सक ने दिखायी राह : सेना से सेवानिवृत एक चिकित्सक ने इलाज के दौरान अर्चना का हौसला बढ़ाया और उसे कुछ व्यायाम सिखाये। उसके बाद अर्चना के अंदर भी कुछ कर गुजरने की भावना ने जन्म लिया। उसके बाद अर्चना ने दिव्यांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और न तो पढ़ाई न खेल में उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजधानी पटना में प्रैक्टिस के दौरान उसे राज्यस्तरीय पारा एथलेटिक्स में भाग लेने का अवसर मिला। अर्चना ने मिले इस अवसर को अच्छी तरह से भुनाया और जेवलिन थ्रो, डिस्क थ्रो, और शॉटपुट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। यहीं से अर्चना का वर्ष 2009 में नेशनल जूनियर पैरा एथलेटिक्स में चयन हो गया। जहां अर्चना ने डिस्क थ्रो में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके बाद वर्ष 2010 में हरियाणा में आयोजित एक प्रतियोगिता में अर्चना ने शॉटपुट एवं डिस्क थ्रो में दूसरा तथा जेवलिन थ्रो में तीसरा स्थान हासिल किया।

> अर्चना ने डिस्क थ्रो में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके बाद वर्ष 2010 में हरियाणा में आयोजित एक प्रतियोगिता में अर्चना ने शॉटपुट एवं डिस्क थ्रो में दूसरा तथा जेवलिन थ्रो में तीसरा स्थान हासिल किया।

बिहार सरकार ने दी नौकरी

चीन के बीजिंग, इंडोनेशिया के जकार्ता एवं दुबई के आईवास तक भारत की प्रतिनिधि बन अर्चना ने अपने हौसलों के बल पर बेहतर प्रदर्शन किया , परिणाम स्वरुप 24 जनवरी बालिका दिवस के अवसर पर भागलपुर समाहरणालय में बतौर लिपिक पद के लिए अर्चना को नियुक्ति पत्र दिया गया और 27 जनवरी से अर्चना यहां पर अपनी सेवा दे रही हैं।

बिहार पैरालिंपिक कमेटी ने दिखायी राह : अर्चना को खेल में बेहतर करने के लिए बिहार पैरालिंपिक कमेटी ने अहम भूमिका निभायी। अर्चना को बेहतर ट्रेनिंग मिले इसके लिए अच्छे कोचों की भी व्यवस्था की गयी। एक समय अर्चना भारत की बेस्ट दिव्यांग शॉटपुट खिलाड़ी दीपा मलिक को भी चुनौती देती थी। दीपा को अर्चना ने कई बार अपने बेहतर खेल से चौंकाया।

success story

दिव्यांगों के लिए प्रेरणा हैं गया की शिक्षिका रीता रानी

■ गया (बिहार)

नाम
रीता रानी प्रसाद

दिव्यांगता अभिशाप नहीं वरदान है। इसके कई उदाहरण समाज में मिल जायेंगे। विषम परिस्थितियों से निकलकर मुकाम हासिल करने वाली गया की रीता रानी प्रसाद आज दिव्यांगों के लिए प्रेरणा बन गयी हैं। पिछले दस वर्षों से समाज में शिक्षा का अलख जगा रही हैं। साथ हीं दिव्यांगों को समाज से जोड़ने का भी कार्य कर रहीं है। गया के धनावां मध्य विद्यालय में बतौर सहायक शिक्षिका के रूप में कार्यरत रीता बौनापन की शिकार हैं। इनकी हाइट तीन फीट है, लेकिन हौसला इतना है कि उसको मापा नहीं जा सकता है। वह चाहती हैं कि समाज का नजरिया जैसे उनके लिए अब बदल गया है। वैसे हीं राज्य के सभी दिव्यांगों के लिए समाज का नजरिया बदले।

रीता ने बताया कि वह सरकारी विद्यालय में पढ़ने के अलावा मानसिक दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा और प्रशिक्षण का लाभ पहुंचाती हैं। आकांक्षा मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल है, जिसमें रीता करीब 12 वर्षों से पढ़ा रही हैं। यहां तक का सफर तय करने में रीता को भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन उन सभी परेशानियों को इन्होंने अपने लक्ष्य के आगे छोटा साबित किया है।

रीता ने कहा कि हमारे समाज में महिलाओं को सदैव कमजोर समझने की मनोभावना है। उसमें भी दिव्यांग होने से समाज में दोहरा व्यवहार होता है। मगर इन तमाम विपरित परिस्थितियों के बावजूद मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और समाज में खुद अपने मेहनत के मुकाम पर खड़ा किया। इसके पिछे परिवार और मेरे शिक्षिकों का अहम योगदान रहा। इनकी हौसलाओं में मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

पहले मैट्रिक, इंटर और फिर स्नातक की डिग्री हासिल कर रीता शुरू से ही पढ़ने और पढ़ाने के कार्य से जुड़ गयी। रीता कहती हैं कि मैं महिलाओं में एक हौसला उत्पन्न करना चाहती हूं कि कभी भी अपनी शारीरिक अक्षमताओं से घबरायें नहीं, क्योंकि समस्याओं में ही निदान छिपा होता है, यहीं मेरे जीवन का सूत्र वाक्य भी है।

> रीता कहती हैं कि मैं महिलाओं में एक हौसला उत्पन्न करना चाहती हूं कि कभी भी अपनी शारीरिक अक्षमताओं से घबरायें नहीं, क्योंकि समस्याओं में ही निदान छिपा होता है, यहीं मेरे जीवन का सूत्र वाक्य भी है।

success story

सेना में दिखाया शौर्य, खेल से बढ़ा रहा देश का मान

नाम

अजीत कुमार शुक्ला

■ भोजपुर (आरा)

भारत की सेना का गौरवगाथा पूरा विश्व जानता है। उनकी हिम्मत और शौर्य की कहानियों से पूरे देश का बच्चा-बच्चा वाकीफ है। इसका प्रमाण बिहार के अजीत कुमार शुक्ला को देख कर मिल जाता है। सेना के शौर्य में इजाफा करने के बाद अब अजीत दुनिया में खेल के माध्यम से देश का ना रोशन कर रहे हैं।

भोजपुर जिला के शुकुलपुरा गांव के रहने वाले अजीत कुमार शुक्ला मैट्रिक पास करते हीं अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे। देश सेवा के लिए इन्होंने इंडियन आर्मी को चुना और वर्ष 2000 में महज 20 वर्ष की आयु में इनका चयन आर्मी में हो गया। हालांकि करियर के पांचवें साल में ही इनके साथ एक हादसा हो गया, जिसमें इनके रिढ की हड्डी में चोट लग गयी और इनकी जिंदगी व्हीलचेयर पर आ गयी। अजीत बताते हैं कि 58 राष्ट्रीय राइफल्स में उनकी टीम का मुठभेड़ 25 फरवरी 2005 को आंतकवादियों से हुई, जिसमें यह हादसा हो गया। इस हादसे से उबरने में एक वर्ष लग गया। अपने हौसला के बलबूते इन्होंने 2006 में बास्केटबॉल व्हीलचेयर में रूचि दिखायी। इसके बाद से इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके अजीत दिव्यांगों के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। इनकी जिंदगी से हादसे में दिव्यांगता के शिकार हुए लोग सिख सकते हैं, जिंदगी कैसे जी जाती है।

व्हीलचेयर बास्केटबॉल से जुड़ने के बाद अजीत लगातार अभ्यास कर जीवन के दूसरे पड़ाव को भी यादगार बनाने में लग गये। 2015 में नयी दिल्ली में आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल चैंपिनशिप में इन्हें पंजाब टीम में शामिल किया गया। टीम ने इस प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता, जिसमें अजीत की भूमिका अहम रही। ऑलराउंडर के रूप में टीम से जुड़े अजीत इस चैंपियनशिप में अपना ऐसा जलवा दिखाया कि फिर हर राष्ट्रीय टूर्नामेंट में टीम का हिस्सा बने रहे।

महज दो साल के प्रदर्शन से इन्होंने राष्ट्रीय टीम में हिस्सा बना ली। 2017 में अजीत को अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए इंडिया टीम में चयन किया गया। चतुर्थ बाली कप व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में इंडिया टीम ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही अजीत का करियर ग्राफ भी बढ़ा और इन्हें लगातार इंडिया टीम में जगह मिलने लगा। एशिया ओसियान जोन चैंपियनशिप 2019 में भी इन्हें इंडिया टीम में शामिल किया गया।

> अपने हौसला के बलबूते इन्होंने 2006 में बास्केटबॉल व्हीलचेयर में रूचि दिखायी। इसके बाद से इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज कई अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके अजीत दिव्यांगों के लिए प्रेरणा से कम नहीं है। इनकी जिंदगी से हादसे में दिव्यांगता के शिकार हुए लोग सिख सकते हैं।

डाटा इंट्री ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं

यह चैंपियनशिप 2020 टोक्यो पैरालिंपिक गेम्स की क्वालिफर भी थी। इस चैंपियनशिप में इंडोनेशिया को हराकर टीम ने 13वां स्थान हासिल किया। जो टीम एक बहुत बड़ी जीत थी। खेलों के अलावा अजीत और भी कई कार्य में निपुण हैं। फिलहाल वह एक सरकारी स्कूल में डाटा इंट्री ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा अजीत कंप्यूटर कोर्स में भी निपुणता हासिल कर रहे हैं। वहीं कपड़ा सिलने का भी हुनर इन्होंने सिख रखा है। इसके अलावा मोमबत्ती बनाने का भी कोर्स इन्होंने किया है। अजीत अपनी दूसरी जिंदगी के लिए राष्ट्रीय व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन को धन्यवाद देते हैं. वह कहते हैं कि मैं शुक्रगुजार हूं कि फेडरेशन को मेरी प्रतिभा दिखी। मैं फेडरेशन और देश के लिए इसी लगन के साथ पदक जीतूंगा।

success story

कभी हार नहीं मानने की जिद ने बना दिया सितारा

नाम

नारायण ठाकुर

■ दरभंगा (बिहार)

भारतीय पैरा एथलीट नारायण ठाकुर की अब तक की राह बेहद कठिन परिस्थितियों में गुजरी है, लेकिन कुछ कर दिखाने की जिद और हार नहीं मानने की आदत ने उन्हें एक उभरता हुआ सितारा बना दिया। रेहड़ी लगाकर अपना पेट भरने और अपने सपने को बुनने वाले नारायण की कहानी बेहद संघर्षपूर्ण रही है। जब उन्होंने इस खेल को चुना तो लोगों ने उन्हें खेल छोड़ने की सलाह देते हुए ताने मारना शुरू कर दिया। नारायण कहते हैं, यहां तक पहुंचना मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन दिल से कहूं तो दिव्यांग होना ही अभिशाप है। पहले तो अपनी दिव्यंगता से लड़ना होता है और फिर उन लोगों से, जो हमेशा यह अहसास कराते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन, पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर मैंने बस यह बताने की कोशिश की है कि किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत और लगन जरूरी है। 27 वर्षीय नारायण दिल्ली के समयपुर बादली में रहते हैं, लेकिन उनका परिवार बिहार के दरभंगा से है। उन्होंने अपने जीवन यापन के लिए क्या कुछ नहीं किया, होटल में वेटर का काम किया, बस डिपो में सफाई का काम किया और अब रेहड़ी लगाकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। हालांकि, इस रेहड़ी पर कभी वह, कभी उनकी मां और कभी परिवार का कोई अन्य सदस्य बैठता है। नारायण ने बताया, 'हम गरीब हैं और पिताजी के देहांत के बाद हालात और खराब हो गए। पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करना था और ऐसे में सभी ने कहा कि खेल को छोड़कर सिर्फ काम पर ध्यान दो, ताकि घर परिवार का खर्चा चल सके। लेकिन, मैंने हार नहीं मानी। मेरे लिए सबसे ज्यादा संघर्ष त्यागराज स्टेडियम तक पहुंचने का रहता है। मैं शुरू से ही त्यागराज स्टेडियम में अभ्यास करने जाता हूं, जो मेरे घर से 35 किमी दूर है। घर से स्टेडियम तक आजे-जाने में छह घंटे का समय लग जाता है। मेट्रो का किराया महंगा है और ऐसे में मुझे बस से सफर करना होता है। हमारा परिवार 2010 तक यहां झुग्गी में रहता था, लेकिन इसके बाद हमने छोटा सा मकान लिया, जिसमें हमारे पांच परिवार रहते हैं।' जब नारायण से पूछा कि पदक जीतने के बाद क्या बदलाव आया तो उन्होंने कहा, 'ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जीत लिया हो। मेरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पहला पदक है। सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं।

जब नारायण से पूछा कि पदक जीतने के बाद क्या बदलाव आया तो उन्होंने कहा, 'ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जीत लिया हो। मेरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पहला पदक है। सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं और सम्मान दे रहे हैं।

आर्थिक मदद भी की

इतना सब कुछ मेरे कोच अमित खन्ना से ही मिला, जिन्होंने मेरा सही समय पर चयन करके मुझे प्रशिक्षण देने के साथ आर्थिक मदद भी की। लेकिन इस खेल में मुझे प्रदीप राज लेकर आए जो दिव्यांग लोगों के लिए काफी कार्य करते हैं। उन्होंने ही मुझे खन्ना सर से मिलवाया, जिसके बाद मेरा प्रशिक्षण शुरू हो पाया। इसके अलावा राज्य निःशक्तता आयुक्त डॉ. शिवाजी कुमार ने भी समय-समय पर मेरा हौसला बढ़ाया। नारायण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात को यादगार पल बताया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी प्रधानमंत्री जी से भी मिल पाऊंगा। हमारे खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के प्रयासों से ही यह संभव हो पाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भविष्य में कभी भी हिम्मत नहीं हारना। आप सभी ने साबित कर दिया है कि आप भी किसी से कम नहीं हैं।

success story

बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं पटना के संदीप

नाम
संदीप कुमार

■ पटना (बिहार)

एक या दो कार्यों में दक्ष होना आम बात है, लेकिन कई कार्यों से लोगों को प्रभावित करने वाले लोग विरले ही होती हैं। ऐसा ही कुछ पटना के दिव्यांग एथलीट संदीप कुमार के बारे में कहा जाता है। पढ़ाई के साथ-साथ संदीप खेल में भी अव्वल रहे हैं और अब इनके द्वारा खेल की बारिकियां सिखने वाले खिलाड़ी भी राज्य का नाम रौशन कर रहे हैं। संदीप जियोग्रॉफी से नेट क्वालिफाइ कर चुके हैं। वहीं स्पोर्ट्स में वह एक अच्छे प्रशासक और कोच की भूमिका भी निभा रहे हैं।

वर्ष 2000 से स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए जुड़े संदीप ने कई अहम प्रतियोगिताओं में राज्य का प्रतिनिधित्व किया। इन प्रतियोगिताओं में यह 12 से भी अधिक पदक अपने नाम किये। खासकर के 100 मीटर फर्राटा दौड़ में इनकी उपलब्धि सबसे बेहतर रही है। इसके अलावा भाला फेंक में भी इन्होंने कई पदक अपने नाम किये हैं।

राष्ट्रीय के अलावा दो अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भी संदीप ने हिस्सा लिया है। ताइवान में 2008 में हुए आइडब्ल्यूएएस वर्ल्ड गेम्स के 100 मीटर दौड़ में और आयरलैंड के डबलिन में 2006 में हुए जूनियर आइडब्ल्यूएएस के 100 मीटर दौड़ में भी हिस्सा लिया था। इन दोनों ही प्रतियोगिताओं में संदीप चौथे स्थान पर आये थे। जिम्नास्टिक में संदीप कमाल के हैं। बिहार से सामान्य खिलाड़ी भी जिम्नास्टिक में हिस्सा नहीं लेते हैं। वहीं दिव्यांग होते हुए भी संदीप इस खेल में महारत हासिल किये हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर के इस प्रतियोगिता में संदीप ने दो बार हिस्सा लिया है। 44वीं राष्ट्रीय जूनियर जिम्नास्टिक और 45वीं राष्ट्रीय जूनियर जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में भाग लिया था। लेकिन पदक जीतने से चुक गये थे। संदीप फिलहाल जिम्नास्टिक की भी कोचिंग अपने खिलाड़ियों को देते हैं। इसके अलावा संदीप बिहार पैरालिंपिक कमेटी के खेल निदेशक और इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी के नेशनल स्पोर्ट्स निदेशक भी हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों के अधिकार के लिए लड़ाई

■ अरवल (बिहार)

नाम
हर्ष राज

अरवल जिले के पुरन गांव के रहने वाले हर्ष शर्मा राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगों को अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जन्म में पैरालाइसिस का शिकार हुए हर्ष बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे। हर्ष के पिता वेंकटेश शर्मा ने मेधावी बेटे की समुचित शिक्षा के लिए जब बेहतर विद्यालय में नामांकन कराने गये, तो उन्हें वापस लौटा दिया गया। अंत में उन्होंने हर्ष का नामांकन साधारण विद्यालय शिवम कॉन्वेंट में कराया। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए हर्ष ने दिल्ली जाना बेहतर समझा और अपने मेधा के दम पर देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में दाखिल लिया। यहीं पर फिलहाल वह विकास अध्ययन केंद्र में शोधार्थी हैं।

> एक रेस्टोरेंट ने दिव्यांग होने के कारण अपने यहां खाना खाने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने दिव्यांगों के अधिकार के लिए हर जगह लड़ाई शुरू कर दी।

उन्होंने अपने साथ घटे हुए एक वाक्या को बताया कि दिल्ली के एक रेस्टोरेंट ने दिव्यांग होने के कारण अपने यहां खाना खाने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने दिव्यांगों के अधिकार के लिए हर जगह लड़ाई शुरू कर दी। अब हर राज्य में घुम घुमकर दिव्यांगों के हक लिए आवाज उठाते हैं।

नवादा में पहुंच मार्ग-Access Route का निरीक्षण करते हुए, बेगुसराय मोबाईल कोर्ट के दौरान बेगुसराय सदर अस्_पताल पहुंच मार्ग-Access Route का निरीक्षण करते हुए.

ACCESS AUDIT

बिहार में दिव्यांगजनों की सुगम्यता हेतू बाधा रहित वातावरण बढ़ाने के लिए एक्सेस ऑडिट

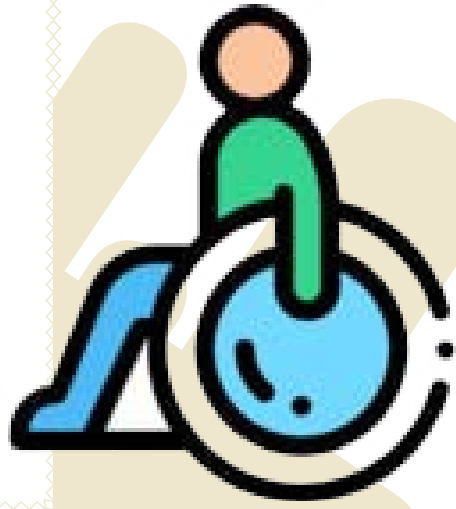

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) कार्यालय ने अपने विशेष कार्य योजना के तहत एक्सेस ऑडिट (अंकक्षेण) कार्यक्रम चलाया। बाधारहित सुगम वातावारण दिव्यांगजनों को उपलब्ध हो सके, ऐसी कोशिश की जा रही है। इस कोशिश के तहत राज्य भर के कई शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनित भवनों, आदि का दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित वातावरण से संबंधित जांच राज्य आयुक्त द्वारा किया गया। और जरुरत के अनुसार संबंधित अधिकारियों या संस्थान प्रमुखों को निर्देश भी दिये गये। इस सुगम्यता अंकेक्षण में 116 बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है।

वित्तिय वर्ष 19-20 में बिहार जिलों में बाधारहित सुगम्यता अंकेक्षण किये गये उनकी सूची

18 फरवरी 2020 को लक्खीसराय मे विशाल मेगामार्ट सुलभ प्रवेश निरीक्षण करते हुए. मधेपुरा में शॉपिंग मॉल का में सीढ़ी का निरीक्षण करते हुए. मधेपुरा में शॉपिंग मॉल का में सीढ़ी का निरीक्षण करते हुए.

ACCESS AUDIT

बेगूसराय रेलवे स्टेशन का सुलभ पेयजल सुविधा निरीक्षण.

मधेपुरा मोबाइल कार्ट के दौरान रेलवे स्टेशन मधेपुरा का सुलभ प्रवेश निरीक्षण करते हुए, नवादा जिला मोबाइल कोर्ट के दौरान रेलवे स्टेशन नवादा का सुलभ प्रवेश निरीक्षण करते.

नवादा में पहुंच मार्ग-Access Route का निरीक्षण करते हुए, बेगुसराय मोबाईल कोर्ट के दौरान बेगुसराय सदर अस्_पताल पहुंच मार्ग-Access Route का निरीक्षण करते हुए.

ACCESS AUDIT

लक्खीसराय में मोबाईल कोर्ट के दौरान रेलवे स्टेशन में सुलभ पार्किंग का निरीक्षण करते हुए

नवादा जिला मोबाइल कोर्ट के दौरान रेलवे स्टेशन नवादा में सुलभ शौचालय का निरीक्षण करते.

The following accessibility features are inspected

1) Access Route
2) Accessible Parking
3) Accessible Entrance
4) Accessible Reception
5) Corridors – Tactile Paths
6) Staircase
7) Elevators
8) Accessible Toilets
9) Accessible Drinking Water Facility
10) Signage
11) Other innovative or unique feature provided

ACCESS AUDIT

मोतीहारी रेलवे स्टेशन के सुलभ शौचालय का निरीक्षण करते हुए. Corridors – Tactile PathAccessibility Audit Inspections Corridors – Tactile Paths of Begusarai Railway Station.

बेगुसराय में शॉपिंग मॉल Elevator **लिफ्ट का निरीक्षण करते हुए.**

Other innovative or unique feature provided **अन्य नवीन या अद्वितीय सुविधा प्रदान की गई.**
लक्खीसराय में मोबाईल कोर्ट के दौरान रेलवे स्टेशन में साइनेज का निरीक्षण करते हुए

18 फरवरी 2020 को लक्खीसराय शॉपिंगमॉल में सीढ़ी का निरीक्षण करते हुए, मधेपुरा में शॉपिंग मॉल का में सीढ़ी का निरीक्षण करते हुए.

समाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट

दिव्यांगजनों के हित में फैसले करवाना चुनौती

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), बिहार द्वारा समाज हित में कई उल्लेखनीय कार्य सर्वविदित है परंतु सभी दिव्यांगजनों के अपेक्षाओं व उनके अलग-अलग हितों को पूरा करना बड़ा ही गंभीर मसला दिखता है। दिव्यांगजनों की सहायता जितनी भी किये जाये वह कम मालूम पड़ता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय की मदद से पुरे सूबे के कुछ दिव्यांगजनों, उनके प्रतिनिधियों व समाजसेवियों से गोपनीय सह निष्पक्ष तरीके से वर्ष 2019-20 में राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), पटना, बिहार डॉ० शिवाजी कुमार के एक साल के कार्यों का समाजिक अंकेक्षण मनोवैज्ञानिक डॉ० मनोज कुमार एवं उनकी टीम ने किया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट :-

बिहार के दिव्यांगजनों में अनेकों योग्यताओं के साथ कई प्रकार की प्रतिभाएं देखी जाती रही है। इसके बावजूद तमाम प्रयासों के बावजूद इनके जीवन में गुणात्मक बदलाव लाना आज भी एक चुनौती बना है। समावेशी शिक्षा, उनकी आर्थिक उन्नति व उनके व्यक्तिव को सशक्त बनाना। अवसरों का उपलब्ध कराना हो या जरूरत पड़ने

> डॉ0 शिवाजी एक आइकॉन के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। चेहरे पर खुशी सहजते हुए श्री ठाकुर जी बताते हैं कि राज्य आयुक्त का व्यवहार ही दिव्यांगजनों की पीड़ा को समेट देता है। आदर्श संयम व्यवहार प्रेरित करते हैं। आजतक दिव्यांगजन समाज में पड़े रहनेवाला एक वस्तु के तौर पर माना जाता रहा था।

पर दिव्यांगजन की आवाज बनकर उभरना ये तमाम बातें राज्य आयुक्त :शक्तता (दिव्यांगजन) डॉ० शिवाजी कुमार के बारे में उभारकर आ रही है।

1 प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, सुपौल के जिला प्रेसीडेंट श्री श्याम किशोर ठाकुर बताते हैं कि दिव्यांगजनों खासकर बिहार में तथा यहां के दिव्यांगजनों के बीच डॉ० शिवाजी एक आइकॉन के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। चेहरे पर खुशी सहजते हुए श्री ठाकुर जी बताते हैं कि राज्य आयुक्त का व्यवहार ही दिव्यांगजनों की पीड़ा को समेट देता है। उनके दुःख-दर्द को मरहम तरह इनके आदर्श संयम व्यवहार प्रेरित करते हैं। आजतक दिव्यांगजन समाज में पड़े रहनेवाला एक वस्तु के तौर पर माना जाता रहा था। इनके कार्य साल 2019-20 में काफी ऐतिहासिक माना जा सकता है क्योंकि दिव्यांगजनों

सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट

की बात सुनकर मंच से सीधे उतरकर आवेदन लेने पहुंच जाना। कार्यक्रम में जिलाधिकारी (DM) तथा एस.पी. (SP) की उपस्थिति में खुद ही दिन-दिन भर कार्य करना, आदेश देना तथा तुरंत दिव्यांगजनों का कार्य हो जाना एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। अपनी लगातार यात्राओं के जिला स्तरीय प्ररिक्षण से ही समाज में दिव्यांगजनों के प्रति सोच बदलने में कामयाब हुए और लोगों की मनोवृति भी बदल सके हैं। अनेकों कार्यों में एक कार्य अभी होना बाकी है जिसमें दिव्यांगजनों को पंचायत स्तर पर एक सर्वे करवाएं ताकि ज्यादा-से-ज्यादा दिव्यांगजन विभिन्न योजनाओं का लाभ ले सके।

2 इसी संदर्भ में पुनपुन, पटना के समाजिक कार्यकर्ता श्री अजय कुमार जो कई वर्षों से दिव्यांगजनों के हितों में कार्यरत हैं वह बताते हैं कि राज्य आयुक्त निःशक्तता को कार्यभर संभाले दो वर्ष हो गये। मैं मानता हूं कि समाज में दिव्यांगजनों के प्रति लोगों का नजरिया बदला है परंतु अभी भी समाज में दिव्यांगजनों का सरकारी स्तर पर कार्य नहीं हो पा रहा। श्री कुमार बताते हैं कि पुनपुन ब्लॉक में इन्होंने दिव्यांगजनों की सहायता के लिए साईकिल, पेंशन, राशन कार्ड हेतु आवेदन दिया था पर बाबुओं ने आजतक वह कार्य नहीं किया। राज्य आयुक्त के कार्य भले ही राज्य के अन्य जिलों में दिखते हों परंतु पुनपुन में ब्लॉक अधिकारी ब्यान नहीं देते।

> डॉ0 शिवाजी के दूरदृष्टि से ही चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव में दिव्यांगजन फ्रेंडली मतदान केन्द्रों की स्थापना की जिसमें हजारों दिव्यांगों ने अपने मत का प्रयोग कर देश हित में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की । यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।

3 समाजिक अंकेक्षण के सिलसिले में बेगुसराय के रहनेवाले तथा मुंगेर में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में व्याख्याता(प्रोफेसर) के पद पर कार्यरत डॉ० गौतम कुमार बताते हैं कि वह भी बौनापन दिव्यांगता से जूझ रहे हैं लेकिन जब राज्य आयुक्त के कार्यों को देखते हैं तो उन्हें काफी प्रेरणा बल मिलता है।

वह खुशी जताते हुए कहते हैं कि राज्य आयुक्त वर्ष 2019-20 में अनेकों जगह चलंत न्यायालय लगाकर दिव्यांगजनों के दुखों को दूर करने का कार्य किया है। चलंत न्यायालय व दिव्यांगजनों को मतदान का मिला अधिकार को वह सफलता मानते हैं। वह बताते हैं कि पहले मतदान केन्द्रों पर जो बूथ होते थे वह काफी बाधा से भरे थे।

डॉ० शिवाजी के दूरदृष्टि से ही चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव में दिव्यांगजन फ्रेंडली मतदान केन्द्रों की स्थापना की जिसमें हजारों दिव्यांगों ने अपने मत का प्रयोग कर देश हित में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की । यह सबसे बड़ी उपलब्धि है।

अस्थि दिव्यांगता से ग्रसित

4 प्रतिशत आरक्षण भी मिला

4 नवादा के सत्येन्द्र कुमार बताते हैं कि राज्य आयुक्त के 2019-20 के कार्य समाजिक चेतना जगाने को लेकर कहा जाता है। दिव्यांगजनों के प्रति लोगों की सोच बदलवाना को मैं उपलब्धि मानता हूं लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि राज्य आयुक्त अपने पद पर रहते हुए दूरदृष्टि का पालन प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दिव्यांगजनों के प्रति नहीं कर रहे हैं। 1995 में वर्णित अधिनियम की बात करें तो तब 7 प्रकार की दिव्यांगता थी और इन सातों प्रकार की दिव्यांगता में नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण भी मिला था लकिन RPWD Act 2016 में दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इसके साथ ही नौकरियों में आरक्षण 4 प्रतिशत भी कर दिया गया है। यहां चिंतन करनेवाली बात है कि सिर्फ एक फीसदी आरक्षण बढ़ाकर 14 श्रेणियां अन्य दिव्यांगता को जोड़ दी गयी है क्या यह राज्य आयुक्त के लिए चुनौती नहीं है। क्या वह इस खामी को दूर करा पाये।

अपने जैसे दूसरे लोगों को यह खेल सिखाते भी हैं। राष्ट्रीयस्तर पर चयन होने के बाद इन्हें चेन्नई जाना था तथा इनका यू.डी.आई.डी. बनाने में काफी समस्या हो रही थी। इन्होंने राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) बिहार से मदद की गुहार लगायी थी। राज्य आयुक्तद्वारा तत्काल ही उनकी समस्या का निराकरण करा दिया गया।

5 अरवल के जिला दिव्यांग अध्यक्ष स्वयं अस्थि दिव्यांगता से पीड़ित हैं लोग उनके बड़े प्यार से मों०फिरदौस अख्तर के नाम से जानते हैं वह बड़े अदब से बताते हैं कि एक बार इनका चयन राष्ट्रीय स्तर के एक खेल में हो गया था चूंकि मो० अख्तर सीटिंग बॉलीवॉल के राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं तथा ये अपने जैसे दूसरे लोगों को यह खेल सिखाते भी हैं। राष्ट्रीयस्तर पर चयन होने के बाद इन्हें चेन्नई जाना था तथा इनका यू.डी.आई.डी. बनाने में काफी समस्या हो रही थी। इन्होंने राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) बिहार से मदद की गुहार लगायी थी। राज्य आयुक्तद्वारा तत्काल ही उनकी समस्या का निराकरण करा दिया गया। यह मदद उन्हें राज्य आयुक्त के मोबाईल कोर्ट के माध्यम से मिला। इसी तरह उनके जैसे कई खिलाड़ियों को रोजगार करना था इनके जिले में मोबाईल कोर्ट लगा और राज्य आयुक्त की पहल पर उन खिलाड़ियों को ऋण मुहैया हो सका। मोबाईल कोर्ट द्वारा तत्काल समस्या समाधान करा देना वर्ष 2019-20 के सबसे महत्वपूर्ण

पुरजोर ख्याल रखा गया है...

उपलब्धि राज्य आयुक्त का माना जायेगा।

6 अस्थि दिव्यांगता से पीडित औरंगाबाद के दिव्यांग जिलाध्यक्ष श्री शंभु प्रसाद बारी का कहना है कि राज्य आयुक्त के जितने दौरे हुए वह काफी दिव्यांगजनों के ज्यादा से ज्यादा मदद के लिए आशावादित रहे। दिव्यांग समूह बनाकर एक-दूसरे के मददगार कैसे हो इस बात का पुरजोर ख्याल रखा गया है। राज्य आयुक्त द्वारा दिव्यांगजनों के लिए अनगिनत कार्य हुए हैं। जरा भी कोई समस्या हुई है उनके कार्यालय से पत्र जारी हुए। बिहार

> राज्य आयुक्त सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनते हैं तथा उसका त्वरित निराकरण करते आये हैं यह एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि सरकारी कार्यों की गति धीमी है अगर राज्य आयुक्त इसपर ध्यान दे तो बिहार के तमाम दिव्यांगजनों की अपना अधिकार पाने व समझने में मदद मिलती रहेगी।

का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ती। सरकारी महकमा में राज्य आयुक्त के पत्रों को दबा दिया जाता है।

7 मधेपुरा के प्रकाश कुमार, जिला सचिव, दिव्यांग संघ बताते हैं कि वर्ष 2019-20 में राज्य आयुक्त का कार्यकाल मील का पत्थर साबित हुआ है। इनके जिले में कोई भी दिव्यांग सरकारी याजनाओं से मरहूम नहीं है। अबतक सभी के राशन कार्ड, पेंशन, प्रमाणपत्रों जैसे सैंकड़ों कार्यों का निष्पादन राज्य आयुक्त स्वयं आकर व चलंत न्यायालय लगाकर कर चुके हैं। इसके वाइस मैसेज द्वारात्वरित मामले निष्पादित होते रहे हैं।

8 दिव्यांगजनों के लिए कार्य करनेवाले छपरा के दिनेश कुमार बहुत संतुष्ट होकर कहते हैं कि डॉ० शिवाजी कुमार सारण में अप्रत्याशित कार्य किए हैं। पुरे जिले के दिव्यांग की समस्याएं लोक अदालत के माध्यम से किए गए हैं। साथ ही पेंशन और राशन जैसे सुविधाएं यहां उनके द्वारा मिली है।

9 पटना सिटी के रहनेवाले, दिव्यांग जिलाध्यक्ष, पटना के केशरी किशोर खुद अस्थि दिव्यांगता से पीड़ित हैं वह बताते हैं राज्य आयुक्त सोशल मीडिया के माध्यम से भी दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनते हैं तथा उसका त्वरित निराकरण करते आये हैं यह एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि सरकारी कार्यों की गति धीमी है अगर राज्य आयुक्त इसपर ध्यान दे तो बिहार के तमाम दिव्यांगजनों की अपना अधिकार पाने व समझने में मदद मिलती रहेगी।

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय द्वारा निबंधित सरकारी बाल गृह/ पर्यवेक्षण गृह/ अल्पावास गृह/आसरा गृह /मूक-बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय/ विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान/वृद्धाश्रम 'सहारा'/शांति कटीर तथा गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थानों की सूची

क्र. सं.	जिला का नाम	सरकारी बाल गृह/पर्यवेक्षण गृह/अल्पावास गृह/आसरा गृह/मूक-बधिर एवं नेत्रहीन विद्यालय/ विशिष्ट दत्तकग्रहन संस्थान/वृद्धाश्रम 'सहारा'/शांति कुटीर तथा गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं का नाम एवं पूरा पता	निबंधन की अवधि	निबंधन संख्या	निबंधन हेतु कार्यालय पत्रांक/दिनांक	
1.	Araria	पर्यवेक्षण गृह, अररिया, पता-निकट नवोदय विद्यालय, अररिया	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-25/सर0सं0 दिनांक-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
2.	Arwal	अल्पावास गृह, अरवल, पता-गोवर्धन चौक, मोकरी रोड अरवल	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-111/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006 आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
3.	Aurangabad	अल्पावास गृह, औरंगाबाद, पता-न्यूएरिया, सिंह निवास, जैन मंदिर के बगल में, औरंगाबाद	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-109/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
4.	Aurangabad	UTMOST SERVE FOUNDATION , Barun Road, Ward No.-8, Near Police Station, Daudnagar, Aurangabad	03/07/2018 से 02/07/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-205	378/आ0नि0को0 दि0-03.07.2018	
5.	Banka	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, बाँका, पता-बाबू टोला, ईदगाह रोड, बाँका	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन -18/2019-88/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2022	
6.	Banka	अंगिका नया सवेरा, बाँका, करहरिया दुर्गा स्थान, बाँका	30.06.2020 से 29.06.2025 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-230	956/आ0नि0को0 दि0-30.06.2020	
7.	Begusarai	बाल गृह (बालक), बेगूसराय, पता-एन.एच.-31, न्यूचाणक्य नगर, वीणा वाटिका, बेगूसराय	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-31/सर0सं0 दिनांक-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-4.09.2023	
8.	Begusarai	बाल गृह (बालिका), बेगूसराय, पता-सोनी सदन, निराला नगर, रतनपुर, बेगूसराय	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-55/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2024	
9.	Begusarai	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, बेगूसराय, पता-चित्रगुप्त नगर, पोखईपर, वार्ड नं0-39, बेगूसराय-851101	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-67/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2025	
10.	Begusarai	अल्पावास गृह, बेगूसराय, पता-शक्तिवाटिका, विष्णुपुर चतुर्भूज, काली मंदिर के बगल में, बेगूसराय	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-106/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
11.	Bhagalpur	'स्पर्श'', जामुनी, पीस्ता चौक, भागलपुर	03/05/2019 से 02/05/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-219	511/आ0नि0को0 दि0-03.05.2019	

12.	Bhagalpur	राजकीय नेत्रहीन मध्य आवासीय विद्यालय, भागलपुर, पता-मीखनपुर, भागलपुर	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-06/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
13.	Bhagalpur	राजकीय मूक-बधिर मध्य आवासीय विद्यालय, भागलपुर, पता-बड़ी खंजरपुर, रिफ्युजी कॉलोनी, भागलपुर	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-07/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
14.	Bhagalpur	पर्यवेक्षण गृह, भागलपुर, पता-बड़ी खंजरपुर, डी0आई0जी0 ऑफिस के पीछे, भागलपुर-812001	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-23/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2029	
15.	Bhagalpur	बाल गृह (बालक), भागलपुर, पता-रेशम नगर, जीरो माईल, भागलपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-52/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2030	
16.	Bhagalpur	बाल गृह (बालिका), भागलपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-63/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2031	
17.	Bhagalpur	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, भागलपुर, पता-रामनन्दी देवी, हिन्दू अनाथालय, नाथनगर, भागलपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-79/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2032	
18.	Bhagalpur	वृद्धाश्रम 'सहारा', भागलपुर	27.08.2019 से 26.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-16/2019-91/सर0सं0 दि0-27.08.2019	1005/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
19.	Bhojpur	पर्यवेक्षण गृह, भोजपुर, पता-घनपुरा, भोजपुर-802301	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-19/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2034	
20.	Bhojpur	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, भोजपुर, पता-महाराजा हाता, गली नं0-3, आरा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-90/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2035	
21.	Bhojpur	अल्पावास गृह, भोजपुर (आरा), पता-डॉ0 रूगंटा गली, के0जी0 रोड, आरा	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-104/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
22.	Bhojpur	संकल्प साधना, साथी स्पेशल स्कूल, संकट मोचन नगर, नीयर ब्रहम स्थान, न्यूपुलिस लाईन, चांदवारा मोड़ रोड, भोजपुर (आरा)	03/12/2018 से 02/12/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-213	887/आ0नि0को0 दि0- 03.12.2018	
23.	Buxar	'देव एजुकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट'', चीनी मील, पो0-गजाधर गंज, थाना-बक्सर टाउन, जिला-बक्सर	31/07/2019 से 30/07/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-222	864/आ0नि0को0 दि0-31.07.2019	
24.	Buxar	बाल गृह (बालक), बक्सर, पता-नयी बाजार, के0के0 महिला कॉलेज के निकट, बक्सर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-34/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2037	
25.	Buxar	अल्पावास गृह, बक्सर, पता-महात्मा गाँधी नगर, बाजार समिति रोड, बक्सर	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-101/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
26.	Darbhanga	राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय, दरभंगा, पता-श्री कमेश्वरी प्रिया पुअर होम, दरभंगा	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-02/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
	Darbhanga	राजकीय मूक-बधिर आवासीय मध्य विद्यालय, दरभंगा, पता-श्री कमेश्वरी प्रिया पुअर होम, दरभंगा	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-01/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
28.	Darbhanga	पर्यवेक्षण गृह, दरभंगा, पता-सैदनगर, नियर लोहिया चौक, लहेरिया सराय, दरभंगा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-22/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0 -04.09.2041	

29.	Darbhanga	बाल गृह (बालक), दरभंगा, पता-पर्यवेक्षण गृह कैम्पस, सैदनगर, नियर लोहिया चौक, लहेरिया सराय, दरभंगा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-35/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2042	
30.	Darbhanga	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, दरभंगा, पता-पर्यवेक्षण गृह, सैदनगर, नियर लोहिया चौक, लहेरियासराय, दरभंगा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-81/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2043	
31.	Darbhanga	गोदावरी सेवा आश्रम, कबीर चक, दोनार गुमती, दरभंगा	21/12/2018 से 20/12/2023 तक दि0-पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-217 20.12.2018	969/आ0नि0को0	
32.	Gaya	गया नेत्रहीन विद्यालय, चाकन्द बाजार, गया	22/06/2017 से 21/06/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-119	268/आ0नि0को0 दि0-06.09.2017	
33.	Gaya	बुद्धम शरणम, इसलामगंज, कटारी हील, चन्दौती, गया	16/12/2019 से 15/12/2024 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-229	1399/आ0नि0को0 दि0-16.12.2019	
34.	Gaya	पर्यवेक्षण गृह, गया, पता-सी0आर0पी0एफ0 कैम्पस, जेल रोड, गया	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-16/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2044	
35.	Gaya	बाल गृह (बालक), गया, पता-159, सी0आर0पी0एफ0 कैम्पस, गया	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-49/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2045	
36.	Gaya	बाल गृह (बालिका), गया, पता-मस्तीपुर, बोधगया, गया	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-59/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2046	
37.	Gaya	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, गया	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-83/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2047	
38.	Gaya	वृद्धाश्रम 'सहारा', गया	27.08.2019 26.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-से 16/2019-92/सर0सं0 दि0-27.08.2019	1005/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
39.	Gaya	अल्पावास गृह, गया, पता-द्वारा श्री मोहन कुमार, मोहल्ला झुमरी टाड़, थाना-विष्णु पथ, गया	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-107/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
40.	Gopalganj	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, गोपालगंज, पता-हजियापुर खांड, डी.एन.पी. स्कूल के नजदीक, गोपालगंज	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-75/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2050	
41.	Gopalganj	'महिला विकास एवं जन जागृति मंच'', ग्राम-छितौना, पो0-छितौना, भाया-बथुआ बाजार, जिला-गोपालगंज	31/07/2019 से 30/07/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-223	865/आ0नि0को0 दि0-31.07.2019	
42.	Jamui	पर्यवेक्षण गृह, जमुई, पता-नीमारंग, जमुई खैरा मुख्य मार्ग, जमुई-811307	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-26/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2051	
43.	Jamui	अल्पावास गृह, जमुई, पता-सिकन्दरा रोड, शारदा पेट्रोलियम के सामने, जमुई	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-105/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
44.	Jamui	बाल गृह (बालक), जमुई, पता-सिरचन्द नवादा, वार्ड नं0-8, नियर झाझा बस स्टैंड, जमुई	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-45/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2053	
45.	Jehanabad	अल्पावास गृह, जहानाबाद, पता-द्वारा श्री सत्यनारायण शर्मा, ऐसेन्ट पब्लिक स्कूल कैम्पस, स्वामी सहजानन्द नगर	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-108/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2054	

46.	Kaimur	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, कैमूर, पता-नीयर कैमूर स्तम्भ, वार्ड नं0-18, भभुआ, कैमूर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-72/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2055	
47.	Katihar	विशाल जागृति फाउण्डेशन, पी0 एण्ड टी चौक, बरमसिया, वार्ड नं0-8, जिला-कटिहार	20/07/2018 से 19/07/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-206	444/आ0नि0को0 दि0-20.07.2018	
48.	Katihar	बाल गृह (बालक), कटिहार, छापी, पोस्ट-थाना-रौतारा, गोविन्दपुर, कटिहार	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-43/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2056	
49.	Katihar	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, कटिहार	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-70/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2057	
50.	Khagaria	'ओउम त्रिमूर्ति संगम पीठ'', बाबू चकला, महदीपुर, पसराहा, खगड़िया	11/10/2019 से 10/10/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-225	1114/आ0नि0को0 दि0-10.10.2019	
51.	Kishanganj	बाल गृह (बालक), किशनगंज, पता-कस्टम चौक के निकट, रइधासा कॉलोनी, किशनगंज	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-42/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2058	
52.	Kishanganj	बाल गृह (बालिका), किशनगंज, पता-पुलिस लाईन, शीतला चौक, किशनगंज, बिहार	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-57/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2059	
53	Madhepura	पर्यवेक्षण गृह, मधेपुरा, पता-सुखासन मधेपुरा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-28/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2060	
54.	Madhepura	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, मधेपुरा, पता-साधु पथ, वार्ड नं0-2, मधेपुरा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-69/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2061	
55.	Madhubani	बाल गृह (बालक), मधुबनी, पता-हनुमान बाग कॉलोनी, वार्ड नं0-12, मंगरौनी दक्षिण, मधुबनी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-47/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2062	
56.	Madhubani	बाल गृह (बालिका), मधुबनी, पता-सूरजगंज, बाँका चौक, वार्ड नं0-27, मधुबनी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-58/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2063	
57.	Madhubani	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, मधुबनी, पता- जिला बाल संरक्षण इकाई, मधुबनी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-68/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2064	
58.	Madhubani	अखण्ड दीप शिखा, ग्राम-सतधारा, पो0-सतधारा, भाया-रैयाम सुगर फैक्ट्री, थाना-रहिका, जिला-मधुबनी	03/08/2018 से 02/08/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-207	503/आ0नि0को0 दि0-03.08.2018	
59.	Motihari	पर्यवेक्षण गृह, पूर्वी चम्पारण, पता-सिविल कोर्ट के बगल में, मोतिहारी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-21/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2065	
60.	Motihari	बाल गृह (बालक), मोतिहारी, पता-महर्षि नगर, वार्ड नं0-38, छोटा वरियारपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-50/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2066	
61.	Motihari	बाल गृह (बालिका), पूर्वी चम्पारण, पता-ग्राम बनकट, पो0-वरियारपुर, मोतिहारी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-60/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2067	
62.	Motihari	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, पूर्वी चम्पारण, पता-बनकट, पो0-बरियारपुर, मोतिहारी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-65/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2068	

63.	Munger	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, मुंगेर, पता-बलुआ घाट, मुँगेर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-87/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2069	
64.	Munger	राजकीय मूक-बधिर आवासीय मध्य विद्यालय, सदर प्रखण्ड मुंगेर, पता-सहायक निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, मुंगेर	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-08/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
65.	Munger	पर्यवेक्षण गृह, मुंगेर, पता-बबुआ घाट, जिला परिसर, मुंगेर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-17/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2071	
66.	Munger	बाल गृह (बालक), मुंगेर, पता-बबुआ घाट रोड, समाहरणालय, मुंगेर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-48/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2072	
67.	Muzaffarpur	शांति कुटीर, मुजफ्फरपुर, पता-राम दयाल, बस स्टैंड, मुजफ्फरपुर	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-15/2019-13/सर0सं0 दि0-25.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2073	
68.	Muzaffarpur	पर्यवेक्षण गृह, मुजफ्फरपुर, पता-सिकन्दरपुर, वार्ड नं0-13, मुजफ्फरपुर-842001	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-24/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2074	
69.	Muzaffarpur	बाल गृह (बालक), मुजफ्फरपुर, पता-सिकन्दरपुर स्टेडियम, पावर ग्रिड के नजदीक, मुजफ्फरपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-33/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2075	
70.	Muzaffarpur	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, मुजफ्फरपुर, पता-रेलवे गुमटी नं0-6, खबड़ा, मुजफ्फरपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-80/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2076	
71.	Muzaffarpur	रानी लक्ष्मी बाई महिला विकास समिति, ग्राम-सुस्ता, थाना-सदर, जिला-मुजफ्फरपुर	07/10/2019 से 06/10/2024 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-158	800/आ0नि0को0 दि0-18.07.2019	
72.	Muzaffarpur	शुभम (विकलांग विकास संस्थान), पता-फरदोगोला, रेवा रोड, जिला-मुजफ्फरपुर	13/03/2018 से 12/03/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-2	149/आ0नि0को0 दि0-11.05.2018	
73	Muzaffarpur	बाबा गरीब नाथ विकलांग-सह-जनसेवा संस्थान, कलमबाग चौक, मुजफ्फरपुर	22/05/2018 से 21/05/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-140	148/आ0नि0को0 दि0-11.05.2018	
74.	Nalanda	शांति कुटीर, नालन्दा, पता-मघड़ा, नालन्दा	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-15/2019-11/सर0सं0 दि0-25.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2077	
75.	Nalanda	पर्यवेक्षण गृह, नालन्दा, पता-देवी सराय, चक रसलपुर पथ, बिहारशरीफ	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-27/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2078	
76.	Nalanda	बाल गृह (बालक), नालन्दा, पता-कमरूद्दीन गंज, पो0-बिहारशरीफ, नालन्दा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-41/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2079	
77.	Nalanda	'श्री अरविन्द फाउण्डेशन'', एन0एच0-33, ग्राम-अजनौरा, पो0-अजनौरा, जिला-नालन्दा	10/10/2019 से 09/10/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-221	1110/आ0नि0को0 दि0-10.10.2019	
78.	Nawada	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, नवादा, पता-अम्बेदकर नगर, सद्भावना चौक, नवादा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-73/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2080	
79.	Nawada	विकलांग सम्मान संस्थान, परपा मोड़, राजगीर रोड, नवादा	22/04/2019 से 21/04/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-216	445/आ0नि0को0 दि0-22.04.2019	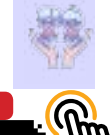

80.	Patna	राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय, पटना, पता-कदमकुआँ, पटना-800003	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-03/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
81	Patna	राजकीय मूक-बधिर मध्य बालक विद्यालय, पटना, पता-महेन्द्रू, पटना-800006	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-04/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
82.	Patna	राजकीय मूक-बधिर मध्य बालिका विद्यालय, पटना, पता-गायघाट, पटना-800007	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-05/सर0सं0 दि0-25.08.2019	999/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
83.	Patna	शांति कुटीर, पटना, पता-शांति कुटीर महिला पुनर्वास केंद्र, मकान सं0-135, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना-800013	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-15/2019-09/सर0सं0 दि0-25.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2084	
84.	Patna	सेवा कुटीर, पटना, पता-शिवपुरी, पटना	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-15/2019-10/सर0सं0 दि0-25.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2085	
85.	Patna	पर्यवेक्षण गृह, पटना, पता-गायघाट, पटना	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-14/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2086	
86.	Patna	विशेष गृह, पटना, पता-गायघाट, पटना-800007	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-15/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2087	
87.	Patna	बाल गृह (बालक), पटना, पता-पुनाईचक, ललित भवन के पीछे, बेली रोड, पटना	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-30/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2088	
88.	Patna	बाल गृह (बालक), पटना	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-40/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2089	
89.	Patna	बाल गृह (बालक), पटना, पता-मेवा साव लेन, सुलतानगंज, पटना	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-46/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2090	
90.	Patna	बाल गृह (बालिका), निशांत पटना, पता-गायघाट, पटना	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-53/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2091	
91.	Patna	बाल गृह (बालिका), पटना, पता-नाजरथ हॉस्पीटलकैम्पस, मोकामा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-61/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2092	
92.	Patna	बाल गृह (बालिका), पटना, पता-अब्दीन हाऊस, फ्रेजर रोड, पटना-01	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-62/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2093	
93.	Patna	बाल गृह (बालिका), पटना, पता-उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-64/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2094	
94.	Patna	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, पटना, पता-भोजपुर कोठी, लेखानगर, खगौल कैन्ट रोड, डी0ए0भी0 स्कूल, दानापुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-77/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2095	
95.	Patna	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, पटना, पता-रूपसपुर नगर रोड, पीलर संख्या-98, पटना	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-78/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2096	
96.	Patna	वृद्धाश्रम 'सहारा', पटना	27.08.2019 से 26.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-16/2019-93/सर0सं0 दि0-27.08.2019	1005/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	

97.	Patna	आसरा गृह, पटना	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-14/2019-96/सर0सं0 दि0-25.08.2019		
98.	Patna	रक्षा गृह, पटना, पता-द्वारा श्री अशोक कुमार सिंह, (तौमर हाऊस), विधि नगर, गोला रोड, पटना	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-97/सर0सं0 दिनांक-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
99.	Patna	फाउण्डेशन फॉर इन्टेग्रलहयूमेन एडवांसमेंट, चाणक्यनगर, विकलांग स्कूल परिसर, कुम्हरार, पटना	21/05/2018 से 20/05/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-162	219/आ0नि0को0 दि0-29.05.2018	
100.	Patna	संकल्पज्योति, अशोक नगर-1, कंकड़बाग, पटना	22/05/2017 से 21/05/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-196	46/आ0नि0को0 दि0-23.05.2017	
101.	Patna	आयुर्वेदिक एण्ड मेग्नेथेरेपी रिसर्च इन्स्टीच्यूट, एन0एम0सी0एच0 हॉस्पीटलरोड, अगमकुआँ, पटना	22/05/2017 से 21/05/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-197	48/आ0नि0को0 दि0-23.05.2017	
102.	Patna	मेगा इन्टरनेशनल, मुहल्ला-शियानारायण निकेतन, सरस्वती लेन, लोहानीपुर, कदमकुआँ, पटना	20/09/2018 से 19/09/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-208	717/आ0नि0को0 दि0-24.09.2018	
103.	Patna	बिहार राज्य बाल कल्याण परिषद, राजभवन, पटना	04/07/2017 से 03/07/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-209	195/आ0नि0को0 दि0-22.05.2018	
104.	Patna	चाईल्ड कन्सर्न, न्यूबहादुरपुर, बाजार समिति रोड, पटना	08/05/2020 से 07/05/2025 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-139	782/आ0नि0को0 दि0-08.05.2020	
105.	Patna	उत्कर्ष सेवा संस्थान, 2एच/77, बहादुरपुर हाऊसिंग कॉलोनी, पटना	05/06/2017 से 04/06/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-199	71/आ0नि0को0 दि0-05.06.2017	
106.	Patna	समर्पण*, स्पेशल स्कूल, इलाहीबाग, पटना गया रोड, बादशाही पैन, नया बस स्टैंड बैरिया के पास, पटना	23/06/2020 से 22/06/2025 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-202	915/आ0नि0को0 दि0-23.06.2020	
107.	Patna	आनन्द विहार, गाँधीपूरम, पूर्वी रूपसपुर, पो0-भेटनरी कॉलेज, जिला-पटना	16/04/2018 से 15/04/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-203	116/आ0नि0को0 दि0-16.04.2018	
108.	Patna	बिहार विकलांग खेल अकादमी, 103, शीला कॉम्प्लेकस, न्यूबहादुरपुर, बाजार समिति रोड, पटना	11/05/2018 से 10/05/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-204	147/आ0नि0को0 दि0-11.05.2018	
109.	Patna	पाटलीपुत्रा पैरेन्टस एसोसिएशन ऑफ हैण्डीकैड, प्रकाश कोल्ड स्टोरेज, नासरीगंज दीघा, दानापुर, पटना	21/12/2018 से 20/12/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-214	970/आ0नि0को0 दि0-20.12.2018	
110.	Patna	उमंग बाल विकास आवासीय विकलांग प्रशिक्षण संस्थान, फेयर फिल्ड कॉलोनी, दीघा, पो0-दीघा, थाना-दीघा, पटना	20/10/2017 से 19/10/2022 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-131	107/आ0नि0को0 दि0-26.03.2018	
111.	Patna	आस्था चैरिटेबुल एण्ड वेलफेयर सोसायटी, F-104, NTPC, फेज-2, आशियाना नगर, पटना	24/11/2018 से 23/11/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-181	461/आ0नि0को0 दि0-25.04.2019	
112.	Patna	'मानव मानवी समाज कल्याण केंद्र'', बेऊर, पटना	13/08/2019 से 12/08/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-224	914/आ0नि0को0 दि0-13.08.2019	
113.	Patna	'स्टेट सोसायटी फॉर अल्ट्रा पुअर एण्ड सोशल वेलफेयर (सक्षम), अपना घर, ललित भवन के पीछे, बेली रोड, पटना	09/08/2019 से 08/08/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-180	775/आ0नि0को0 दि0-10.07.2019	

114.	Patna	''जीवन ज्योति विकलांग सेवा संस्थान*, फेयर फिल्ड कॉलोनी, दीघा घाट, पटना	28/10/2019 से 27/10/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-182	1169/आ0नि0को0 दि0-28.10.2019	
115.	Patna	'बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विथ डिजेबिलिटीज*, पटेल कॉलोनी, संदलपुर, पो0-महेन्द्रू, थाना-बहादुरपूर, पटना	30/10/2019 से 29/10/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-226	1181/आ0नि0को0 दि0-30.10.2019	
116.	Patna	'बिहार पैरा स्पोर्ट्स सिएशन*, 103, शीला कॉम्प्लेकस, न्यूबहादूरपुर, बाजार समिति रोड, राजेन्द्र नगर, पटना	26/11/2019 से 25/11/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-228	1282/आ0नि0को0 दि0-26.11.2019	
117.	Patna	सिविल सोसाइटी फोरम*, एम0आई0जी0, 91, कंकड़बाग कॉलोनी, पटना	25/11/2019 से 26/11/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-227	1277/आ0नि0को0 दि0-22.11.2019	
118.	Patna	बिहार नेत्रहीन परिषद*, कुम्हरार, पटना	08/08/2018 से 07/08/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-147	558/आ0नि0को0 दि0-25.02.2020	
119.	Purnea	शांति कुटीर, पूर्णियाँ, पता-महिला भिक्षुक पुनर्वास गृह, संत कबीर नगर, पूर्णियाँ	25.08.2019 से 24.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-15/2019-12/सर0सं0 दि0-25.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2100	
120.	Purnea	पर्यवेक्षण गृह, पूर्णियाँ, पता-श्रीनगर हाता, पूर्णियाँ-854301	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-18/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2101	
121.	Purnea	बाल गृह (बालक), पूर्णियाँ, पता-श्रीनगर हाता, पूर्णियाँ	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-39/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2102	
122.	Purnea	बाल गृह (बालिका), पूर्णियाँ, पता-जाफरी बाग, नियर इंडस्ट्री रोड, चाँदनी चौक, पूर्णियाँ	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-56/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2103	
123.	Purnea	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, पूर्णियाँ, पता- श्रीमती सुशीला देवी, सब्जी मण्डी चौक, भट्टा बाजार, पूर्णियाँ	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-86/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2104	
124.	Purnea	वृद्धाश्रम 'सहारा', पूर्णियाँ	27.08.2019 से 26.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-16/2019-94/सर0सं0 दि0-27.08.2019	1005/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
125.	Purnea	अल्पावास गृह, पूर्णियाँ, पता-एन0-31, बाईपास रोड, बैरियर के नजदीक, पूर्णियाँ	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-98/सर0सं0 दिनांक-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
126.	Rohtas	रोगी कल्याण समिति, सदर अस्पताल, सासाराम (रोहतास)	04/01/2019 से 03/01/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-215	07/आ0नि0को0 दि0-04.01.2019	
127.	Rohtas	बाल गृह (बालक), रोहतास, पता-कोयला डीपो, जी0टी0 रोड सखरा, पो0-खैरहाँ, डेहरी ऑन सोन, रोहतास	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-36/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2107	
128.	Rohtas	वृद्धाश्रम 'सहारा', रोहतास	27.08.2019 से 26.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-16/2019-95/सर0सं0 दि0-27.08.2019	1005/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
129.	Saharsa	बाल गृह (बालक), सहरसा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-37/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2109	
130.	Saharsa	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, सहरसा, पता-कोसी चौक, सहरसा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-84/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2110	

131.	Samastipur	बाल गृह (बालक), समस्तीपुर, पता-डॉ0 अभिलाषा सिंह, आर0एन0आर0 कॉलेज रोड, समस्तीपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-44/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2111	
132.	Samastipur	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, समस्तीपुर, पता-ममता शिशु गृह, क्रियेशन इंडिया सोसायटी, 12 पत्थर, समस्तीपुर	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-76/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2112	
133.	Samastipur	अल्पावास गृह, समस्तीपुर, पता-गायत्री कॉम्प्लेकस, नियर आई0डी0बी0आई0 बैंक, समस्तीपुर	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-100/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
134.	Saran	पर्यवेक्षण गृह, सारण, पता-निकट भरत मिलाप चौक, मण्डल कारा के पीछे, सारण मिलाप चौक, मण्डल कारा के पीछे, सारण	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-20/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2114	
135.	Saran	बाल गृह (बालक), सारण, पता-प्रभुनाथ नगर, छपरा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-38/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2115	
136.	Saran	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, सारण, पता-नियर छपरा सेंट्रल स्कूल, साढ़ा, छपरा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-82/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2116	
137.	Saran	बाल गृह (बालिका), सारण, पता-खेमाजी टोला, साँढा, छपरा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-54/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2117	
138.	shekhpura	सुरक्षित स्थान, शेखपुरा, पता-मटोखर दाह, शेखोपुर सराय रोड, शेखपुरा	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-29/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2118	
139.	Sheohar	अल्पावास गृह, शिवहर, पता-द्वारा अरविन्द कुमार सिंह, वार्ड नं0-09, महिला पुलिस के सामने, पोस्ट ऑफिस के बगल में, शिवहर	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-99/सर0सं0 दिनांक-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
140.	Sitamarhi	बाल गृह (बालक), सीतामढ़ी, पता-वरियारपुर, सीतामढ़ी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-51/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2120	
141.	Sitamarhi	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, सीतामढ़ी, पता-सीमरा रोड, सीतामढ़ी	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-66/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2121	
142.	Sitamarhi	आर0एम0टी0 सर्वोदय (आ0) विकलांग विकास संस्थान, कैलाशपुरी, डुमरा, सीतामढ़ी	04/07/2017 से 03/07/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-212	136/आ0नि0को0 दि0-04.07.2017	
143.	Siwan	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, सिवान, पता-नयी बस्ती, फतेहपुर, सिवान	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-71/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2122	
144.	Siwan	अल्पावास गृह, सिवान, पता-रेड क्रॉस भवन, सिवान	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-103/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	
145.	Siwan	सिवान नवज्योति उत्थान संस्थान, ग्राम-जगदम्बा नगर, पो0-जगदम्बा नगर, पंचमंदिर, जिला-सिवान	22/05/2017 से 21/05/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-198	51/आ0नि0को0 दि0-23.05.2017	
146.	Supaul	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, सुपौल, पता-नखुराही, वार्ड नं0-26, सुपौल	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-89/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2124	
147.	Supaul	अल्पावास गृह, सुपौल, पता-वार्ड नं0-27, संत नगर, चकला निर्मली, सिंहेश्वर रोड, सुपौल	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-110/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019	

148.	Supaul	'सेवक'', सुपौल, भवानीपुर, सीतापुर, सुपौल	19/07/2019 से 18/07/2024 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-220	812/आ0नि0को0 दि0-19.07.2019
149.	Supaul	जिला स्तरीय सम्पूर्ण विकलांग समावेशी शिक्षा विद्यालय, बैरिया, प्रखण्ड– पिपरा, जिला-सुपौल	24/02/2020 से 23/02/2025 तक पाँच वर्षों के लिए		
150.	Vaishali	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, वैशाली	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-74/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2126
151.	West Champaran	प्रगति रूरल डेवलपमेन्ट, विक्टोरिया मिशन, पो0-गहिरी, जिला-पश्चिम चम्पारण	01/10/2018 से 30/09/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-211	813/आ0नि0को0 दि0-29.10.2018
152.	West Champaran	तपोवन बहुविकलांग पुनर्वास संस्थान, करनमेया, लालगढ़, मुफ्फसील, बेतिया, पश्चिम चम्पारण	23/11/2017 से 22/11/2020 तक तीन वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-156	533/आ0नि0को0 दि0-23.11.2017
153.	West Champaran	जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, पुनर्वास भवन, कविवर नेपाली चौक, बेतिया, पश्चिम चम्पारण	30/09/2018 से 29/09/2023 तक पाँच वर्षों के लिए	निबंधन संख्या-210	997/आ0नि0को0 दि0-26.10.2018
154.	West	बाल गृह (बालक), पश्चिम चम्पारण, पता-झीलिया, वार्ड नं0-5, अमना उर्दू स्कूल के पीछे, छावनी, बेतिया	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-32/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2127
155.	West	विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान, पश्चिम चम्पारण, पता-बानु छापर, संत कवि रोड, बेतिया, पश्चिम चम्पारण	26.08.2019 से 25.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-18/2019-85/सर0सं0 दि0-26.08.2019	1000/आ0नि0को0 दि0-04.09.2128
156.	West	अल्पावास गृह, पश्चिम चम्पारण, पता-सेवा सदन रोड, पूर्वी बानूछापर, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	28.08.2019 से 27.08.2024 तक पाँच वर्षों के लिए	सं0सं0-04/निबंधन-17/2019-102/सर0सं0 दि0-28.08.2019	1006/आ0नि0को0 दि0-04.09.2019

(डॉ0 शिवाजी कुमार)
राज्य आयुक्त निःशक्तता
बिहार, पटना।

आंकड़ों/ग्राफ में कुछ उपलब्धियां

Execution of complaints during mobile court by State commissiner Disabilities in the year 2019-20

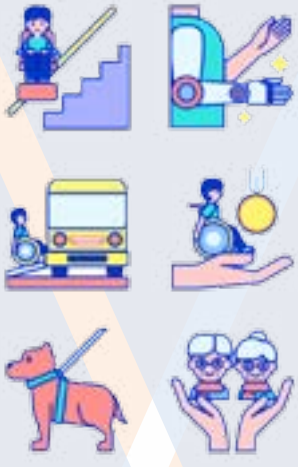

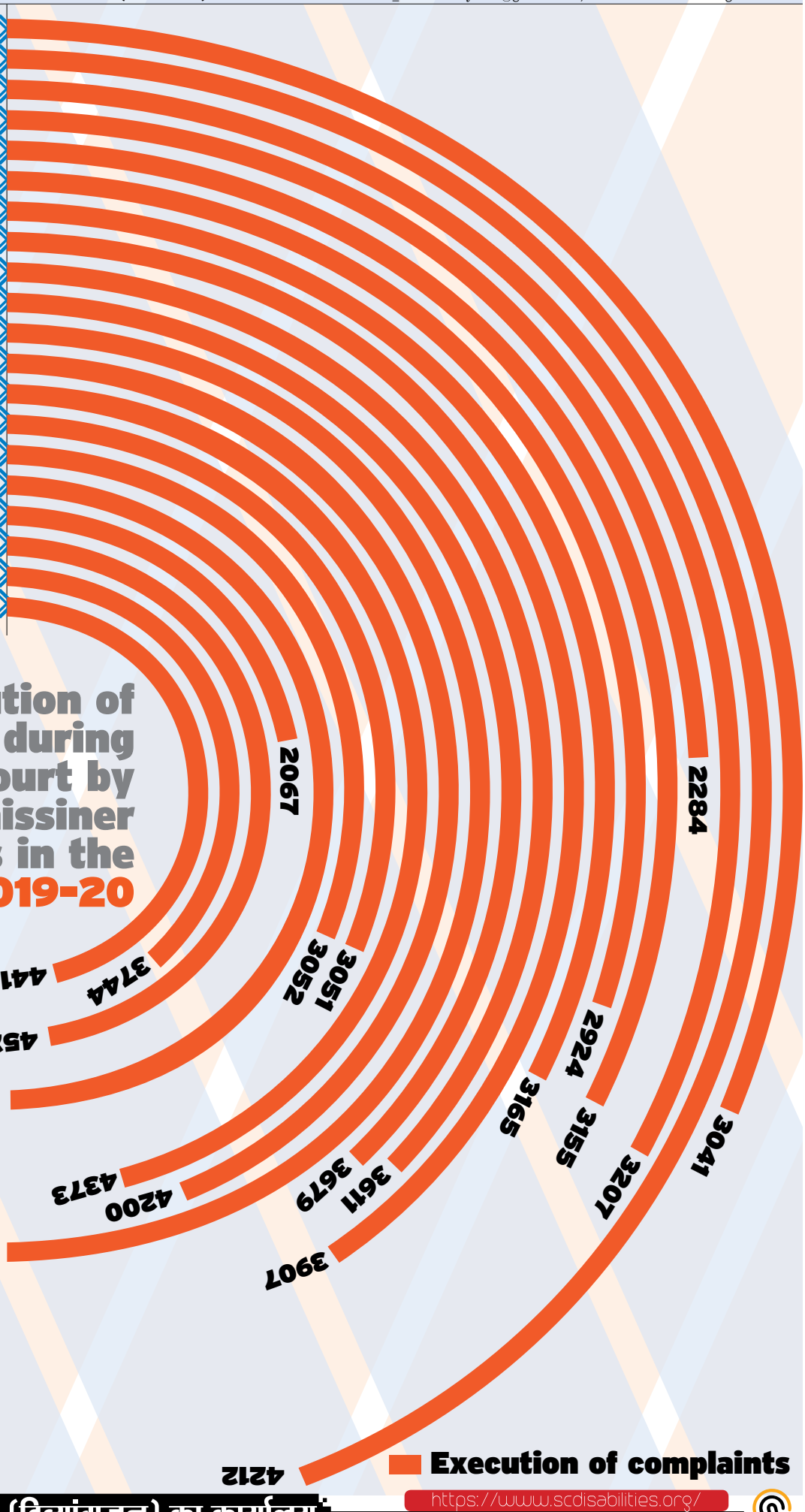

प्रमाणपत्र

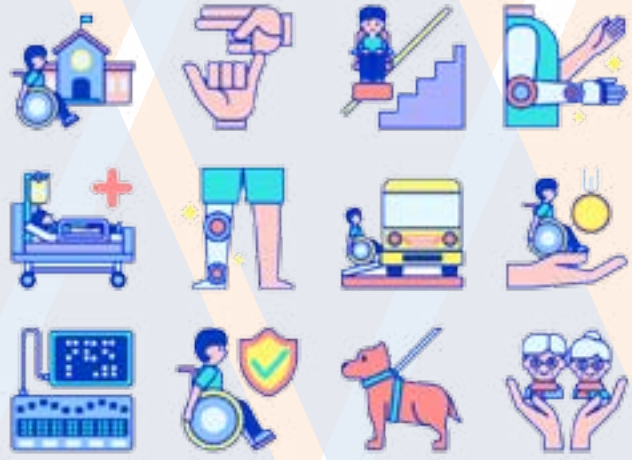

पेंशन

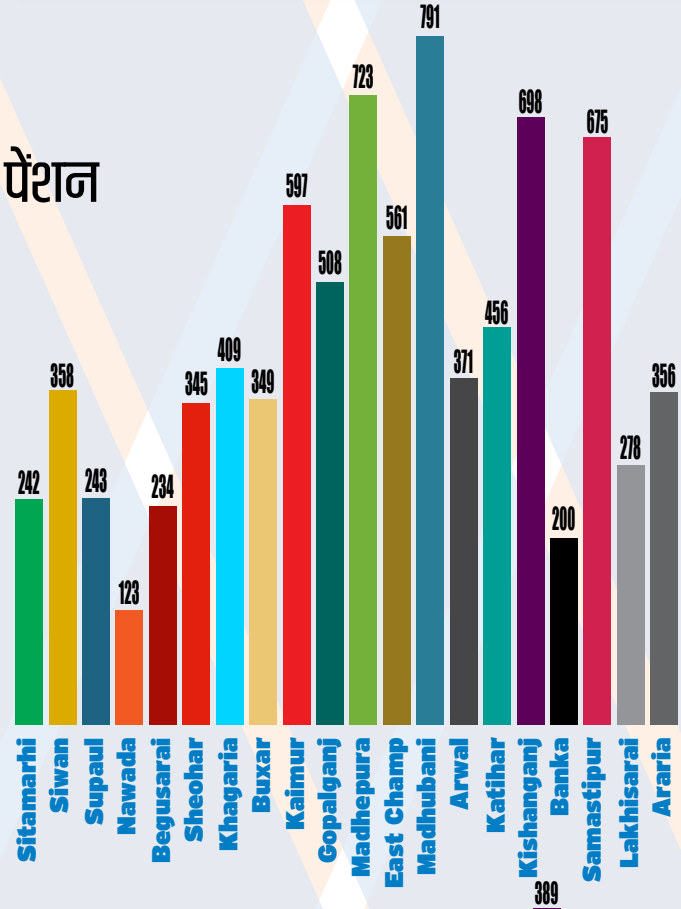

उपकरण

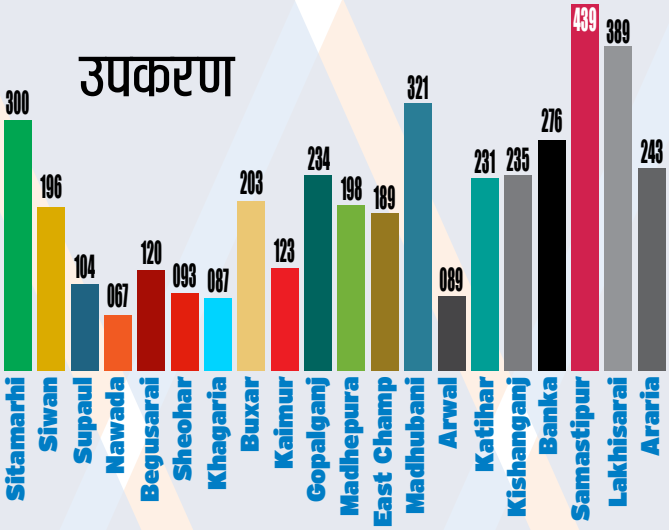

आवास

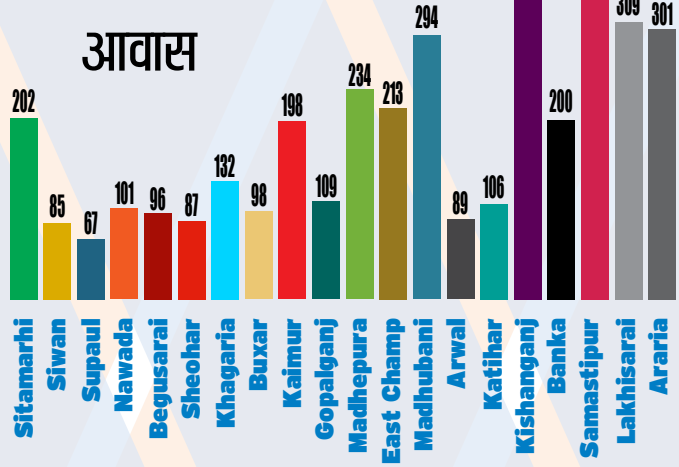

रोजगार

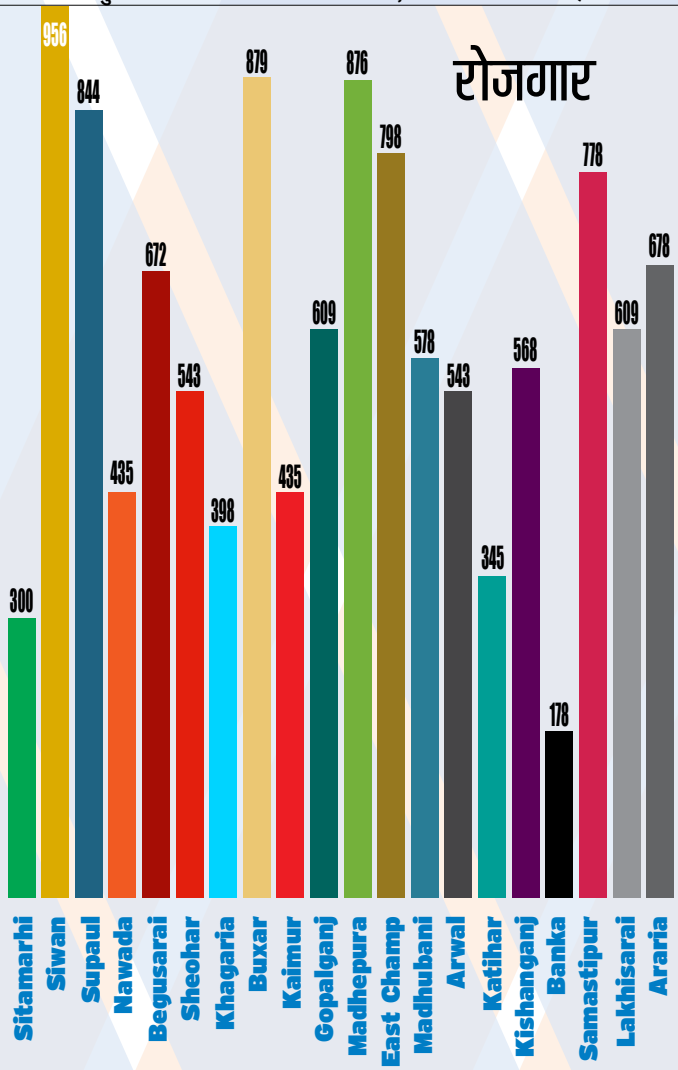

मनरेगा

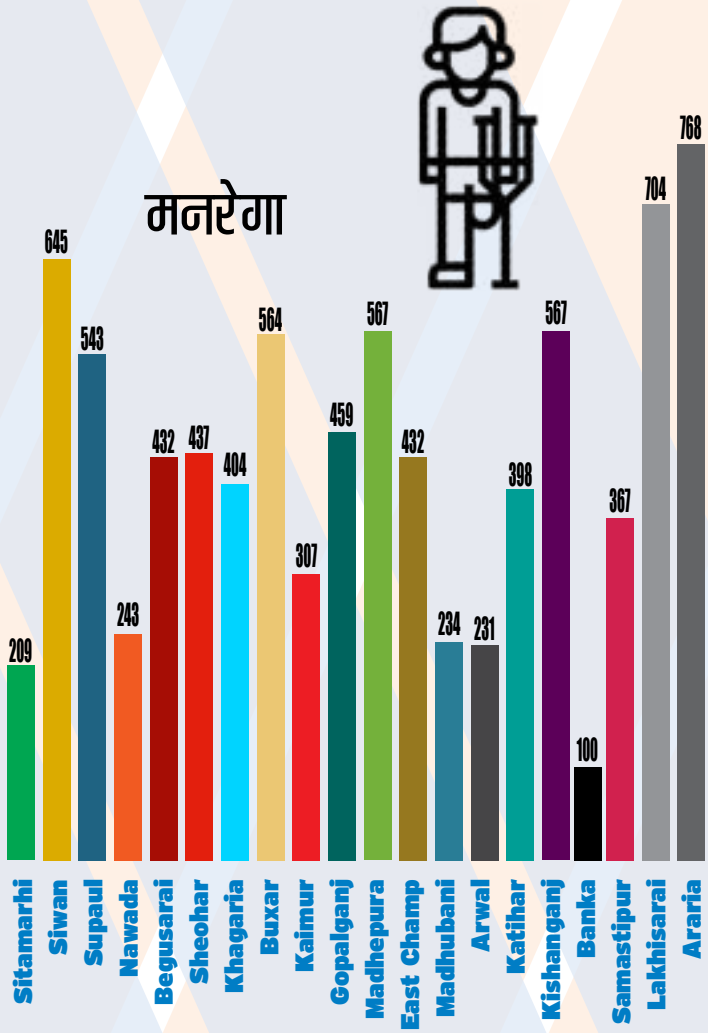

राशन कार्ड

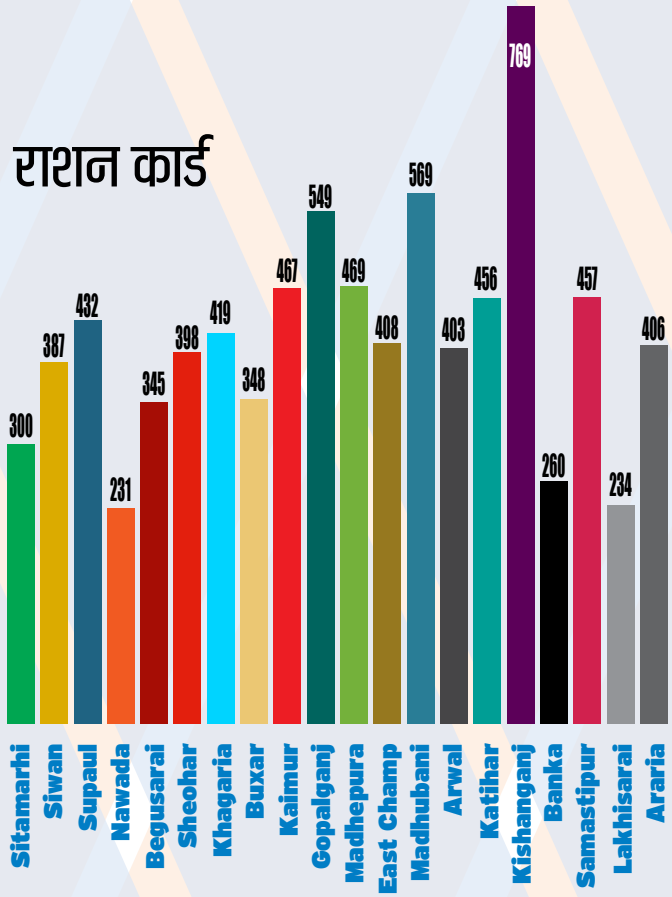

अन्य

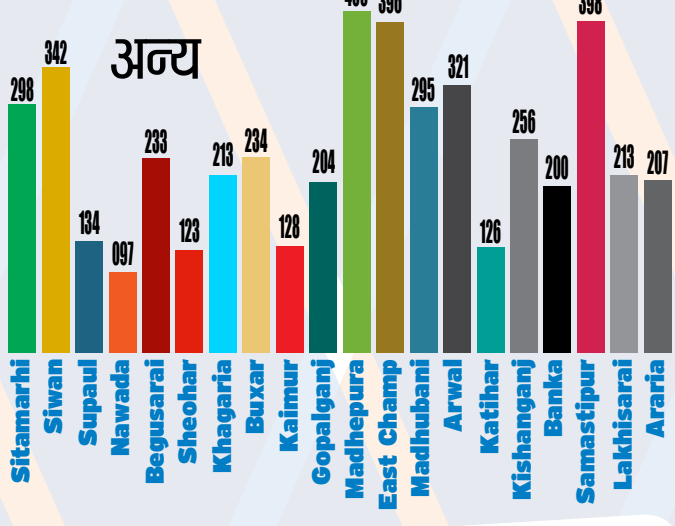

आभार

अपर आयुक्त निःशक्ता (डॉ. कुमार रजक) इस वार्षिक प्रतिवेदन 2019-20 के प्रकाशन में अप्रतिम सहयोग हेतु :-श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री मती विद्या कुमारी, डॉ. उमाकान्त सिन्हा, श्री अनोद सिंह, श्री राजकिशोर ठाकुर, श्री हर्ष राज, संतोष कुमार सिन्हा, डॉ. मनोज कुमार, श्री संदीप कुमार, श्री रणधीर कुमार, श्री मनीष कुमार एवं आशीष कुमार सहित सभी जिला एवं राज्यस्तर के अधिकारियों का राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय की ओर से आभार व्यक्त करते हैं।

क्रं0सं0	वाद सं0	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
			एवं अन्य	करने के संबंध में।
90.	90/2019	मोतिहारी पूर्वी चम्पारण	वादी :- श्री चितरंजन सिंह, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण। प्रतिवादी :- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण	दिव्यांगजनों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु , प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के संबंध में
91.	91/2019	समस्तीपुर	वादी :- मो0 जब्बार, समस्तीपुर प्रतिवादी :- थाना प्रभारी, हथौड़ी, समस्तीपुर एंव अन्य	दिव्यांग पड़ोसी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ति करने के संबंध में
91 a.	91 (क) /2019	वैशाली (हाजीपुर)	वादी :- मो0 शहाबुद्दीन, वैशाली (हाजीपुर) प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा कोषांग , वैशाली (हाजीपुर) एवं अन्य	तिपहिया साइकिल सुलभ कराने से संबंधित
92.	92/2019	पटना	वादी :- श्री दीपक कुमार, पटना। प्रतिवादी :- श्री राम पुकार सिंह,पटना एवं अन्य	शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में
93.	93/2019	पटना	वादी :- श्री इशांत कुमार, पटना। प्रतिवादी :- प्रधानाध्यपक, Open Minds-A Birla School, Kankarbagh, पटना	परिवहन सुविधा के संबंध में
94.	94/2019	पूर्वी चम्पारण	वादी :- मो0 ओबैदुल्लाह, पिता-मो0 शमीम अख्तर, पूर्वी चम्पारण प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल, पदाधिकारी जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्वी चम्पारण एवं अन्य	ट्राई साइकिल दिलवाने के संबंध में
95.	95/2019	मुजफ्फरपुर	वादी :- श्री शिवशंकर सहनी, मुजफ्फरपुर प्रतिवादी :- पोस्टमास्टर, शाखा डाकघर, मुजफ्फरपुर, बिहार	डाक विभाग से जीवन निर्वाह हेतु पेंशन की स्वीकृति हेतु
96.	96/2019	पटना	वादी :- श्री महेश कुमार शर्मा, पटना प्रतिवादी :- उप सचिव (स्थापना) पेंशन प्रभारी पदाधिकारी,साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी विभाग,पटना, बिहार	विधि सम्मतघोषण पत्र में शपथ पत्र नहीं देने के कारण जोड़ा नहीं गया हैं
97.	97/2019	जहानाबाद	वादी :- श्रीमती शांति देवी, जहानाबाद प्रतिवादी :- उपर समाहर्त्ता (राजस्व), जहानाबाद एवं अन्य	अवैध कब्जा से मुक्त करा कर आवेदिका को कब्जा दिलाने संबंधी।
98.	98/2019	सिवान	वादी :- श्री संतोष कुमार गुप्ता, सिवान। प्रतिवादी :- आरक्षी अधीक्षक, सिवान एंव अन्य	प्रतिवादी के परिवार को फँसाने के संबंध में
99.	99/2019	राँची (झारखण्ड)	वादी :- श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह, -राँची (झारखण्ड) प्रतिवादी :- अंचलाधिकारी,घनश्यामपुर,दरभंगा, बिहार	दाखिल-खारिज (जमाबंदी) कायम करने के संबंध में
100.	100/2019	मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण	वादी :- मो0 फिरोज आलम, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण प्रतिवादी :- सहायक निदेशक-सह-नोडल	मुख्यमंत्री नि:शक्तता विवाह प्रोत्साहन योजना

क्र0सं0	वाद सं0	जिला	वादी एवं प्रतिवादी	विषय
			पदाधिकारी, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी	का लाभ सुलभ कराने के संबंध में
101.	101/2019	बक्सर	वादी :- श्री विरेन्द्र चौधरी, पिता-श्री सिद्धनाथ चौधरी, बक्सर प्रतिवादी :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी,बक्सर एंव अन्य	दिव्यांगता पेंशन भुगतान एवं राशन कार्ड बनवाने के संबंध में
102.	102/2019	समस्तीपुर	वादी :- सुश्री संजु कुमारी, पिता- श्री राज मनोज महतो, समस्तीपुर प्रतिवादी :- परीक्षा नियत्रंक (CTET) Central Teacher Eligibility Test, सी0बी0एस0ई0 क्षेत्रीय कार्यालय,दिल्ली	केन्द्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा में संशोधन करने के संबंध में
103.	103/2019	खगड़िया	वादी :- श्री हरिओम सराफ, पिता-श्री शिव कुमार सराफ, खगड़िया प्रतिवादी :- सहायक निदेशक,बाल संरक्षण इकाई, खगड़िया एवं अन्य	अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन की राशि दिव्यांग को स्वीकृत करने के संबंध में
104.	104/2019	सिवान	वाद :- श्रीमती विनीता कुमारी, सिवान प्रतिवादी :- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. समाज कल्याण विभाग, सिवान।	(चयन ऑगनवाड़ी सेविका) आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने के संबंध में।
105.	105/2019	रोहतास	वादी :- श्री चितरंजन कुमार, श्रीमती प्रभा देवी एवं श्रीमती रीता देवी, रोहतास प्रतिवादी:- प्रखंड विकास पदाधिकारी, इन्द्रपुरी, रोहतास।	दिव्यांगता पेंशन भुगतान के संबंध में
106.	106/2019	औरंगाबद	वादी :- श्री रविकान्त चौधरी, औरंगाबद प्रतिवादी :- प्रभारी, प्रधानाध्यापक,राजकीय कादरी मध्य विद्यालय, औरंगाबद	नियुक्ति के उपरांत वेतन भुगतान से वंचित करने एवं सेवा से हटाने के संबंध में
107.	107/2019	पटना	वादी :- डॉ0 शिव कुमार, पटना। प्रतिवादी :- प्रधान सचिव,स्वास्थय विभाग, बिहार,पटना	पेंशन एवं बकाया के संबंध में
108.	108/2019	गया	वादी :- श्री शत्रुधन शर्मा, मानपुर,गया। प्रतिवादी :- थाना प्रभारी,मानपुर,गया एवं अन्य	पुत्र एवं पुत्रवध के द्वारा दिव्यांगता पिता को प्रताड़ित करने के संबंध में

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रवृत होने के पश्चात के वित्तिय वर्षों में कार्यालय से संबंध कार्य बिन्दुओं पर स्थिति

क्र0 सं0	कार्य के बिन्दु	2017-18	2018-19	2019-20
1.	**अधिनियम के अनुपालन से सम्बन्धित बैठक/निरीक्षण**			
(a)	क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक	---	423	568
(b)	एडभोकेसी बैठक	---	673	1122
(c)	सार्वजनिक स्थलों/भवनों का एक्सेस ऑडिट	---	98	123
(4)	ऑन स्पॉट/ ग्राउड जीरो निरीक्षण	---	46	88
(e)	औचक निरीक्षण	---	25	38
2.	चलन्त न्यायालय & 'न्यायालय आपके द्वार' का आयोजन	01	23	38
3.	अनुपालन स्थिति के सम्बन्ध में स्थलीय समीक्षा	---	38 जिला, 454 प्रखण्ड एवं 7081 पंचायत	
4.	परिवादों/वादों का निष्पादन	115	1.3 लाख	1.9 लाख
(a.)	कार्यालय पत्र के माध्यम से	104	205	368
(b.)	न्यायालीय प्रक्रिया द्वारा (स्थायी कोर्ट के माध्यम से)	11	86	108
(c.)	चलंत न्यायालय के माध्यम से	---	59694	72064
(d.)	कार्यालय को प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन	05	208	487
(e.)	व्यक्तिगत रूप से समस्याओं को सुनना (कार्यालय में उपस्थित दिव्यांग) एवं निष्पादन/सलाह	12	232	327
(f.)	Helpline Number पर प्राप्त शिकायतों का निष्पादन	---	13580	23107
(g.)	बेवसाइट के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त शिकायतों का निष्पादन	---	421	534
(h.)	ई-मेल माध्यम से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन	18	912	1209
(i.)	Voice मेल से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन	---	417	532
(j.)	मोबाईल/व्हाटसऐप माध्यम से प्राप्त शिकायतों /सुझाव/निर्देश/समाधान	22	32000	58000
(k.)	सोशल मीडिया माध्यम-टयूटर, फेसबुक से जनजागरूकता	---	32 लाख	60 लाख
5.	कार्यालय की गतिविधियों का समाचार पत्रों में प्रकाशन	08	212	302
6.	व्यापक जनजागरूकता अभियान (Mass Awareness Campaign)	02	83	108
7.	संस्थाओं का अनुश्रवण	08	23	58
8.	अधिनियम के अनुपालनार्थ पदाधिकारियों के साथ बैठकें	02	11	17
9.	निर्गत पत्रों की संख्या	568	1218	1456
10.	महत्वपूर्ण दिवसों एवं कार्यशाला/सेमिनार/कॉन्फ्रेन्स का आयोजन	---	16	18
11.	प्रकाशित पुस्तकों व पॅम्पेलट्स की संख्या	---	2+5	1+4
12.	सरकारी/गैरसरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं का निबंधन	08	11	123

आयोग कर रहा ऐसी व्यवस्था कि एक भी दिव्यांग वोट से न चूके

426 दिव्यांगों ने रखीं समस्याएं

समाधान के निर्देश

मुश्किल में दिव्यांग बने अपनों का सहारा

विश्व ऑटिज्म दिवस : 2016 में पहली बार ऑटिज्म को दिव्यांगता की श्रेणी में लाया गया

रचनात्मक-कलात्मक क्षमता की दुनिया है ऑटिज्म

बाय इन्विटेशन

ऑटिज्म है एक न्यूरो व्यवहार की स्थिति

व्यवहार न्यायालय में दिव्यांगों के लिए

87.34 लाख राशन कार्डधारियों के खाते में भेजे गए एक-एक हजार रु.

बाकी 21 लाख के खाते में जल्द भेजी दी जाएगी रकम

80 लाख पेंशनधारियों को दी गई मदद

दिव्यांगजनों के लिए लोक अदालत कल

ऑनलाइन

राहत

17 जिलों में बनेंगे दिव्यांगों के लिए स्पेशल बस स्टैंड

खरीदी जायेंगी 20 लो फ्लोर बसें

मतदान के दिन दिव्यांगों को बूथ पर लाने और घर पहुंचाने की व्यवस्था करेगा प्रशासन : आयुक्त

दिव्यांग व सामान्य खिलाड़ियों की प्रतियोगिता एक साथ

न्यूरो दिव्यांग पीड़ितों का इलाज संभव

आईएचआईएफ

कोशिश होगी, थैलेसीमिया

जल्द पहचान नहीं होने के कारण राज्य में बढ़ रही है दृष्टि बाधित दिव्यांगता

दिव्यांग खिलाड़ियों को मिलेगा मौका

दैनिक भास्कर 14/03/202

बसें धोते थे नारायण, एथलेटिक्स में जीता एशियाड का गोल्ड, ओलंपिक पर नजर

19वीं बिहार ऑवार्ड सेरेमनी में भाग लेते दिव्यांगजन और अन्य।

भारत सरकार द्वारा स्टेट कमिश्नर डॉ शिवाजी कुमार सम्मानित होते हुए।

सुपौल के कार्यक्रम में संबोधित करते आयुक्त।

29 दिसंबर 2019 को किशनगंज में दिव्यांगजनों को ट्राइसाइकिल भेंट करते आयुक्त।

कार्यालय

राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन), समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, सिंचाई विभाग परिसर पुराना सचिवालय, पटना-800015 बिहार, दूरभाष- 0612-2215041, हेल्पलाईन नंबर - 8448385590, बेबसाईट - www.scdisabilites.org, **ईमेल-** scdisability**2008**@gmail.com